नवम माला, खण्ड 13, अंक 8

बुधवार, 9 जनवरी, 1991
19 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(नौवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 62
Date 22-7-91

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।]

लोक सभा वाद - विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 9 जनवरी, 1991/19 पौष, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
30	प्रथम पंक्ति	शीर्षक में "संदंधी" के स्थान पर "संबंधी" पढ़िये।
39	2	"श्री गोपीनाथ गणपति" के स्थान पर "श्री गोपीनाथ गजपति" पढ़िये।
139	75	प्रश्न संख्या "590" के स्थान पर "580" पढ़िये।
308	अंतिम पंक्ति	"एल-टी-1996/91" के स्थान पर "एल·टी-1966/91" पढ़िये।
319	नीचे से पंक्ति 5	"श्री नाथ सिंह" के स्थान पर "श्री नाथू सिंह" पढ़िये।

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 13, छठा सत्र, 1990-91/1912 (शक)

अंक 8, बुधवार, 9 जनवरी, 1991/19 पौष, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	... ...	1
नियम 388 के अधीन प्रस्ताव—स्वीकृत	... ...	1—3
प्रश्न काल का निलम्बन		
प्रश्नों के लिखित उत्तर	... ...	3—238
तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 60		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 462 से 570, 572 से 620, 623 से 645 और 647 से 693		
स्थगन प्रस्ताव	... ...	238—297
संविधान की 10वीं अनुसूची के उपबंधों की मर्यादा बनाए रखने में सरकार की असफलता		
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	... ...	238—244
श्री दिनेश सिंह	... ...	244—247
श्री प्रो० मधु दण्डवते	... ...	247—251
श्री हुकमदेव नारायण यादव	... ...	251—261
श्री सोमनाथ चटर्जी	... ...	261—266
श्री वसंत साठे	... ...	265—273
श्री जसवंत सिंह	... ...	270—273
श्री सैफुद्दीन चौधरी	... ...	274
डा० देवी प्रसाद पाल	... ...	274—277

विषय		पृष्ठ
श्री इन्द्रजीत गुप्त	... ...	277—297
श्री कमल मोरारका	... ...	297—283
श्री जार्ज फर्नांडीज	... ...	283—290
श्री नाथू सिंह	... ...	290—292
श्री इन्द्र जीत	... ...	292—293
डा० सम्बि दुरै	... ...	293—294
प्रो० सैफुद्दीन सोज	... ...	294—295
श्री राजीव गांधी	... ...	295—296
श्री चन्द्र शेखर	... ...	296—297
सभा पटल पर रखे गए पत्र ...	... ...	297—309
राज्य सभा से संदेश ...	... ...	309—312
छावनी (संशोधन) विधेयक ...	... ...	312
राज्य सभा द्वारा संशोधन के साथ लौटाया गया		
प्राक्कलन समिति ...	... ...	312
ग्यारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत		
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति ...		313
(एक) तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत		
(दो) अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन तथा विवरण—प्रस्तुत		
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक— पुरस्थापित ...		313—316
जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक—पुर:स्थापित ...		316
जम्मू-कश्मीर दंड विधि अध्यादेश द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण दर्शाने वाला विवरण		
नियम 377 के अधीन मामले ...	... ...	318
(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 पर शिलांग उप-मार्ग के लिए मंजूरी दिए जाने की मांग		
श्री पीटर जी० मरवनिआंग ...	... ...	319
(दो) कोटावलासा और वैलाडिला के बीच चलने वाली यात्री रेल-गाड़ी में आयिकाओं वाले डिब्बे पुन: लगाए जाने की मांग		
श्री के० प्रधानी ...	... ...	319

विषय पृष्ठ

(तीन) कोटा को "ख" श्रेणी का नगर घोषित किए जाने की मांग

श्री दाऊ दयाल जोशी 320

(चार) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर और इटावा के बीच एक रेल लाइन का निर्माण किये जाने की मांग

श्री केशरी लाल 320

(पांच) दामोदर कार्य योजना को कार्यान्वित किए जाने की मांग

श्री सनत कुमार मंडल 321

(छः) बम्बई का नाम बदलकर सभी भाषाओं में मुम्बई किए जाने की मांग

श्री वामन राव महाडीक 321

(सात) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की सिधौली तहसील में चीनी मिलें लगाए जाने की मांग

श्री राम लाल राही 322

(आठ) अयोध्या और फैजाबाद में "कार सेवा" के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग

श्री मित्रसेन यादव ... ... 322—323

(नौ) मध्य प्रदेश के रीवा नगर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किए जाने की मांग

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री 323

सभा का कार्य 323

लोक सभा की बैठक का बढ़ाया जाना 324

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प; भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक और भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित ... 324—349

विचार करने के लिए प्रस्ताव]

श्री गिरधारी लाल भार्गव ... ... 325—326

श्री यशवन्त सिन्हा ... ... 327—329

श्री अजीत पांजा ... ... 329—333

प्रो० राम पनेश काशले ... ... 333—334

विषय पृष्ठ

श्री अमल दत्त ... ... 334—338

श्री सेज नारायण सिंह ... ... 338—340

श्री जय पाल सिंह ... ... 340—341

श्री गुमान मल लोढा ... ... 341—342

श्री हेत राम ... ... 342—343

श्री हरीश रावत ... ... 344—345

श्री जार्ज फर्नान्डीज ... ... 345—349

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक ... ... 349—362

विचार करने के लिए प्रस्ताव

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा ... ... 349—356

श्री जार्ज फर्नान्डीज ... ... 356—361

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक ... ...

राज्य सभा द्वारा यथापारित

विचार करने के लिए प्रस्ताव ... ...

खंडवार विचार ... ...

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री यशवन्त सिन्हा 362

लोक सभा

बुधवार, 9 जनवरी, 1991/19 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने 1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 3871 के अन्तर्गत किए गए रोक आवेदन पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश के बारे में कल सभा को सूचित किया था जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अन्तर्गत मेरे सम्मुख प्रस्तुत की गई सभी याचिकाओं पर "आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी या अर्जीदारों द्वारा उन्हें आगे कार्यवाही के लिए अध्यक्ष के समक्ष नहीं लाया जाएगा।"

मैंने इस संबंध में आज प्रातः दलों और ग्रुपों के नेताओं से विचार-विमर्श किया है और सर्व-सम्मति से इस बात पर सहमति हुई कि उच्च न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा की जाए।

तदनुसार, मैं दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा कर रहा हूं।

11.01 म० पू०

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

प्रश्न काल का निलम्बन

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने नियम 388 के अधीन एक नोटिस दिया है कि प्रश्न काल से सम्बन्धित नियम 32 को निलम्बित किया जाए और स्थगन प्रस्ताव जिसके लिए कई माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है, को लिया जाए।

इसके अतिरिक्त मैं यह महसूस करता हूं कि इस संबंध में आपके द्वारा यथा स्थिति रखने के बाद मेरा सुझाव यह है कि स्थगन प्रस्ताव लिया जाना चाहिए और इस सभा का यह सुविचारित मत है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 6 और 7 को ध्यान में रखते हुए दलबदल के आधार पर अयोग्य करार दिए जाने के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के 8 जनवरी, 1991 के आदेश के अधीन जनता दल (एस) के उन 37 संसद सदस्यों की यथा स्थिति बरकरार रखी जाए जिनके सम्बन्ध में अध्यक्ष के पास दल-बदल विरोधी कार्यवाहियां लम्बित हैं तथा इसे संविधान की गरिमा बनाए रखने हेतु पूर्ण रूप से नजर-अन्दाज किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32 को जिससे बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराने का उपबन्ध है, संविधान की 10वीं अनुसूची में अन्तर्विष्ट संसद सदस्यों की निर्हरता से सम्बन्धित संविधान के उपबन्धों, जो कि इस मामले को किसी न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखते हैं, की मर्यादा बनाए रखने की असफलता के बारे में स्थगन प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित करती है।"

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्य प्रकाश मालवीय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने मालवीय जी को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज प्रश्न काल नहीं था, लेकिन 31 दिसम्बर और 1 जनवरी की छुट्टियां कर दी गई थीं तो आडवाणी जी के सुझाव पर यह तय हुआ था कि आज प्रश्न काल कर दिया जायेगा और उस दिन के प्रश्न 9 तारीख को ले लेंगे···

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : हमें क्या मालूम था कि बाद में सरकार ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगी···(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : यह सरकार लोक सभा को चलने नहीं देना चाहती, वे जो दल-बदल कर मंत्री आये हैं ये खुद ऐसा काम कर रहे है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश कापसे : हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर को सुन रहा हूं, मेहरबानी करके आप सब बैठ जायें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा यही निवेदन है कि जो प्रस्ताव रखा गया है कि प्रश्न काल निलम्बित किया जाए, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप इनको सुन तो लें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं पुनः सुझाव दे रहा हूं और सारे सदन से अनुरोध करता हूं कि मेरे सुझाव पर पुनर्विचार करें कि प्रश्न काल हो जाये उसके बाद ठीक 12 बजे इसको ले लिया जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। सारा

सदन इस पर सहमत है कि प्रश्नकाल सस्पैंड किया जाये ।

[अनुवाद]

अतः, प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32 को जिससे बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराने का उपबन्ध है, संविधान की 10वीं अनुसूची में अन्तर्विष्ट संसद सदस्यों की निर्हरता से सम्बन्धित संविधान के उपबन्धों, जो कि इस मामले को किसी न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखते हैं, की मर्यादा बनाए रखने की असफलता के बारे में स्थगन प्रस्ताव पर लागू होने से निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल निलम्बित किया जाता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तर प्रदेश में अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती

*41. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अयोध्या में और अन्य स्थानों पर अक्तूबर और नवम्बर, 1990 के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों की कितनी बटालियनें तैनात की गई थीं और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) क्या इन बलों ने अयोध्या में प्रदर्शनकारियों पर घुटनों से ऊपर गोली न मारने संबंधी सामान्य अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया था; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) अर्द्ध-सैनिक बलों की 198 कम्पनियां उत्तर प्रदेश सरकार के सुपुर्द की गई थीं।

केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के आने-जाने के खर्च सहित राज्य सरकार प्रतिवर्ष प्रति बटालियन 1.50 करोड़ की दर से भुगतान करती है।

(ख) अर्ध-सैनिक बलों को राज्य सरकार के सुपुर्द किया गया और बलों ने राज्य सरकार के अनुदेशों पर कार्य किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब सरकार के कार्यालयों में बकाया चले आ रहे आरक्षित पद

*42. बाबा सुच्चा सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार के कार्यालयों में 1 अप्रैल, 1989 को विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के बकाया चले आ रहे आरक्षित पदों की पृथक-पृथक संख्या क्या थी;

(ख) विभिन्न श्रेणियों में बकाया चले आ रहे आरक्षित पदों के विवरण सहित वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनके बकाया रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) बकाया चले आ रहे आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इनको कब तक भर दिया जाएगा ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) पंजाब सरकार द्वारा यथा सूचित 1-4-1989 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों के समूहवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

समूह/श्रेणी	संख्या
क/I	157
ख/II	1252
ग/III	9581
घ/IV	29

31-12-1989 की स्थिति अनुसार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

समूह/श्रेणी	संख्या
क/I	91
ख/II	1257
ग/III	7422
घ/IV	26

विद्यमान बकाया रिक्तियों में पड़े रहने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) अनुसूचित जाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होना;

(2) आरक्षण की अधिकतम सीमा के संबंध में कुछ कानूनी/न्यायिक घोषणाएं।

पंजाब सरकार ने इस आशय के निर्देश जारी किए हैं कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में से पिछली बकाया पड़ी रिक्तियों को किसी भर्ती वर्ष में होने वाली और भरी जा रही रिक्तियों के 45 प्रतिशत तक की रिक्तियां अनुसूचित जातियों में से भरी जाएं। इन 45 प्रतिशत रिक्तियों में से, 7 प्रतिशत अनुसूचित जाति के भूतपूर्व सैनिकों, 1 प्रतिशत अनुसूचित जाति के विकलांग

व्यक्तियों के लिए, 1 प्रतिशत अनुसूचित जाति के स्वतन्त्रता सेनानी के बच्चों के लिए और 1 प्रतिशत अनुसूचित जाति के खिलाड़ियों के लिए दी जाएंगी बशर्ते कि ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध हो जाएं। ये निर्देश 1991 में लागू रहेंगे और उसके बाद उनका पुनरीक्षण किया जाएगा। इन बकाया पड़ी रिक्तियों को भरे जाने संबंधी स्पष्ट समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि इनका भरा जाना रिक्तियों और उपयुक्त अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अनुभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की सम्पर्क अधिकारियों के रूप में नियुक्ति

*43. श्री बागुन सुम्बरुई :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अनुभागों में सम्पर्क अधिकारी के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मंत्रालयों/विभागों के इन अनुभागों में सम्पर्क अधिकारी के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य व्यक्ति काम कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मंत्रालयों/विभागों मे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अनुभागों में सम्पर्क अधिकारियों के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

अयोध्या में मारे गए/घायल हुए कार सेवक

[हिन्दी]

*44. श्री गुमान मल लोढा :

प्रो० राम गणेश कापसे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अयोध्या में मारे गए, घायल हुए तथा लापता "कार सेवकों" की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार 30 अक्तूबर और 2 नवम्बर, 1990 को अयोध्या में हुई घटनाओं में 16 व्यक्ति मारे गए। उनमें से आठ व्यक्ति

उत्तर प्रदेश से, दो व्यक्ति पश्चिम बंगाल से और एक-एक व्यक्ति राजस्थान और बिहार से था। चार शवों की शिनाख्त नहीं की जा सकी।

2. घायल व्यक्तियों के संबंध में राज्य सरकार ने बताया है कि उपरोक्त बताई गई दो दिनों की घटनाओं में 46 पुलिस कर्मियों सहित, अयोध्या में 198 व्यक्ति घायल हुए।

3. राज्य सरकार ने बताया है कि थाना कोतवाली, अयोध्या में लापता 6 व्यक्तियों से संबंधित चार रिपोर्टें दर्ज कराई गई हैं। जांच-पड़ताल की जा रही है।

पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर के उग्रवादियों के साथ बातचीत

[अनुवाद]

*45. **डा० असीम बाल :**

श्री सुधीर गिरि :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 नवम्बर, 1990 के "स्टेट्समैन" और 30 नवम्बर, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में क्रमशः "शेखर इन्वाइट्स एक्सट्रीमिस्ट्स फॉर टॉक्स" और "मिलिटेन्ट्स टर्म्स फॉर टॉक्स विद पी० एम०" शीर्षकों से प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर की समस्याओं को सुलझाने के लिए वहां के उग्रवादियों के नेताओं के साथ बातचीत करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह बातचीत किस स्थान पर तथा किस तिथि को करने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार इस संबंध एक में श्वेत पत्र जारी करने पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों और राष्ट्र की एकता और अखण्डता के साथ समझौता किए बिना यदि कोई व्यक्ति समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार के पास बातचीत करने के लिए आता है तो सरकार बात करने के लिए तैयार है। ऐसी किसी वार्ता के लिए पहल किए जाने पर वार्ता के लिए ब्यौरे, तथा स्थान और तारीख निश्चित की जा सकती है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की भर्ती

*46. **बसन्त साठे :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सामान्य श्रेणियों में

गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी-कितनी नई भर्ती की गई और अगले तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रत्येक कार्यालय में, अलग-अलग विभिन्न सामान्य श्रेणियों में कितने व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाए जाने की सम्भावना है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अलग-अलग विशेष रूप से आरक्षित कोटे के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों (यदि कोई है) के कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया; और अगले तीन वर्षों के दौरान इन आरक्षित श्रेणियों के कितने अवसर उपलब्ध कराये जाएंगे; और

(ग) जिन कार्यालयों में तकनीकी तथा प्रशासनिक पदों के मामले में बकाया आरक्षित पदों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को उक्त पदों की भर्ती प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए उन्हें क्या विशेष सुविधाएं देने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में गत तीन वर्षों (समूहवार) के लिए सामान्य श्रेणियों के अन्तर्गत कितनी भर्ती की गई है उसकी सूचना संलग्न विवरण-1 में दी जाती है । इसमें भर्ती पद्धति के अनुसार ब्यौरे भी दर्शाए गए हैं । सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में गत तीन वर्षों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-2 में दी जाती है । चूंकि आगामी तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, में रोजगार की विकास दर बहुत से तथ्यों पर निर्भर करती है, अत: केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, सामान्य श्रेणियों के अन्तर्गत कितने अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाए जाने की सम्भावना है, अलग-अलग दर्शाना सम्भव नहीं है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए समूह-वार तथा भर्ती पद्धति के अनुसार किस सीमा तक रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, संलग्न विवरण-3 में दिए जाते हैं, संलग्न विवरण-4 में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित तदनुरूपी आंकड़े दर्शाता है । गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों के ब्यौरे संलग्न विवरण-5 में दिए गए हैं । इन श्रेणियों के लिए कितनी रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है, यह वर्तमान आरक्षण नीति के अनुसार ही होगा । केन्द्रीय सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आगामी तीन वर्षों के दौरान इन श्रेणियों के लिए कितनी रिक्तियां उपलब्ध कराई जाएंगी अलग-अलग दर्शाना सम्भव नहीं है ।

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए परिकल्पित विशेष सुविधाएं संलग्न विवरण-6 में दी जाती हैं । पिछड़े वर्गों के लिए इस समय कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी गई हैं ।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों का समूहवार भर्ती तथा भर्ती की पद्धति का ब्यौरा।

वर्ष	भर्ती की पद्धति	केन्द्रीय सरकारी कार्यालय समूह				
		क	ख	ग	घ	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1987	सीधी	671	104	54054	23184	78013
	पदोन्नति	773	6519	117712	29186	154190
	कुल	1444	6623	171766	52370	232203
1988	सीधी	2284	1448	69228	41639	114599
	पदोन्नति	4275	6253	97143	25375	133046
	कुल	6559	7701	166371	67014	247645
1989	सीधी	2548	629	68402	33068	104647
	पदोन्नति	2069	4581	98847	22584	128081
	कुल	4617	5210	167249	55652	232728

विवरण-2

गत तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती के संबंध में उपलब्ध सूचना

		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	
वर्ष	भर्ती की पद्धति	कुल	अभ्युक्तियां
1987	सीधी तथा पदोन्नति	143924	अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है
1988	सीधी तथा पदोन्नति	115709	अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है
1989	सीधी	38476	
	पदोन्नति	64588	
		102964	

विवरण-3

गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए रोजगार अवसर समूह-वार तथा भर्ती का ब्यौरा

		केन्द्रीय सरकार के कार्यालय अनुसूचित जातियों के लिए समूह				
वर्ष	भर्ती की पद्धति	क	ख	ग	घ	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1987	सीधी	73	15	7516	4359	11963
	पदोन्नति	96	759	16663	5186	22704
	कुल	169	774	24179	9545	34667
1988	सीधी	317	149	10015	7113	17594
	पदोन्नति	348	582	13548	3955	18433
	कुल	665	731	23563	11068	36027
1989	सीधी	250	97	13943	6842	21132
	पदोन्नति	187	610	14033	3622	18452
	कुल	437	707	27976	10464	39584

विवरण-4

गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए रोजगार अवसर समूह-वार तथा भर्ती की पद्धति का ब्यौरा

वर्ष	भर्ती की पद्धति	समूह				
		क	ख	ग	घ	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1987	सीधी	30	3	814	1481	2328
	पदोन्नति	24	174	5453	1841	7492
	कुल	54	177	6267	3322	9820
1988	सीधी	210	57	6131	3779	10177
	पदोन्नति	67	156	4941	1873	7037
	कुल	277	213	11072	5652	17214
1989	सीधी	243	4[illegible]	7487	3792	11567
	पदोन्नति	70	224	5433	2035	7762
	कुल	313	269	12920	5827	19329

विवरण-5

पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनु० जातियों/जनजातियों को प्रदान किए गए रोजगारों की संख्या

वर्ष	भर्ती की पद्धति	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
		अनु० जाति	अनु० जन जाति	कुल	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1987	सीधी तथा पदोन्नति	19776	8963	28739	अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
1988	सीधी तथा पदोन्नति	16892	7198	84090	अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
1989	सीधी	7172	3690	10862	
	पदोन्नति	8874	3344	12218	
		16046	7034	23080	

टिप्पणी— केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों* सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण नहीं है।

विवरण-6

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सुविधाएं

अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों को बहुत सी रियायतें जैसे आयु सीमा में छूट, परीक्षा शुल्क में पूरी छूट, नि:शुल्क भर्ती—पूर्व कोचिंग की सुविधा, सीधी भर्ती में अनुभव योग्यता में छूट, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की कोई सीमा न रखना, उपयुक्तता मानदंड में छूट अनु० जाति/जनजाति के मेधावी उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित न करना आदि दी गई हैं ताकि सेवाओं में उनका समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

राजस्थान में "उद्योग रहित जिले"

*47. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने और कौन-कौन से जिलों को "उद्योग रहित जिला" घोषित किया गया है;

(ख) इन जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार से प्राप्त कौन-कौन सी योजनाएं और प्रस्ताव अभी तक केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) राजस्थानमें चार उद्योग रहित जिलों का पता लगाया गया है, जो जैसलमेर, सिरोही, चूरा और बाड़मेर हैं।

"उद्योग रहित जिलों" में घोषित विकास केन्द्रों मे आधार भूत सुविधाओं के विकास के लिए पूर्व केन्द्रीय सहायता योजना के तहत, राजस्थान राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित विकास केन्द्रों को मंजूरी दी है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए दी गयी केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

जिला	विकास केन्द्र	केन्द्रीय सहायता
सिरोही	आबू रोड, पिंडवारा	(लाख रु० में) 150.00
जैसलमेर	पोंकरन	
	सानू रामगढ़	20.75
चूरू	चूरू	
	रतनगढ़	35.25
बाड़मेर	बालोत्रा	35.41
	बाड़मेर	
	कुल	241.41

फिलहाल, इन उद्योग रहित जिलों में उद्योग लगाने के लिए राजस्थान राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम में चुनाव

*48. श्री ए० के० राय :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने वायदे के अनुसार पंजाब में चुनाव कराने के लिए तिथि निश्चित करने की सम्भावनाओं की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर तथा असम में भी चुनाव कराने के लिए तिथि निश्चित करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या इस मामले में सभी को स्वीकार्य निर्णय लेने के लिए सभी दलों के साथ विचार विमर्श करने का प्रयास किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ङ) जहां तक पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम में चुनाव कराने का प्रश्न है सरकार को इस मामले की जानकारी है तथा इन राज्यों में चुनाव कराने के बारे में प्रत्येक राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा उस राज्य में सुरक्षा के वातावरण को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।

बोफोर्स तोप सम्बन्धी सौदा

*49. प्रो० रूपचन्द पाल :

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विस अधिकारियों द्वारा दिये गये बोफोर्स तोप संबंधी सौदे से संबंधित पूरे कागजात सरकार को प्राप्त हो गए हैं, और क्या उनकी इस बीच जांच कर ली गई है;

(ख) क्या इन कागजातों से इस मामले में किसी नई बात का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन तथ्यों को देखते हुए सरकार द्वारा कौन सी अनुवर्ती कार्यवाही की गई या करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध पर जब्त किए गए छः स्विस खातों में से स्विस अधिकारियों द्वारा दिए गए एक लेखे से संबंधित दस्तावेज केन्द्रीय जांच ब्यूरो को प्राप्त हो गए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इन दस्तावेजों पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

(ग) इस मामले में आये और ब्यौरे इस समय प्रकट नहीं किए जा सकते क्योंकि जांच चल रही है और मामला भारत और विदेश में न्यायालय के विचाराधीन है।

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगे

*50. श्री जी० एम० बनातवाला :

श्री युवराज :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में सितम्बर 1990 से राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार साम्प्रदायिक दंगों की कितनी घटनायें हुई;

(ख) ये घटनाएं कहां-कहां हुई, और किस-किस कारण से हुई;

(ग) राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार ऐसी घटनाओं में जान-माल की कितनी हानि हुई तथा कितने लोग घायल हुए और कितने बेघर हुए;

(घ) इस संबंध में अब तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार कितने लोग गिरफ्तार किये गये;

(ङ) दंगा पीड़ितों को क्या सहायता प्रदान की गई और उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) ऐसे दंगों की रोकथाम करने और साम्प्रदायिक सद्भाव और एकता बनाये रखने के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिये गये निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के आधार पर सितम्बर, 1990 से देश में हुए प्रमुख साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सम्पत्ति के नुकसान के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ङ) और (च) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गए विस्तृत दिशा निर्देशों में विशेष रूप से, प्रशासनिक तंत्र को सुचारू बनाना, गैर सरकारी लोगों की भागीदारी, समाज विरोधी बलों पर अंकुश लगाना और उत्तेजना फैलाने वालों को हटाने पर विशेष जोर दिया गया है। इन दिशा निर्देशों में मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अपंग हो जाने वाले मामलों में 50,000 रुपये की अनुग्रह राहत निर्धारित करने पर भी जोर दिया गया है। निम्न आय वर्ग के दंगे के शिकार हुए लोगों की विधवाओं को 500 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जा सकती है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रभावित लोगों को राहत के शीघ्र वितरण के लिए एक प्रणाली तैयार करें।

विवरण

सितम्बर, 1990 से देश के विभिन्न भागों में हुई प्रमुख साम्प्रदायिक घटनाएं जिसमें मारे गये व्यक्तियों की संख्या, घायल हुए और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की (राज्यवार) स्थिति का ब्यौरा

स्थान का नाम और तारीख	व्यक्तियों की संख्या			दंगों का कारण
	मारे गये	घायल हुए	गिरफ्तार किये गये	
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
हैदराबाद शहर (6—9 7.90)	8	31	239	भूमि विवाद को लेकर विभिन्न समुदायों के समाज विरोधी तत्वों के बीच झड़पें।

1	2	3	4	5
हैदराबाद 9-10.90)	8	33	उ०न०	पुलिस की गोलीबारी के दौरान एक मुसलमान अपराधी की मृत्यु होना।
हैदराबाद (7—25.12.90)	130	312	2676	विभिन्न समुदायों के दो समाज विरोधी तत्वों के बीच भूमि विवाद
रंगारेड्डी (7—25.12.90)	16	30		
बिहार				
पटना (27-28.11.90)	11	5	उ०न०	दूसरे समुदाय के व्यक्तियों के एक समूह द्वारा एक समाज विरोधी तत्व पर गोली मारने के कारण मृत्यु।
आसाम				
हैलाकंडी (17.11.90)	17	19	उ०न०	आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के समाज विरोधी तत्वों द्वारा दुकानों और मकानों का लूटा जाना और आग लगाना।
दिल्ली				
(14—16.11.90)	11	37	उ०न०	ए० आई० एम० एफ० के प्रदर्शनकारियों द्वारा उत्तेजना जनक नारे बाजी करने के परिणामस्वरूप हुई हिंसा।
गुजरात				
आनन्द (4.9.90 (जला खेड़ा)	3	7	8	गणेश चतुर्थी के जुलूस पर घर की छतों से पत्थर फेंकना जब जुलूस एक अन्य समुदाय के आबादी वाले क्षेत्र से गुजर रहा था।
अहमदाबाद	31	247	1454	पुलिस स्टेशन दरियापुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में पुलिस कार्मिकों और क्रिकेट खेलते हुए बच्चों के बीच कहा सुनी होना।

1	2	3	4	5
बड़ौदा (4.9.90)	7	54	21	गणेश चतुर्थी के जुलूस की टुकड़ी पर कथित उत्तेजक नारे लगने पर उस पर पथराव होना।
कर्नाटक				
रामानगरम (2.9.90)	4	14	उ०न०	गणेश चतुर्थी के जुलूस में भाग लेने वालों द्वारा कथित उत्तेजक नारे लगाना।
चेन्नपटना (3.10.90) (बंगलौर ग्रामीण)	18	102	150	दूसरे समुदाय की लड़की को छेड़ने पर।
कोलार (3.10.90)	2	2	30	ईद-मिलाद के त्यौहार पर सजे हुए डोडापेट क्षेत्र में दूसरे समुदाय के शरारती लोगों द्वारा पथराव कराना।
तमिलनाडु				
देवगनीकोटा (10.10.90) (जिला धर्मपुर)	4	59	उ०न०	राम ज्योती के जुलूस में भाग लेने वालों द्वारा एक अल्पसंख्यक समुदाय के समुदाय के बाहुल्य वाले क्षेत्र से निकलने पर जोर देने पर।
राजस्थान				
जयपुर (24.10.90-2.11.90)	51	148	उ० न०	भा० ज० पा० द्वारा दिए गए बन्द के आह्वान के समर्थन में निकाले गए जुलूस परअल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा पथराव करने पर।
जोधपुर (25.10.90-2.11.90)	3	35	240	—तदैव—
उत्तर प्रदेश				
कोलनगंज (जिला गोंडा) (30.9.90 & 1.10.90)	41	230	712	दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर पथराव किए जाने के परिणामस्वरूप।
कानपुर (9—20.12.90)	21	68	922	अन्य समुदाय के विक्रेताओं को जबरनफुटपाथ से हटाने पर।

1	2	3	4	5
बिजनौर (9-10.90)	46	404	उ०म०	उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सद्भावना रैली का बहिष्कार करने के लिए भा० रा० संघ/भा० जा०पा० के सदस्यों द्वारा गुण्डागर्दी किए जाने पर।
एटा 3-4.12.90)	12	11	उ०नं०	उमा भारती के नेतृत्व में भ०ज०पा० की पदयात्रा पर पथराव होना।
अलीगढ़ (7—20.12.90)	92	174	1100	दूसरे समुदाय की महिला पर दो समाज विरोधियों द्वारा कथित रूप से आक्रमण।
मेरठ (12—1[illegible].12.90)	4	2	304	अल्पसंख्यक समुदाय के समाज-विरोधी तत्वों द्वारा बहुसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की हत्या के फलस्वरूप।
आगरा (15—18.12.90)	29	104	786	अलीगढ़, कानपुर और मेरठ में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के प्रभाव परिणामस्वरूप।
झोंगिरपुर (जिला बुलन्दशहर) (18.12.90)	13	9	42	
खुर्जा (जिला बुलन्दशहर) (14—16.12.90)	11	7	262	

पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति

*51. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति :**

श्री कृपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब में संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त के लिए सेना की तैनाती करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है और इन क्षेत्रों में जान-माल की रक्षा हेतु कदम उठाए गए हैं;

(ग) पंजाब सरकार से राज्य में आतंकवाद का सामना करने हेतु अन्य क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं और इन सुझावों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का कानून और व्यवस्था प्रभावी ढंग से बनाए रखने हेतु पंजाब प्रशासन और राज्य के पुलिस विभाग का पुनर्गठन करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) इस संबंध में कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अमृतसर गुरदासपुर तथा फिरोजपुर के चुनिन्दा संवेदनशील जिलों में प्रशिक्षण देने के लिए सेना तैनात की गई है। ये सेना की यूनिटें सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर संयुक्त रूप से पाकिस्तान के अन्दर घुसपैठ करने वाले तथा वहां से चोरी-छिपे बाहर जाने वालों को रोकने में भी सहायता करती है।

(घ) जी हां, श्रीमान।

मंडल आयोग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई जन-धन की हानि

*१२. श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

श्री राजमोहन रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में, राज्यवार मंडल आयोग विरोधी आंदोलन के दौरान अब तक, आत्मदाह और आत्महत्या के कितने-कितने मामले हुए हैं;

(ख) आन्दोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से प्रत्येक राज्य में कितने लोग मारे गए हैं;

(ग) क्या जबर्दस्ती कराये गये आत्मदाह के मामलों का भी पता लगा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन परिवारों को सरकार द्वारा क्या राहत दी गई है/दिये जाने का प्रस्ताव है जिनके बच्चों ने आत्मदाह किया है या जो पुलिस की गोली से मारे गए हैं;

(ङ) देश में, राज्यवार मण्डल आयोग विरोधी आन्दोलन के दौरान कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है; और

(च) क्या सरकार का आरक्षण नीति पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त की जा रही है और एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(च) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण से संबंधित सरकारी आदेश को न्यायालय में चुनौती दी गई है। मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि लाभान्वित होने वाली जातियों की पहचान किए जाने के अतिरिक्त उपरोक्त आदेश को लागू करने के लिए तब तक कोई कदम न उठाए जाएं जब तक कि मामले की सुनवाई लम्बित है।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार मंडल आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध आन्दोलन के दौरान आत्मदाह और आत्महत्या और पुलिस फायरिंग में मारे गए व्यक्तियों की संख्या की राज्यवार सूची

राज्य	मामलों का संख्या		पुलिस फायरिंग में मारे गए व्यक्तियों की संख्या
	आत्मदाह	आत्महत्या	
दिल्ली	20	3	5
हरियाणा	22	32	6
उत्तर प्रदेश	25	28	16
मध्य प्रदेश	27	5	0
गुजरात	10	3	0
बिहार	8	12	12
चंडीगढ़	7	8	1
राजस्थान	12	8	0
पंजाब	6	30	1
हिमाचल प्रदेश	9	13	9
आंध्र प्रदेश	3	6	0
तमिलनाडु	2	0	0
जम्मू और कश्मीर	1	1	1
महाराष्ट्र	0	3	0
उड़ीसा	0	0	7
असम	0	1	0
कुल	152	153	58

मण्डल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

*53. डा० बंगारी सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित न करने का निर्णय किया है और अब तक किन-किन राज्यों ने इस रिपोर्ट को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का निर्णय लेने वाली राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण करने वाले 13-8-1990 के आदेश में यथा अन्तर्विष्ट भारत सरकार का निर्णय केवल संघ की सेवाओं और उसके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए है और यह निर्णय राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं पर लागू नहीं होता। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय को स्थगित कर दिया गया है और इस प्रकार यह न्यायालय के विचाराधीन है।

तथापि, पिछड़े वर्गों/सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का कुछ राज्य सरकारों का लम्बा इतिहास है। ऐसे राज्य हैं—तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा असम। मध्य प्रदेश द्वारा भी आरक्षण प्रदान किया गया था परन्तु इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

(ख) और (ग) यदि कोई राज्य सरकार मण्डल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय लेती है, तो ऐसे राज्य द्वारा संघ सरकार को कोई प्रस्ताव भेजना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार किसी राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजने का कोई प्रश्न नहीं है।

सैयद मोदी हत्याकांड में अपील

[अनुवाद]

*54. डा० सुधीर राय :

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सैयद मोदी हत्याकांड में लखनऊ के सत्र (सेशन) न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सैयद मोदी हत्याकांड में सत्र (सेशन) न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर करने का प्रस्ताव रखा था तथा सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् सरकार प्रस्तावित पुनरीक्षण याचिका दायर करने के प्रस्ताव से सहमत हो गई है।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए नया फार्मूला

*55. श्री माधवराव सिन्धिया :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के संबंध में "राजीव गांधी फार्मूला" नामक फार्मूले पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए राजीव गांधी सूत्र नाम का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को संपर्क करने के बाद कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अपनी 29/30 अगस्त को हुई बैठक में पारित एक प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से अनौपचारिक रूप से प्राप्त किया गया है जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों के आरक्षण के संबंध में एक-सूत्रीकरण किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आदेश दिनांक 13-8-1990 में यथा अन्तर्विष्ट सरकार का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है। सरकार के निर्णय से संबंधित मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं और अब सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, उक्त संकल्प में यथा-अन्तर्विष्ट सुझावों पर इस अवस्था में निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

मण्डल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

*56. श्री० यदुनाथ पाण्डेय :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरक्षण के संबंध में मण्डल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या मण्डल आयोग की सभी सिफारिशें लागू की जा रही हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार विभिन्न जातियों के निर्धन लोगों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) भारत सरकार की सेवाओं में आरक्षण से संबंधित मण्डल आयोग की कुछ सिफारिशों पर पूर्व सरकार द्वारा लिया गया निर्णय 13 अगस्त, 1990 के आदेश में अन्तर्विष्ट है जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

2. सरकार के उक्त निणय को अनेक रिट-याचिकाओं के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और जिनकी उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है।

3. उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने 21 सितम्बर, 1990 के पहले आदेश को स्पष्ट करते हुए अपने 1 अक्तूबर, 1990 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिये गये हैं कि लाभान्वित होने वाली जातियों की पहचान के अतिरिक्त 13 अगस्त, 1990 के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम न उठाए जाएं। न्यायालय द्वारा पहले यह निर्देश भी दिया गया था कि सरकार न्यायालय की अनुमति बिना 13-8-1990 का कार्यक्षेत्र विस्तृत नहीं करेगा।

4. इन परिस्थितियों में सरकार इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेगा।

विवरण

संख्या—36012/31/90—स्थापना (अनु० जा०)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त, 1990

कार्यालय ज्ञापन

विषय : दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग (मण्डल रिपोर्ट) की सिफारिशें—भारत सरकार के अधीन सेवाओं में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

हमारे जैसे बहुविध ऊंच-नीच में विभक्त समाज के लिए जैसा कि संविधान में व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय की यथाशीघ्र उपलब्धि जरूरी है। मण्डल आयोग के नाम से ज्ञात दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, तत्कालीन सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किया गया था, जिसने 31-12-1980 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की थी।

2. जैसा कि आयोग का कहना है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को सुविधाएं देने के बारे में वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयोग की रिपोर्ट तथा इसकी सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है तथा उसका स्पष्ट मत है कि प्रारम्भ में ऐसे वर्गों को केन्द्रीय तथा उनकी सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं में कुछ महत्व दिया जाना अपेक्षित है। तदनुसार निम्न प्रकार आदेश जारी किये जाते हैं :—

(1) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में 27 प्रतिशत रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी।

(2) उपर्युक्त आरक्षण उन रिक्तियों पर लागू होगा जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं। आरक्षण लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

(3) सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित जो उम्मीदवार खुली प्रतियोगिता में उसी स्तर के आधार पर भर्ती किए जाते हैं जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के

1	2	3	4	5
हैदराबाद 9-10.90)	8	33	उ०न०	पुलिस की गोलीबारी के दौरान एक मुसलमान अपराधी की मृत्यु होना।
हैदराबाद (7—25.12.90)	130	312	2676	विभिन्न समुदायों के दो समाज विरोधी तत्वों के बीच भूमि विवाद
रंगारेड्डी (7—25.12.90)	16	30		
बिहार				
पटना (27-28.11.90)	11	5	उ०न०	दूसरे समुदाय के व्यक्तियों के एक समूह द्वारा एक समाज विरोधी तत्व पर गोली मारने के कारण मृत्यु।
आसाम				
हैलाकंडी (17.11.90)	17	19	उ०न०	आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के समाज विरोधी तत्वों द्वारा दुकानों और मकानों का लूटा जाना और आग लगाना।
दिल्ली				
(14—16.11.90)	11	37	उ०न०	ए० आई० एम० एफ० के प्रदर्शनकारियों द्वारा उत्तेजना जनक नारे बाजी करने के परिणामस्वरूप हुई हिंसा।
गुजरात				
आनन्द (4.9.90 (जला खेड़ा)	3	7	8	गणेश चतुर्थी के जुलूस पर घर की छतों से पत्थर फेंकना जब जुलूस एक अन्य समुदाय के आबादी वाले क्षेत्र से गुजर रहा था।
अहमदाबाद	31	247	1454	पुलिस स्टेशन दरियापुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में पुलिस कार्मिकों और क्रिकेट खेलते हुए बच्चों के बीच कहा सुनी होना।

1	2	3	4	5
बड़ौदा (4.9.90)	7	54	21	गणेश चतुर्थी के जुलूस की टुकड़ी पर कथित उत्तेजक नारे लगने पर उस पर पथराव होना।
कर्नाटक				
रामानगरम (2.9.90)	4	11	उ०न०	गणेश चतुर्थी के जुलूस में भाग लेने वालों द्वारा कथित उत्तेजक नारे लगाना।
चेन्नपटना (3.10.90) (बंगलौर ग्रामीण)	18	102	150	दूसरे समुदाय की लड़की को छेड़ने पर।
कोलार (3.10.90)	2	2	30	ईद-मिलाद के त्यौहार पर सजे हुए डोडापेट क्षेत्र में दूसरे समुदाय के झरारती लोगों द्वारा पथराव कराना।
तमिलनाडु				
देवगनीकोटा (10.10.90) (जिला धर्मपुर)	4	59	उ०न०	राम ज्योती के जुलूस में भाग लेने वालों द्वारा एक अल्पसंख्यक समुदाय के समुदाय के बाहुल्य वाले क्षेत्र से निकलने पर जोर देने पर।
राजस्थान				
जयपुर (24.10.90-2.11.90)	51	148	उ० न०	भा० ज० पा० द्वारा दिए गए बन्द के आह्वान के समर्थन में निकाले गए जुलूस परअल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा पथराव करने पर।
जोधपुर (25.10.90-2.11.90)	3	35	240	—तदैव—
उत्तर प्रदेश				
कोलनगंज (जिला गोंडा) (30.9.90.4-10.90)	41	230	712	दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर पथराव किए जाने के परिणामस्वरूप।
कानपुर (9—20.12.90)	21	68	922	अन्य समुदाय के विक्रेताओं को जबरनफुटपाथ से हटाने पर।

1	2	3	4	5
बिजनौर (9-10.90)	46	404	उ०न०	उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सद्-भावना रैली का बहिष्कार करने के लिए भा० क्रा० संघ/भा० जा०पा० के सदस्यों द्वारा गुण्डागर्दी किए जाने पर।
एटा 3-4.12.90)	12	11	उ०न०	उमा भारती के नेतृत्व में भ०ज०पा० की पदयात्रा पर पथराव होना।
अलीगढ़ (7—20.12.90)	92	174	1100	दूसरे समुदाय की महिला पर दो समाज विरोधियों द्वारा कथित रूप से आक्रमण।
मेरठ (12—13.12.90)	4	2	304	अल्पसंख्यक समुदाय के समाज-विरोधी तत्वों द्वारा बहुसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की हत्या के फलस्वरूप।
आगरा (15—18 12.90)	29	104	786	अलीगढ़, कानपुर और मेरठ में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के प्रभाव परिणामस्वरूप।
झौंझिरपुर (जिला बुलन्दशहर) (13.129.0)	13	9	42	
खुर्जा (जिला बुलन्दशहर) (14—16.12.90)	11	7	262	

पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति

*51. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति :**

श्री कृपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब में संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त के लिए सेना की तैनाती करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या इस राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है और इन क्षेत्रों में जान-माल की रक्षा हेतु कदम उठाए गए हैं;

(ग) पंजाब सरकार से राज्य में आतंकवाद का सामना करने हेतु अन्य क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं और इन सुझावों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का कानून और व्यवस्था प्रभावी ढंग से बनाए रखने हेतु पंजाब प्रशासन और राज्य के पुलिस विभाग का पुनर्गठन करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) इस संबंध में कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अमृतसर गुरदासपुर तथा फिरोजपुर के चुनिन्दा संवेदनशील जिलों में प्रशिक्षण देने के लिए सेना तैनात की गई है। ये सेना की यूनिटें सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर संयुक्त रूप से पाकिस्तान के अन्दर घुसपैठ करने वाले तथा वहां से चोरी-छिपे बाहर जाने वालों को रोकने में भी सहायता करती है।

(घ) जी हां, श्रीमान।

मंडल आयोग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई जन-धन की हानि

*२२. श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

श्री राजमोहन रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में, राज्यवार मंडल आयोग विरोधी आंदोलन के दौरान अब तक, आत्मदाह और आत्महत्या के कितने-कितने मामले हुए हैं;

(ख) आन्दोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से प्रत्येक राज्य में कितने लोग मारे गए हैं;

(ग) क्या जबर्दस्ती कराये गये आत्मदाह के मामलों का भी पता लगा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन परिवारों को सरकार द्वारा क्या राहत दी गई है/दिये जाने का प्रस्ताव है जिनके बच्चों ने आत्मदाह किया है या जो पुलिस की गोली से मारे गए हैं;

(ङ) देश में, राज्यवार मण्डल आयोग विरोधी आन्दोलन के दौरान कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है; और

(च) क्या सरकार का आरक्षण नीति पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त की जा रही है और एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(च) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण से संबंधित सरकारी आदेश को न्यायालय में चुनौती दी गई है। मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि लाभान्वित होने वाली जातियों की पहचान किए जाने के अतिरिक्त उपरोक्त आदेश को लागू करने के लिए तब तक कोई कदम न उठाए जाएं जब तक कि मामले की सुनवाई लम्बित है।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार मंडल आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध आन्दोलन के दौरान आत्मदाह और आत्महत्या और पुलिस फायरिंग में मारे गए व्यक्तियों की संख्या की राज्यवार सूची

राज्य	मामलों का संख्या		पुलिस फायरिंग में मारे गए व्यक्तियों की संख्या
	आत्मदाह	आत्महत्या	
दिल्ली	20	3	5
हरियाणा	22	32	6
उत्तर प्रदेश	25	28	16
मध्य प्रदेश	27	5	0
गुजरात	10	3	0
बिहार	8	12	12
चंडीगढ़	7	8	1
राजस्थान	12	8	0
पंजाब	6	30	1
हिमाचल प्रदेश	9	13	9
आंध्र प्रदेश	3	6	0
तमिलनाडु	2	0	0
जम्मू और कश्मीर	1	1	1
महाराष्ट्र	0	3	0
उड़ीसा	0	0	7
असम	0	1	0
कुल	152	153	58

मण्डल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

*53. डा० बंगारू सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित न करने का निर्णय किया है और अब तक किन-किन राज्यों ने इस रिपोर्ट को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने का निर्णय लेने वाली राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण करने वाले 13-8-1990 के आदेश में यथा अन्तर्विष्ट भारत सरकार का निर्णय केवल संघ की सेवाओं और उसके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए है और यह निर्णय राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं पर लागू नहीं होता। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय को स्थगित कर दिया गया है और इस प्रकार यह न्यायालय के विचाराधीन है।

तथापि, पिछड़े वर्गों/सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने का कुछ राज्य सरकारों का लम्बा इतिहास है। ऐसे राज्य हैं—तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा असम। मध्य प्रदेश द्वारा भी आरक्षण प्रदान किया गया था परन्तु इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

(ख) और (ग) यदि कोई राज्य सरकार मण्डल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्णय लेती है, तो ऐसे राज्य द्वारा संघ सरकार को कोई प्रस्ताव भेजना अपेक्षित नहीं है। इस प्रकार किसी राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजने का कोई प्रश्न नहीं है।

सैयद मोदी हत्याकांड में अपील

[अनुवाद]

*54. डा० सुधीर राय :

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सैयद मोदी हत्याकांड में लखनऊ के सत्र (सेशन) न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सैयद मोदी हत्याकांड में सत्र (सेशन) न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर करने का प्रस्ताव रखा था तथा सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् सरकार प्रस्तावित पुनरीक्षण याचिका दायर करने के प्रस्ताव से सहमत हो गई है।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए नया फार्मूला

*55. श्री माधवराव सिन्धिया :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के संबंध में "राजीव गांधी फार्मूला" नामक फार्मूले पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए राजीव गांधी सूत्र नाम का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय को संपर्क करने के बाद कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अपनी 29/30 अगस्त को हुई बैठक में पारित एक प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से अनौपचारिक रूप से प्राप्त किया गया है जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों के आरक्षण के संबंध में एक-सूत्रीकरण किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आदेश दिनांक 13-8-1990 में यथा अन्तर्विष्ट सरकार का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है। सरकार के निर्णय से संबंधित मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं और अब सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, उक्त संकल्प में यथा-अन्तर्विष्ट सुझावों पर इस अवस्था में निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

मण्डल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

*56. प्रो० यशुनाथ पाण्डेय :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरक्षण के संबंध में मण्डल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या मण्डल आयोग की सभी सिफारिशें लागू की जा रही हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार विभिन्न जातियों के निर्धन लोगों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए उन्हें आर्थिक आधार पर आरक्षण उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) भारत सरकार की सेवाओं में आरक्षण से संबंधित मण्डल आयोग की कुछ सिफारिशों पर पूर्व सरकार द्वारा लिया गया निर्णय 13 अगस्त, 1990 के आदेश में अन्तर्विष्ट है जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

2. सरकार के उक्त निणय को अनेक रिट-याचिकाओं के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और जिनकी उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है।

3. उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने 21 सितम्बर, 1990 के पहले आदेश को स्पष्ट करते हुए अपने 1 अक्तूबर, 1990 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिये गये हैं कि लाभान्वित होने वाली जातियों की पहचान के अतिरिक्त 13 अगस्त, 1990 के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम न उठाए जाएं। न्यायालय द्वारा पहले यह निर्देश भी दिया गया था कि सरकार न्यायालय की अनुमति बिना 13-8-1990 का कार्यक्षेत्र विस्तृत नहीं करेगा।

4. इन परिस्थितियों में सरकार इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेगा।

विवरण

संख्या—36012/31/90—स्थापना (अनु० जा०)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त, 1990

कार्यालय ज्ञापन

विषय : दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग (मण्डल रिपोर्ट) की सिफारिशें—भारत सरकार के अधीन सेवाओं में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

हमारे जैसे बहुविध ऊंच-नीच में विभक्त समाज के लिए जैसा कि संविधान में व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय की यथाशीघ्र उपलब्धि जरूरी है। मण्डल आयोग के नाम से ज्ञात दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, तत्कालीन सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किया गया था, जिसने 31-12-1980 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की थी।

2. जैसा कि आयोग का कहना है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को सुविधाएं देने के बारे में वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयोग की रिपोर्ट तथा इसकी सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है तथा उसका स्पष्ट मत है कि प्रारम्भ में ऐसे वर्गों को केन्द्रीय तथा उनकी सार्वजनिक उपक्रमों की सेवाओं में कुछ महत्व दिया जाना अपेक्षित है। तदनुसार निम्न प्रकार आदेश जारी किये जाते हैं :—

(1) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में 27 प्रतिशत रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी।

(2) उपर्युक्त आरक्षण उन रिक्तियों पर लागू होगा जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं। आरक्षण लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

(3) सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित जो उम्मीदवार खुली प्रतियोगिता में उसी स्तर के आधार पर भर्ती किए जाते हैं जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के

विवरण-I

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्यवार अलग-अलग संख्या और प्रतिशत: 1983-84 (अनंतिम)

क्र० सं०	राज्य	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
		संख्या (लाख)	प्रतिशतता	संख्या (लाख)	प्रतिशतता	संख्या (लाख)	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्रप्रदेश	164.4	38.7	40.7	29.5	205.1	36.4
2.	असम	44.9	23.8	4.9	21.6	49.8	23.5
3.	बिहार	329.4	51.4	36.1	37.0	365.5	49.5
4.	गुजरात	67.7	27.6	19.9	17.3	87.6	24.3
5.	हरियाणा	16.2	15.2	5.5	16.9	21.7	15.6
6.	हिमाचल प्रदेश	5.8	14.0	0.3	8.0	6.1	13.5
7.	जम्मू व कश्मीर	8.1	16.4	2.2	15.8	10.3	16.3
8.	कर्नाटक	102.9	37.5	34.7	29.2	137.6	35.0

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	केरल	55.9	26.1	15.6	30.1	71.5	26.8
10.	मध्य प्रदेश	218.0	50.3	36.9	31.1	254.9	46.2
11.	महाराष्ट्र	176.1	41.5	55.9	24.3	232.0	34.9
12.	मणिपुर	1.3	11.7	0.6	13.8	1.9	12.3
13.	मेघालय	3.9	33.7	0.1	4,0	4.0	28.0
14.	उड़ीसा	107.7	44.8	10.4	29.3	118.1	42.8
15.	पंजाब	13.7	10.9	10.7	21.0	24.4	13.8
16.	राजस्थान	105.0	56.6	21.2	26.1	126.2	34.3
17.	तमिलनाडु	147.6	44.1	52.6	30.9	200.2	39.6
18.	त्रिपुरा	4.6	23.5	0.5	19.6	5.1	23.0
19.	उत्तर प्रदेश	440.0	46.5	90.6	40.3	530.6	45.3
20.	पश्चिम बंगाल	183.9	43.8	41.2	26.5	225.1	39.2

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	नागालैंड, सिक्किम व सभी संघ राज्य क्षेत्र	17.9	47.4	14.4	17.7	32.3	27.1
	अखिल भारत	2215.0	40.4	493.0	28.1	2710.0	37.4

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त अनुमान वर्ष 1973-74 की कीमतों के आधार पर 49.09 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास की गरीबी की रेखा का उपयोग करके हुए प्राप्त किये गये हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुसार है, 56.64 रु० की गरीबी की रेखा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता के अनुसार है।

2. 1983-84 के लिए, गरीबी की रेखा को अंकित करने के लिए, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का निजी उपभोक्ता सूचकांक इस्तेमाल किया गया है।

3. ये परिणाम राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के 38वें दौर (जनवरी, 1983 से दिसंबर, 1983) से संबंधित अनंतिम और त्वरित सारणीयन पर आधारित है।

4. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में दिए गए अखिल भारतीय निजी उपभोक्ता व्यय से संबंधित कुल अनुमानों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से प्राप्त कुल अनुमानों में जो अन्तर है, उसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित करने के संबंध में, किसी सूचना के अभाव में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथा अनुपात तर्कसंगत किया गया है।

5. गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1984 की जनसंख्या से संबंधित है।

विवरण-2

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्यवार अलग-अलग संख्या और प्रतिशतता 1987-88 (अनंतिम)

क्र०सं०	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	153.1	33.8	42.6	26.1	195·70	31.7
2.	असम	50.4	24.5	2.5	9.4	52.89	22.8
3.	बिहार	300.3	42.7	36·1	30.0	336.54	40.8
4.	गुजरात	56.2	21.2	17.1	12.9	73.25	18.4
5.	हरियाणा	13.5	11.7	4.7	11.7	18.15	11.6
6.	हिमाचल प्रदेश	4.4	9,7	0.1	2.4	4.52	9.2

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	जम्मू व कश्मीर	8.4	13.5	1.4	8.4	9.79	13.9
8.	कर्नाटक	102.8	35.9	33.7	24.2	136.46	32.1
9.	केरल	37.4	16.4	11.6	19.3	48.98	17.0
10.	मध्य प्रदेश	194.0	41.5	30.9	21.3	224.97	36·7
11.	महाराष्ट्र	166.9	36.7	47.2	17.0	214.10	29.2
12.	उड़ीसा	124.2	48.3	10.9	24.1	135.12	44.7
13.	पंजाब	9.6	7.2	4.3	7.2	13.88	7.2
14.	राजस्थान	80.6	26.0	19.0	19.4	99.54	24.4
15.	तमिलनाडु	138.4	39.5	38.5	20.5	176.85	32.8
16.	उत्तर प्रदेश	373.1	37.2	75.2	27.2	448.34	35.1
17.	पश्चिम बंगाल	137.2	30.3	36.3	20.7	173.45	27.6
18.	छोटे राज्य व संघ राज्य क्षेत्र	9.3	11.8	4.9	4.7	14.2	7.7

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	अखिल भारत	1959.7	33.4	417.0	20.1	2376.7	29.9

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त अनुमान वर्ष 1973-74 की कीमतों के आधार पर 49.09 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास की गरीबी की रेखा का उपयोग करते हुए प्राप्त किये गये हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुसार है, 56.64 रु० की गरीबी की रेखा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता के अनुसार है।

2. 1987-88 के लिए, गरीबी की रेखा को अंकित करने के लिए, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का निजी उपभोक्ता सूचकांक इस्तेमाल किया गया है।

3. यह संगणनाएं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें चक्र के परिवार उपभोक्ता व्यय आंकड़ों पर आधारित हैं। (रिपोर्ट सं० 372, उपभोक्ता व्यय से संबंधित चौथे पंचवर्षीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट, एन० एस० एस० ओ०/जून 1990)

4. गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 1 मार्च, 1988 की जनसंख्या से संबंधित हैं।

5. राज्यवार गरीबी अनुपात का आकलन उसी विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है, जिस विधि का प्रयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना के निरूपण के समय किया गया था। इसके बाद से गरीबी का आकलन करने की प्रक्रिया के बारे में कई प्रश्न उठाए गए हैं और डा० डी० टी० लाकडावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल द्वारा इन पर विचार भी किया जा रहा है।

6. इन प्रस्तुत आकलनों में विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन की संभावना है।

महासागर विकास के लिए कार्यक्रम

470. श्री गोपीनाथ मुंडपति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महासागर विकास के क्षेत्र में क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई; और

(ग) इन कार्यक्रमों में कार्यान्वयन हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान महासागर विकास के लिए निर्धारित राशि तथा इस क्षेत्र के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी तथा इन्हें कार्यान्वित करने के लिए उठाए गए कदम नीचे दर्शाये जा रहे हैं :—

1. समुद्र सूचना प्रणाली—प्राथमिक आंकड़ा आधार (रु० 10 करोड़)

देश में नौसंचालन के प्रबन्धीय सहयोग, तटीय क्षेत्र प्रबन्ध तथा समुद्री सजीव तथा निर्जीव संसाधनों के अन्वेषण एवं विदोहन के लिए अभिकल्प नीति उपलब्ध करवाने के लिए उपग्रह पर आधारित एक समुद्र सूचना प्रणाली स्थापित की गई है।

2. बहुधात्विक पिंड कार्यक्रम (रु० 10 करोड़)

अग्रणी निवेशक के रूप में पंजीकरण होने और मध्य हिन्द महासागर में खनन स्थल आबंटित होने के बाद, केन्द्रीय यान्त्रिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर में परीक्षण समुद्र खनन प्रणाली को अभिकल्पित और विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

गहरे समुद्र पिंडों से कॉपर, निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज निकालने के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्य और 250 किग्रा० पिंडों को प्रतिदिन संसाधित करने के योग्य एक प्रारम्भिक संयंत्र स्थापित करने के लिए कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया है।

3. अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सजीव तथा निर्जीव संसाधनों का सर्वेक्षण और अन्वेषण, (रु० 6.5 करोड़)

अनन्य आर्थिक क्षेत्र मे सजीव तथा निर्जीव संसाधनों का सर्वेक्षण और अन्वेषण विभिन्न समुद्रिक प्राचलों का अध्ययन तथा सावधानीपूर्वक अभिकल्पित अनुसंधान जलयान सागर कन्या और सागर सम्पदा द्वारा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा मध्य हिन्द महासागर के विभिन्न भागों में जीव मात्रा के वितरण का अध्ययन करने का कार्य आगे बढ़ाया गया है।

4. अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम (रु० 13.2 करोड़)

भू-विज्ञान, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान और ऊपरी वायुमण्डल में परिष्कृत वैज्ञानिक प्रयोगों और अन्वेषणों को कार्यान्वित करने के लिए अंटार्कटिक के वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों को अभिकल्पित किया गया है। अंटार्कटिक में भूखंडों, ढांचों, इसकी बर्फ की चद्दरों और पारिस्थितिक तंत्र और मुख्यत भू-मण्डलीय परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ-साथ विभिन्न वर्तमान और प्रस्तावित कार्रवाइयों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन तैयार करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि के संकेत उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इन्हें अभिकल्पित किया गया है। अंटार्कटिक के लिए इस वर्ष नियोजित दसवीं भारतीय वैज्ञा-

निक अभियान 27-11-1990 को गोवा से रवाना हुआ और 20-12-1990 को अंटार्कटिका पहुंचा।

5. सामुद्रिक परिसंचरण प्रतिरूपण और वायु-समुद्र प्रक्रिया में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (रु० 0.065 करोड़)

प्रतिरूपण में उच्चस्तरीय सुविज्ञता को विकसित करने के लिए समुद्रिक परिसंचरण एवं वायु-समुद्र अन्तरपृष्टीय प्रक्रम के अध्ययन का अभिकल्प परीक्षण करने के लिए एक परियोजना विशेषरूप से तैयार की गई है।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर के वायुमण्डलीय विज्ञान केन्द्र में एक प्रकोष्ठ की स्थापना से कार्यान्वित हो रहा है।

6. समुद्र में पर्यावरण की मानिटरिंग और प्रतिरूपण (रु० 0.50 करोड़)

हमारे तटीय समुद्र की देखभाल पर निगरानी रखने के लिए तथा पारिस्थितिक तंत्र की गति की, जिस पर तट के आस-पास के सजीव संसाधन निर्भर करते हैं, को बोधगम्यता विकसित करने के लिए भारत के सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र के साथ-साथ तथा द्वीपों पर पर्यावरण व्यवस्था की योजनाबद्ध मानिटरिंग स्थापित की गई है।

7. समुद्र स्तरीय विभिन्नताएं (रु० 0.25 करोड़)

समुद्र स्तर विभिन्नताओं को प्रलेखित करने की ओर, उच्च यथार्थता के साथ, यदि कोई हैं, अद्यतन स्वरूप वाले 9 ज्वारमापी केन्द्रों का एक जाल, हमारे तटों और द्वीपों के साथ-साथ स्थापित करने के लिए तैयार कार्यक्रम अब प्रारम्भ होने वाला है।

8. जलकृषि —गरीबी कम करने के लिए कार्ययोजना (रु० 0.60 करोड़)

ग्रामीण क्षेत्रों से जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तटीय आर्द्र भूमि के विशेष गुणों को विकसित करने के लक्ष्य से जलकृषि पर एक प्रक्षेपीय कार्ययोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस दिशा में अंडमान निकोबार द्वीप में झींगा खेती तलछट के डेमोन्स्ट्रेशन फार्म सहित अनुसंधान एवं विकास की एक परियोजना पर कार्य भी किया जा रहा है।

9. एकीकृत तरंग ऊर्जा उत्पादक—2 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए तरंगरोध प्रणाली (रु० 1.00 करोड़)

विझिजम (त्रिवेन्द्रम) में जल्दी ही स्थापित किये जाने वाले 150 कि० वा० तरंग उत्पादक एकक के निर्माण के द्वारा प्राप्त अनुभव का उपयोग करते हुए, (260 मी० लम्बे) 20 केसन (संयंत्र) की बैटरी से बनी एकीकृत तरंग ऊर्जा उत्पादक प्रणाली तथा थांगेसेरी (केरल) में प्रस्तावित मत्स्य आश्रय स्थल परियोजना के लिए 2 मे० वा० चरम विद्युत उत्पादन की अभिकल्पना केरल सरकार के विचारार्थ भेजी गई है।

कार्यक्षमता तथा उत्पादकता की गुणवत्ता सम्बन्धी सम्मेलन

471. श्री अनक राम गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 नवम्बर, 1990 को कार्यक्षमता तथा उत्पादकता की गुणवत्ता-संबंधी सम्मेलन का

उद्घाटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या टिप्पणियां की गईं; और

(ग) इसमें की गई टिप्पणियों के कार्यान्वयन हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सम्मेलन में बहुत से मुद्दों पर विचार किया गया, जैसे प्रतिस्पर्धात्मक पर्यावरण, किसी होलिस्टिक नीति को अपनाना, मजदूरों के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करना, प्रबन्ध आदि की जानकारी बढ़ाना जिससे कार्यकाल और उत्पादकता की गुणवत्ता का अतिक्रमण होता है। इस सेमिनार में उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त ऐसे सम्मेलनों की कार्रवाइयां सामान्यत: संबंधित संगठनों/उद्योगों के प्रयोग और लाभ के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा प्रकाशनों के रूप में जारी किए जाते हैं।

टायरों का मूल्य निर्धारण

472. श्री शांताराम पोटदुखे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादक संघ के तौर पर कार्य करते हुए टायर निर्माता कम्पनियों में आदानों की लागत बढ़ाने की सम्भावना को देखते हुए अपने उत्पादों के मूल्यों में पहले ही अत्यधिक वृद्धि कर दी है।

(ख) क्या इस प्रकार की मूल्य-निर्धारण नीति से मूल्य निर्धारण के सभी मानदण्डों का उल्लंघन होता है; और

(ग) यदि हां, तो टायरों के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं अथवा उठाये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) मोटरगाड़ी टायर निर्माता संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, टायर कम्पनियों के विभिन्न कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि के कारण टायरों की उत्पादन लागत में हुई बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए नवम्बर-दिसम्बर, 1990 में विभिन्न प्रकार के टायरों के मूल्यों में 3 से 7.5% के बीच वृद्धि की थी।

(ख) और (ग) मोटरगाड़ी टायरों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। तथापि, सरकार ने विनिर्दिष्ट प्रकार के ट्रक व बस टायरों को थोक उपभोक्ताओं द्वारा आयात किए जाने के लिए अपेक्षाकृत कम सीमा शुल्क पर सामान्य खुले लाइसेंस के अधीन रख दिया है, ताकि इन टायरों के मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। मोटरगाड़ी टायरों व ट्यूबों के निर्माण के लिए नई क्षमताओं के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए इस उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस लेने तथा एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 21 और 22 से मुक्त कर दिया गया है। सरकार ने इस उद्योग की निरंतर निगरानी करके तथा नियमित रूप से परस्पर सम्पर्क रखकर टायरों का अधिकतम उत्पादन सुनिश्चित भी किया है।

लघु उद्योगों का विकास

[हिन्दी]

473. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बड़े और बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा लघु उद्योगों के शोषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) लघु उद्योगों का विकास करना सरकार की औद्योगिक नीति का एक प्रमुख पहलू है, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार के अवसर अधिकाधिक किए जा सकें। सहायक उपायों में संस्थागत सहायता उपलब्ध कराना और रियायती वित्त, उत्पाद शुल्क के लाभ, अनन्य उत्पादन के लिए वस्तुओं के आरक्षण तथा केन्द्र सरकार के भण्डार खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु क्षेत्र से माल खरीदने के लिए वस्तुओं के आरक्षण के जरिए विपणन सहायता, किराया-खरीद आधार पर मशीनें, तकनीकी सलाहकारी सेवा परीक्षण सुविधा, सामान्य सुविधा सेवा, औद्योगिक स्थान की व्यवस्था तथा अन्य सूक्ष्म-संरचनात्मक सुविधा जैसे प्रोत्साहन व रियायतें शामिल हैं। इन उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) बड़ी तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा लघु उद्योगों के शोषण को रोकने के लिए लघु औद्योगिक उपक्रम की परिभाषा में इस आशय का उपबन्ध प्रस्तुत है कि ऐसा कोई भी उपक्रम किसी अन्य उपक्रम का सहायता-प्राप्त उपक्रम अथवा उसके स्वामित्व अथवा नियंत्रण में नहीं होगा। राज्य/संघ शासित सरकारों को परिभाषा में उल्लिखित उपर्युक्त उपबन्ध के अनुरूप न पाए गए किसी पंजीकृत लघु उद्योग का पंजीकरण समाप्त करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

जहां तक लघु क्षेत्र में अनन्य उत्पादन हेतु आरक्षित मदों का प्रश्न है, नीति का उल्लंघन किया जाना 1974 के संशोधन अधिनियम की धारा 4 द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 24 के अधीन दंडनीय है।

सिविला (दरभंगा) आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता बढ़ाना

474. श्री ज्योतिन्द्र झा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविला (दरभंगा) आकाशवाणी केन्द्र की प्रसारण क्षमता बढ़ाने और मैथिली में प्रसारण के समय में वृद्धि करने तथा मैथिली में समाचारों का प्रसारण करने की निरन्तर मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और लम्बे समय से की जा रही इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध

कान्त सहाय) : (क) जी, हां।

(ख) शिक्षा के दूरदर्शन के ट्रांसमीटर की संख्या बढ़ाने या मैट्रिकी के कार्यक्रमों के प्रसारण का समय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना

[अनुवाद]

475. श्री परसराम मारद्वाज :

श्री हुकम चंद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में, 1994-95 तक गैर-सरकारी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारों के लिए तीस लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम की घोषणा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कार्यवाही योजना तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) सितम्बर, 1990 में सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण और उद्यमशीलता तथा स्व-रोजगार प्रोत्साहन के जरिए वर्ष 1994-95 तक 3 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों को सृजित करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित कार्य योजना की घोषणा की। ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। रोजगार के संबंध में सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति भी अन्तिम रूप दिए जाने की इस प्रक्रिया का एक अंग है।

सीतामढ़ी में बम विस्फोट

476. श्री प्रकाश कोरकों बहादुर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 नवम्बर, 1990 को बिहार के सीतामढ़ी में पूर्व प्रधान मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की आम सभा में बम विस्फोट की कोई घटना घटी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना की कोई जांच कराई गई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 25-11-90 को जब भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री वी० पी० सिंह का काफिला बिहार में सीतामढ़ी के लक्ष्मी कृष्ण उच्च विद्यालय में एक बैठक के बाद बाहर आ रहा था तो उनके काफिले पर मंच से लगभग 150 फुट की दूरी से मैदान के पश्चिमी कोने से एक देसी बम फेंका गया। एक

व्यक्ति मारा गया और 28 व्यक्ति घायल हुए।

(ख) बिहार के महानिदेशक (पुलिस) ने एक वरिष्ठ अधिकारी को विस्तृत जांच करने का आदेश दिया है। इस घटना के संबंध में 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

कर्नाटक में विकास केन्द्र

477. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में अब तक कितने औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उस राज्य में कुछ और औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक राज्य सरकार से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) नया विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत, कर्नाटक को तीन विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने राज्य में विकास केन्द्रों हेतु निम्नलिखित स्थानों का पता लगाया है :—

	विकास केन्द्र का नाम	जिला
1.	धारवाड़	धारवाड़
2.	हसन	हसन
3.	गिल्केसुगर	रायचूर

धारावाहिक "स्वोर्ड आफ टीपू सुल्तान" से आय

478. श्री पी० एम० सईद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूरदर्शन को धारावाहिक "स्वोर्ड आफ टीपू सुल्तान" से अब तक कुल कितनी आय हुई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : दूरदर्शन को नवम्बर, 1990 तक "दि स्वोर्ड आफ टीपू सुल्तान" नामक धारावाहिक (28 कड़ियां) के प्रसारण से प्रायोजन शुल्क तथा स्पाट विज्ञापनों से 7,71,65,000 रुपये की कुल आय हुई।

कानपुर में रक्षा प्रतिष्ठान

[हिन्दी]

479. श्री केशरी लाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में रक्षा प्रतिष्ठानों में कार्यरत असैनिक कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन असैनिक कर्मचारियों को प्रदान किए गए सरकारी क्वार्टरों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उनके लिए कुछ और क्वार्टरों का निर्माण करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) चालीस हजार तीन सौ अठाइस ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) एक हजार छत्तीस मकान निर्माणाधीन हैं ।

कर्नाटक में 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए आबंटन

[अनुवाद]

480. श्री जनार्दन पुजारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक को 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या कर्नाटक में 20 सूत्री कार्यक्रम की कोई समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क), चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य योजना क्षेत्रों में 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए कर्नाटक को आबंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है ।

(ख) और (ग) जी हां । अद्यतन समीक्षा के अनुसार अप्रैल, 1990 से अक्तूबर, 1990 के

दौरान राज्यों में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कर्नाटक की स्थिति पांचवीं रही। चयनित 26 मदों—जिनका मासिक आधार पर प्रबोधन किया जाता है, के कार्यान्वयन में कर्नाटक द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य योजना क्षेत्र के अधीन कर्नाटक में 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए धनराशि का आबंटन

क्र० सं०	मद	(लाख रु०) 1990-91
1	2	3
1.	ग्रामीण गरीबी पर प्रहार	
	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2255
	जवाहर रोजगार योजना	2661
	सामुदायिक विकास एवं पंचायत	3307
	ग्राम और लघु उद्योग	4840
2.	वर्षा पर आधारित कृषि	687
3.	सिंचाई का बेहतर उपयोग	21190
4.	उन्नत कृषि	5308
5.	भूमि सुधार	153
6.	सुरक्षित पेयजल	2191
7.	सभी के लिए स्वास्थ्य	2200
8.	दो बच्चों का मानदण्ड पोषण	400
9.	शिक्षा	6090
10.	अनुसूचित जाति/जनजाति को न्याय	2175
11.	युवाओं के लिए अवसर	175
12.	लोगों के लिए मकान	1500
13.	गंदी बस्तियों का सुधार	726
14.	वानिकी	1878
15.	पर्यावरण का संरक्षण	33

1	2	3
16.	उपभोक्ता कल्याण	—
17.	गांवों के लिए ऊर्जा	72
	योग :	57841

विवरण-2

अप्रैल—अक्तूबर, 1990 के दौरान कर्नाटक में 20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

सू०सं०	मद विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य 1990-91	लक्ष्य अप्रैल-अक्तू० 1990	उपलब्धि अप्रैल-अक्तू० 1990	कालम सं० 6 से 5 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
01क	ए०ग्रा०वि० कार्यक्रम (लाभार्थी परि०)	सं०	109482	56566	38021	67
01ख	जवाहर रोजगार योजना	श्रम दिवस	57087000	25118280	10972200	43
01ग	लघु उद्योग इकाइयां	सं०	8500	4958	4553	91
05क	फालतू भूमि का वितरण	एकड़	1000	533	928	174
06	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	सं०	1307	483	567	117
07क	पेयजल समस्या का समाधान (गांव)	सं०	4518	2109	1570	74
08क	सामु० स्वास्थ्य केन्द्र	सं०	10	1	0	0
08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी०एच०सी०)	सं०	50	15	0	0
08च	बाल प्रतिरक्षण (डी०पी०टी०, पोलियो एवं ई०सी०जी०)	सं०	1201700	540765	492854	91

1	2	3	4	5	6	7
09क	परिवार नियोजन नसबन्दी	सं०	360000	162000	154211	95
09ख	समतुल्य नसबन्दी (आई०यू०डी०सी०सी० एवं ओ०पी०)	सं०	110691	49811	49660	100
09ग	ए०बा० विकास सेवा खण्ड	सं०	115	110	107	97
09घ	आंगनवाड़ी	सं०	18751	17779	16300	92
11क	अ०जा० के परिवारों को सहायता	सं०	100000	46000	30455	66
11ख	अ०ज०जा० के परिवारों को सहायता	सं०	9500	4275	2192	51
14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	सं०	40000	21600	17287	80
14ख	दी गई निर्माण सहायता (परि०)	सं०	40000	21600	12041	60
14ग	अ०जा०/अ०ज०जा० के लिए इंदिरा आवास योजना (आवास इकाइयां)	सं०	5443	2939	2246	76
14घ	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिए गए मकान	सं०	4000	2160	902	42
14ङ	निम्न आय समूह को मकान	सं०	2000	1080	690	64
15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	सं०	60000	32400	33349	103
16	वृक्षारोपण	सं०	180000000	148333333	137915500	93
18	उचित दर दुकानें	सं०	150	86	136	158
19ख	शक्ति चालित पम्पसेट	सं०	30000	11833	18371	155
19घ	सुधरे चूल्हे	सं०	100000	26000	48036	166
19च	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	सं०	5000	1500	1216	81

केरल में औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी

481. श्री ए० विजयराघवन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1990 के दौरान केरल राज्य में मंजूर की गई औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी स्वीकृत परियोजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) मै० केरल स्टेट इलैक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, त्रिवेन्द्रम को जहाजों और अन्य समुद्री पोतों तथा तटवर्ती अधिष्ठापनाओं के लिए इलेक्ट्रोनिक नियंत्रण प्रणाली बनाने के लिए आशय पत्र सं० 355 दिनांक 6.6.1989 के बदले में 15,00,00,000 रु० मूल्य वार्षिक क्षमता का एक औद्योगिक लाइसेंस सं० सी०आई०एल० : 292(90) दिनांक 13.11.90 को जारी कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मियादी जमा खाते के द्विभाषी फार्म

482. कुमारी उमा भारती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने सरकारी उपक्रम जनता से मियादी जमा खाते के रूप में ऋण लेते हैं;

(ख) क्या तत्सम्बन्धी प्रपत्र केवल अंग्रेजी में ही छापे जाते हैं;

(ग) क्या इन प्रपत्रों को हिन्दी में भरने की अनुमति नहीं होती है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रपत्रों को द्विभाषी रूप में छापकर हिन्दी में कब स्वीकार किया जाएगा ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 18 उद्यम जनता से मियादी जमा खाते के रूप में ऋण प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण

483. श्री बाल गोपाल मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोषित समाज दल ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) ज्ञापन देने का वर्ष, तारीख और मंत्रालय का नाम जिसे यह प्रस्तुत किया गया था, संबंधी पूर्ण ब्यौरों के अभाव में यह स्पष्ट रूप से कहना असम्भव है कि क्या इस प्रकार का ज्ञापन पहले भी प्राप्त हुआ था। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले को छोड़कर, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नहीं किया गया है।

बोफोर्स तोप सौदे की जांच पर खर्च

484. श्री के० एस० राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोफोर्स तोप सौदे में कमीशन प्राप्त करने वालों के सम्बन्ध में की जा रही जांच में विदेश यात्रा, विदेशों में अधिकारियों के रहने तथा खाने पीने, आनुषंगिक व्यय इत्यादि पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : बोफोर्स तोप सौदे में कमीशन प्राप्त करने वालों के बारे में जांच के संबंध में विदेश यात्राओं पर गये अधिकारियों के यात्रा और दैनिक भत्तों के लिए अब तक निम्नलिखित कुल व्यय हुआ है :

भारतीय रुपये	विदेशी मुद्रा
6,43,719.24 रुपये	7212.50 अमरीकी डालर
	951.20 स्विस फ्रैंक
	2009.20 क्रोनर स्वीडिश

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा निर्मित कागज की दर

485. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचित की गई पी० एम० टी० की दरों तथा हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन द्वारा उन्हें न मानने की बात पर केन्द्रीय सरकार और हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के बीच कोई विवाद है; और

(ख) यदि हां, तो इस विवाद के समाधान के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है क्योंकि इससे हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन द्वारा कागज की सप्लाई न किए जाने के कारण शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन (एच० पी० सी०) शैक्षिक क्षेत्र को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित योजना के अन्तर्गत जो 31-3-1990 को समाप्त हो गई है, शिक्षा क्षेत्र को इमदादी दर से सफेद मुद्रण-

कागज की आपूर्ति कर रहा था। परवर्ती कार्यान्वयन की संशोधित योजना शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन है। योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के तुरन्त बाद ही इम-दादी कागज की आपूर्ति चालू हो जाएगी। इस दौरान एच० पी० सी० शैक्षिक क्षेत्र को बिना किसी इमदाद के रियायती दरों पर कागज की आपूर्ति कर रहा है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश

[हिन्दी]

486. **श्री हर्षवर्धन :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश किए जाने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे उद्योगों की एक सूची जारी करने का है जिसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को तत्काल निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) सरकार की विदेशी निवेश नीति चयनात्मक है और इसे उन क्षेत्रों में ऐसे निवेश के सरणीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अपेक्षित है, अथवा जहां संकटकालीन उत्पादन अन्तराल है अथवा जो देश की निर्यात सम्भावना को बढ़ाने में सहायता करते हैं। जबकि सरकार की बुनियादी नीति का उद्देश्य बाह्य संसाधनों पर अनावश्यक निर्भरता कम करना है, सरकार द्वारा यह माना गया है कि विकसित देशों में हो रहे तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास के निरन्तर बराबर गति बनाये रखने के लिए उत्पा-दन प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाना समान रूप से आवश्यक है। इसलिए प्रौद्योगिकी का आयात चयना-त्मक है और साधारण रूप से इसकी अनुमति उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों, निर्यातोन्मुख अथवा आयात प्रतिस्थापना विनिर्माण में अथवा स्वदेशी उद्योग को कार्य-क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक दृढ़ता प्राप्त करने के लिए उसकी विद्यमान प्रौद्योगिकी को उन्नत करने हेतु योग्य बनाने में दी जाती है।

(ख) और (ग) फिलहाल सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जिन उद्योगों में विदेशी, वित्तीय अथवा तकनीकी सहयोग सामान्य रूप से आवश्यक नहीं समझा जाता उनकी विस्तृत सूची पहले से है। सामान्य रूप से इन उद्योगों में सहयोग हेतु, अनुरोध पर अनुमति नहीं दी जाती, जब तक इन पर सम्बद्ध प्रौद्योगिकी, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, निर्यात से अर्जन हेतु सम्भावना इत्यादि के संबंध में व्यवस्था नहीं कर ली जाती।

कम्प्यूटर केन्द्रों को मान्यता

[अनुवाद]

487. **श्री हरीश पाल :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्यवार कितने कम्प्यूटर केन्द्र इस समय काम कर रहे हैं;

(ख) दिल्ली में ऐसे कितने मान्यता प्राप्त केन्द्र हैं;

(ग) क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) भारतीय कम्प्यूटर संस्था (कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया) तथा इलेक्ट्रानिकी एवं दूरसंचार इंजीनियर संस्थान (इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन्स इंजीनियर्स) के जरिए कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चलाने वाले निजी क्षेत्र के संस्थानों को मान्यता प्रदान करने की एक योजना पर अमल किया जा रहा है। इन संस्थानों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा केवल उन्हीं संस्थानों को निर्धारित पाठ्यक्रम चलाने का अनुमोदन प्रदान किया जाएगा जो सुनिश्चित क्वालिटी तथा मरम्मत-सेवा से संबंधित मानकों को पूरा करते हों। चूंकि यह योजना अभी हाल ही में आरम्भ की गई है, अतः किसी भी संस्थान को अभी तक अनुमोदन नहीं प्रदान किया गया है।

चरखी दादरी और गुड़गांव में सशस्त्र बल का शाखा भर्ती कार्यालय

488. श्री बन्सी लाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के भिवानी जिले में चरखी दादरी में सशस्त्र बल का शाखा भर्ती कार्यालय किस तारीख को खोला गया था;

(ख) गुड़गांव में शाखा भर्ती कार्यालय किस तारीख को खोला गया था;

(ग) क्या इसे बन्द कर दिया गया है और यदि हां, तो किस तारीख को; और

(घ) गुड़गांव शाखा भर्ती कार्यालय को बन्द करने के क्या कारण हैं तथा इसे किस स्थान पर ले जाया गया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) चरखी दादरी स्थित शाखा भर्ती कार्यालय 1967 में खोला गया था।

(ख) गुड़गांव स्थित शाखा भर्ती कार्यालय आरम्भ में 1948 में खोला गया था।

(ग) गुड़गांव स्थित शाखा भर्ती कार्यालय 1953 में बन्द कर दिया गया था, 1963 में फिर खोला गया और 1977 में फिर बन्द कर दिया गया।

(घ) 1977 से पहले, अम्बाला के जोनल भर्ती कार्यालय का कार्य क्षेत्र दिल्ली, फरीदाबाद और गुड़गांव तक था। 1977 में दिल्ली में एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय खोला गया और फरीदाबाद तथा गुड़गांव को स्वतंत्र भर्ती कार्यालय, दिल्ली के कार्यक्षेत्र के अन्तर्वर्त लाया गया। गुड़गांव स्थित शाखा भर्ती कार्यालय को हिसार में स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि हरियाणा के अन्य क्षेत्र और अधिक

प्रभावी ढंग से उसके कार्यक्षेत्र में शामिल किए जा सकें।

चकमा शरणार्थियों की समस्या

489. श्री शरत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव अधिकार आयोग ने हाल ही में बंगलादेश के समस्याग्रस्त चिट्टागांव पहाड़ी क्षेत्र से आए जनजातीय शरणार्थियों, जो दक्षिण त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, के बारे में आंकड़ों के संकलन का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) क्या सरकार का चकमा शरणार्थियों की समस्या और उनके सुरक्षित वापस लौटने के बारे में शीघ्र हल निकालने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र आयोग के बंगलादेश जाने से पहले सरकार द्वारा उसे शरणार्थियों की दुर्दशा की जांच करने और उनकी कठिनाइयों को जानने की अनुमति दी गई थी। उन्हें शरणार्थी शिविरों के बारे में आंकड़े संकलित नहीं करने थे।

(ख) और (ग) बंगला देश सरकार से चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र में आवश्यक वातावरण उत्पन्न करने का अनुरोध किया गया है जिससे चकमा शरणार्थियों में अपने घर वापस जाने के लिए विश्वास उत्पन्न होगा।

दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित श्रेणी के अधीन स्वीकृत
दूरदर्शन धारावाहिक

490. श्री बलवन्त मणवर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित श्रेणी के अधीन स्वीकृत किए गये दूरदर्शन धारावाहिकों के नाम क्या हैं और उन्हें किस-किस तारीख को स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) क्या दूरदर्शन द्वारा आयोजित श्रेणी में आने वाले बहुत से दूरदर्शन धारावाहिकों को अब तक आर्थिक सहायता नहीं दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन सभी निर्माताओं को आर्थिक सहायता कब तक दी जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रायोजित श्रेणी के तहत स्वीकृत सभी कार्यक्रमों के लिए दूरदर्शन और कार्यक्रम निर्माता

के बीच हुए संविदा के अनुसार अनुमोदित धनराशि का भुगतान विभिन्न चरणों में किया जाता है। पहली किस्त का भुगतान कार्यक्रम के अनुमोदन और संविदा पर हस्ताक्षर करने के बाद कर दिया जाता है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदित धारावाहिकों के नाम और उनके अनुमोदन की तारीख

क्र० सं०	नाम	अनुमोदन की तारीख
1.	फूलवन्ती	7-1-89
2.	मामाजी	25-1-89
3.	द बिग टाप सर्कस	25-1-89
4.	व्योमकेश बक्शी	25-1-89
5.	मशाल	25-1-89
6.	श्रीकान्त	25-1-89
7.	भूतनाथ	18-2-89
8.	चरित्रहीन	18-2-89
9.	अहमक	18-2-89
10.	नींव	18-2-89
11.	मुल्ला नसरूद्दीन	18-2-89
12.	न होता मैं तो क्या होता	18-2-89
13.	डा० बी० आर० अम्बेडकर	30-8-89
14.	मर्यादा रमन्ना	23-5-89

प्रात:कालीन प्रसारण के लिए दूरदर्शन धारावाहिक

धारावाहिक का नाम	अनुमोदन की तारीख	धारावाहिक का नाम	अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4
मुसीबत ही मुसीबत	14.12.88	उथल पुथल	14.12.88
चवन्नी	14.12.88	अपनी-अपनी बंसी	14-12.88
आपकी अदालत में	14.12.88	अपना-अपना राग	

1	2	3	4
ताक धिनाधिन	14.12.88	एलार्म घड़ी	27.7.89
क्या बनोगे मुन्ना	14.12.88	सवेरे सवेरे	27.7.89
इंडिया एलाइव	14.12.88	नवाबी मसनद	27.7.89
वक्त गुजरता है	14.12.88	शहर चला कस्बे को	27.7.89
श्रीमती एवं श्री प्यारेलाल	2.1.89	आसमान से गिरा	26.9.89
चार लाचार	2.1.89	श्रीमान जी	26.9.89
सिलसिला	2.1.89	लेट लतीफ	26.9.89
हाथी घोड़ा पालकी	16.1.89	चार चतुर	26.9.89
बोस्तां की कहानियां	16.1.89	सुनहरे सपने	26.9.89
धूप की लकीरें	16.1.89	मेरे तुम्हारे	26.9.89
जहां चाह वहां राह	25.3.89	प्रेरणा	26.9.89
घने जंगल हैं	25.3.89	अजब गजब	26.9.89
सोनू मोनू	25.3.89	मेरी दुनिया	26.9.89
मासूम	25.3.89	सुंदर बालक	26.9.89
तपो भूमि बुंदेलखंड	25.3.89	तीन सवाल	26.9.89
हमारे मैनेजर	24.5.89	बीसवां ऊंट	26.9.89.
घर-घर के तमाशे	24.5.89	समते रोमा	26.9.89
क्या हुक्म है मेरे आका	24.5.89	घाट-घाट में सूरज	29.9.89
चाचा चौधरी	24.5.89	रानी नागफनी की कहानी	19.3.90
खामोश डिटेक्टिव एजेंसी	24.5.89	प्याले में तूफान	19.3.90
नाटक नाटक	24.5.89	आफत पे आफत	19.3.90
चुप चाल	24.5.89	जसंगुर पहलवान	19.3.90
चाचा बंदूकची	22.6.89	छोटी सी बात	19.3.90
		सच्चे मोती	5.7.90

दोपहर के प्रसारण हेतु दूरदर्शन धारावाहिक

धारावाहिक का नाम	अनुमोदन की तिथि	धारावाहिक का नाम	अनुमोदन की तिथि
1	2	3	4
बेगन राजा	17.9.88	ताने बाने	19.12.88
सुकन्या	19.2.88	आकार	19.12.88

1	2	3	4
सूझ बूझ	19.12.88	मधुर माधुरी	20.6.89
अपने सपने	19.12.88	तृष्णा (कायाकल्प)	2.8.89
एक सपना	19.12.88	उलझन	2.8.89
तुम्हारे लिए	19.12.88	किनारे-किनारे	2.8.89
रहने दो जी	19.12.88	संसार	2.8.89
अरमान	19.12.88	जीवन सन्ध्या (सामो की बेला)	2.8.89
आओ खेलें खेल	19.12.88	परिवर्तन	2.8.89
इक तारा बोले	19.12.88	औरत	2.8.89
मौसी	18.1.89	छू मन्तर	22.9.89
दूसरी जिन्दगी	18.1.89	चाट पानी	22.9.89
भावना	18-1.89	जीवन ज्योति	22.9.89
बेचारे गुप्ता जी	18.1.89	परिणय	22.9.89
प्यार का बन्धन	18.1.89	ग्रहण	22.9.89
सन्ध्या दीप	18.1.89	अन्धू औ अम्धू	22.9.89
बदली हुई इबारत	18.1.89	अरसी	16.3.90
देवी जी	18.1.89	नया फैसला	16.3.90
लालसा	7.3.89	हम भी किसी से कम नहीं	16.3.90
स्नेह धारा	7.3.89	संजीवनी	16.3.90
बाल हुल्लड़	19.4.89	अपाहिज	16.3.90
प्रेरणा	19.4.89	मकसद	16 3.90
दादी अम्मा	19.4.89	आधार	16.3.90
बुलबुल	20.6.89	चाचा छक्कन	5.7.90
दादी	20.6.89	दुर्गा मौसी	5.7.90
धूप छांव	20.6.89	यह तेरी मंजिल नहीं	5.7.90
अड्डा	20.6.89		

कृषि/लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना

491. श्री पलाई के० एम० सैय्यू :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान, केरल में इडुक्की में कृषि/लकड़ी पर आधारित बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में अभी भी लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) 26.12.1990 की स्थिति के अनुसार (वर्ष 1989 तथा 1990 के दौरान केरल में इडुक्की में कृषि/लकड़ी पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) ऐसा कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा ईन्धन की बचत के लिए अभियान

492. श्री यशवन्त राव पाटिल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय का ईन्धन की बचत के लिए अभियान चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब आरम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित अन्य अभियान कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, हां।

(ख) तेल की बढ़ी कीमतों के परिणामों तथा उन उपायों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो उपभोक्ता ईन्धन की बचत करने के लिए कर सकते हैं, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दूरदर्शन/आकाशवाणी/प्रैस/मुद्रित/बाह्य प्रचार के माध्यम से बहु आयामी अभियान शुरू किया गया है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने इस संबंध में पहले ही प्रचार किया है, जैसाकि संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) संलग्न विवरण-2 के अनुसार।

विवरण-1

(1) पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के लिए :—

1. अंग्रेजी और हिन्दी सहित 13 भाषाओं में चार अलग-अलग डिजाइनों में पांच प्रेस विज्ञापन ।
2. 12 भाषाओं में एक-एक मिनट की तीन वीडियो क्लिपिंग ।
3. 4 मूल रूपान्तरों सहित तीन मिनट की एक वीडियो क्लिपिंग ।
4. 12 भाषाओं में चार रेडियो स्पाट ।
5. 2.06 लाख के प्रिंट आर्डर का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में एक पोस्टर ।
6. तीन लाख के प्रिंट आर्डर की सभी भाषाओं में एक पुस्तिका ।
7. सभी भाषाओं में 1027 सिनेमा स्लाइड ।
8. दस बस पैनल ।
9. आठ होर्डिंग ।

(2) ऊर्जा मंत्रालय के लिए :—

पूरे वर्ष के लिए प्रत्येक पाक्षिक में 13 भाषाओं में जारी किए गए चार प्रेस विज्ञापन ।

ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र की ओर से तैयार की गई संरक्षण अभियान योजना ।

विवरण-2

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा हाथ में लिए गए प्रस्तावित अन्य कार्यक्रम

1. विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों में ऊर्जा सम्बन्धी परिदृश्य पर उच्च कोटि के लेख शामिल करने का प्रयास किया जाएगा ।
2. ऊर्जा संरक्षण की सफलता की कहानियां/विशिष्ट ईंधनों/तकनीकों के उपयोग पर आने वाली ऊंची लागत को दर्शाना ।
3. ऊर्जा सम्बन्धी परिदृश्य पर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता ।
4. तकनीकी विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक अन्य प्रतियोगिता ।

रोजगार केन्द्रों द्वारा रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने वाली जातियां

[हिन्दी]

493. गोविन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जातियों को आरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है और रोजगार केन्द्रों द्वारा रोजगार दिए जाने के समय उन्हें प्राथमिकता दी जाती है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : रोजगार कार्यालयों की भूमिका, नियोजकों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही अधिसूचित रिक्तियों के प्रति केवल उम्मीदवारों को प्रायोजित करने तक सीमित है। रोजगार कार्यालयों को भेजे गए मांगपत्र में सरकारी नियोजकों को केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदेशों के अनुसार लागू रिक्तियों के आरक्षणों/प्राथमिकताओं आदि के सम्बन्ध में ब्यौरे देना अपेक्षित है। केन्द्र सरकार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण उपलब्ध है।

पंजाब वक्फ बोर्ड के दो भाग करना

[अनुवाद]

494. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब वक्फ बोर्ड के दो अथवा तीन भाग करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय वक्फ परिषद की राय ले ली गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई विधेयक लाने का विचार है; और

(घ) पंजाब वक्फ बोर्ड का गठन कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब हेतु अलग-अलग वक्फ बोर्डों के लिए पंजाब वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन का एक प्रस्ताव 1984 में प्राप्त हुआ था, जिसे पंजाब हरियाणा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए पंजाब वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ख) जी, नहीं। तथापि पंजाब वक्फ बोर्ड के भावी खर्चे पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा जुलाई 1972 में केन्द्रीय वक्फ परिषद् को क्षेत्र के कुछ ऐसे लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों और परिषद् के कुछ सदस्यों जो इस मामले में विशेष रुचि ले रहे थे, की एक विशेष बैठक आयोजित करने की सलाह दी गई थी। इस बैठक में यह सिफारिश की गई कि यह मामला वक्फ जांच समिति को भेजा जाए। चूंकि यह मद वक्फ जांच समिति के विचारणीय विषयों में शामिल नहीं थी और इसके विचारणीय विषयों में एक विनिर्दिष्ट मद जोड़ने को आवश्यक नहीं समझा गया, अतः सरकार ने इस विषय पर अपनी ओर से निर्णय लेने का फैसला किया।

(ग) नया विधान आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि विद्यमान कानून में पंजाब वक्फ बोर्ड सहित अन्तर राज्यीय सम्मिलित निकायों के पुनर्गठन और पुर्नव्यवस्था करने का उपबन्ध किया गया है।

(घ) पंजाब वक्फ बोर्ड के प्रतिस्थापन की वर्तमान विस्तरित अवधि 30.4. 1991 को समाप्त होगी।

दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर रविवार को प्रादेशिक फिल्मों के प्रसारण के लिए मानदण्ड

495. श्री जे० चोक्का राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर रविवार को प्रादेशिक फिल्मों के प्रसारण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) वर्ष 1990 के मई और जून माह में रविवारों के दौरान प्रसारित की गई प्रादेशिक फीचर फिल्मों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इनका प्रसारण निर्धारित मानदंडों के अनुसार हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मई और जून 1990 के दौरान रविवार को दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित की गई क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों के शीर्षक नीचे दिए गए हैं :

1. साधना (उड़िया)
2. मौनारागम् (तमिल)
3. अशाणी संकेत (बंगला)
4. दानवीर शूर कर्ण (तेलुगु)
5. चन्दावलिया थोटा (कन्नड़)
6. पोक्कुवेइल (मलयालम)
7. मलाइकल्लन (तमिल)

(ग) जी, हां।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

रविवार को दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण के लिए केवल उन क्षेत्रीय फीचर फिल्मों पर विचार किया जाता है जो निम्नलिखित में से किसी मानदण्ड को पूरा करती हैं अथवा जिन्होंने निम्नलिखित में से कोई राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त किया हो।

(I) वर्ष की सर्वोत्तम अथवा द्वितीय सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (सभी भाषाओं में संयुक्त रूप से)

(II) सर्वोत्तम प्रथम फिल्म के निदेशक के लिए इन्दिरा गांधी पुरस्कार।

(III) लोकप्रिय तथा स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वोत्तम फिल्म के लिए पुरस्कार।

(IV) राष्ट्रीय एकता पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार।

(V) परिवार कल्याण पर सर्वोत्तम फिल्म।

(VI) मद्य निषेध, महिला और बाल कल्याण, दहेज विरोध, नशीली दवाओं के सेवन आदि को रोकने जैसे अन्य सामाजिक विषयों पर सर्वोत्तम फिल्म।

(VII) किसी भारतीय भाषा में सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का "राजकमल" पुरस्कार प्राप्त फिल्म।

(VIII) राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त फिल्म।

(IX) भारत के किसी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/फिल्मोत्सव में भारतीय पेनोरमा और मुख्यधारा खण्ड में प्रविष्टि-प्राप्त फिल्म।

(X) सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए राज्य सरकार पुरस्कार से पुरस्कृत फिल्म।

(XI) सर्वोत्तम निर्देशन के लिए राज्य सरकार से पुरस्कृत फिल्म।

(XII) वे फिल्में जिन्होंने राज्य सरकार के कोई दो पुरस्कार (उपर्युक्त से भिन्न) प्राप्त किए हैं।

(XIII) वे फिल्में, जिन्होंने रजत जयन्ती मनाई हो (लगातार 25 सप्ताह तक चली हो) और जिनके पास अप्रतिबंधित प्रमाणपत्र हो।

उड़ीसा में केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों का आधुनिकीकरण

496. **श्री अंगाराज मलिक :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के आधुनिकीकरण/नये उपक्रमों की स्थापना का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण/पंजीकृत कार्यालयों वाले नये उपक्रमों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

आन्ध्र प्रदेश और मेघालय में यूरेनियम के भंडार

497. श्री एम० एम० पल्लम राजू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश और मेघालय में यूरेनियम के भण्डारों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो दोनों राज्यों में कितना यूरेनियम होने का अनुमान है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में यूरेनियम का कितना उत्पादन हुआ ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) मेघालय के किल्लंग ब्लाक में बलुआ पत्थर किस्म के यूरेनियम निक्षेप का पता चला है जो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी हैं। इन निक्षेपों में 4800 टन यूरेनियम आक्साइड विद्यमान है जिसका औसतन ग्रेड 0.1 प्रतिशत यूरेनियम आक्साइड है। आंध्र प्रदेश में कुड्डप्पा घाटी में अब तक किए गए अन्वेषणात्मक वेधन के परिणामस्वरूप वहां पर अनुमानित और सूचित वर्ग के 3554 टन यूरेनियम आक्साइड होने का पता चला है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में यूरेनियम का वार्षिक उत्पादन लगभग दो सौ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है जो आवश्यकता के लिए काफी है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में प्याज का किरणन प्रक्रिया द्वारा प्रसंस्करण

498. श्री एडुआर्डो फैलीरो :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने वाणिज्यिक और वाणिज्यिक-पूर्व दोनों स्तरों पर प्याज में अंकुर फूटने से रोकने के लिए प्याज, को किरणन प्रक्रिया द्वारा प्रसंस्करित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किरणन प्रक्रिया द्वारा वर्ष-वार वास्तविक रूप से कुल कितनी मात्रा में प्याज प्रसंस्करित की और इस अवधि में कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ग) प्याज और किसी अन्य उत्पाद के लिए वाणिज्यिक और वाणिज्यिक-पूर्व स्तर पर किरणन प्रक्रिया द्वारा प्रसंस्करण की कितनी वार्षिक क्षमता विकसित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने लगभग 32 देशों द्वारा स्वीकृत लगभग 40 खाद्य पदार्थों की किरणन

प्रक्रिया द्वारा प्रसंस्करण करने की सुविज्ञता एवं सुविधाएं विकसित की है;

(ङ) क्या सरकार को उन कारणों की जानकारी है जिनकी वजह से विभिन्न देशों ने किरणन प्रक्रिया द्वारा खाद्य प्रसंस्करण की क्रिया नहीं अपनाई है; और

(च) यदि हां, तो इन निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989 के दौरान, 10 टन प्याज का किरणन पूर्व-वाणिज्यिक पैमाने पर भंडारण के वास्ते परीक्षण के लिए किया गया था। पिछले दो वर्षों के दौरान अर्थात 1988 और 1989 में प्याज का अनुमानित वार्षिक उत्पाद। कृषि उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार क्रमश: 2.5 और 3 मिलियन टन रहा।

(ग) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में लगे खाद्य किरणन सुविधा संबंधी प्रायोगिक संयंत्र का उपयोग अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य करने के लिए तथा प्याज और अन्य खाद्य सामग्रियों का पूर्व-वाणिज्यिक पैमाने पर किरणन करने के लिए किया जाता है। यह प्रायोगिक संयंत्र किरणक लगभग 0.5 टन प्रति घंटा प्याज का, 0.3 टन प्रति घंटा आलू का और 240 किलोग्राम प्रति घंटा मसालों का संसाधन कर सकता है। 1.5 टन प्रति घंटा प्याज का संसाधन करने वाले एक सुवाह्य प्रदर्शक किरणक का निर्माण किया जा रहा है।

(घ) जी, हां। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने इस देश के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विकारीय कृषि संबंधी वस्तुओं, जैसे कि आलू, प्याज, गेहूं और अन्य अनाज, दालें उष्ण प्रदेशीय फल, मछली और मसाले, का परिरक्षण करने के लिए किरणन प्रौद्योगिकी को मानकीकृत किया है न कि उन सभी 40 खाद्य सामग्रियों का जिनके लिए 32 देशों ने अनुमति दे दी है।

(ङ) जी, हां।

(च) निर्यात की जाने वाली खाद्य सामग्रियों, जैसे, कि प्याज, मसालों तथा प्रशीतित समुद्री खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए अनुमति देकर सरकार ने सही दिशा में कदम उठाया है। ऐसा करने से निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि होगी।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला

[हिन्दी]

499. श्री कंकर मुंजारे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान इस जिले के उद्यमियों को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता की जिले-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

देश में विदेशी नागरिक

[अनुवाद]

500. श्री राम नाईक :

क्या प्रधान मंत्री 30 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3684 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पृथक-पृथक रूप से कितने देशों के नागरिक निर्धारित समय से अधिक अवधि से देश में रह रहे हैं अथवा उनके पास जाली कागजात हैं;

(ख) उन 63 विदेशी नागरिकों में से कितने नागरिकों ने, जिन्हें भारत छोड़ने के नोटिस जारी कर दिए गये थे, वास्तव में भारत छोड़ दिया है;

(ग) भारतीय दण्ड संहिता और विदेशी नागरिक अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज 13 मामलों का अन्तिम परिणाम क्या निकला; और

(घ) इन 13 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में औद्योगिक न्यायालयों के न्यायाधीश

[हिन्दी]

501. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के औद्योगिक न्यायालय में इस समय विद्यमान कितने न्यायाधीशों का कार्यकाल दिसम्बर, 1990 में पूरा हो जायेगा; और

(ख) इनमें से कितने न्यायाधीशों की सेवाएं जनवरी, 1991 से आगे बढ़ाई गई हैं/बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार औद्योगिक अधिकरण के एक पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल 19-11-90 को समाप्त हो गया तथा श्रम न्यायालयों के दो पीठासीन अधिकारियों का कार्यकाल 20-12-90 को समाप्त हो गया है। प्रशासन ने तीनों पीठासीन अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, बम्बई के अधिकारियों पर आरोप

[अनुवाद]

502. श्री बी० कुप्प राव :

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैन्टीन स्टोर्स डिपोर्टमेंट, बम्बई के कितने अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं;

(ख) डिपार्टमेंट की बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध न होने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) कैन्टीन स्टोर विभाग में कुल 3700 कर्मचारी हैं। इनमें से छः कर्मचारी अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण अभियोग का सामना कर रहे हैं। छः कर्मचारियों के विरुद्ध कदाचार सम्बन्धी मामले चल रहे हैं और बारह कर्मचारियों के विरुद्ध भंडार के सामान में गड़बड़ करने के लिए अभियोग चल रहा है।

(ख) विभाग सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की व्यवस्था के अनुसार अपना दैनिक कार्य करता है। प्रबन्ध की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। लेखा प्रक्रियाओं, सामान-सूची प्रबन्ध प्रणाली और खरीद प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए गए हैं।

(ग) और (घ) विभाग द्वारा सप्लाई की गई कुछ मदों की अनुपलब्धता के बारे में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में कभी-कभी शिकायतें आती हैं। चूंकि यह विभाग कई उपभोक्ता वस्तुओं को बिक्री करता है इसलिए कई कारणों जैसे—निर्माताओं के पास कच्ची-सामग्रियों की अनुपलब्धता, कई कारणों से परिवहन की अनुपलब्धता कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने आदि कारणों से शांति भंग होने की वजह से कभी-कभी किसी विशेष मद/ब्रांड की सप्लाई में कुछ विलम्ब हो जाता है। सप्लाई करने में अधिक विलम्ब अपरिहार्य परिस्थितियों (फोर्स मेज्युरे) के परिणामस्वरूप होता है जो कि प्रबन्धकों के नियंत्रण से बाहर की बात है। जहां तक विभाग द्वारा ली गई कीमतों के औचित्य का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में बहुत कम शिकायतें प्राप्त होती हैं। जब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी तरकाल जांच की जाती है और तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश में रिले स्टेशनों की स्थापना

[हिन्दी]

503. श्री एम० एस० पाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कम शक्ति वाले रिले स्टेशन स्थापित

करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्थापित किया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में एक उच्च शक्ति पांच अल्प शक्ति और आठ अति अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर और दो टी०वी० ट्रांसपोजर पहले से ही कार्यरत हैं तथा मुंस्यारी में एक और अति अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर और मसूरी में एक टी०वी० ट्रांसपोजर सातवीं योजना को आगे लायी गयी स्कीम के रूप में लगाया जा रहा है जिनके इसी वित्तीय वर्ष (1990-91) में सेवा के लिए चालू हो जाने की उम्मीद है।

केरल से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए आवेदन पत्र

[अनुवाद]

504. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के कितने आवेदन पत्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) सरकार ने वर्ष 1990 के दौरान केरल से ऐसे कितने आवेदन पत्रों का निपटान किया;

(ग) केरल में इस समय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार ने लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र स्वीकृति हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) आज तक की स्थिति के अनुसार, अन्तिम तिथि, अर्थात 31 मार्च, 1982 से पहले केरल राज्य से प्राप्त किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का आवेदन लम्बित नहीं है। 31-3-1982 के बाद प्राप्त हुए आवेदनों को विलम्ब से प्राप्त हुए आवेदन माना जाता है तथा उन पर विलम्ब समाप्त करने के लिए विचार किया जाता है। इस प्रकार के 54 आवेदन जांच-पड़ताल के विभिन्न चरणों में पड़े हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों के पुनरीक्षा हेतु मामले प्राप्त होते हैं, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) 18 नये मामलों को निपटाया गया है।

(ग) भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के मामलों सहित केरल राज्य के 4223 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत की गई है।

(घ) सभी लम्बित आवेदनों को शीघ्रता से निपटाने हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया है।

जलेश्वर, उड़ीसा में दूरदर्शन रिले केन्द्र का खोला जाना

505. श्री समरेन्द्र कुण्डू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जलेश्वर, जिला बालासौर उड़ीसा में एक नया दूरदर्शन रिले केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां,[तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

खेतिहर मजदूर

506. श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981 और 1990 में कृषि मजदूरों की राज्य वार-संख्या कितनी थी;

(ख) इन वर्षों के दौरान देश में कृषि मजदूरों की संख्या बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(ग) इनका रहन-सहन सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन): (क) जनगणना रिकार्डों के अनुसार 1951, 1961, 1971 और 1981 के वर्षों में देश में कृषि मजदूरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। चूंकि अगली जनगणना फरवरी, 1991 में की जाएगी अत: 1990 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भूमि की सीमित उपलब्धता, अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी के विपरीत जनसंख्या में वृद्धि कृषि मजदूरों में वृद्धि का कारण है।

(ग) कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अन्य के साथ विभिन्न श्रम कानून जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1938 अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 आदि बनाए गए हैं। इसके अलावा, समाज के अधिकांश गरीब वर्गों की दशा को सुधारने के लिए अनेक योजनाएं जैसे आई० आर० डी० पी० तथा जवाहर रोजगार योजना बनाई गई है जिनमें अधिकांश कृषि मजदूर शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 1951 की जनगणना में निर्धारित क्षेत्र के अनुसार राज्य वार कृषि श्रमिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		कृषि श्रमिक, 1951 की जनगणना
1		2
1.	उत्तर प्रदेश	1,837,876
2.	बिहार	3,169,374
3.	उड़ीसा	809,603
4.	पश्चिम बंगाल	1,178,000
5.	चन्द्र नगर	5
6.	असम	82,585
7.	मणिपुर	836
8.	त्रिपुरा	17,700
9.	सिक्किम	120
10.	मद्रास	3,810,665
11.	मैसूर	240,491
12.	ट्रावनकोर—कोचीन	812,635
13.	कुर्ग	12,598
14.	बम्बई	1,695,007
15.	सौराष्ट्र	89,136
16.	कच्छ	9,713
17.	मध्य प्रदेश	2,919,749
18.	मध्य भारत	453,240
19.	हैदराबाद	1,779,755
20.	विंध्या प्रदेश	836,340
21.	भोपाल	79,877
22.	राजस्थान	269,852

1		2
23.	पंजाब	398,462
24.	हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर	7,236
25.	पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ	137,613
26.	दिल्ली	10561
27.	अजमेर	13,297
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	81
	भारत	20,172,407

स्रोत : भाग-II-ख, इकोनोमिक्स टेबल्स, खंड-I, सेन्सेस ऑफ इंडिया, 1951

वर्ष 1961, 1971 और 1981 की जनगणना में राज्य वार कृषि श्रमिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि श्रमिक		
	1961	1971	1981
1	2	3	4
भारत	31,521,641	47,493,590	55,499,704**
राज्य			
1. आंध्र प्रदेश	5,336,494	6,828,685	8,325,017
2. असम	170,243	405,440	—
3. बिहार	4,418,475	6,806,103	7,366,973
4. गुजरात	1,252,000	1,887,680	2,488,300
5. हरियाणा	198,664	430,312	590,324
6. हिमाचल प्रदेश	21,443	53,344	40,072
7. जम्मू और कश्मीर	18,417	41,938	63,540

1	2	3	4
8. कर्नाटक	1,761,110	2,717,537	3,655,197
9. केरल	978,396	1,908,114	1,917,362
10. मध्य प्रदेश	2,815,200	4,062,338	4,857,829
11 महाराष्ट्र	4,510,002	5,393,138	6,470,855
12. मणिपुर	2,184	13,525	28,613
13. मेघालय	17,140	44,131	57,899
14. नागालैंड	2,501	3,797	2,979
15. उड़ीसा	1,303,511	1,937,574	2,396,974
16 पंजाब	334,610	786,705	1,092,225
17. राजस्थान	393,631	749,116	764,625
18. सिक्किम	2,230	4,207	4,887
19. तमिलनाडु	2,828,374	4,490,065	6,137,601
20. त्रिपुरा	32,812	86,340	146,089
21. उत्तर प्रदेश	3,261,178	5,453,829	5,177,074
22. पश्चिम बंगाल	1,771,708	3,272,198	3,891,531
संघ राज्य क्षेत्र			
23. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	348	2,137	2,337
24. अरुणाचल प्रदेश	10*	5,292	7,796
25. चण्डीगढ़	420	1,266	856
26. दादर एवं नागर हवेली	4,949	5,934	4,592
27. दिल्ली	7,325	15,269	16,131
28. गोवा दमन और द्वीव	39,336	40,768	32,394
29. लक्षद्वीप	—	—	—

1	2	3	4
30. मिजोरम	33	558	5,118
31. पांडिचेरी	38,807	46,275	54,514

टिप्पणी : ** भारत के आंकड़ों में असम शामिल नहीं है क्योंकि वर्ष 1981 की जनगणना के समय असामान्य स्थिति के कारण वहां जनगणना नहीं की जा सकी।

* इसमें जनगणना तथा एन० ई० एफ० ए० के उस क्षेत्र के कर्मकारों तथा गैर कर्मकारों के बीच इसका वितरण शामिल नहीं हैं जहां सरलीकृत अनूसूची का प्रसार नहीं किया गया था। उस क्षेत्र की जनसंख्या 297,853 है जिसमें 147,100 पुरुष तथा 150,753 महिलाए हैं।

स्रोत : (1) भाग-II-क (ii) यूनियन प्राइमरी सेन्सस एब्सट्रेक्स फार इंडिया, 1961 सेन्सस।

(2) भाग-II-ख (i) जनरल इकानामिक टेबल्स फार इंडिया, 1971 सेन्सस।

(3) भाग-II-ख (i), प्राइमरी सेन्सस एब्सट्रेक्स जनरल पापुलेशन फार इंडिया 1981 सेन्सस।

पाक प्रशिक्षित उग्रवादियों का भारत में चोरी-छिपे प्रवेश

507. **श्री वी० वेंकटराजन :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 4 दिसम्बर, 1990 को हिन्दुस्तान टाइम्स में "पाक जज एडमिट्स टेररिस्ट्स ट्रेनिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पाक प्रशिक्षित उग्रवादियों का भारत में प्रवेश रोकने तथा सीमा को सील करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, हां श्रीमान।

(ख) और (ग) स्थिति से निपटने के लिए कई प्रशासनिक उपाय किए गए हैं जिनमें सीमाओं पर सतर्कता मजबूत करना, आसूचना को सुदृढ़ बनाना तथा सेना, अर्ध-सैनिक बलों और राज्य पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है।

आन्ध्र प्रदेश में स्वरोजगार योजना

508. **श्रीमती डी० मनेम्मा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में स्व-रोजगार योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार के कितने अवसर पैदा किए गए ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही स्व-रोजगार की स्कीमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो कि एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, इसके अन्तर्गत अभिनिर्धारित ग्रामीण परिवारों को स्व-रोजगार उद्यम शुरू करने के लिए सब्सिडी तथा ऋण द्वारा सहायता दी जाती है।

2. ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार उद्यम शुरू करने योग्य बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के विचार से राज्य सरकार ने वर्ष 1984-85 में युवा शक्ति स्कीम शुरू की थी।

3. राज्य सरकार की स्व-रोजगार की विशेष स्कीमों का उद्देश्य कमजोर वर्गों के शिक्षित बेरोजगारों की सहायता करना है।

4. स्व-रोजगार में लगे ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (टी० आर० वाई० एस० ई० एम०) जो कि एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है।

5. उद्योग में स्व-रोजगार उद्यम शुरू करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक में "शिक्षित बेरोजगार" युवाओं के लिए स्व-रोजगार (एस० ई० ई० यू० वाई०) नामक स्कीम 1983 में शुरू हुई।

6. बेरोजगार/अल्प रोजगार प्राप्त शहरी गरीबों के स्व-रोजगार के लिए नेहरू रोजगार योजना नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम अक्तूबर, 1989 में शुरू की गई।

आन्ध्र प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवार की संख्या 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 (अक्तूबर, 1990 तक) में क्रमश: 2.98 लाख, 2.55 लाख तथा 1.61 लाख थी।

राज्य सरकार ने सातवीं योजना समाप्त होने तक युवा शक्ति स्कीम के अन्तर्गत 1542 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया।

राज्य सरकार की विशेष स्व-रोजगार स्कीमों से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में क्रमश: 18165, 10655 तथा 8477 थी।

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार (एस० ई० ई० यू० वाई०) स्कीम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्रों की संख्या वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 में क्रमश: 7421, 14291 तथा 7387 थी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरना

[हिन्दी]

509. श्री तेज नारायण सिंह :

श्री डी० अमात :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित पदों को भरने से संबंधित सरकारी निर्देशों का केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा 31 मार्च, 1990 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित बकाया चले आ रहे पदों को भर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो भरे गए रिक्त पदों का तथा अभी तक रिक्त पड़े पदों का, समूह-वार, ब्यौरा अलग-अलग क्या है; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित शेष रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) किसी भी मंत्रालय/विभाग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को किसी भी उल्लंघन की सूचना नहीं दी है।

(ख) और (ग) विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत भरे गए तथा रिक्त पदों का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

31-3-90 की स्थिति के अनुसार बकाया आरक्षित रिक्तियां		पूरा किया गया चयन	रिक्तियां
अनु० जातियां	16659	7789	8870
अनुसूचित जनजातियां	15269	6560	8709
कुल :	31928	14349	17579

(घ) विशेष भर्ती अभियान अभी चल रहा है।

मजूरी बोर्ड की स्थापना

510. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी सार्वजनिक उपक्रमों और संगठनों के लिए एक मजूरी बोर्ड की स्थापना करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह मजूरी बोर्ड राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार और उच्च अनुसंधान कार्य में लगी एजेंसियों के लिए प्रभावी होगा;

(ग) यदि हां, तो यह बोर्ड कब स्थापित किया जाएगा; और

(घ) क्या सिफारिशों को अन्तिम रूप देकर कार्यान्वित करने से पहले संबंधित राज्य सरकारों की टिप्पणियां मांगी जायेंगी और उनकी जांच की जायेगी ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।
(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विभिन्न भाषाओं का संविधान की आठवीं सूची में शामिल किया जाना

[अनुवाद]

511. डा० दौलतराव सोनूजो अहेर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संविधान की आठवीं सूची में विभिन्न भाषाएं शामिल करने के लिए अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ये अभ्यावेदन किन-किन भाषाओं के बारे में प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) (i) भोजपुरी
(ii) बोडो
(iii) डोगरी
(iv) अंग्रेजी
(v) गढ़वाली
(vi) कोंकड़ी
(vii) मैथिली
(viii) मणिपुरी
(ix) कुमायुनी
(x) नेपाली

(xi) राजस्थानी; और

(xii) सन्थाली

(ग) कोई निर्णय नहीं लिया गया।

जाली करेंसी नोट संबंधी गिरोह

[हिन्दी]

512. श्री बालेश्वर यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गत तीन महीनों के दौरान जाली करेंसी नोट संबंधी गिरोह और जाली अमरीकी डालर बिक्रेता गिरोह का पर्दाफाश हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे कितने मूल्य के जाली करेंसी नोट/जाली अमरीकी डालर बरामद किए गए हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 4000 जाली अमरीकी डालर और 80/- जाली भारतीय रुपये बरामद किए गए।

भारत में विदेशी राष्ट्रिक

[अनुवाद]

513. श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गिरफ्तार किए गए विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या कितनी है और सितम्बर, 1990 तक छोड़े गए विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध) कान्त सहाय) : विदेशी अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, एन० डी० पी० एस० अधिनियम, कोफेपोसा अधिनियम आदि विभिन्न कानूनों के उल्लंघन करने पर विदेशियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। जब और जैसे ही न्यायालयों द्वारा दी गई सजा की अवधि समाप्त होती है, विदेशियों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें उनके संबंधित देशों को वापस भेज दिया जाता है। तथापि, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर व्यय

514. श्री के० सी० त्यागी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए किसी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए अभी हाल ही में किसी विशेष योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि खर्चे में किफायत बरतने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं। अन्य बातों के साथ-साथ लेखन सामग्री, आतिथ्य सत्कार, यात्रा, टेलीफोन, फर्नीचर, पेट्रोल की खपत आदि में बचत संबंधी अनुदेश दिए गए हैं।

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री वी० पी० सिंह पर हमला

[हिन्दी]

515. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 दिसम्बर, 1990 को जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री वी० पी० सिंह तथा उनके साथ गये अन्य नेता अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पत्थरबाजी करती हुई भीड़ ने उन पर हमला किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकाले हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भूतपूर्व प्रधान मंत्री को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 2 दिसम्बर, 1990 को जब श्री वी० पी० सिंह तमिलनाडु एक्सप्रेस से प्रातः 8 बजे भोपाल पहुंचे तो वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (बी० जे० वाई० एम०) तथा आरक्षण विरोधी तत्वों के बीच जो मंडल आयोग विरोधी और श्री वी०पी० सिंह विरोधी नारे लगा रहे थे, और जनता दल तथा युवा जनता दल के बीच संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में बी० जे० वाई० एम० तथा अन्य आरक्षण विरोधियों ने पत्थर फेंके जो वी० पी० सिंह की कार पर लगे। तथापि वे घायल नहीं हुए।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) भारत सरकार ने वी० पी० सिंह तथा उनके परिवार की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों/संघ शासित सरकारों को विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं।

बोफोर्स के मामले में तथाकथित कमजोर तर्क

[अनुवाद]

516. प्रो० मधु दण्डवते :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 दिसम्बर, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" (दिल्ली संस्करण) में इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बोफोर्स मामले में केन्द्रीय सरकार की ओर से पेश हुए एडीशनल सालिसिटर जनरल और सरकारी वकील की कार्यवाही पर इस बात के लिए नाराजगी प्रकट की है कि उन्होंने इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुदेश का उल्लंघन करके कमजोर तर्क प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या एडीशनल सॉलिसिटर जनरल को यह अनुदेश जारी करने का विचार है कि वह बोफोर्स के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सलाह एवं उसके दृष्टिकोण के अनुरूप जोरदार तर्क दें ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने प्रेस-रिपोर्ट देखी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि 6 दिसम्बर, 1990 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एडीशनल सॉलिसिटर जनरल की कार्रवाई पर उनके संयुक्त निदेशक ने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की है। एडीशनल सॉलीसिटर जनरल के स्थान पर अब भारत सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल पैरवी कर रहे हैं।

स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन सम्बन्धी मामले

517. श्री अनादि चरण दास :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू कैलेण्डर वर्ष में 30 नवम्बर, 1990 तक स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने आवेदन उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं;

(ख) मामलों को निपटाने में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) इन मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाने का विचार है;

(घ) क्या कुछ स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन उन्हें कोई नोटिस दिए बिना रोक दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) 30.11.1990 तक प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 2,806 है जिसमें से 156 उड़ीसा के हैं।

(ख) मामलों को निपटाने में विलम्ब का मुख्य कारण उत्पीड़न के दावे के समर्थन में पर्याप्त

सरकारी दस्तावेजों साक्ष्य का नहीं होना और संबंधित राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब है।

(ग) सभी मामलों को निपटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है।

(घ) सूचना दिए बिना, किसी भी पेंशन प्राप्त करने वाले की पेंशन हाल ही में बंद नहीं की गयी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

बालीपाल नेशनल टेस्ट रेंज

518. **श्री लोकनाथ चौधरी :**

श्री यशवंत राव पाटिल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 दिसम्बर, 1990 के "टेलीग्राफ" में बालीपाल नेशनल टेस्ट रेंज को उड़ीसा से सागर आईलैंड स्थानांतरित करने के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 5 दिसम्बर, 1990 को छपे समाचार के बाद में, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा यह कहा बताया गया है कि उन्होंने सागर द्वीपसमूह (आइलैंड) में राष्ट्रीय परीक्षण रेंज स्थापित करने के बारे में उड़ीसा के मुख्यमंत्री से कोई वादा नहीं किया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने सागर द्वीप समूह (आईलैंड) की उपयुक्तता के सम्बन्ध में पहले विचार किया था। यह स्थान उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि यहां आवश्यक तकनीकी और सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती।

उल्फा के विरुद्ध कार्यवाही

519. **श्री पी० सी० थामस :**

श्री चित्त बसु :

श्री यशवंत राव पाटिल :

श्री जनार्दन तिवारी :

श्री अनक राज गुप्त :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क

(क) क्या सरकार को असम में उल्फा की आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान उल्फा उग्रवादियों द्वारा कितने व्यक्तियों की हत्या की गई तथा कितने मूल्य की सम्पत्ति लूटी गई/धन ऐंठा गया;

(ग) उल्फा उग्रवादियों की धमकी के कारण यदि लोग असम छोड़ कर चले गए हैं, तो उनकी संख्या कितनी है;

(घ) क्या उल्फा गतिविधियां पूर्वोत्तर में तोड़-फोड़ की समन्वित गतिविधियों का एक हिस्सा है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य में इस स्थिति से निपटने एवं सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) असम में आपरेशन बजरंग के कारण कितने व्यक्ति बेघर हुए हैं; और

(छ) अब तक आप्रेशन बजरंग के माध्यम से कितने उल्फा उग्रवादी मारे गए/गिरफ्तार किए गए तथा कितने हथियार जब्त किए गए और मुक्त कराये गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है तथा इन उग्रवादियों से अभी कितने क्षेत्रों को मुक्त कराया जाना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) सरकार को असम में उल्फा आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी है।

(ख) 1990 के दौरान 144 हिंसक घटनाएं हुई जिनमें उल्फा द्वारा 54 व्यक्तियों की हत्या की गई। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि को ऐंठने की सूचना मिली है।

(ग) सरकार ने असम से किसी भी व्यक्ति को नहीं निकाला है। तथापि, असम कंपनियों की ओर से भेजी गई सूचना के अनुसार मैसर्स दूमदूमा चाय कम्पनी के 20 कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों तथा मैसर्स बुक बांड तथा लिप्टन चाय कम्पनी के 23 व्यवस्थापकों तथा उनके परिवार के सदस्य उल्फा के भय के कारण असम छोड़कर चले गए।

(घ) उल्फा ने नेशनल सोशलिस्ट काऊंसिल आफ नागालैंड (ए०एस०सी०एन०) तथा पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी०एल०ए०) आफ मणिपुर जैसे उत्तर पूर्वी ग्रुपों के अन्य विद्रोहियों के साथ संबंधों को बढ़ाया। 1 मई, 1990 में कुछ उत्तर पूर्वी ग्रुपों के विद्रोहियों ने तथाकथित इण्डो-बर्मा रिवोल्यूशनरी फ्रंट (आई०बी०आर०एफ०) को चलाया।

(ङ) और (च) पूरे असम राज्य को सशस्त्र सेना (विशेष शक्ति) अधिनियम 1958 के तहत एक "विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया था। उल्फा तथा एन०एस०सी०एन० को गैर कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 के अधीन गैर कानूनी एसोसिएशन" घोषित किया गया। सेना, अर्ध सैनिक बलों तथा पुलिस को सम्मिलित कर एक समन्वयन कार्रवाई की गई। कुछ व्यक्तियों ने अस्थायी रूप से अपने घरों को छोड़ दिया और उन्हें अस्थायी शिविरों में ठहराया गया। अब वे

अपने-अपने घरों को वापस चले गए हैं।

(छ) "बजरंग आपरेशन" में 3 उल्फा उग्रवादी मारे गए। 28 दिसम्बर, 1990 को सेना द्वारा 534 व्यक्तियों को पकड़ा गया और निम्नलिखित हथियारों/विस्फोटक पदार्थों को जब्त किया गया।

नान-स्टैन्डर्ड पैटर्न हथियार (एन०एस०पी०)	253
पिस्तौल	5
रिवाल्वर	2
एन्टी पर्सनल माईन	1
हैंड ग्रिनेड्स	8
विस्फोटक (किलो ग्राम में)	120
आई०ई०डी०	4

उन विशेष क्षेत्रों की पहचान करना संभव नहीं है जिन्हें उग्रवादी रहित के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।

एच०एम०टी० लिमिटेड के रानीबाग यूनिट का विस्तार

[हिन्दी]

520. श्री हरीश रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच०एम०टी० लिमिटेड के रानीबाग यूनिट के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) आठवीं योजना के दौरान एच०एम०टी० अपनी घड़ी उत्पादन क्षमता में लगभग 5 करोड़ रुपयों की लागत से 5 लाख क्वार्ट्ज घड़ियों की वृद्धि करने की योजना बना रही है। आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

पंजाब में मारे गए लोगों की संख्या

521. श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

श्री राममोहन रेड्डी :

श्री आर० थुंडू राव :

श्री ए०के०ए० अब्दुल समद :

श्री फूल चन्द वर्मा :

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री तेज नारायण सिंह :

डा० चिन्ता मोहन :

प्रो० महादेव शिवनकर :

श्री यशवंतराव पाटिल :

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

श्री चिरंजी लाल शर्मा :

श्री कमल चौधरी :

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

श्री ए० के० राय :

श्री केशरी लाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह माह के दौरान, महीनावार, पंजाब में मारे गए/घायल हुए नागरिकों, सेना बलों और आतंकवादियों की संख्या कितनी है और आतंकवादियों द्वारा कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ख) क्या पिछले छह महीनों और पिछले वर्ष 1989 की इसी अवधि की तुलना में मारे गए लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान सेना बलों द्वारा कितने आतंकवादी/घुसपैठिए पकड़े गए; और

(ङ) वर्ष 1990 के दौरान अब तक, आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को, सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क), (ख) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या की घटनाओं में कोई एक समान तरीका नहीं पाया गया है।

(ङ) पंजाब सरकार ने एक योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों के परिवारों को 50,000/- रु० अनुग्रह पूर्वक भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मारे गए व्यक्तियों की विधवाओं को 1 :00/- रु० प्रतिमाह की दर से जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है। पीड़ित व्यक्तियों की आश्रित पुत्रियों के लिए शैक्षिक और रोजगार सहायता तथा उनके विवाह के लिए एक मुश्त अनुदान देना भी शामिल किया गया है।

विवरण

वर्ष/माह	आतंकवादियों द्वारा मारे गए सिविलियनों की संख्या	मारे गए पुलिस कार्मिक/सुरक्षा बलों की संख्या	मारे गए आतंकवादियों की संख्या	पकड़े गए आतंकवादियों की संख्या
1	2	3	4	5
1990				
जून	152	23	101	182
जुलाई	205	47	121	182
अगस्त	182	44	158	212
सितम्बर	133	40	116	143
अक्तूबर	229	77	161	110
नवम्बर	297	66	171	140
जोड़ :	1198	297	828	969
1989-90				
दिसम्बर, 1989	93	28	24	53
जनवरी, 1990	1:3	23	57	53
फरवरी, 1990	74	21	44	77
मार्च, 1990	152	26	83	120
अप्रैल, 1990	148	22	90	202
मई, 1990	182	13	93	216
जोड़ :	752	133	391	721

1	2	3	4	5
1989				
जून	84	9	61	250
जुलाई	78	7	68	89
अगस्त	93	13	83	167
सितम्बर	59	16	94	166
अक्तूबर	80	17	57	187
नवम्बर	106	14	37	111
जोड़ :	450	76	400	1070

आतंकवादियों द्वारा सम्पत्ति को पहुंचे नुकसान का अनुमानित मूल्य निकाला गया है तथा घायल हुए आतंकवादियों के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है।

महाराष्ट्र में "डिस्क" की स्थापना

522. श्री हरिशंकर महाले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ऐसे गांवों, कस्बों और शहरों की संख्या कितनी है जहां दूरदर्शन कार्यक्रमों को ग्रहण करने के लिए "डिस्क" की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक गांवों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में, इस समय 43 स्थानों पर टी०वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। ये ट्रांसमीटर राज्य की लगभग 68 प्रतिशत जनसंख्या को सेवा प्रदान कर रहे हैं। औरंगाबाद के 1 कि०वा० ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 10 कि०वा० करने तथा सातवीं योजना की जारी स्कीमों के भाग के रूप में, अम्बाजोगई में कार्यान्वयनाधीन उच्च शक्ति (10 कि०वा०) के ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर महाराष्ट्र की लगभग 81 3 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, छठी योजना की स्कीम के अन्तर्गत महाराष्ट्र के गांवों में सामुदायिक अवलोकन के लिए 289 प्रत्यक्ष संग्रहण टी०वी० सैट दिए गए थे। इस समय, महाराष्ट्र में सामुदायिक अवलोकन के लिए अतिरिक्त सैट प्रदान करने की कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं है।

राज्य के, शेष कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार, इस प्रयोजन के लिए भविष्य में साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

आरक्षण के लिए जातियों का पता लगाना

[अनुवाद]

523. श्री मान्धाता सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल आयोग रिपोर्ट और विभिन्न राज्यों की सूची में समान जातियों का पता लगाने का कार्य अब तक पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो जिन जातियों का पता लगाया गया है उनकी संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस द्वारा गैर कानूनी ढंग से वस्तुओं का जब्त किया जाना

524. श्री कमल चौधरी।

क्या प्रधान मंत्री 15 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 649 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा गैर कानूनी ढंग से वस्तुएं जब्त किये जाने के बारे में जानकारी प्राप्त की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है।

मेहम घटना की जांच

525. श्री कमल नाथ :

श्री फूल चन्द वर्मा :

डा० चिन्ता मोहन :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महम घटना की जांच हेतु स्थापित जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश द्वारा 'इंडियन एक्सप्रेस' के माध्यम से 24 नवम्बर, 1990 को प्रकाशित समाचार के माध्यम से व्यक्त विचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) जांच आयोग पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कार्यालय का संचालन करने के लिए अपेक्षित सभी सुविधाएं, जैसे कार्यालय आवास कर्मचारी, निधि, बंगला, वाहन तथा अन्य व्यवस्थाएं आयोग को उपलब्ध कराई गई थी। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश के अनुरोध करने पर कुछ और विशेष सुविधाएं भी दी गई थी।

(ग) महम जांच आयोग पर 1.8.1990 से 20.12.1990 तक कुल 6,7?,871.75 रुपये खर्च हुए।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन

526. श्री डी० अमात :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान संतोषजनक ढंग से कार्य न करने वाली सरकारी क्षेत्र की इकाईयों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इनके संतोषजनक ढंग से कार्य न करने के क्या कारण हैं और इनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र की कुछ और इकाईयों के रुग्ण होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) उड़ीसा राज्य में स्थित पंजीकृत कार्यालयों वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पांच उद्यमों में से चार का कार्य-निष्पादन इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	शुद्ध लाभ (+)/शुद्ध हानि (—) 1986-87	1987-88	1988-89
1	2	3		
1.	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी	(—)320	(—)5092	1892
2.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि०)	(—) 14	1	(—) 29

1	2	3		
3.	पारादीप फास्फेट्स लि०	(—)826	(—) 2054	1361
4.	उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन (नवम्बर, 1988 में चालू किया गया)	—	—	10

इसलिए गत तीन वर्ष के कार्य-निष्पादन को घटिया नहीं कहा जा सकता है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

पश्चिम बंगाल स्थित साइकिल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड

527. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में स्थित दो रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों—साइकिल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड को निजी क्षेत्र को बेचने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) सरकार ने इन इकाइयों को निजी क्षेत्र को बेचने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों तथा सरकारी अधिकारियों के घरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

[हिन्दी]

528. **श्री राजबीर सिंह :**

श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

श्री बलवन्त मनवर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा वर्ष 1990 के दौरान देश में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के चलते सरकारी उपक्रमों तथा सरकारी कर्मचारियों के घरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा अन्य जांच एजेंसियों द्वारा मारे गये छापों का वर्ष वार क्या ब्यौरा है;

(ख) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध दायर मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत छापे केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ही मारे जाते हैं। वर्ष 1987 से नवम्बर 1990 तक की अवधि के दौरान मारे गए ऐसे छापों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	ली गई तलाशियों की संख्या
1987	393
1988	302
1989	190
1990	286

उपर्युक्त तलाशियों के दौरान निम्नलिखित चल/अचल परिसम्पत्तियां बरामद हुई थी :—

	1987	1988	1989	1990
	(रुपये लाखों में)			
चल	209	130	133	317
अचल	330	185	78	233

इसके अतिरिक्त बहुत से अभिलेखी दस्तावेज भी अभिगृहीत किए गए थे।

(ख) दायर किए गए मामलों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न किये जाते हैं।

(ग) भ्रष्टाचार का उन्मूलन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में प्रभावी, प्रशासनिक तथा विधायी जैसे आवश्यक समझे जाने वाले उपाय अपनाए जाते है। विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण कानूनों के उपबन्धों को और प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अधिनियमित किया गया है। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार निवारण के लिए एक तीन चरणों वाली कार्य नीति अर्थात निवारक, निगरानी, सुराग़रसानी तथा दण्डात्मक कार्रवाई लगातार अपनाई जा रही है।

विवरण

वर्ष 1987 के दौरान विशेष अभियान के अन्तर्गत दायर मामले

1. आरसी० 25/87-बी०बी०एस०
2. आरसी० 24/87-पटना
3. आरसी० 19/87-धनबाद
4. आरसी० 56/87-लखनऊ
5. आरसी० 36/87-देहरादून
6. आरसी० 42/87-जबलपुर
7. आरसी० 74/87-कलकत्ता
8. आरसी० 26/87-दिल्ली
9. आरसी० 21/87-बम्बई
10. आरसी० 41/87-अहमदाबाद

11. आरसी० 72/87-मद्रास
12. आरसी० 73/87-मद्रास
13. आरसी० 32/87-कोचीन
14. आरसी० 23/87-चंडीगढ़
15. आरसी० 64/87-दिल्ली
16. आरसी० 2/87-ए०सी०यू० i
17. आरसी० 15/87-पटना
18. आरसी० 17/87-पटना
19. आरसी० 23/87-पटना
20. आरसी० 13/87-रांची
21. आरसी० 16/87-रांची
22. आरसी० 19/87-रांची
23. आरसी० 10/87-धनबाद
24. आरसी० 13/87-धनबाद
25. आरसी० 29/87-बी०बी०एस०
26. आरसी० 20/87-बी०बी०एस०
27. आरसी० 39/87-बी०बी०एस०
28. आरसी० 32/87-लखनऊ
29. आरसी० 38/87-लखनऊ
30. आरसी० 43/87-लखनऊ
31. आरसी० 28/87-देहरादून
32. आरसी० 32/87-देहरादून
33. आरसी० 33/87-देहरादून
34. आरसी० 25/87-जबलपुर
35. आरसी० 37/87-जबलपुर
36. आरसी० 19/87-शिलांग
37. आरसी० 23/87-शिलांग
38. आरसी० 41/87-कलकत्ता
39. आरसी० 56/87-कलकत्ता
40. आरसी० 62/87-कलकत्ता
41. आरसी० 63/87-कलकत्ता
42. आरसी० 6/87-सिल्चर
43. आरसी० 7/87-सिल्चर
44. आरसी० 19/87-सिल्क
45. आरसी० 23/87-सिल्क
46. आरसी० 28/87-सिल्क
47. आरसी० 25/87-बंगलौर
48. आरसी० 23/87-बंगलौर
49. आरसी० 23/87-हैदराबाद
50. आरसी० 28/87-हैदराबाद
51. आरसी० 33/87-हैदराबाद
52. आरसी० 44/87-बम्बई
53. आरसी० 45/87-बम्बई
54. आरसी० 52/87-बम्बई
55. आरसी० 54/87-बम्बई
56. आरसी० 58/87-बम्बई
57. आरसी० 60/87-बम्बई
58. आरसी० 26/87-ए०बी०डी०
59. आरसी० 30/87-ए०बी०डी०
60. आरसी० 41/87-मद्रास
61. आरसी० 42/87-मद्रास
62. आरसी० 43/87-मद्रास
63. आरसी० 51/87-मद्रास
64. आरसी० 60/87-मद्रास

65. आरसी० 19/87-कोचीन
66. आरसी० 20/87-कोचीन
67. आरसी० 22/87-कोचीन
68. आरसी० 29/87-कोचीन
69. आरसी० 14/87-चंडीगढ़
70. आरसी० 15/87-चंडीगढ़
71. आरसी० 17/87-चंडीगढ़
72. आरसी० 30-87-जयपुर
73. आरसी० 34/87-जयपुर
74. आरसी० 37/87-जयपुर
75. आरसी० 46/87-दिल्ली
76. आरसी० 47/87-दिल्ली
77. आरसी० 53/87-दिल्ली
78. आरसी० आरसी० 1/87-ए०सी०यू०
79. आरसी० 1/87-ए०सी०यू० VI
80. आरसी० 5/87-पटना
81. आरसी० 6/87-पटना
82. आरसी० 11/87-पटना
83. आरसी० 8/8 -पटना
84. आरसी० 3/87-धनबाद
85. आरसी० 8/87-धनबाद
86. आरसी० 3/87-रांची
87. आरसी० 6/87-रांची
88. आरसी० 7/87-रांची
89. आरसी० 5/87-बी०बी०एस०
90. आरसी० 6/87-बी०बी०एस०
91. आरसी० 12/87-बी०बी०एस०
92. आरसी० 18/87-बी0बी०एस०
93. आरसी० 3/87-एल०के०ओ०
94. आरसी० 5/97-एल०के०ओ०
95. आरसी० 21/87-एल०के०ओ०
96. आरसी० 7/87-डी०ए०डी०
97. आरसी० 8/87-डी०ए०डी०
98. आरसी० 9/87-डी०ए०डी०
99. आरसी० 15/87-डी०ए०डी०
100. आरसी० 6/87-जबलपुर
101. आरसी० 87/87-जबलपुर
102. आरसी० 13/87-जबलपुर
103. आरसी० आरसी० 17/87-जबलपुर
104. आरसी० 10/87-कलकत्ता
105. आरसी० 11/87-कलकत्ता
106. आरसी० 12/87-कलकत्ता
107. आरसी० 20/87-कलकत्ता
108. आरसी० 21/87-कलकत्ता
109. आरसी० 31/87-कलकत्ता
110. आरसी० 2/87-शिलांग
111. आरसी० 4/87-शिलांग
112. आरसी० 10/87-शिलांग
113. आरसी० 4/87-हैदराबाद
114. आरसी० 11/87-हैदराबाद
115. आरसी० 4/87-विस्क
116. आरसी० 13/87-विस्क
117. आरसी० 6/87-बंगलौर
118. आरसी० 11/87-बंगलौर

119. आरसी० 16/87-बंगलौर
120. आरसी० 9/87-बम्बई
121. आरसी० 10/87-बम्बई
122. आरसी० 11/87-बम्बई
123. आरसी० 12/87-बम्बई
124. आरसी० 22/87-बम्बई
125. आरसी० 23/87-बम्बई
126. आरसी० 32/87-बम्बई
127. आरसी० 8/87-ए०बी०डी०
128. आरसी० 10/87-ए०बी०डी०
129. आरसी० 16/87-ए०बीसडी०
130. आरसी० 14/87-मद्रास
131. आरसी० 23/87-मद्रास
132. आरसी० 32/87-मद्रास
133. आरसी० 7/87-कोचीन
134. आरसी० 10/87-कोचीन
135. आरसी० 13/87-कोचीन
136. आरसी० 2/87-चंडीगढ़
137. आरसी० 6/87-चंडीगढ़
138. आरसी० 19/87-दिल्ली
139. आरसी० 25/87-दिल्ली
140. आरसी० 32/87-दिल्ली
141. आरसी० 10/87-जयपुर
142. आरसी० 17/87-जयपुर
143. आरसी० 20/87-जयपुर

वर्ष 1988 के दौरान विशेष अभियान में दर्ज किए गए मामले

1. आरसी० 41/88-बी०बी०एस०
2. आरसी० 42/88-बी०बी०एस०
3. आरसी० 33/88-बी०बी०एस०
4. आरसी० 35/88-पटना
5. आरसी० 37/88-पटना
6. आरसी० 21/88-धनबाद
7. आरसी० 19/88-धनबाद
8. आरसी० 16/88-रांची
9. आरसी० 45/88-लखनऊ
10. आरसी० 46/88-लखनऊ
11. आरसी० 47/88-लखनऊ
12. आरसी० 37/88-डी०ए०डी०
13. आरसी० 37/88-जबलपुर
14. आरसी० 32/88-जबलपुर
15. आरसी० 51/88-कलकत्ता
16. आरसी० 57/88-कलकत्ता
17. आरसी० 9/E/88-कलकत्ता-(एस०सी०बी०)
18. आरसी० 10/E/88-कलकत्ता-(एस०सी०बी०)
19. आरसी० 27/88-शिलांग
20. आरसी० 31/88-हैदराबाद
21. आरसी० 37/38-हैदराबाद
22. आरसी० 20/88-बी०एस०आर०
23. आरसी० 30/88-विस्क
24. आरसी० 18/88-विस्क

25. आरसी० 21/88-बिस्क
26. आरसी० 60/88-बम्बई
27. आरसी० 66/88-बम्बई
28. आरसी० 33/88-ए०बी०डी०
29. आरसी० 40/88-ए०बी०डी०
30. आरसी० 40/88-मद्रास
31. आरसी० 41/88-मद्रास
32. आरसी० 44/88-मद्रास
33. आरसी० 45/88-मद्रास
34. आरसी० 23/88-केरल
35. आरसी० 24/88-केरल
36. आरसी० 25/88-केरल
37. आरसी० 20/88-चंडीगढ़
38. आरसी० 11/88-श्रीनगर
39. आरसी० 54/88-दिल्ली
40. आरसी० 37/88-जयपुर
41. आरसी० 1/88-ए०सी०यू०-II
42. आरसी० 24/88-बी०बी०एस०
43. आरसी० 8/88-रांची
44. आरसी० 10/88-धनबाद
45. आरसी० 19/88-पटना
46. आरसी० 20/88-जबलपुर
47. आरसी० 23/88-लखनऊ
48. आरसी० 23/88-डी०ए०डी०
49. आरसी० 24/88-डी०ए०डी०
50. आरसी० 32/88-कलकत्ता
51. आरसी० 17/88-हैदराबाद
52. आरसी० 16/88-बंगलौर
53. आरसी० 11/88-ए०बी०डी०
54. आरसी० 43/88-बम्बई
55. आरसी० 24/88-मद्रास
56. आरसी० 28/88-मद्रास
57. आरसी० 15/88-कोचीन
58. आरसी० 15/88-चंडीगढ़
59. आरसी० 29/88-दिल्ली
60. आरसी० 30/88-दिल्ली
61. आरसी० 4/48-रींवां
62. आरसी० 6/88-पटना
63. आरसी० 11/88-बी०बी०एस०
64. आरसी० 10/88-लखनऊ
65. आरसी० 11/88-लखनऊ
66. आरसी० 12/88-जबलपुर
67. आरसी० 2/88-देहरादून
68. आरसी० 3/88-देहरादून
69. आरसी० 3/88-सिल्चर
70. आरसी० 4/88-सिल्चर
71. आरसी० 14/88-कलकत्ता
72. आरसी० 5/88-शिलांग
73. आरसी० 11/88-हैदराबाद
74. आरसी० 7/88-बिस्क
75. आरसी० 9/88-बंगलौर
76. आरसी० 10/88-ए०बी०डी०
77. आरसी० 18/88-बम्बई
78. आरसी० 19/88-बम्बई

79. आरसी० 8/88-कोचीन
80. आरसी० 9/88-कोचीन
81. आरसी० 15/88-मद्रास
82. आरसी० 16/88-मद्रास
83. आरसी० 14/88-जयपुर
84. आरसी० 15/88-जयपुर
85. आरसी० 10/88-दिल्ली
86. आरसी० 11/88-दिल्ली

वर्ष 1989 के दौरान विशेष अभियान में दर्ज किए गए मामले

1. आरसी० 28/89-ए० बी० डी०
2. आरसी० 57/89-बम्बई
3. आरसी० 35/89-बी० बी० एस०
4. आरसी० 27/89-बंगलौर
5. आरसी० 29/89-बंगलौर
6. आरसी० 3 /89-कलकत्ता
7. आरसी० 40/89-कलकत्ता
8. आरसी० 18/89-चंडीगढ़
9. आरसी० 20/8 -कोचीन
10. आरसी० 12/86-कलकत्ता (एस०सी०बी०)
11. आरसी० 40/89-दिल्ली
12. आरसी० 41/89-दिल्ली
13. आरसी० 15/89-धनबाद
14. आरसी० 21/89-डी० ए० डी०
15. आरसी० 24/89-जयपुर
16. आरसी० 28/89-जयपुर
17. आरसी० 6/89-जोधपुर
18. आरसी० 7/89-जोधपुर
19. आरसी० 27/89-एम० के० ओ०
20. आरसी० 36/89-मद्रास
21. आरसी० 37/89-मद्रास
22. आरसी० 12/89-रांची
23. आरसी० 3/89-एस० आई० यू० VIII
24. आरसी० 4/89-एस०आई० यू० VIII
25. आरसी० 11/89-शिलांग
26. आरसी० 21/89-शिलांग
27. आरसी० 2/89-ए० सी० यू०II
28. आरसी० 15/89-ए०बी०डी०
29. आरसी० 39/89-बम्बई
30. आरसी० 20/89-बी० बी० एस०
31. आरसी० 13/89-बंगलौर
32. आरसी० 24/89-कलकत्ता
33. आरसी० 25/89-कलकत्ता
34. आरसी० 11/89-कोचीन
35. आरसी० 12/89-कोचीन
36. आरसी० 25/89-दिल्ली
37. आरसी० 13/89-जबलपुर
38. आरसी० 5/89-श्रीनगर
39. आरसी० 23/89-मद्रास
40. आरसी० 24/89-मद्रास
41. आरसी० 7/89-रांची

42. आरसी० 14/89-शिलांग
43. आरसी० 40/89-बम्बई
44. आरसी० 8/89-चंडीगढ़
45. आरसी० 6/89-धनबाद
46. आरसी० 7/89-धनबाद
47. आरसी० 11/89-देहरादून
48. आरसी० 5/89-कलकत्ता (एस०सी०बी०)
49. आरसी० 14/89-पटना

वर्ष 1990 के दौरान विशेष अभियान में दर्ज किए गए मामले

1. आरसी० 3 (ए)/90-बी० एस० पी०
2. आरसी० 4 (ए)/90-बी०एस० पी०
3. आरसी० 25/90-कलकत्ता (ए० सी० बी०)
4. आरसी० 31/90-कलकत्ता (ए० सी० बी०)
5. आरसी० 12 (ए)/90-सी०एच०जी०
6. आरसी० 25 (ए)/90-बी०बी०एस०
7. आरसी० 11/90-देहरादून
8. आरसी० 9/90-जबलपुर
9. आरसी० 40 (ए)/90-बम्बई
10. आरसी० 41 (ए)/90-बम्बई
11. आरसी० 42 (ए)/90-बम्बई
12. आरसी० 43 (ए)/90-बम्बई
13. आरसी० 33 (ए)/90-मद्रास
14. आरसी० 19/90-केरल
15. आरसी० 9 (ए)/90-हैदराबाद
16. आरसी० 7 (ए)/90-हैदराबाद
17. आरसी० 17/90-बंगलौर
18. आरसी० 19/90-दिल्ली
19. आरसी० 20/90-दिल्ली
20. आरसी० 21/90-दिल्ली
21. आरसी० 16/90-चंडीगढ़
22. आरसी० 13/90-लखनऊ
23. आरसी० 17/90-चंडीगढ़
24. आरसी० 18/90-बी० ए० डी०
25. आरसी० 35/90-बी० बी० एस०
26. आरसी० 54/90-बम्बई
27. आरसी० 29/90-बंगलौर (ए०बी०डी०)
28. आरसी० 24/90-अहमदाबाद
29. आरसी० 37/90-मद्रास
30. आरसी० 44/90-बी० के० आई० एम० ए० डी०
31. आरसी० 34/90-दिल्ली
32. आरसी० 35/90-दिल्ली
33. आरसी० 36/90-दिल्ली
34. आरसी० 13/90 धनबाद
35. आरसी० 24/90-कोचीन
36. आरसी० 13/90-हैदराबाद
37. आरसी० 25/90-पटना
38. आरसी० 26/90-पटना
39. आरसी० 27/90-पटना

40. आरसी० 28/90-पटना
41. आरसी० 18/90-शिमला
42. आरसी० 17/90-रांची
43. आरसी० 36/90-कलकत्ता
44. आरसी० 43/90-कलकत्ता
45. आरसी० 44/90-कलकत्ता
46. आरसी० 29/90-जबलपुर
47. आरसी० 9/90-बी० एस० पी०
48. आरसी० 10/90-बी० एस०पी०
49. आरसी० 6/90-बम्बई
50. आरसी० 25/90-लखनऊ
51. आरसी० 44/90-बी० बी० एस०
52. आरसी० 45/90-बी० बी० एस०
53. आरसी० 32/90-बंगलौर
54. आरसी० 11/90-सिल्चर
55. आरसी०-59/90-दिल्ली (ए०सी०बी०)
56. आरसी० 60/90-दिल्ली (ए०सी०बी०)
57. आरसी० 61/90-दिल्ली
58. पारसी० 22/90-चंडीगढ़
59. आरसी० 23/90-चंडीगढ़
60. आरसी० 27/90-केरल
61. आरसी० 33/90-जयपुर
62. आरसी० 34/90-पटना
63. आरसी० 5/90-ए०सी०यू०-III
64. आरसी० 38/90-जे०बी० आर०
65. आरसी० 51/90-मद्रास (ए०सी०बी०)
66. आरसी० 16/90-बी० एस० पी०
67. आरसी० 23/90-रांची
68. आरसी० 30/90-ए० बी० डी०

आंध्र प्रदेश में कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं

[अनुवाद]

529. श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कमजोर वर्गों के लिए केन्द्र की सहायता से कुछ कल्याण योजनाएं बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सहित, देश में कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची

1. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता ।
2. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के लिए शेयर पूंजी एवं समतुल्य सहायता
3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां ।
4. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
5. मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक की योजना ।
6. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल
7. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए आश्रम स्कूल
8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए होस्टल
9. कोचिंग और सम्बद्ध योजना
10. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता
11. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०)
12. स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम)
13. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास
14. जवाहर रोजगार योजना ।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के बारे में प्रत्याशियों को सूचित करना

530. श्री नंदलाल मीणा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग जो श्रेणी III के पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, प्रत्याशियों को उनके द्वारा विभिन्न पेपरों में प्राप्त अंकों के बारे में सूचित करता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के समान विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले प्रत्याशियों को अंकतालिका भेजने के बारे में क्या कदम उठा रहा है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) संघ लोक सेवा आयोग को छोड़कर, रेलवे सेवा आयोग तथा बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड जैसे परीक्षा लेने वाले अन्य निकाय इस प्रथा का अनुसरण नहीं करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी चयन आयोग के लिए भी प्रत्येक उम्मीदवार को अंकों की सूचना देना व्यवहार्य नहीं है।

आकाशवाणी केन्द्र (कोहिमा) में प्रसारण उपकरण

531. श्री शिकिहो सेमा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी केन्द्र (कोहिमा) में प्रसारण उपकरण पुराने हो गए हैं जिनके परिणाम स्वरूप प्रसारण में अनियमितता और व्यवधान आता है;

(ख) यदि हां, तो प्रसारण उपकरण कब तक बदले जाएंगे; और

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान इस संबंध में बजट में कोई प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) कोहिमा में लगाये गये 50 किलोवाट मीडियम वेव और दो किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। तथापि 2 किलोवाट के शार्टवेव ट्रांसमीटर के स्थान पर 50 किलोवाट का शार्टवेव ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है जिसके लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 145.55 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। इस परियोजना को 1991-92 के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है।

सैनिक स्कूल, बालाचडी, जामनगर

532. श्री के० एल० चावड़ा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूल, बालाचडी (जामनगर) में छात्रों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, ताकि उन्हें शस्त्र सेनाओं में अधिकारी संवर्ग हेतु नेशनल डिफेंस एकाडमी में प्रवेश मिल सके;

(ख) इस सैनिक स्कूल में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने छात्रों को दाखिला दिया गया;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति दी जाती है जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 25000 रुपये से कम है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का आर्थिक मानदंड को त्यागकर नि:शुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

	(ख) दाखिल किए गए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की सं०	दाखिल किए गए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की सं०
1988-89	11	6
1989-90	18	8
1990-91	15	6

(ग) से (ङ) पूर्ण छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन विद्यार्थियों को दी जाती है जिनके माता-पिता की वार्षिक आय प्रति वर्ष 25,000/ रुपए से अधिक नहीं होती। इस समय आर्थिक मानदण्ड को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कश्मीर के विस्थापित

532. डा० देवी प्रसाद पाल :

श्री बालेश्वर यादव :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री चिरंजी लाल शर्मा :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1989 से आज तक कितने लोग कश्मीर छोड़कर देश के विभिन्न स्थानों में चले गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके लिए आयोजित किए गए राहत शिविरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने लोगों को पुनर्वासित किया जा चुका है और इन विस्थापितों को स्थायी रोजगार देने की कोई योजना यदि सरकार के विचाराधीन है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक कितने विस्थापित कश्मीर वापस चले गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) जैसा कि जम्मू और कश्मीर सरकार और दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है, जम्मू क्षेत्र में 54,800 से अधिक और दिल्ली में 14,500 से अधिक परिवारों को प्रवासी के रूप में पंजीकृत किया गया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने जम्मू क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी भवनों और टैंटों में 31 शिविर लगाये हैं जिसमें लगभग 7,000 परिवारों को बसाया गया है। दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के विभिन्न भागों में 4 राहत शिविर लगाये है जिनमें लगभग 600 परिवारों को बसाया गया है। जम्मू में सभी को अनिवार्य राशन दिया जा रहा है जबकि दिल्ली प्रशासन द्वारा लगाये गये राहत शिविरों में रहने वाले ऐसे सभी प्रवासियों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी पात्र प्रवासियों को नकद सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

सरकार का यह प्रयास है कि जैसे ही घाटी में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होने पर सभी प्रवासियों को उनके घर भेजा जाएगा। इसलिए उनको घाटी के बाहर स्थायी रूप से बसाने के बारे में विचार नहीं किया गया है।

अभी तक किसी भी प्रवासी के घाटी में लौटने की सूचना नहीं मिली है।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा बंगलौर में चलाये जा रहे स्कूल

534. श्री जोस फर्नान्डीज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए बंगलौर में स्कूल चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने स्कूल चलाये जा रहे हैं तथा इन स्कूलों में कार्यरत शैक्षिक तथा गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या नियुक्तियों के संबंध में हुई कुछ अनियमितताओं की जानकारी सरकार के ध्यान में आई है; और

(घ) यदि हां,तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, छः स्कूल चला रहा है। इसमें 183 व्यक्ति अध्यापन कार्य और 53 व्यक्ति गैर-अध्यापन कार्य में कार्यरत हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महासागर परिषद और दिल्ली नगर निगम के चुनाव कराना

[हिन्दी]

535. श्री मदन लाल खुराना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद के पिछले चुनाव कब हुए थे और इनके अगले चुनाव कब अपेक्षित हैं;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद को कुछ समय पहले भंग कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इन संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) दिल्ली महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के पिछले चुनाव

5-2-1983 को हुए थे। बढ़ाई गई अवधि के बाद दोनों निकायों की अवधि क्रमश: 17-3-1990 और 6-2-1990 को समाप्त होनी थी। तथापि, 13-1-1990 को महानगर परिषद को भंग कर दिया गया था तथा 6-1-1990 को दिल्ली नगर निगम का अतिक्रमण किया गया था।

(ग) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 के साथ पठित दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 9 के अधीन, दिल्ली के राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से महानगर परिषद के लिए चुनाव कराए जाते हैं। दिल्ली नगर निगम के लिए चुनाव नगर पालिका के चुनावों के निदेशक द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार कराए जाते हैं। इन निकायों में चुनाव कराने की तारीख के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

वीर सावरकर पर फिल्म

[अनुवाद]

536. श्रीमती जयवन्ती नवीन चन्द्र मेहता :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सुप्रसिद्ध मराठी गायक वीर सावरकर पर फिल्म बनाई जा रही है;

(ख) क्या इसके निर्माता ने टैक्स फ्री फिल्म बनाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सरकार को परियोजना के बारे में जानकारी नहीं है। अधिकांश फिल्मों का निर्माण निजी क्षेत्र में होता है और निजी निर्माताओं को फीचर फिल्मों या वृत्तचित्रों के निर्माण के लिए सरकार का पूर्वानुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होती।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

हिन्दी माध्यम में कम्प्यूटरों के प्रयोग के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम

537. श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984 से हिन्दी माध्यम में कम्प्यूटरों के प्रयोग संबंधी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु अनेक प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी है परन्तु इनमें से कुछ केन्द्र केवल अंग्रेजी में ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) हिन्दी माध्यम में कम्प्यूटरों के प्रयोग संबंधी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को रोजगार मिलने की कितनी सम्भावनाएं हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने अब तक हिन्दी माध्यमों से कम्प्यूटर अनुप्रयोगों मे डिप्लोमा कार्यक्रम (डी० सी० ए०) के लिए 9 केन्द्रों को सहायता प्रदान की है। किन्तु 2 केन्द्रों ने यह सूचित किया है कि पर्याप्त प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के उपलब्ध न होने के कारण वे अंग्रेजी माध्यम से पाठ्यक्रम चला रहे हैं। हिन्दी माध्यम में पुस्तकों का अभाव एक आम समस्या है। किन्तु इन केन्द्रों में विषयों के शिक्षण के लिए अंग्रेजी तथा हिन्दी की मिली-जुली पुस्तकें हैं। अंग्रेजी से हिन्दी माध्यम से पाठ्यक्रम संचालित करने का कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रों की इसके प्रति प्रतिक्रिया क्या है और उनकी तैयारी कितनी है।

उपर्युक्त कठिनाइयों पर काबू पाने की दृष्टि से, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) एक केन्द्र को हिन्दी माध्यम से कम्प्यूटर अनुप्रयोगों मे डिप्लोमा (डी०सी०ए०) अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रयोजन के लिए एक और केन्द्र को तैयार किया जा रहा है।

(ii) हिन्दी में इलेक्ट्रानिकी विषयों पर लेख तथा पुस्तकें लिखने के साथ-साथ इलेक्ट्रानिकी विषयों पर पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हिन्दी मे मौलिक तकनीकी पुस्तकें लिखने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार योजना आरम्भ की गई है।

(iii) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग निम्नलिखित कार्य कर रहा है :—

(क) हिन्दी में तकनीकी शब्दावलोकन का मानकीकरण।

(ख) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली तैयार करना।

(ग) हिन्दी में शब्दावली से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन करना।

(iv) कई भारतीय भाषाओं में लिपियां तैयार करने के लिए विशेष प्रौद्योगिकी संयुक्त उत्पादों का पहले ही विकास कर लिया गया है जैसे कि "जिस्ट" (ग्राफिक्स तथा बुद्धि पर आधारित प्रणाली प्रौद्योगिकी) तथा अक्षर राम (पठन मात्र स्मृति)।

विभिन्न संगठनों आदि द्वारा कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि होने के साथ-साथ हिन्दी माध्यम से कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा पास करने वाले छात्रों के लिए रोजगार के अवसर उज्ज्वल हैं।

कटक दूरदर्शन केन्द्र

538. श्री शिवाजी पटनायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दूरदर्शन कार्यक्रम, विशेषकर कटक दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रम, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर पुरी जिले के नयागढ़ और खुंडा उपखंडों में, स्पष्ट दिखाई नहीं देते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) कटक के उच्च शक्ति (10 कि० वा०) टी० वी० ट्रान्समीटर सहित, उड़ीसा राज्य में, दूरदर्शन के सभी ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहे है और स्थानीय भूभागीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने-अपने कवरेज क्षेत्रों के अन्तर्गत संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहे हैं। तथापि, नयागढ़ तथा खुंडा उपखंडों के कुछ क्षेत्रों सहित पुरी जिले के कुछ भागों के बीच की भूभागीय स्थिति के कारण कटक के टी० वी० ट्रांसमीटर से संतोषजनक सेवा प्राप्त नहीं होती है। पुरी जिले सहित, राज्य के कवर न हुए बाकी भागों में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार, इस प्रयोजन के लिए साधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पंजाब मे निर्दोष नागरिको की हत्याओं में एकाएक तेजी

539. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पिछले दो महीनों के दौरान एक समुदाय विशेष के नागरिकों को चुन-चुनकर हत्याएं करने के कार्य में एकाएक तेजी आई है;

(ख) क्या साम्प्रदायिक झगड़ों को भड़काने तथा राज्य से पलायन के उद्देश्य से इस कार्य में बाहरी एजेंसियों का हाथ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या प्रति-कार्यवाही करने जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) यद्यपि अक्तूबर, 1980 के दौरान पंजाब में हुई हत्या के तरीकों में कोई खास अन्तर नहीं आया है, परन्तु नवम्बर, 1990 में एक विशेष समुदाय के लोगों के प्रति हिंसा की कुछ घटनाओं का पता चला है। प्राप्त सूचनाओ के अनुसार, इस प्रकार की कार्रवाई सीमा पार से सक्रिय एजेंसियों द्वारा की जाती है जो पंजाब में साम्प्रदायिक विभाजन करने और अलगाववाद के लिए आधार बनाने के लिए रूढ़िवादी भावनाओं को भड़काने के लिए काम करते हैं। सुरक्षा एजेंसियां व्याप्त परिस्थितियों से पूर्णत: अवगत हैं तथा उचित कार्रवाई कर रही हैं। केन्द्र सरकार उन्हें सभी अपेक्षित सम्भव सहायता उपलब्ध करा रही है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना

540. श्री उत्तम राठौड़ :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने में अत्यधिक कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में उद्योगों को मदद देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) एन० एस० एस० ओ० के 38वें चक्र (1983) तथा 43वें चक्र (1987-88) के परिणामों पर आधारित अनुमान दर्शाते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर रोजगार में कमी नहीं आई है। तथापि, वर्ष 1983—85 के दौरान संगठित गैर-सरकारी क्षेत्र के रोजगार में कुछ कमी आई तथा इसके बाद इसमें उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी।

(ख) इस प्रकार का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) आठवीं योजना कार्यनीति में, जिसमें रोजगार को केन्द्रीय फोकस में रखा गया है, अर्थ-व्यवस्था में कुल मिलाकर रोजगार सृजन की गति को तीव्र करने के लिए लघु स्तर तथा अन्य उच्च रोजगार सम्भावना वाले क्षेत्रकों पर बल देने की परिकल्पना की गई है।

अहमदनगर जिले के रहुरी और पारनेर में के० के० रेंज के लिए भूमि का अधिग्रहण

541. श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने के० के० रेंज के विकास हेतु महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में रहूरी और पारनेर तहसील में 18 हजार हैक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे प्रभावित किसानों को कोई वैकल्पिक भूमि अथवा मुआवजा दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो किसानों के पुनर्वास/उन्हें पर्याप्त मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) यद्यपि अहमदनगर जिले के रहूरी और पारनेर तहसीलों में 18,470.455 हैक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए मंजूरी 1969 में जारी की गई थी लेकिन भूमि की अधिक कीमत होने और राज्य सरकार द्वारा मांगी गई पुनर्वास लागत के कारण भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सका।

(ख) और (ग) चूंकि रक्षा मंत्रालय द्वारा भूमि अपने अधिकार में नहीं ली गई है इसलिए मुआवजे या पुनर्वास सहायता की अदायगी का प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स द्वारा एरो-गैस टर्बाइन का निर्माण

542. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड का विचार मशीनों के संचालन, बिजली उत्पादन और समुद्री प्रणोदन के लिए एरोडेरीवेटिव गैस-टर्बाइन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी सहयोग-करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(घ) उपर्युक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) कितनी टर्बाइनों का निर्माण किया जाएगा तथा उत्पादन कब तक आरम्भ होगा ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने इनसे सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं— (1) 3 मेगावाट से 5 मेगावाट के गैस-टर्बाइनों के निर्माण के लिए अमरीका के जनरल मोटर्स के मैसर्स इंगरसोल रैण्ड और ऐलीसन गैस टर्बाइन डिवीजन तथा (2) समुद्री गैस टर्बाइन इंजनों के निर्माण के लिए अमरीका के जनरल इलेक्ट्रानिक्स।

(घ) 3 से 5 मैगावाट कार्यक्रम (तीन चरणों में) के लिए और समुद्री इंजन कार्यक्रम (दो चरणों में) के लिए अनुमानित पूंजी और आस्थगित (डैफर्ड) राजस्व व्यय 1988 के मूल्य स्तर पर क्रमश: 24 करोड़ रुपये और 16.76 करोड़ रुपये है।

(ङ) कुल कितनी टर्बाइनों का उत्पादन किया जाना है तथा उत्पादन कब आरम्भ होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्राहकों द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को कितनी निश्चित मांगें प्राप्त होती हैं।

शिक्षित बेरोजगार युवकों की राज्यवार संख्या

[हिन्दी]

543. श्री शोपत सिंह मवकासर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार दफ्तरों में दर्ज शिक्षित बेरोजगार युवकों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन बेरोजगार युवकों को रोजगार दफ्तरों के माध्यम से रोजगार दिया गया है; उनकी राज्यवार संख्या क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जून, 1989 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित (मैट्रिक और अधिक) रोजगार चाहने वालों, यह अनिवार्य नहीं है कि उनमें से सभी बेरोजगार हों, की संख्या

संलग्न विवरण में राज्यवार दर्शायी गई है।

(ख) 1988, 1989 और जनवरी—सितम्बर, 1990 के दौरान, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से तैनात किए गए रोजगार चाहने वालों की संख्या भी संलग्न विवरण में राज्य-वार दर्शायी गई है।

विवरण

जून, 1989 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शिक्षित रोजगार चाहने वालों की संख्या और रोजगार में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या

(हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चालू रजिस्टर पर शिक्षित रोजगार चाहने वालों/मैट्रिक और अधिक की संख्या जून, 1989	की गई तैनातियों की कुल संख्या (शिक्षित सहित)		
		1988	1989	जनवरी-सितम्बर, 1990
1	2	3	4	5
राज्य :				
1. आंध्र प्रदेश	1549.2	19.5	27.4	14.6
2. अरुणाचल प्रदेश	0.3	0	0	0
3. असम	482.3	6.4	6.3	2.9
4. बिहार	1668.9	18.7	15.4	12.4
5. गोवा	42.5	1.9	0.9	0.6
6. गुजरात	531.7	13.0	14.2	13.0
7. हरियाणा	303.0	12.1	6.9	5.4
8. हिमाचल प्रदेश	248.8	7.1	6.9	4.6
9. जम्मू एवं कश्मीर	52.6	1.5	0.4	0.4
10. कर्नाटक	685.3	8.4	8.3	7.0
11. केरल	1820.4	15.6	14.9	11.8
12. मध्य प्रदेश	1122.3	25.3	27.8	18.0

1	2	3	4	5
13. महाराष्ट्र	1692.9	29.7	23.9	18.7
14. मणिपुर	141.8	0.4	0.3	0.1
15. मेघालय	9.5	0.3	0.3	0.4
16. मिजोरम	12.6	1.5	0.9	0.5
17. नागालैंड	12.6	0.5	0.2	0.3
18. उड़ीसा	441.2	10.0	9.1	8.1
19. पंजाब	305.7	9.0	6.5	8.0
20. राजस्थान	1482.1	13.3	8.8	6.1
21. सिक्किम*				
22. तमिलनाडु	1694.8	50.6	47.5	31.5
23. त्रिपुरा	46.7	1 7	1.1	0.8
24. उत्तर प्रदेश	1901.3	29.1	25.8	14.9
25. पश्चिम बंगाल	2297.1	12.9	10.7	6.3
संघ शासित प्रदेश :				
1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.0	1.4	1.1	0.4
2. चण्डीगढ़	81.7	1.4	1.6	0.9
3. दादर और नागर हवेली	1.2	0.1	0.1	उ०म०
4. दिल्ली	531.2	36.0	23.0	18.6
5. दमन और द्वीव**				
6. लक्षद्वीप	1.7	***	0.2	0·1
7. पांडिचेरी	60.0	1.4	1.1	0.3
योग :	18223.3	328.5	289.	201.6

टिप्पणी :

1. *=कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।
2. **=आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।
3. ***=50 से कम आंकड़े ।
4. हो सकता है पूर्णांक के कारण आंकड़े मेल न खायें ।
5. उ०म०=उपलब्ध नहीं ।

बड़े पैमाने पर चीनी के लिए लाइसेंस देना

[अनुवाद]

544. श्री फूल चन्द वर्मा :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर, 1990 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "क्रैक्स पुट आन अजीसस शूगर लाइसेंसिंग स्प्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो चीनी मिलों को अक्तूबर, 1990 के दौरान कितने लाइसेंस जारी किए गए; और

(ग) उपर्युक्त लाइसेंस जारी करते समय मिलों के लिए आवश्यक कुछ कच्ची सामग्री और पूंजी के सम्बन्ध में किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर, 1990 के दौरान नये चीनी कारखाने लगाने के लिए 6 आशय पत्र और वर्तमान चीनी कारखानों के पर्याप्त विस्तार के लिए 3 आशय पत्र जारी किए गए थे।

(ग) आशय पत्र जारी करते समय, सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जैसा औद्योगिक विकास विभाग के प्रेस नोट सं० 4 (1990 शृंखला) तारीख 23 जुलाई, 1990 में प्रकाशित है, नये तथा वर्तमान चीनी कारखानों के विस्तार के लिए लाइसेंस देने हेतु बनायी गई कार्य-पद्धति और दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा गया है। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त है कि नये चीनी कारखानों के सम्बन्ध में 15 कि०मी० घेरे के भीतर कोई चीनी का कारखाना नहीं होना चाहिए।

आतिशबाजी के सामान का निर्माण

545. श्री राम सागर (सैदपुर) :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में और दिल्ली के आसपास विवाहों और उत्सवों के लिए आतिशबाजी के सामान के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे लाइसेंसों पर पहले ही भारी मात्रा में आतिशबाजी के सामान का निर्माण हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ङ) विस्फोटक पदार्थ नियम 1983 के अधीन जिला प्राधिकारियों को एक बार में 15 कि०ग्रा० का निर्माण करने के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया है। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने दिल्ली में और उसके आसपास एक बार में 100 कि०ग्रा० आतिशबाजी के निर्माण के लिए एक लाइसेंस जारी किया है। ऐसे लाइसेंस नियमित आधार पर मंजूर किए जाते हैं न कि शादी तथा त्यौहारों के लिए किसी विशेष अवधि हेतु। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के संगठन द्वारा 20.4.90 को लाइसेंस धारकों के परिसरण का निरीक्षण किया गया और कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

समान कार्य के लिए समान वेतन

[हिन्दी]

546. श्री राम लाल राही :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने सम्बन्धी कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब इसके बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो समान कार्य के लिए समान वेतन सम्बन्धी नीति कब तक तैयार किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) समान कार्य या समान प्रकृति का कार्य करने के लिए पुरुष तथा महिला कर्मकारों को समान वेतन देने के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 पहले से ही लागू है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी स्तर देते समय समानता के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु में राजापालयम कालुकुमलाई, पलानी में दूरदर्शन का प्रसारण

[अनुवाद]

547. श्री काडम्बुर एम० आर० जनार्दनन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में राजापालयम, कालुकुमलाई और पलानी में पर्वतों के नजदीक होने के कारण दूरदर्शन का स्पष्ट प्रसारण नहीं हो पाता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में राजापालयम नगरपालिका, तमिलनाडु से

शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार थिनकाशी के निकट तमिलनाडु में कोतीक्षम पर्वतों में स्थापित किए गए दूरदर्शन रिले केन्द्र की तरह उपर्युक्त शहरों में भी एक रिले केन्द्र स्थापित करने का है जिससे कि इन क्षेत्रों के लोग भी दूरदर्शन कार्यक्रमों को देख सकें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। राजापालयम में दूरदर्शन का स्पष्ट प्रसारण प्राप्त न होने के सम्बन्ध में, नगर परिषद, राजापालयम के अध्यक्ष से शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) यद्यपि, तमिलनाडु के राजापालयम, कालुकुमलाई तथा पलानी में, इस समय दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है फिर भी सरकार का यह सतत प्रयास रहता है कि देश के कवर न हुए भागों में साधनों की उपलब्धता के अनुसार दूरदर्शन सेवा का यथा-शीघ्र विस्तार किया जाए।

पंजाब में बस यात्रियों की हत्या

548. श्री वामनराव महाडीक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उग्रवादियों द्वारा बस यात्रियों की हत्या की कितनी घटनाएं हुई; और

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की हिंसा के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान

549. श्री प्यारे लाल हाण्डू :

श्री केशरी लाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को दी गयी अनुग्रह राशि का महीने-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को राहत राशि का भुगतान नहीं किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) आतंकवादी हिंसा से पीड़ित परिवारों को दिए गए अनुग्रह पूर्वक अनुदान के माह वार ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि अब तक 159 मामलों में अदायगी की गई है। इसके अतिरिक्त 272 मामलों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, आतंकवादियों द्वारा मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिकों के परिवारों के 100 मामलों में अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर में सेना द्वारा उग्रवादियों की खोज

550. **श्री बलवारी लाल पुरोहित :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उग्रवादियों को पकड़ने के लिए श्रीनगर के कुछ क्षेत्रों में सैन्य बलों द्वारा घर-घर खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस खोज में गत दो महीनों के दौरान कितने विध्वंसकारियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) उनसे पकड़े गये हथियारों तथा गोला-बारूद इत्यादि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) घाटी में विध्वंसकारियों को पकड़ने के लिए सरकार का और क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) जम्मू और कश्मीर सरकार से संबंद्ध सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

कागज के कारखानों द्वारा लुगदी बनाने की सुविधा का उपयोग

551. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज के कारखानों द्वारा लुगदी बनाने की अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कागज के कारखानों द्वारा लुगदी बनाने की सुविधा का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कागज के कारखानों द्वारा कागज बनाने के लिए उपयोग में लायी गयी आयातित लुगदी/रद्दी कागज का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) कागज और गत्ता उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता 30.49 लाख मी० टन है। एकीकृत बड़ी कागज मिलों, जो वन्य कच्चे माल पर आधारित हैं, और कृषि-आधारित कुछ कागज मिलों के पास लुगदी बनाने की अपनी सुविधाएं हैं। चालू वर्ष में कागज और गत्ता उद्योग का कुल क्षमता उपयोग लगभग 64% है

और बनायी गयी अधिकांश लुगदी का प्रयोग कागज मिलों द्वारा किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गयी लुगदी/रद्दी के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	मात्रा हजार मी० टन	मूल्य करोड़ रु० में
1987-88	474	238.54
1988-89	394	252.18
1989-90	451	303.88

मध्य प्रदेश में आकाशवाणी भवन का निर्माण

[हिन्दी]

552. **श्री रेशम लाल जांगड़े :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में आकाशवाणी भवन में साज-सामान तथा उपकरण आदि लगाने का काम पूरा हो गया है;

(ख) वहां से स्थानीय और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण कब से आरम्भ किये जाने की संभावना है;

(ग) इस भवन के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) वहां श्रेणीवार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) मध्य प्रदेश में "आकाशवाणी भवन" की स्थापना करने जैसी कोई स्कीम नहीं है। तथापि, आकाशवाणी की सातवीं योजना में मध्य प्रदेश में शहडोल, शिवपुरी, खंडवा, छिंदवाड़ा, बिलासपुर, गुना, बालाघाट, रायगढ़, बेतूल और सागर में एक-एक अर्थात् कुल मिलाकर 10 नये रेडियो स्टेशन स्थापित करने की व्यवस्था है।

(ख) खंडवा का रेडियो स्टेशन 19 अक्तूबर, 1990 को सेवा के लिये चालू किया गया और शिवपुरी, शहडोल, छिन्दवाड़ा, बिलासपुर, बालाघाट, रायगढ़ तथा बेतूल के रेडियो स्टेशन तकनीकी दृष्टि से तैयार हैं। गुना और सागर के शेष दो रेडियो स्टेशनों की स्थापना का कार्य 1991-92 के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ग) इन दस रेडियो स्टेशनों के सिविल निर्माण कार्य और उपकरण लगाने पर किया गया

व्यय इस प्रकार है :—

स्टेशन का नाम	किया गया व्यय (रुपये लाखों में) 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार
1. शहडोल	200.00
2. खंडवा	206.01
3. शिवपुरी	196.58
4. छिन्दवाड़ा	216.55
5. बिलासपुर	192.78
6. गुना	204.90
7. बालाघाट	182.25
8. रायगढ़	197.11
9. बेतूल	214.66
10. सागर	187.40

(घ) शहडोल और शिवपुरी के गैर-स्थानीय रेडियो स्टेशनों तथा स्थानीय रेडियो स्टेशनों के लिए स्वीकृत कर्मचारियों का ब्यौरा पृथक से संलग्न विवरण-1 और 2 में दिया गया है।

विवरण-1

शिवपुरी और शहडोल में आकाशवाणी के गैर स्थानीय केन्द्रों के लिए अलग-अलग स्वीकृत स्टाफ का ब्यौरा

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
1	2	3
1.	केन्द्र निदेशक	1
2.	केन्द्र अभियंता	1
3.	सहायक केन्द्र निदेशक	1
4.	सहायक केन्द्र अभियंता	1
5.	कार्यक्रम निष्पादक	5
6.	प्रसारण निष्पादक	4
7.	प्रस्तुति सहायक (प्रसारण निष्पादक के ग्रेड में)	1

1	2	3
8.	फार्म रेडियो अधिकारी	1
9.	फार्म रेडियो रिपोर्टर	1
10.	सहायक संपादक (फार्म एवं गृह) (प्रसारण निष्पादक के ग्रेड में)	1
11.	सहायक संपादक (आलेख) (प्रसारण निष्पादक के ग्रेड में)	1
12.	वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक	4
13.	इंजीनियरी सहायक	6
14.	वरिष्ठ टेक्नीशियन	1
15.	टेक्नीशियन	3
16.	डीजल टेक्नीशियन	1
17.	हेल्पर	1
18.	प्रधान लिपिक/लेखाकार	1
19.	लिपिक ग्रेड-1	3
20.	लिपिक ग्रेड-2	4
21.	हिन्दी अनुवादक	1
22.	भण्डारपाल (कनिष्ठ)	1
23.	आशुलिपिक (कनिष्ठ)	2
24.	पुस्तकालयाध्यक्ष (कनिष्ठ)	1
25.	कार्यक्रम सचिव (लिपिक ग्रेड-1)	2
26.	मोटर ड्राइवर	2
27.	स्टूडियो परिचर	1
28.	सुरक्षा गार्ड	4
29.	दफ्तरी	1
30.	चपरासी	8
31.	सफाई वाला	1
32.	फराश	1

1	2	3
33.	माली	1
34.	उद्घोषक	4
35.	कम्पीयर	2
36.	संगीत रचयिता	1
		70

विवरण-2

खण्डवा, छिन्दवाडा, बिलासपुर, गुना, बालाघाट, रायगढ़, बैतूल और सागर में आकाशवाणी के स्थानीय केन्द्रों के लिए अलग-अलग स्वीकृत स्टाफ का ब्यौरा

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या
1	2	3
1.	केन्द्र निदेशक	1
2.	केन्द्र अभियंता	1
3.	कार्यक्रम निष्पादक	3
4.	फार्मरेडियो अधिकारी	1
5.	प्रस्तुति सहायक (प्रसारण निष्पादक के ग्रेड में)	1
6.	सहायक संपादक (फार्म एवं गृह प्रसारण निष्पादक के ग्रेड में)	1
7.	प्रसारण निष्पादक	3
8.	सहायक अभियंता	1
9.	वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक	2
10.	इंजीनियरी सहायक	6
11.	वरिष्ठ टेक्नीशियन	2
12.	टेक्नीशियन	3

1	2	3
13.	डीजल टेक्नीशियन	1
14.	हेल्पर	1
15.	प्रधान लिपिक/लेखाकार	1
16.	लिपिक ग्रेड-2	4
17.	कार्यक्रम सचिव (लिपिक ग्रेड-I)	1
18.	आशुलिपिक (कनिष्ठ)	1
19.	पुस्तकालयाध्यक्ष (कनिष्ठ)	1
20.	भण्डारपाल (कनिष्ठ)	1
21.	मोटर ड्राइवर	2
22.	सुरक्षा गार्ड	4
23.	दफ्तरी	1
24.	फराश व सफाई वाला	2
25.	चपरासी	8
26.	उद्घोषक/कम्पीयर	3
		51

निर्धनों का अनुपात और संख्या का आकलन करने संबंधी विशेषज्ञ दल

[अनुवाद]

5. 3. श्री प्रताप सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा निर्धनों के अनुपात और संख्या का आकलन करने हेतु गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह दल अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक पेश करेगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) निर्धनों के अनुपात और संख्या के आकलन से संबंधित विशेषज्ञ दल ने अभी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(घ) इस संबंध की बैठकें आयोजित की गई। योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्यों ने नवम्बर, 1990 में त्याग पत्र दिया था। अब योजना आयोग का पुनर्गठन किया जा चुका है तथा नए सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है। बहुत जल्दी ही दल की बैठक आयोजित की जाएगी ताकि इस संबंध में विचार-विमर्श किया जा सके।

मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करना

554. प्रो० के० वी० थामस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि मंडल आयोग की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में समुदायों के वर्गीकरण में गलतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय को मंडल आयोग की सिफारिश के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य पिछड़ी जाति के रूप में विचार किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) पहले चरण में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के निर्णय में केवल वे जातियां तथा समुदाय शामिल किए जाएंगे जो मंडल आयोग की रिपोर्ट में दी गई सूची में तथा राज्य सरकारों की सूचियों दोनों में शामिल हैं।

उक्त निर्णय सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूचियां तैयार करने के विभिन्न राज्यों के लम्बे अनुभव का लाभ प्राप्त करने तथा सद्भावपूर्ण एवं शीघ्र कार्यान्वयन हेतु लिया गया था। इसलिए, सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन के प्रयोजन से, ऐसी जातियां व समुदायों जो मंडल सूची में शामिल नहीं है, परन्तु राज्य सूची में शामिल और विलोमत है, आरक्षण के लाभ के हकदार नहीं होंगे। यह निर्णय उन त्रुटियों के विरुद्ध एक सुरक्षोपाय भी है जो मंडल आयोग द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने में किए गए विस्तृत राष्ट्र-व्यापी अभ्यास के दौरान उभर आई हों। जहां कहीं मुस्लिम समुदाय दोनों सूचियों में समान है वे भी आरक्षण नीति के लाभ के हकदार होंगे। तथापि सरकार के निर्णय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत जातियों व समुदायों की पहचान का काम छोड़कर रोक लगा दी गई है।

केरल में जेलों के लिए वित्तीय सहायता

555. श्री के० मुरलीधरन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल की जेलों के वर्तमान ढांचे में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए केन्द्र सरकार के समक्ष कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत डाक्टर और इंजीनियर

[हिन्दी]

556. श्री गुलाबचन्द कटारिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरे देश में विभिन्न राज्यों में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत डाक्टरों, इंजीनियरों, स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों की वर्तमान संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : जून, 1989 के अन्त की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर डॉक्टरों, इंजीनियरों, स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों की राज्य-वार संख्या के संबंध में नवीनतम उपलब्ध सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जून, 1989 के अन्त की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजारों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्नातक (स्नातकोत्तरों सहित		कुल	
		चिकित्सा	इंजीनियरिंग	स्नातक	स्नातकोत्तर
1		2	3	4	5
	राज्य				
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.9	10.0	209.4	20.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	*	0	0.1	*
3.	असम	0.1	0.5	54.7	3.9
4.	बिहार	1.5	2.5	257.5	9.2
5.	गोवा	0 2	0.1	5.7	0.3
6.	गुजरात	0.6	4.2	55.1	5.4
7.	हरियाणा	0.9	0.4	47.6	7.0

1	2	3	4	5
8. हिमाचल प्रदेश	0.2	0.5	23.2	7.7
9. जम्मू और कश्मीर	*	0.4	12.5	3.8
10. कर्नाटक	0.8	11.4	99.5	11.7
11. केरल	1.6	7.3	112.5	22.5
12. मध्य प्रदेश	0.7	3.6	159.2	39.2
13. महाराष्ट्र	3.8	5.0	183.5	23.6
14. मणिपुर	0.1	1.0	21.7	2.5
15. मेघालय	0	*	1.3	0.1
16. मिजोरम	*	*	1.4	0.2
17. नागालैंड	0	*	1.0	0.1
18. उड़ीसा	1.1	1.4	98.2	5.6
19. पंजाब	0.2	0.6	63 7	10.9
20. राजस्थान	1.9	3.5	108.0	17.9
21. सिक्किम**				
22. तमिलनाडु	2.1	6.7	216.2	52.5
23. त्रिपुरा	*	*	6.3	70.3
24. उत्तर प्रदेश	1.3	2.3	377.7	78.1
25. पश्चिम बंगाल	2.8	5.7	402.2	29.4
संघ शासित क्षेत्र				
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	*	*	0.2	*
2. चण्डीगढ़	0.7	0.4	18.8	2.4
3. दादर और नगर हवेली	*	*	0.2	*
4. दिल्ली	4.0	2.4	98.5	15.3
5. दमन और दीव***				

1	2	3	4	5
6. लक्षद्वीप	*	0	*	*
7. पांडिचेरी	0.4	0.3	7.1	1.3
योग :	28.1	70.5	2642.9	871.9

टिप्पणी :—

1. ** कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।
2. *** आंकड़े नहीं रखे जाते।
3. * संख्या 50 से कम है।
4. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े मेल न खायें।

तमिलनाडु में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

[अनुवाद]

557. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तमिलनाडु में और अधिक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे;

(ग) ये केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तमिलनाडु में सातवीं योजना की आगे लाई गई स्कीमों के अधीन मद्रास में दूसरे चैनल की दूरदर्शन सेवा के लिए अतिरिक्त स्टूडियो सुविधाएं स्थापित करने और रामेश्वरम् में 300 मीटर ऊंचे टावर के साथ उच्च शक्ति (10 किलोवाट) टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का काम चल रहा है। इन परियोजनाओं को क्रमशः 1992-93 और 1993-94 के दौरान सेवा के लिए चालू कर दिये जाने की आशा है। इसके अलावा मदुरै में एक दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने का भी कार्यक्रम है जिसके पूरा होने में परियोजना स्थल पर सिविल कार्य प्रारम्भ होने के बाद करीब 4 वर्ष का समय लगता है।

पाकिस्तानी लोगों द्वारा निर्धारित समय से अधिक समय तक भारत में रहना

[हिन्दी]

558. श्री राघवजी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 दिसम्बर, 1990 तक भारत में पाकिस्तान से आये कितने लोग राज्यवार, निर्धारित समय से अधिक समय तक रह रहे थे; और

(ख) उनको वापस भेजने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार किया गया एक विवरण संलग्न है।

(ख) जब कभी कोई पाकिस्तानी राष्ट्रिक निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरता है और पकड़ा जाता है, तो उन पर अभियोग चलाए जाने या वापस भेजने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विदेशी अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। राज्य प्राधिकारियों को पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को पहचानने और वापस भेजने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।

विवरण

पाकिस्तानी राष्ट्रिक

31-3-1990 को उन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के संबंध में राज्यवार सूचना, जो वीसा अवधि की समाप्ति के बाद अपने देश को वापस नहीं गए

क्र० सं०	राज्य का नाम/संघ शासित क्षेत्र	भारत में अनुमोदन से अधिक समय तक रुके हुए
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	38
2.	बिहार	144
3.	दिल्ली	143
4.	गुजरात	340
5.	हरियाणा	31
6.	कर्नाटक	101
7.	केरल	462

1	2	3
8.	मध्य प्रदेश	1014
9.	महाराष्ट्र	1801
10.	उड़ीसा	47
11.	पंजाब	253
12.	राजस्थान	1148
13.	तमिलनाडु	73
14.	उत्तर प्रदेश	1214
15.	पश्चिम बंगाल	533
16.	जम्मू और कश्मीर	97

शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य मानी जाय। पश्चिम बंगाल के संबंध में उपलब्ध आंकड़े 31-12-1989 तक के हैं।

गोवा दूरदर्शन पर मराठी कार्यक्रम

[अनुवाद]

559. **प्रो० गोपालराव मायकर :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा दूरदर्शन से मराठी भाषा के कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गोवा दूरदर्शन ने इसके लिए कितना समय निर्धारित किया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों में मराठी भाषा को उसका समुचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या उपचारी उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) बम्बई से प्रसारित मराठी भाषा के कार्यक्रमों को पणजी, गोवा के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से रोज (सोमवार से शुक्रवार तक) सायं 5.30 बजे से 8.30/8.40 बजे तक रिले किया जाता है किन्तु बीच में 30 मिनट के लिए (सायं 7.00 बजे से 7.30 बजे तक) गोवा से कोंकणी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय नेटवर्क के प्रादेशिक भाषाओं के लिए निर्धारित समय में अन्य भाषाओं के साथ बारी-बारी से मराठी में जेनीव संगीत कार्यक्रम और पुरस्कृत मराठी फिल्में प्रसारित की जाती हैं।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता

560. श्री विजय कुमार राजू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को वित्तीय अनुदान स्वीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, आन्ध्र प्रदेश को स्वीकृत अनुदान का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, आन्ध्र प्रदेश को मंजूरी तथा आबंटित की गई राशि इस प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

	अनुदान	ऋण	योग
खादी	0.33	47.80	48.13
ग्रामोद्योग	14.29	879.58	893.87
योग :	14.62	927.38	942.00

पुलिस कर्मचारियों को वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण

561. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तफतीश को सख्ती और अभिभास की बजाय वैज्ञानिक पद्धति से सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु एक माडल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने और इसे राज्य सरकारों में परियातित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) फरवरी, 1986 में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें अन्य मदों के साथ-साथ जांच-पड़ताल करने के लिए वैज्ञानिक सहायता का प्रयोग आदि के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त परिचालित किये गये थे।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

[हिन्दी]

562. श्री छेदी पासवान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संघ ने कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में हाल ही में सरकार को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संघ की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संघ ने निम्नलिखित मांगें उठाई हैं :—

(i) श्रम विवादों को निपटाने के लिए लोक अदालतों का गठन किया जाय;

(ii) उद्योगों में नियोजकों और कर्मचारियों को समान भागीदारी दी जाय;

(iii) कर्मकारों के प्रतिनिधियों को संसद/राज्य विधान सभाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय;

(iv) सभी औद्योगिक/व्यावसायिक कर्मकारों को मजदूरी/बोनस और उपदान का एक समान भुगतान किया जाए; और

(v) श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाय।

(ग) मांगों की जांच की जा रही है।

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

[अनुवाद]

563. श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मन्त्री सम्मेलन 20 दिसम्बर, 1990 को दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ और क्या निर्णय लिये गये;

(घ) इन निर्णयों को कब तक लागू किया जायेगा; और

(ङ) 15 दिसम्बर, 1990 से 30 नवम्बर, 1990 तक राज्य श्रम मंत्रियों, श्रम सचिवों,

मुख्य श्रम आयुक्तों के ऐसे कितने सम्मेलन हुए हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, हां।

(ख) 39वें श्रम मंत्री सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) सम्मेलन की कार्यसूची मदों तथा सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) मामले की पुनरीक्षा की जाती है तथा निरन्तर आधार पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ङ) 19-4-1990 को हुए श्रम सचिव सम्मेलन के बाद 20-4-1990 को श्रम मंत्री सम्मेलन हुआ।

विवरण-1

20 दिसम्बर, 1990 को आयोजित 39वें श्रम मंत्री सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची

1. आन्ध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. चण्डीगढ़ प्रशासन
6. दिल्ली प्रशासन
7. गुजरात
8. गोवा
9. हरियाणा
10. हिमाचल प्रदेश
11. कर्नाटक
12. केरल
13. महाराष्ट्र
14. मध्य प्रदेश
15. उड़ीसा

16. पंजाब

17. राजस्थान

18. सिक्किम

19. तमिलनाडु

20. त्रिपुरा

21. उत्तर प्रदेश

22. पश्चिम बंगाल

विवरण-2

20 दिसम्बर, 1990 को आयोजित 39वें श्रम मंत्री सम्मेलन की कार्यसूची मदें तथा उसमें लिये गये प्रमुख निर्णय

1. कार्य सूची मदें

1. 38वें श्रम मन्त्री सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णयों पर की गई कारंवाई।

2. न्यूनतम मजदूरी।

3. बन्धित श्रम।

4. श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों में विचाराधीन मामले।

5. रोजगार सेवा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित मामले।

(क) रोजगार सेवा—भूमिका तथा कार्य

(ख) व्यावसायिक प्रशिक्षण—

(I) विश्व बैंक परियोजना की पुनरीक्षा।

(II) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना की पुनरीक्षा।

6. बाल श्रम।

7. बछावत पंचाट का कार्यान्वयन।

8. भाग लेने वालों द्वारा उठाई गई विविध मदें।

(II) सम्मेलन में लिए गए प्रमुख निर्णय निम्नानुसार हैं :—

1. न्यूनतम मजदूरी

इस पर सहमति हुई कि मजदूरी की न्यूनतम दरों में प्रति दो वर्षों में संशोधन किए जाएं। इसके अलावा, इस दर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि से सहयोजित घटक को शामिल किया जाना

चाहिए। इस पर भी सहमति हुई कि ऐसे उपबन्धों को सांविधिक समर्थन दिया जाए।

2. बंधित श्रम

राज्य सरकारों को बंधित श्रमिकों का पता लगाने के लिए अपने प्रयास तेज करने चाहिएं तथा उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिएं।

3. श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक अधिकरणों में विचाराधीन मामले

सम्मेलन ने औद्योगिक अधिकरणों, श्रम न्यायालयों आदि में लम्बित पड़े कार्य को नोट किया और महसूस किया कि इससे कर्मकारों की अभिरुचि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा यह औद्योगिक शान्ति और सद्भाव बनाये रखने में सहायक नहीं है। इसका प्रस्ताव था कि :—

(i) कार्यभार को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त अधिकरण तथा श्रम न्यायालय खोले जाएं;

(ii) औद्योगिक अधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को तुरन्त भरा जाए;

(iii) औद्योगिक अधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों के लिए एक नियम पुस्तिका तैयार की जाए ताकि मामलों के निपटान में उनके द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके तथा उनके कार्यों में एकरूपता लाई जा सके;

(iv) मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए पीठासीन अधिकारी लोक अदालतों का आयोजन करें; और

(v) पीठासीन अधिकारियों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाए तथा उन्हें और आकर्षक बनाया जाए।

4. रोजगार सेवा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण

रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण का पुनः अभिमुखीकरण किया जाना चाहिए ताकि व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा स्व-नियोजन की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके।

वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही व्यवसायिक प्रशिक्षण परियोजनाओं का अधिक समन्वय तथा मानीटरिंग होना चाहिए। यह भी सहमति हुई कि राज्य सरकारें मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त पारियां लागू करके तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसे संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर शिल्प प्रशिक्षण योजना के अधीन सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार करें। प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अत्यधिक प्रवर्तन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

5. बाल श्रमिक

बाल श्रमिकों के संदर्भ में यह सहमति हुई कि यदि बालकों का शोषण किया जाता है या उन्हें जोखिमपूर्ण काम पर लगाया जाता है तो वहां कठोर कार्रवाई की जाये। इसके अलावा ऐसे बालकों के पुनर्वास तथा शिक्षा के लिए समर्थकारी कार्यक्रमों को और बढ़ावा दिया जाये।

6. औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

यह सहमति हुई कि नये औद्योगिक संबंध कानून तैयार किये जाने के बारे में रामानुजम समिति

की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के बारे में राज्य 31 जनवरी, 1991 तक अपनी टिप्पणियां भेजें।

7. श्रम कानूनों की पुनरीक्षा

श्रम कानूनों की सामाजिक पुनरीक्षा की जाए ताकि बदलती हुई स्थिति को ध्यान में रखा जा सके तथा आवश्यकतानुसार संशोधन किये जा सकें।

8. प्रबंध में श्रमिक सहभागिता

भाग लेने वालों ने प्रबंध में श्रमिक सहभागिता की धारणा का समर्थन किया तथा इच्छा व्यक्त की कि इस विषय से संबंधित विधेयक को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाए।

9. कृषि तथा भूमिहीन कार्यकारों के लिए विधान

कृषि तथा भूमिहीन कर्मकारों के लिए केन्द्रीय विधान से संबंधित प्रस्ताव को यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिया जाए।

10. श्रम प्रशासन तन्त्र को सुदृढ़ करना

यह सहमति हुई कि राज्यों में श्रम प्रशासन तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। यह भी सहमति हुई कि उपलब्ध श्रम प्रशासन तन्त्र का उपयुक्त पुन: अभिमुखीकरण किया जाये ताकि असंगठित श्रमिकों से संबंधित समस्याओं की ओर अधिक ध्यान दिया जा सके।

11. खाड़ी के देशों से वापिस आए लोगों का पुनर्वास

खाड़ी के देशों से वापिस आने वालों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाए।

12. सिनेमा कर्मकारों का कल्याण

सिनेमा कर्मकारों के लिए कल्याण निधि में वृद्धि के लिए कदम उठाये जायें ताकि इस श्रेणी के कर्मकारों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

13. कर्मचारी भविष्य निधि के लाभानुभोगियों के लिए पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि के लाभानुभोगियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाये।

राज्यों के विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

564. श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लम्बित पड़े राज्यों के विधेयकों का राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) इन विधेयकों पर शीघ्र अनुमति प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) 27.12.1990 को 70 राज्य विधेयक लम्बित हैं। इनमें से 40 विधेयक सम्बन्धित राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण न आने के कारण लम्बित हैं तथा शेष 30 विधेयक भारत सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के पास विचाराधीन हैं। लम्बित विधेयकों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को लगातार अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। विधेयकों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए बातचीत भी की जा रही है।

विवरण

लम्बित पड़े विधेयकों की राज्यवार स्थिति का विवरण

	लोकसभा में 9.1.1991 को उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 564 के साथ लगने वाला विवरण
आन्ध्र प्रदेश	9
असम	6
बिहार	3
गोवा	2
हरियाणा	6
हिमाचल प्रदेश	1
कर्नाटक	4
मध्य प्रदेश	1
मणिपुर	6
मेघालय	1
उड़ीसा	3
राजस्थान	6
सिक्किम	2
तमिलनाडु	6
त्रिपुरा	4
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	8

अन्तर महादेशीय पत्रकारों का सम्मेलन

565. श्री जनक राज गुप्त :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 नवम्बर, 1990 को अन्तर महादेशीय पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के क्या परिणाम निकले और सम्मेलन के अभिमतों को लागू करने के लिए क्या निर्णय लिए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां। 28 से 30 नवम्बर, 1990 तक अन्तर महादेशीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

(ख) निजी संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों को केवल सुझाव के रूप में लिया जाता है।

तिहाड़ जेल से विचाराधीन कैदियों के भागने की जांच

566. श्री शान्ताराम पोटदुखे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में रखे गए बहुत सारे विदेशी विचाराधीन कैदियों ने गत अक्तूबर में सामूहिक हड़ताल की थी जैसाकि इस आशय का समाचार दिनांक 18 अक्तूबर, 1990 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मामलों का समाधान करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय): (क) कुछ विदेशी विचारणाधीन कैदी 15 अक्तूबर, 1990 से 16 अक्तूबर, 1990 तक भूख हड़ताल पर थे।

(ख) उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं;

(i) शीघ्रतापूर्वक विचारण;

(ii) जमानत प्रदान करना;

(iii) बेहतर चिकित्सा और मनोरंजन सुविधाएं;

(iv) भोजन पकाने के लिए पृथक सुविधाएं।

(ग) दिल्ली के जिला और सत्र न्यायाधीश ने आपराधिक न्यायालयों से जोर देकर कहा।

कि विचारणाधीन कैदियों के मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाए। जमानत का दिया जाना अथवा न दिया जाना पूर्णत: न्यायालयों के न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है। बीमार कैदियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ओ०पी०डी० डिस्पैंसरी तथा एक बिस्तर वाला हस्पताल, जिसमें एक्स-रे की सुविधा और पैथोलौजी प्रयोगशाला है, उपलब्ध है। कैदियों को भीतर खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खेल तथा समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। विदेशियों को अलग से भोजन पकाने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सम्पत्ति कर सुधार सम्बन्धी उच्चाधिकार समिति की सिफारिशें

567. श्री शांताराम पोटदुखे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पत्ति कर सुधार सम्बन्धी उच्चाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इस समिति पर कितना व्यय हुआ है; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) समिति की प्रमुख सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) अब तक 85,454.00 रुपए खर्च हुए हैं।

(घ) समिति की रिपोर्ट पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार करने और अपना मत बनाने के बाद कुछ विधायी संशोधन करने की आवश्यकता हो सकती है।

विवरण

सम्पत्ति कर सुधार के बारे में उच्च स्तरीय समिति की मुख्य सिफारिशों का विवरण

1. प्रभावी तारीख :

कर योग्य मूल्य पुनरीक्षण 1.12.1988 के बजाय 1.4.1989 से प्रभावी होगा।

2. वार्षिक मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में प्रणाली :

(क) स्वयं कब्जा करने वाली रिहायशी सम्पत्तियां

स्वयं कब्जे वाली रिहायशी सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य, भूमि की लागत और निर्माण की लागत का 10 प्रतिशत होगा। यदि बना बनाया फ्लैट खरीदा जाता है तो उसका वार्षिक मूल्य, उसकी लागत का 10 प्रतिशत होगा। तथापि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लागत मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से निकाला गया वार्षिक मूल्य, 1989-90 के लागू किराये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) स्वयं कब्जे वाली गैर रिहायशी सम्पत्तियां

इस विषय में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो स्वयं कब्जेवाली रिहायशी सम्पत्तियों के मामले में अपनाई जाती है।

(ग) किराये पर दी गई सम्पत्तियां

किराये पर दी गई सम्पत्तियों पर कर का निर्धारण नियंत्रक द्वारा निर्धारित मानक किराया, यदि कोई हो या वास्तविक किराया, जो भी अधिक हो के अनुसार किया जाएगा। तथापि, 1-4-1989 से पहले या उसके बाद के किराये के सम्बन्ध में वार्षिक मूल्य वास्तविक किराये के बराबर होगा। और यदि उन्हीं सम्पत्तियों का वास्तविक लागू किराये से कम हो तो उस स्थिति में वार्षिक मूल्य लागू किराये के बराबर होगा।

3. भूमि का वार्षिक मूल्य :

भूमि का वार्षिक मूल्य उसके अधिग्रहण हेतु दिए गए मूल्य का 5 प्रतिशत होगा। भू-खण्ड पर कब्जा लेने की तारीख से रिहायशी सम्पत्ति के मामले में 7 वर्ष और गैर-रिहायशी सम्पत्ति के मामले में 5 वर्ष के भीतर यदि भवन के अनुज्ञेय एफ०ए०आर० का कम से कम 25 प्रतिशत भाग का निर्माण पूरा नहीं किया जाता है तो भूमि पर कर का निर्धारण इसके बाजार मूल्य के आधार पर होगा न कि खरीद मूल्य के आधार पर। यह उपबन्ध 1-4-1992 से लागू होगा।

4. विशेष श्रेणी की सम्पत्तियां

जिन मामलों में सिनेमा हाल, होटल, बैंक्वेट हाउस, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, इत्यादि वास्तव में किराये पर दिए जाते हैं उन मामलों में वार्षिक मूल्य का निर्धारण किराये पर दी गई सम्पत्ति के समान पैटर्न के अनुसार किया जाएगा। तथापि, यदि भवन पर स्वयं का कब्जा है तो स्वयं कब्जे वाले भवन और उसके किसी भाग पर कर मूल्य का निर्धारण भूमि के बाजार मूल्य और निर्धारण वर्ष में भवन की घटी हुई कीमत के 10 प्रतिशत की दर से किया जाएगा या जहां इस प्रकार के सम्पत्तियों का लागू किराया उपलब्ध हो, तत्कालीन किराये के आधार पर, जो भी अधिक हो, निर्धारित किया जाएगा।

5. फार्म हाउस

किराये पर दिए गए फार्म हाउस का वार्षिक मूल्य किराये पर दी गई अन्य सम्पत्तियों के समान निर्धारित किया जायेगा। वे फार्म हाउस जिनका प्रयोग मालिक स्वयं करता है, का कर मूल्य का निर्धारण भूमि के बाजार मूल्य और निर्धारण वर्ष में निर्माण की घटी कीमत या तुलनात्मक किराया, जो भी कम हो, के 10 प्रतिशत की दर से होगा।

6. स्वामित्व में परिवर्तन

जब कभी भवन के स्वामित्व में परिवर्तन होता है और भवन पर मालिक का स्वयं का कब्जा हो तो, कर मूल्य का निर्धारण नये मालिक द्वारा दिए गए मूल्य के 10 प्रतिशत या

1989-90 में लागू किराया, जो भी कम हो, की दर से किया जाएगा। 1-4-1989 को या इसके बाद निर्मित या खरीदी गई सम्पत्ति के बारे में वार्षिक मूल्य, निर्माण लागत के 10 प्रतिशत की दर से या जिस वर्ष में भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया या भवन खरीदा गया उस वर्ष में लागू किराया, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

7. रख-रखाव व्यय की कटौती

सम्पत्तियों के रख रखाव और मरम्मत के खर्चे की वैधानिक कटौती, वार्षिक मूल्य के 15 प्रतिशत की दर से होगी न कि इस समय लागू 10 प्रतिशत की दर से।

8. कर-दर

इस समय लागू 14 प्रतिशत से 57 प्रतिशत के विभिन्न कर दरों की तुलना में सम्पत्ति कर की एक समेकित दर होगी जो 12.5 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच होगी। कर की दर निम्न प्रकार से होगी :

रिहायशी	12.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत
गैर रिहायशी	15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत
विशेष श्रेणी	20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत

उपरोक्त दरें नई दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों में भी लागू होगी।

9. निर्धारण की प्रक्रिया

कर दाता को कर योग्य मूल्य की वार्षिक विवरणिका और विवरणिका के साथ अपने आप दिए गए कर की रसीद प्रस्तुत करनी होगी। कर निर्धारण का कोई भी मामला तीन वर्ष से अधिक समय तक लम्बित नहीं रहेगा और विवरणिका के साथ कर जमा न करने पर उस अवधि के लिए उचित ब्याज प्रभार लगाया जाएगा जिस अवधि का कर चुकता नहीं किया गया है।

10. कर एकत्र करना

अविवादित कर विवरणिका के साथ स्वयं निर्धारण के आधार पर एकत्र किया जायेगा। विवादास्पद कर के सम्बन्ध में माँग नोटिस जारी किया जाएगा और मूल्य कानून के अनुसार वसूली की जाएगी।

11. अपील

प्रथम अपील "अपीलीय प्राधिकारी" के यहां दायर की जाएगी जिसके लिए अधिकारी, दिल्ली नगर निगम या दिल्ली प्रशासन के अन्य विभागों या भारत सरकार से लिए जायेंगे। द्वितीय अपील की सुनवाई दो सदस्यीय न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी। प्रथम अपील, स्वयं निर्धारण के आधार पर अपने आप दिए गए कर के बारे में सुनवाई के लिए होगी, जबकि दूसरी अपील विवादास्पद कर के 50 प्रतिशत भुगतान और शेष 50 प्रतिशत के लिए स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यकारी की संतुष्टि के अनुसार जमानत देने पर ही दायर हो सकती है। न्यायाधिकरण द्वारा अपील के निपटान के बाद अन्तिम रूप से देय राशि पर ब्याज, मुख्य

कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिशत की दर से देय होगा और यह उस दिन से देय होगा जिस दिन से मांग देय हुई। यदि अपील के निपटान के बाद कोई राशि वापस की जानी होगी तो दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर निगम यह राशि ब्याज के साथ वापस करेगी।

12. खारिज-दाखिल/बंटवारा

खारिज-दाखिल और बंटवारे की कार्रवाई की प्रक्रिया को आसान किया जाना चाहिए। सारे व्यावहारिक बंटवारे स्वीकार किए जाएंगे और यथानुपात के आधार पर सम्पत्ति कर की बकाया राशि का भुगतान करने पर खारिज दाखिल की अनुमति दी जाएगी।

13. निर्धारणकर्ताओं का पैनल

विभिन्न इलाकों या विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों का कर निर्धारण करने के लिए निर्धारण-कर्त्ताओं का एक पैनल गठित किया जाएगा जो जनता की जानकारी के लिए भी सूचित किया जाएगा।

14. छूट

पूजा स्थलों, असहायों, अनाथ/गरीब बच्चों/वृद्धों/विकलांगों/नेत्रहीनों/बहरे और गूंगों के आवासों और धर्मशालाएं जो किसी विशेष समुदाय के लिए न हों, को 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी जबकि धर्मार्थ औषधालयों और अस्पतालों और सरकार से 95 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त कर रहे सहायता प्राप्त स्कूलों को 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

15. भारत सरकार और राज्य सरकार की सम्पत्ति

भारत सरकार की सम्पत्तियों पर सेवा प्रभारों की राशि बढ़ाई जाय। "संघ सम्पत्ति" को स्पष्ट किया जाय ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संसदीय अधिनियमों के अन्तर्गत गठित प्राधिकरणों, सरकारी कम्पनियों और सोसाइटीज अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित परि-सम्पत्तियों को संघ की सम्पत्ति न माना जाय। व्यापार के लिए प्रयोग की जाने वाली राज्य सरकार की सम्पत्तियों को सम्पत्ति कर देना चाहिये जबकि अन्य सम्पत्तियों पर सेवा प्रभार लगाया जाना चाहिए।

16. सावधिक पुनरीक्षण

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि डी०आर०सी० अधिनियम 1950 के संशोधित उप-लब्ध के अन्तर्गत मानक किराया, या सम्पात किराये में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत के पुनरीक्षण अनुमति प्राप्त है, इसलिए दिल्ली में कर योग्य मूल्य में अगला पुनरीक्षण 1992-93 में किया जाय। पुनरीक्षण, प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्भर होगा। जिन मामलों में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं होगी उनमें वृद्धि कर योग्य मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से अधिक नहीं होगी।

राष्ट्रीय साफ्टवेयर विकास केन्द्र

568. श्री जी० एस० बासवराज :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साफ्टवेयर उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए बंगलौर में साफ्टवेयर के विकास के लिए कोई राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस केन्द्र को पर्याप्त संचार और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार जापानी भाषा सिखाने के लिए बंगलौर में शिक्षण केन्द्र स्थापित करने का भी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय साफ्टवेयर विकास केन्द्र (एन० सी० एस० डी०) की स्थापना बंगलौर में की गई है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

—तेजी से विकसित हो रही साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के सावधानीपूर्वक चुने गए उप सेटों के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य करना।

—भारत में साफ्टवेयर उद्योग के क्षेत्र में व्यवसायविदों को उच्च स्तरीय अनवरत शिक्षण प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देना।

– चुनिंदा उपक्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी से युक्त साफ्टवेयर का डिजाइन तैयार करना और उसे विकसित करना।

अनुसंधान तथा विकास के उपर्युक्त कार्यकलापों के अलावा केन्द्र के कार्यों में निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

— प्रदर्शन, परीक्षण तथा उद्योग के व्यवसाय विदों द्वारा परीक्षात्मक प्रयोग के लिए चुनिंदा कम्प्यूटर साधित प्रणाली इंजीनियरी (सी० ए० एस० ई०) से संबंधित औजारों/साधनों का प्रतिष्ठापन।

—साफ्टवेयर इंजीनियरी के क्षेत्र में पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं के एक व्यापक पुस्तकालय की स्थापना।

साफ्टवेयर परीक्षण तथा मान्यता प्रदायी सेवा।

(ग) और (घ) केन्द्र में संचार तथा परिवहन की उत्तम व्यवस्था है, क्योंकि यह एक केन्द्रीय स्थान अर्थात् विश्वेश्वरैया केन्द्र, डी० बी० आर० अम्बेडकर विधि, बंगलौर-560 001 है।

(ङ) केयोनिक्स से जापानी भाषा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है।

भारतीय उद्योग लिमिटेड की विस्तार योजना

569. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डालर में भुगतान किए जाने के लिए विशेषरूप से निर्मित 1000 सी० सी० कारों का निर्माण करने हेतु मारुति उद्योग लिमिटेड की क्षमता विस्तार योजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो निर्मित किए जाने वाले वाहनों का ब्यौरा क्या है । मशीनरी, उपकरणों की खरीद और परामर्श प्रभार आदि पर कितनी विदेशी मुद्रा का निर्गमन होगा तथा इस उद्यम से देश को कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड के 45.30 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित 97.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 30,000 कार प्रति वर्ष की कुल क्षमता से 1000 सी० सी० कारों के निर्माण के प्रस्ताव को जुलाई, 1988 में अनुमोदित कर दिया । तथापि, सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के आबंटन को दृष्टिगत नहीं रखा गया क्योंकि मारुति उद्योग लिमिटेड को अपेक्षित राशि, सुजुकी मोटर कम्पनी से अतिरिक्त ईक्विटी शुल्क और बाह्य ऋणों के माध्यम से एकत्र करनी थी । लाभों में घरेलू मांग को पूरा किया जाना और निर्यातों के माध्यम से विदेशी मुद्रा का अर्जन सम्मिलित है।

दूरदर्शन पर विज्ञापन की दरों में वृद्धि

570. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन पर विज्ञापन की दरों में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले वाणिज्यिक विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों की दरों में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं जो दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार परिचालन लागत, बाजार की समग्र परिस्थितियों, समय की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या आदि को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं । दरों में आखिरी संशोधन 1 जुलाई, 1990 से लागू किया गया था।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा हल्के लड़ाकू विमानों का निर्माण

572. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड एच० ए० एल० ने नई चुनौतियों का सामना

करने के लिए वैसा ही तकनीकी विकास कर लिया है जैसा कि पश्चिमी देशों ने अब कर रखा है;

(ख) क्या एच० ए० एल०, सेना के प्रयोग के लिए हल्के लड़ाकू विमान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है; और

(ग) यदि हां, तो वास्तविक विमान का नमूना कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में स्थापित उत्पादन क्षेत्रों में सुविधाएं और प्रौद्योगिकी, विदेशों में मौजूदा वैमानिकी उद्योगों के ही समान हैं।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड इस समय, प्रौद्योगिकी प्रदर्शक आद्यरूपों के उत्पादन के लिए, हल्के युद्धक विमान को पूर्ण पैमाने पर इंजीनियरी विकास के प्रथम चरण पर कार्य कर रहा है। प्रथम आद्यरूप वर्ष 1995-96 में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

मधुबनी दूरदर्शन की क्षमता का विस्तार

[हिन्दी]

573. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मधुबनी दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) फिलहाल मधुबनी बिहार में कार्यरत अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

मैथिलीभाषी लोगों की जनसंख्या

574. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली दो-तीन जनगणना में मैथिलीभाषी लोगों की संख्या अलग से प्रकाशित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्रमश: 1951, 1961, 1971 और 1981 की जनगणना के अनुसार मैथिलीभाषी लोगों की अप्रकाशित जनसंख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1991 की जनगणना के दौरान मैथिली सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषा-भाषियों का रिकार्ड रखने के लिए स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) 1961 की जनगणना में अपनी मातृ भाषा मैथिली बताने वाले लोगों की संख्या अलग से प्रकाशित की गई थी। तथापि पिछली जनगणनाओं अर्थात 1971 और 1981 में उन्हें अलग से प्रकाशित नहीं किया गया है।

(ख) 1971 तथा 1981 की जनगणनाओं में कुछ मामलों में मातृ भाषा को सम्बद्ध भाषाओं के अधीन समूहबद्ध किया गया था। ऐसा पहले से उपलब्ध सूचना के आधार पर अथवा पहले किए गए अध्ययन को ध्यान में रखते हुए किया गया था। केवल "पहचान की जा सकने वाली" मातृ-भाषाओं, जिसमें प्रत्येक अखिल भारतीय स्तर पर 10,000 और उससे अधिक भाषाएं बोलने वाले हैं, को प्रकाशित किया गया है, जिसके अधीन उन्हें समूहबद्ध किया गया था।

1951 और 1961 की जनगणना के अनुसार देश में मैथिली मातृ-भाषा वाले व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 97,757 तथा 4,984,811 थी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) उक्त "ग" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मातृ-भाषा/भाषा के बारे में 1991 के जनगणना आंकड़ों के प्रकाशन की प्रक्रिया को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विदेशों से हथियार

575. श्री प्रकाश कोको ब्रह्म भट्ट :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, असम और जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों से भारी मात्रा में विदेशी हथियार जब्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये हथियार किन देशों में बने हुए पाए गए हैं;

(ग) क्या इस मामले को सम्बद्ध देशों के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों से बड़ी मात्रा में शस्त्र जब्त किए गए हैं। असम में यू० एल० एफ० ए० के कार्यकर्ताओं से भी शस्त्र बारमद किए गए हैं। इनमें से कुछ शस्त्र विदेशों में बने हुए हैं। बहुत से मामलों में निर्माणकर्ताओं के चिन्हों को मिटा दिया गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी गुजरात की परियोजनाएं

[अनुवाद]

576. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की कुछ विकास परियोजनाएं योजना आयोग की स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए रोजगार योजना

577. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

श्री लाल गोपाल मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अनुसार समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो योजना की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्य राज्य सरकारों से ऐसी योजनाएं बनाने के लिए कहा है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो ऐसी योजनाएं बनाने के लिए तैयार हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं को बनाने और उनके कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को सहायता करने के लिए सहमत हो गई हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गुजरात सरकार ने "शून्य बेरोजगारी कार्यक्रम" की एक योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत यह आशा की जाती है कि प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, स्व-रोजगार अथवा वैतनिक नियोजन कार्य में लाभकारी रोजगार दिया जाए। आरम्भ में, वर्ष 1990-91 के दौरान इस प्रयोजन के लिए गांधीनगर तथा डांग्स जिलों को चुना गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इलेक्ट्रानिकी का विकास

578. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रानिकी के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) कर्नाटक राज्य में इलेक्ट्रानिकी के संवर्धन एवं विकास के लिए उस राज्य सरकार को सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रानिकी विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो धनराशि आबंटित की जाएगी उसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग इलेक्ट्रानिकी के सभी संगत क्षेत्रों में सम्पूर्ण देश में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, संबंधित राज्य सरकार अथवा राज्य स्तरीय इलेक्ट्रानिकी विकास निगम जैसे अभिकरण राज्य में विशिष्ट औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कुछ सुविधाएं तथा संवर्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध कराते हैं। इलेक्ट्रानिकी विभाग आवश्यक मार्ग-दर्शन तथा अनुमोदन/लाइसेंस आदि भी प्रदान करता है। इलेक्ट्रानिकी विभाग जनशक्ति विकास, शिक्षा, गुणवत्ता, नियन्त्रण, परीक्षण तथा मानकीकरण, इलेक्ट्रानिकी में अनुसंधान तथा विकास कार्य आदि जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

इलेक्ट्रानिकी विभाग ने स्थानीय साफ्टवेयर उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए एक साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की है ताकि साफ्टवेयर का निर्यात किया जा सके। राष्ट्रीय साफ्टवेयर विकास केन्द्र की बंगलौर में स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों को कार्यान्वित करना है।

आंध्र प्रदेश में भारतीय सीमेंट निगम की परियोजनाएं

579. श्री राजमोहन रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम (सी०सी०आई०) ने आंध्र प्रदेश में कुछ परियोजनाओं की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब से आरम्भ होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में येरागुन्तला, जिला कुडप्पा में 4 लाख टन से 10 लाख टन सीमेंट प्रतिवर्ष के

विस्तार के लिए एक परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। परियोजना की स्वीकृत लागत 191.25 करोड़ रुपये है जोकि मार्च, 1989 में अनुमोदित की गई थी।

(ग) प्रारम्भ में, परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब निधियों की कमी के कारण हुआ था। वांछित निधियों की उपलब्धता के पश्चात्, परियोजना के पूरा होने में लगभग 24 महीने का समय लगने की सम्भावना है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र

590. बाबा सुच्चा सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में मंजूर की गई केन्द्रीय पूंजी निवेश सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लघु क्षेत्र के एककों के लाभार्थ इन पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की एक सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाले उद्यमी लाइसेंस में प्राथमिकता, रियायती वित्त इत्यादि के पात्र हैं।

(ग) केन्द्रीय निवेश राजसहायता राज्य-वार वितरण को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लगाये जाने वाले लघु एककों के लिए एक केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना शुरू करने का निर्णय किया है।

विवरण-1

आंध्र प्रदेश (14)	—अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्डापाह, करीमनगर, खम्माम, कुरनूल, मेहबूब नगर, मेडक, नालगोंडा, नेलौर, निजामाबाद, ओनगोल, श्रीकाकुलम और वारांगल।
बिहार (18)	—भागलपुर, चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पलामू, पूर्णिया, शहरसा, संथाल परगना, सारन, नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बेगुसराय, मुंगेर, खगरिया और माधोपुर।

गुजरात (11)	—अमरेली, बनासकंठा, भावनगर, भड़ौच, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल, साबरकंठा, सुरेन्द्रनगर और डांग।
हरियाणा (4)	—भिवानी, हिसार, जींद और महेन्द्रगढ़।
केरल (7)	—अल्लेप्पी, कन्नानोर, मालापुरम, त्रिचूर, त्रिवेन्द्रम, वाईनाड और इडुक्की।
कर्नाटक (11)	—बेलगाम, बीदर, बिजापुर, धारवार, गुलबर्ग, हसन, मैसूर, नार्थ कानारा, रायचूर, साउथ कानारा और टुमकुर।
मध्य प्रदेश (36)	—बालाघाट, बस्तर, बेतुल, बिलासपुर, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, दातिया, धार, देवास, गुना, होशंगाबाद, झबुआ, खारगौन, मंडला, मांडसोर, मुरेना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, राजेन्दगांव, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, रेवा, सागर, शेवनी, साजापुर, शिवपुरी, सिंढी, शुरगुजा, टिकमगढ़, विदिशा और नया सेहौर जिला।
महाराष्ट्र (14)	—औरंगाबाद, भंडारा, भीर, बुल्धाना, चंद्रापुर, कोलाबा, धुलिया, जलगांव, नान्देड़, ओसमानाबाद, परभनी, रतनगिरी, योतमाल तथा गढ़चिरोली।
उड़ीसा (8)	—बालासोर, बोलनगीर, धेनकलाल, कालाहन्डी, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभन्ज तथा फुलबनी।
पंजाब (5)	—भटिण्डा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर तथा संगरूर।
राजस्थान (16)	—अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बाडमेर, चुरू, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुनू, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोही, टोंक तथा उदयपुर।
तमिलनाडु (9)	—धर्मापुर, कन्याकुमारी, मदुरै, नार्थ, आरकोट, रामानाथापुरम, साउथआरकोट, तंजावूर, तिरूचिरापल्ली तथा जिला पुडीकोट्टोई।
उत्तर प्रदेश (41)	—अल्मोड़ा, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, उन्नाव, उत्तरकाशी, कानपुर देहात, पौड़ी-गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, शाहजहांपुर, सीतापुर और सुल्तानपुर।

पश्चिम बंगाल (13)	—बांकुरा, बीरभूम, बर्द्धमान, कूच-बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, मालदा, मिदनापुर, मुर्शीदाबाद, नाडिया, पुरुलिया तथा पश्चिम दिनाजपुर।
असम	—समस्त राज्य
हिमाचल प्रदेश	,,
जम्मू और कश्मीर	,,
मणिपुर	,,
मेघालय	,,
नागालैंड	,,
अरुणाचल प्रदेश	,,
गोवा	,,
मिजोरम	,,
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	,,
दादरा और नगर हवेली	,,
दमन और दीव	,,
पांडिचेरी	,,
लक्षद्वीप	,,

नोट—इस जिले/क्षेत्र में 1.10.70 को मौजूद जिला/क्षेत्र शामिल होंगे जो इन जिलों को काटने से पूर्व इसके पुनर्गठन से पहले थे और उसके बाद औद्योगिक रूप से पिछड़े बने रहे।

विवरण-2

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1972-73 से 1979-80	1980-81 से 1984-85	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	8.18	19.06	9.46	14.05	9.87	10.48	2.68	73.78
2.	असम	1.39	2.8	3.02	2.32	7.00	4.12	5.60	26.25
3.	बिहार	1.18	1.9	—	6.22	1.80	2.99	1.19	15.28
4.	गुजरात	5.79	18.47	3.23	4.77	6.72	15.32	2.87	57.17
5.	हरियाणा	1.69	6.95	1.79	1.47	1.49	0.99	1.26	15.64
6.	हिमाचल प्रदेश	2.38	14.61	6.03	10.00	10.92	8.53	4.87	57-34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	जम्मू और कश्मीर	1.91	8.33	5.52	6.40	7.81	8.99	20.46	59.42
8.	कर्नाटक	4.80	15.5	6.55	6.48	4.02	—	4.10	41.45
9.	केरल	3.48	7.8	1.66	2.70	3.43	3.67	0.30	23.04
10.	मध्य प्रदेश	3.44	15.65	12.48	9.68	12.18	15.38	3.68	72.49
11.	महाराष्ट्र	7.59	12.34	3.65	3.43	2.83	5.48	2.49	37.81
12.	मणिपुर	0.12	0.91	0.90	0.83	0.30	0.27	—	3.33
13.	मेघालय	0.19	0.71	0.12	0.43	0.71	—	0.88	3.04
14.	नागालैंड	0.54	1.65	0.82	0.95	4.72	2.28	5.14	16.10
15.	उड़ीसा	0.96	6.17	1.70	2.90	2.46	3.20	2.67	20.06
16.	पंजाब	2.85	10.12	2.80	2.28	2.22	2.60	0.17	23.04
17.	राजस्थान	6.19	23.31	8.59	6.34	12.20	8.29	5.21	70.13
18.	सिक्किम	0.05	0.78	0.30	1.11	2.77	8.97	0.21	6.19
19.	तमिलनाडु	10.09	28.35	10.69	5.47	8.45	8.88	3.16	75.09
20.	त्रिपुरा	0.22	0.23	—	0.10	—	1.05	—	1.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	उत्तर प्रदेश	1.47	6.54	12.54	22.72	31.86	24.56	9.51	109.20
22.	प० बंगाल	1.52	3.45	1.37	1.26	4.04	4.64	0.76	17.04
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.05	0.52	0.15	0.19	0.17	0.17	—	1.25
24.	दादरा और नगर हवेली	0.32	0.96	0.27	0.92	5.77	2.47	—	10.71
25.	अरुणाचल प्रदेश	0.09	0.87	—	0.84	0.22	0.48	—	2.50
26.	गोवा	2.22	10.4	2.52	3.79	6.31	7.95	3.65	36.84
27.	मिजोरम	0.06	1.2	1.08	4.55	0.38	7.08	0.16	14.51
28.	पाण्डिचेरी	0.27	3.13	4.03	2.92	3.70	4.13	0.28	18.46
	योग :	69.04	222.71	101.27	125.12	154.35	154.97	81.30	908.76

पंजाब में नवयुवकों में बेरोजगारी

581. श्री बाबा सुच्चा सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पंजाब में नवयुवकों में बेरोजगारी का प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से इस राज्य में श्रमिकों का आगमन है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में श्रमिकों के आगमन को न रोकने के क्या कारण हैं;

(ग) पंजाब में बेरोजगारी का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इन कदमों से पंजाब राज्य में श्रमिकों का आगमन किस सीमा तक रोके जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) श्रमिकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन का निर्धारण महसूस की गई आवश्यकताओं तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक कारणों द्वारा किया जाता है। देश के अन्दर ऐसे आवागमन को रोकना कानूनी रूप से विवेकपूर्ण नहीं होगा। तथापि, राज्य सरकार युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से विभिन्न कार्यक्रम चला रही है।

पंजाब में अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु योजनाएं

582. बाबा सुच्चा सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में चालू वर्ष के दौरान धन की कमी के कारण अनुसूचित जातियों के कल्याण की किन-किन योजनाओं को रोक दिया गया है;

(ख) हरिजन धर्मशाला के निर्माण हेतु कितनी अनुदान राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए दी गई अनुदान राशि पर्याप्त है तथा यह राशि सभी मामलों में एक समान है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें यदि कोई अन्तर हैं तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना पंजाब सरकार से मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद

[हिन्दी]

583. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री 22 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या—2118 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद के कर्मचारियों से संबंधित मामले की पुनरीक्षा की है और उनके भविष्य के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद को जारी रखने से सम्बद्ध मामले की अभी जांच की जा रही है।

योजना आयोग की बैठक

584. श्री शिवशरण वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 सितम्बर, 1990 को योजना आयोग की पूर्ण बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में जिन विषयों पर बहस/विचार-विमर्श हुआ, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है या करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) पूर्ण योजना आयोग की बैठक 18 सितम्बर, 1990 को हुई थी।

(ख) और (ग) यह बैठक "आठवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय आयाम और क्षेत्रकीय आवंटन" विषयक कार्यसूची मद पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए मूल ढांचे के रूप में थी। इस मूल ढांचे के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने से संबंधित कार्य चल रहे है।

दिल्ली नगर निगम में नियुक्त व्यक्तियों को आयु सीमा में छूट देना

585. डा० बंगाली सिंह :

क्या प्रधान मंत्री 3 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4055 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) दिनांक 3-9-1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4055 के उत्तर की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है और जिन्हें श्रेणी "सी" पद के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम में नियुक्त किया गया है, उन्हें कर्मचारी चयन आयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा अगली भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट देने के लाभ से वंचित रखा गया था;

(ख) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिल्ली प्रशासन/मंत्रालयों के कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम में नियुक्त कर्मचारियों को आयुसीमा में छूट दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(क) से (ग) कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना, भारत सरकार के विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में गैर-तकनीकी समूह "ग" पदों पर भर्ती के लिए की गई थी तथा इसमें रेलवे सेवा आयोगों तथा औद्योगिक संस्थानों द्वारा की जाने वाली भर्ती शामिल नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग, दिल्ली प्रशासन के अधीन पदों की विभिन्न श्रेणियों जैसे की अवर श्रेणी लिपिकों, आशुलिपिकों आदि के लिए भी भर्ती करता है। कुछ शर्तों के अधीन, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के लिए आयु रियायत की अनुमति दी जाती है। ये रियायतें दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को भी दी जाती है।

1977 से कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली नगर निगम के लिए अवर श्रेणी लिपिकों की भी भर्ती कर रहा है। 1988 में कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली नगर निगम के अनुरोध पर निगम के लिए सहायक अध्यापकों (प्राइमरी) की भर्ती का भी कार्य हाथ में लिया। यद्यपि दिल्ली नगर निगम में नियुक्त अवर श्रेणी, लिपिक तथा सहायक अध्यापक की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई है, फिर भी वे दिल्ली नगर निगम की सेवा शर्तों द्वारा शासित होते हैं तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के रूप में नहीं माना जा सकता है। अतः मंत्रालयों/विभागों तथा दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को अनुज्ञेय आयु रियायतें दिल्ली नगर निगम जैसी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को अनुज्ञेय नहीं है। यद्यपि वे अपने विद्यमान पदों में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई भर्ती के आधार पर नियुक्त किए गए हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशियां

[अनुवाद]

586. श्री जनार्दन पुजारी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजकों द्वारा भविष्य निधि आयुक्त के पास 31 मार्च, 1990 तक भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराई गई;

(ख) सरकार ने इस राशि को शीघ्र जमा करवाने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1990 तक उन गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों से क०भ०नि० अंशदान की बाबत 98.76 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया थी जो क० भ० नि० प्राधिकारियों के पास अपने भविष्य निधि अंशदान जमा कराते हैं।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने वर्ष 1989-90 के दौरान बकाया राशि की वसूली के लिए चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की है :—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत 5,443 राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किए;

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत 10,777 अभियोजन मामले दायर किए गए;

(iii) कर्मचारियों की मजदूरी में से काटे गए अंशदान का भुगतान न करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों के पास 454 शिकायतें दर्ज की गईं;

(iv) भविष्य निधि अंशदान के विलम्बित भुगतान के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 ख के अन्तर्गत 616.27 लाख रुपये के क्षति मूल्य की उगाही की गई।

कर्मचारी भविष्य निधि देयों के बकाया की वसूली के लिए एक जुलाई, 1990 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक स्वतन्त्र तंत्र बनाया गया है। यह तंत्र पिछले बकाया की शीघ्र वसूली के लिए कार्य करेगा।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत ग्रेजुएट/अण्डर ग्रेजुएट उम्मीदवार

587. श्री बालगोपाल मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार कार्यालयों में लिपिक पदों के लिए राज्यवार कितने ग्रेजुएट/अंडर ग्रेजुएट उम्मीदवार पंजीकृत हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने-कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) व्यवसाय द्वारा "लिपिकीय तथा संबंधित कर्मकार" के रूप में वर्गीकृत कार्यों के लिए

1987 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की राज्य-वार संख्या अनुबंध-I में दी गई है। इसके लिए शैक्षिक ब्यौरे नहीं रखे जाते। इसके अतिरिक्त स्नातकों तथा पूर्वस्नातकों, जो रोजगार चाहने वाले नये व्यक्ति हैं और जिनके बारे में लिपिकीय कार्यों हेतु भी विचार किया जा सकता है, की संख्या संबंधी सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 1988, 1989 तथा जनवरी—सितम्बर, 1990 के दौरान की गई कुल नियुक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

दिसम्बर, 1987 के अन्त में चालू रजिस्टर पर लिपिकीय कार्यों के लिए पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	व्यवसाय "लिपिकीय एवं संबंधित कर्मकार" के अन्तर्गत पंजीकृत रोजगार चाहने वाले	रोजगार चाहने वाले नये व्यक्ति	
		स्नातक	पूर्वस्नातक
1	2	3	4
राज्य			
1. आन्ध्र प्रदेश	94.8	173.7	1185.7
2. अरुणाचल प्रदेश	अनु		
3. असम	6.6	53.8	390.9
4. बिहार	145.8	222.8	1204.8
5. गोवा	9.0	5.9	18.1
6. गुजरात	18.4	37.3	358.9
7. हरियाणा	51.3	26.0	179 9
8. हिमाचल प्रदेश	22.5	16.6	147.5
9. जम्मू व कश्मीर	4.1	9.6	38 1
10. कर्नाटक	50.8	74.6	458.7
11. केरल	201.9	104.7	1248.0
12. मध्य प्रदेश	48.5	154.1	741.0

1	2	3	4
13. महाराष्ट्र	143.7	143.6	1072.1
14. मणिपुर	1.6	25.4	130.7
15. मेघालय	0.2	1.0	7.6
16. मिजोरम	—	2.2	11.5
17. नागालैंड	0.4	1.2	7.7
18. उड़ीसा	32.7	72.7	234.9
19. पंजाब	50.7	43.6	172.2
20. राजस्थान	3.1	73.1	324.1
21. सिक्किम*			
22. तमिलनाडु	167.5	178.0	923.7
23. त्रिपुरा	0.5	9.3	59.4
24. उत्तर प्रदेश	65.1	368.4	1181.2
25. पश्चिम बंगाल	175.9	402.6	1745.3
संघशासित प्रदेश			
1. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.5	अनु	अनु
2. चण्डीगढ़	18.1	10.7	30.2
3. दादर एवं नगर हवेली	अनु	अनु	अनु
4. दिल्ली	105.8	60.9	255.0
5. दमन एवं दीव			
6. लक्षद्वीप	0.1	अनु	अनु
7. पाण्डिचेरी	4.1	5.0	37.3
कुल	1424.5	2276.0	12164.5

टिप्पणी।—1. *कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

2. **आंकड़े नहीं रखे जाते।

3. अनु=अनुपलब्ध

4. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े मेल न खाएं।

विवरण-2

1988, 1989 तथा जनवरी—सितम्बर, 1990 के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गई नियुक्तियों की संख्या

(हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	निम्न वर्षों में की गई कुल नियुक्तियों की संख्या		
	1988	1989	जनवरी—सितम्बर, 1990
1	2	3	4
राज्य			
1. आंध्र प्रदेश	19.5	27.4	14.6
2. अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3. असम	6.4	6.3	2.9
4. बिहार	18.7	15.4	12.4
5. गोआ	1.9	0.9	0.6
6. गुजरात	13.0	14.2	13.0
7. हरियाणा	12.1	6.8	5.4
8. हिमाचल प्रदेश	7.1	6.9	4.6
9. जम्मू एवं कश्मीर	1.5	0.4	0.4
10. कर्नाटक	8.4	8.3	7.0
11. केरल	15.6	14.2	11.8
12. मध्य प्रदेश	25.3	27.8	18.0
13. महाराष्ट्र	29.7	23.9	18.7
14. मणिपुर	0.4	0.3	0.1
15. मेघालय	0.3	0.3	0.4
16. मिजोरम	1.5	0.9	0.5
17. नागालैंड	0.5	0.2	0.3
18. उड़ीसा	10.0	9.1	8.1
19. पंजाब	9.0	6.5	3.0

1	2	3	4
20. राजस्थान	13.3	8.8	6.1
21. सिक्किम*			
22. तमिलनाडु	50·6	45.5	31.5
23. त्रिपुरा	1.7	1.1	0.0
24. उत्तर प्रदेश	29.1	25.8	14.9
25. पश्चिम बंगाल	12.9	10.7	6.3
संघ शासित प्रदेश			
1. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.4	1.1	0.4
2. चण्डीगढ़	1.4	1.6	0.9
3. दादर एवं नगर हवेली	0.1	0.1	अनु०
4. दिल्ली	36.8	23.0	18.6
5. दमन एवं दीव**			
6. लक्षद्वीप	@	0.2	0.1
7. पाण्डीचेरी	1.4	1.1	0.3
कुल	328.5	289.2	201.6

टिप्पणी :—1. *कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

2. **आंकड़े नहीं रखे जाते।

3. @=संख्या 50 से कम है।

4. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े मेल नहीं खाएं।

5. अनु०=उपलब्ध नहीं।

राजस्थान में शम्भुपुरा में सीमेंट संयंत्र की स्थापना

588. श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के पास चित्तौड़गढ़ से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित शम्भुपुरा में चूने की दो खानों का पट्टा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां एक सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जाने की सम्भाव्यता रिपोर्ट सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया को दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का शम्भूपुरा में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक स्थापित किया जाएगा और इसमें अब तक हुई देरी के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा शम्भूपुरा में एक मिलियन टन क्षमता वाला सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक सम्भाव्यता रिपोर्ट भारत सरकार को अक्तूबर, 1983 में प्रस्तुत की गई थी।

(ग) से (ङ) निधियों में कमी के कारण, इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करना सम्भव नहीं हो पाया है।

जम्मू और कश्मीर में मुगल रोड का निर्माण

589. श्री जनक राज गुप्त :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में थाना मंडी में मुगल रोड के निर्माण की स्वीकृति काफी समय पहले दी गई थी;

(ख) इस प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया गया था और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी; और

(ग) इसका निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप इसकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) भारत सरकार ने ऐसी किसी सड़क के निर्माण की मंजूरी नहीं दी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अक्तूबर में कारसेवा के अवसर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाधाएं खड़ी करना

590. प्रो० राम गजेश कापसे :

श्री लालकृष्ण आडवानी :

श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर में कारसेवा के अवसर पर अयोध्या जाने वाले यातायात को रोकने के लिए कुछ राजमार्गों पर बाधाएं खड़ी की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये बाधाएं किन-किन स्थानों पर खड़ी की गई थीं तथा किस प्रकार की बाधाएं खड़ी की गई थीं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग को कितनी क्षति पहुंची है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामान्य स्थिति बहाल करने में कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

श्रीलंका के तमिल शरणार्थी

591. श्री जनार्दन पुजारी :

डा० वेंकटेश काबड़े :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों का भारत में आगमन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो 15 दिसम्बर, 1990 तक भारत में कितने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी आ चुके थे;

(ग) ऐसे शरणार्थियों की संख्या कितनी है जो गत तीन माह में श्रीलंका वापस लौट गए हैं; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक उन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जून, 1990 के बाद जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1990 महीनों के दौरान श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों का आगमन बढ़ा है। तथापि, आने वाले शरणार्थियों की संख्या अब पर्याप्त रूप से कम हो गई है।

(ख) 15 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका के 2,10,721 तमिल शरणार्थी भारत आये।

(ग) बताया जाता है कि पिछले तीन महीनों के दौरान कोई भी शरणार्थी श्रीलंका वापस नहीं गया।

(घ) 1 अप्रैल, 1990 से 30 नवम्बर, 1990 की अवधि के दौरान उन पर 31.10 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

592. श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को केन्द्रीय महंगाई भत्ता देने के बारे में निर्णय ले लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के किन-किन उपक्रमों में यह मंहगाई भत्ता दिया गया है; और

(ग) शेष उपक्रमों के कर्मचारियों को यह महंगाई भत्ता कब तक दिया जाएगा ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) सरकार ने यह निर्णय किया है कि सरकारी क्षेत्र के 69 उद्यमों में कार्यरत कुछ विशिष्ट वर्ग के कर्मचारियों, जिनकी संख्या लगभग 1.7 लाख है, पर केन्द्रीय महंगाई भत्ता फार्मूला लागू रहे। इन 69 उद्यमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। बहरहाल, इन उद्यमों के ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1-1-89 को अथवा उसके बाद हुई है, पर औद्योगिक महंगाई भत्ता फार्मूला एवं तत्सम्बन्धी वेतनमान लागू होगा। इस व्यवस्था के फलस्वरूप अन्ततः केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के कर्मचारी औद्योगिक महंगाई भत्ता फार्मूला द्वारा शासित होंगे।

विवरण

क्र०सं०	उद्यम का नाम
1	2
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन और बागान विकास निगम लि०
2.	भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि०
3.	भारत गोल्ड माइन्स लि०
4.	भारत लेदर कारपोरेशन लि०
5.	भारत आपथेल्मिक ग्लास लि०
6.	बोंगाइगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लि०
7.	भारतीय सीमेंट निगम लि०
8.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०
9.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम लि०
10.	भारतीयरुई निगम लि०
11.	दिल्ली परिवहन निगम

1	2
12.	एजूकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लि०
13.	इंजीनियर्स इंडिया लि०
14.	इंजीनियररिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि०
15.	भारतीय खाद्य निगम लि०
16.	भारी उद्योग निगम लि० (मेडीकल डाक्टर केवल)
17.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि०
18.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०
19.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०
20.	हास्पीटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कारपोरेशन (इंडिया) लि०
21.	आवास एवं नगर विकास निगम
22.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि०
23	इंडियन मेडिसन्स फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लि०
24.	इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि०
25.	इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०
26.	भारतीय पर्यटन विकास निगम लि०
27.	भारतीय पटसन निगम लि०
28.	महानगर टेलीफोन निगम लि०
29.	मेग्नीज ओर (इंडिया) लि०
30.	मझगांव डाक लि०
31.	खनिज गवेषण निगम लि०
32.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०
33.	माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि०
34.	नेशनल एयरपोर्ट अथारिटी
35.	नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि०
36.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०

1	2
37.	नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०
38.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०
39.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
40.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०
41.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०
42.	राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम लि०
43.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०
44.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०
45.	नेशनल टैक्सटाइल निगम लि०
46.	नेशनल टेक्सटाईल निगम (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि०
47.	नेशनल टेक्सटाईल निगम (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि०
48.	नेशनल टेक्सटाईल निगम (गुजरात) लि०
49.	नेशनल टेक्सटाईल निगम (मध्य प्रदेश) लि०
50.	नेशनल टेक्सटाईल निगम (महाराष्ट्र उत्तर) लि०
51.	नेशनल टेक्सटाईल निगम (दक्षिण महाराष्ट्र) लि०
52.	नेशनल टेक्सटाईल निगम (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि०
53.	नेशनल टेक्सटाईल निगम (उत्तर प्रदेश) लि०
54.	नेशनल टेक्सटाईल निगम (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०
55.	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०
56.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०
57.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०
58.	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि०
59.	रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकोनोमिक सर्विसिज लि०
60.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि०
61.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
62.	ग्रामीण विद्युतीकरण कारपो० लि०

1	2
63	सांभर साल्ट्स लि०
64.	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि०
65.	टेलीकम्युनिकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लि०
66.	यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
67.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कं० लि०
68.	विदेश संचार निगम लि०
69.	वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लि०

राज सहायता योजना को फिर से शुरू करना

593. श्री वसुदेव आचार्य :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिछड़े लोगों में औद्योगीकरण के लिए राज सहायता देने की योजना को फिर से शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना जो 30 सितम्बर, 1988 को समाप्त कर दी गई थी/को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु तत्कालीन वित्त मंत्री ने केवल ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों के लिए मई, 1990 में अपने बजट भाषण में एक नयी राज-सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की थी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

594. श्री प्रकाश कोको शहाग्रद्दट :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार-निरोधी एक बड़े अभियान के अन्तर्गत देश भर में अनेक स्थानों पर छापे मारे हैं और सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं जैसाकि 30 नवम्बर, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में छपा था;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके यहां छापे मारे गये थे;

(ग) उनके यहां कितने मूल्य की अवैध चल/अचल संपत्ति मिली तथा किस प्रकार के अभिसंसी दस्तावेज पकड़े गए; और

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जिन अधिकारियों के परिसरों की तलाशी ली गई थी उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त तलाशी के दौरान निम्नलिखित चल/अचल परिसम्पत्तियां पाई गईं :—

चल परिसम्पत्तियां	:	87.92 लाख रुपये
अचल परिसम्पत्तियां	:	70.76 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त काफी मात्रा में अभिशंसी दस्तावेज भी अभिगृहीत किए गए।

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।

विवरण

सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जिन अधिकारियों के परिसरों की तलाशी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ली गई थी, उनके विवरण

1. वित्त मंत्रालय (मुद्रणालय)
2. आयकर विभाग
3. भारतीय साधारण बीमा निगम लि०
4. राष्ट्रीय अल्यूमीनियम कम्पनी।
5. खान सुरक्षा निदेशक का कार्यालय।
6. मिनर्वा मिल्ज।
7. राष्ट्रीय वस्त्र निगम।
8. योजना जनशक्ति, मन्त्रालय अरुणाचल प्रदेश।
9. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क।
10. भारतीय तेल निगम।
11. रक्षा लेखा नियंत्रक का कार्यालय।
12. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम।
13. भारत अल्यूमीनियम कम्पनी।
14. केन्द्रीय कोलफील्ड, रांची।
15. भारतीय स्टेट बैंक।
16. यूको बैंक।
17. विजया बैंक।
18. बैंक आफ बड़ौदा।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की जांच

[हिन्दी]

595. श्री हरीश पाल :

क्या प्रधान मंत्री 20 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1856 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध जांच से सम्बन्धित अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात 1987, 1988, तथा 1989 के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए गए सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	जांच किए गए मामलों की संख्या
1987	790
1988	692
1989	678

जिन मामलों में जांच के पश्चात मुकदमें की कार्रवाई शुरू की गई थी अथवा विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मामलों की संख्या
1987	704
1988	523
1989	326

समुद्री अनुसंधान कार्य के लिए सहयोग

[अनुवाद]

596. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समुद्री अनुसंधान कार्य में सोवियत संघ के साथ सहयोग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में अन्य देशों के साथ सहयोग किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां, श्रीमान्। भारत के सोवियत रूस के साथ समुद्री अनुसंधान में सहयोगी कार्यक्रम हैं।

(ख) ये इस प्रकार हैं :

(1) वायु-समुद्र विनिमय प्रक्रम अध्ययन एवं मानसून गतिकी पर उनके प्रभाव।

(2) हिन्द महासागर में भूमध्य रेखीय धाराओं के अंतरिक्ष समय ढांचे में विभिन्नताएं।

(3) हिन्द महासागर के कटक एवं पश्चआर्क बेसिनों का भूविज्ञान एवं धातुजननिक।

(4) भूमध्यरेखीय हिन्द महासागर में आधारभूत अनुसंधान एवं पारिस्थितिक तंत्र का विश्लेषण।

(5) हिन्द महासागर के विरूपण जोन में पर्पटी की प्रकृति की जांच पड़ताल।

(ग) समुद्र विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों में जर्मनी और अमरीका के साथ भी सहयोगी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(1) अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में चतुर्थक उत्प्रवाह और मानसून से सम्बन्धित प्रक्रम पर भारत-जर्मन कार्यक्रम।

(2) हिन्द महासागर से जैव क्रियाशील पदार्थ पर भारत अमरीकी कार्यक्रम; समुद्री धातुओं और मिश्रधातुओं का संक्षारण; और पर्यावरणीय प्राचलों का अध्ययन, जो भारतीय जल में सतह का स्थूल परिदूषण नियंत्रण और भारतीय तट के समुद्री जीवों में से घुले हुए जैव क्रियाशील पदार्थों के परिदूषण विरोधी गुण धर्मों का नियंत्रण करते हैं।

भाड़ा समकरण योजना को समाप्त करना

597. श्री सुधीर गिरि :

श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने भाड़ा समकरण योजना को समाप्त करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद् के पास वापस भेजा जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो क्या परिषद के विचार प्राप्त हो गए हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लेगी ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) पूर्वी प्रदेश

के राज्य तो पहले से ही भाड़ा समकरण योजना को हटाने की मांग करते रहे हैं परन्तु पूर्वी प्रदेश से दूर के राज्यों ने योजना को अनिश्चित काल तक जारी रखने की मांग की है।

(ग) भिन्न-भिन्न राज्यों के हितों के टकराव को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार ने इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्मुख रखने का निर्णय लिया है।

(घ) अभी तक, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है।

(ङ) किसी अन्तिम निर्णय के लिए कोई निश्चित समय-अनुसूची निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

खाद्य किरणन परियोजना

598. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 1990 की अपनी रिपोर्ट संख्या 2 में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की अनुपयोगी खाद्य किरणन परियोजना के बारे में की गई टिप्पणी पर सरकार ने कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो अब तक कोई कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अमरीका और आस्ट्रेलिया में कई राज्यों ने हाल ही में खाद्य किरणन पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ङ) क्या सरकार का खाद्य किरणन के विश्व-व्यापी विरोध को देखते हुए इस पर पुनर्विचार के लिए एक ऐसा समीक्षक दल की स्थापना का विचार है जिसमें गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां। सरकार ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की खाद्य पदार्थों के किरणन संबंधी परियोजना के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान दिया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया है कि खाद्य पदार्थों का किरणन एक बेकार परियोजना है अपितु केवल इस परियोजना के कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब के बारे में पूछा है।

(ख) सरकार नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों के बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहेगी।

(i) खाद्य किरणन तथा संसाधन प्रयोगशाला की सुविधाओं का इष्टतम उपयोग न करना

खाद्य किरणन तथा संसाधन प्रयोगशाला में स्थापित किरणन सुविधाएं वाणिज्यिक यूनिट नहीं हैं, लेकिन इनका लक्ष्य भारत में खराब हो जाने वाली वस्तुओं के परिरक्षण के लिए किरणन प्रौद्योगिकी तैयार करने के वास्ते प्रायोगिक

स्तर तक अनुसंधान तथा विकास कार्य करना है। खाद्य पैकेज के किरणक और अनाज के किरणक अनिवार्यत: अनुसंधान और विकास-कार्य के लिए है। इनकी क्षमताएं सीमित हैं जोकि वाणिज्यिक स्तर पर प्रचालन जिसके वास्ते अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, के लिए उपयुक्त नहीं है। इन सुविधाओं का उपयोग पूरे अध्ययन के दौरान किया गया। तथापि, इनका वाणिज्यिक यूनिट के रूप में शत-प्रतिशत उपयोग करने का इरादा कभी नहीं था। आजकल खाद्य पैकेज के किरणक का प्रयोग अनुसंधान और विकास-कार्य के लिए तथा बड़े पैमाने पर प्याज, मसाले, आलू और गेहूं के उत्पादों का किरणन करने के वास्ते किए जाने वाले परीक्षणों के लिए भी किया जा रहा है।

(ii) किरणन प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक स्तर पर अनुप्रयोग करना

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में विभिन्न उत्पादों के लिए विकसित किरणन प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक स्तर पर अनुप्रयोग का दायित्व विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड को दिया गया है जिसकी यह जिम्मेदारी है कि वह मसाले, प्याज और आलू जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों का किरणन करने के लिए अलग-अलग जगहों पर वाणिज्यिक स्तर पर काम करने वाले किरणक बनवाए।

(iii) किरणित खाद्य पदार्थों की बिक्री

भारतीय उपभोक्ता को किरणित खाद्य पदार्थों की बिक्री अथवा उपभोक्ता द्वारा किरणित खाद्य पदार्थों को स्वीकार कर लिए जाने संबंधी प्रयोग तभी किए जा सकते हैं जब परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत खाद्य किरणन प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने संबंधी और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत किरणित खाद्य पदार्थों का व्यापार करने संबंधी नियम अधिसूचित हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। भारत में किरणन प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण तभी हो पाएगा जब सरकार इन नियमों को प्रकाशित कर देगी।

(iv) किरणन संबंधी अनुसंधान के लिए अनशक्ति

खाद्य पदार्थों के किरणन संबंधी अनुसंधान के लिए वास्तव में नियुक्त कार्मिकों की संख्या 1973 में 73 थी जो 1989 से लेकर कम करते हुए 18 कर दी गई है।

आजकल खाद्य प्रौद्योगिकी तथा एन्जाइम अभियांत्रिकी प्रभाग में नियुक्त कुल वैज्ञानिक कर्मचारियों में से केवल 37.5 प्रतिशत कर्मचारी ही खाद्य पदार्थों के किरणन संबंधी कार्य में लगे हुए हैं।

(v) प्याज के किरणन के लिए चल किरणक

प्याज की खेती करने वाले किसानों को और प्याज के व्यापारियों को विभिन्न स्थलों पर किरणन की प्रौद्योगिकी के बारे में प्रदर्शन द्वारा समझाने के लिए बनाए जाने वाले चल किरणक के पूरा होने में इस कारण विलम्ब हुआ कि सुरक्षा

संबंधी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए डिजायन के अनुमोदन में समय लगा और किरणक के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री तथा संघटक प्राप्त करने मे विलम्ब हुआ ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दर्शाई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) अमरीका के खाद्य तथा औषध प्रशासन ने 1 किलोग्रे तक किरणित सभी खाद्य पदार्थों और 30 किलोग्रे तक किरणित मसालों को मनुष्यों द्वारा उपभोग के लिए अनुमोदित कर दिया है, हालांकि संयुक्त राज्य अमरीका में कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर किरणित खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने की कार्रवाई की है 1 मई, 1990 में खाद्य तथा औषध प्रशासन ने पोल्ट्री के किरणन के लिए 3 किलोग्रे मात्रा के उपयोग की अनुमति दी है जो कि संयुक्त राज्य अमरीका के सभी राज्यों पर लागू है । यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका में सभी अलग-अलग राज्यों को अपने कानून बनाने की स्वतंत्रता है जिसका विरोध खाद्य तथा औषध प्रशासन नहीं कर सकता, तथापि, हमें अब तक किसी ऐसे राज्य की जानकारी नहीं है जिसने पोल्ट्री के किरणन के विरुद्ध कोई कानून बनाया हो ।

आस्ट्रेलिया ने खाद्य पदार्थों के किरणन के संबंध मे कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है । अत: उस देश में खाद्य पदार्थों के किरणन पर रोक लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उल्लेखनीय है कि किरणित खाद्य पदार्थ मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने की दृष्टि से सुरक्षित हैं । खाद्य तथा कृषि संगठन-अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण-विश्व स्वास्थ्य संगठन की संयुक्त विशेषज्ञ समिति ने, व्यापक जांच के बाद, बहुत से किरणित खाद्य पदार्थों के संबंध में इस बारे में अनुमति दे दी है कि इनका उपयोग मनुष्य द्वारा किया जा सकता है । अब तक 36 देशों ने किरणित खाद्य पदार्थों के लिए अनुमति दी है और लगभग 20 देश इस प्रौद्योगिकी का उपयोग वाणिज्यिक स्तर पर कर रहे हैं । आलू, प्याज, गेहूं और गेहूं के उत्पादों, मसालों, चूजों, मछली, सॉसेज, आम, पपीता, सेब और स्ट्राबेरी जैसे खाद्य पदार्थों के लिए बहुत से देशों ने अनुमति दे दी है ।

(ङ) सरकार ने खाद्य पदार्थों के किरणन संबंधी प्रौद्योगिकी के संबंध में दिशा-निर्देश देने के वास्ते और उसके सभी पहलुओं के बारे में जांच करने की दृष्टि से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत नेशनल मानीटरिंग एजेंसी नामक एक शीर्ष निकाय का गठन पहले ही कर दिया है । वर्तमान में, नेशनल मानीटरिंग एजेंसी ने मसालों, प्याज और प्रशीतित समुद्री खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए इस प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की अनुमति दी है । मौजूदा नेशनल मानीटरिंग एजेंसी को और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, खाद्य तथा कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक और पुनरीक्षा समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

उद्योगपतियों तथा व्यापारियों के घरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

599. श्री जी० एस० बासवराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1990 के दौरान देश में उद्योगपतियों और व्यापारियों के घरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा छापे मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो इन छापों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(ग) सम्बन्धित उद्योगपतियों, व्यापारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।

कश्मीरी विस्थापितों को राहत

600. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

श्री फूलचंद वर्मा :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री जनार्दन तिवारी :

श्री चिरंजी लाल शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में प्रत्येक कश्मीरी विस्थापितों को प्रत्येक माह कितनी राहत राशि दी जा रही है;

(ख) उन्हें किस प्रकार के आवास दिए गए हैं और ऐसे एक आवास में अधिकतम कितने विस्थापित रखे गए हैं;

(ग) जाड़े की तीव्रता से बचाव के लिए महिलाओं पुरुषों को दी गई मदों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) कश्मीर में उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) कश्मीर घाटी से आने वाले प्रवासियों ने पहले जम्मू में तथा उसके बाद दिल्ली में शरण ली है। देश के अन्य भागों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या बहुत कम है। जम्मू में प्रवासियों के प्रत्येक व्यक्ति को 9 कि० आटा, 2 कि० चावल तथा 1 कि० चीनी मुफ्त दी जा रही है तथा उपलब्ध होने पर सरकारी भवनों/शिविरों में रहने के लिए जगह देने के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को प्रति दिन 10 रु० की नकद सहायता, जो प्रत्येक माह प्रति परिवार अधिकतम 1000 रु० है, दी जा रही है। दिल्ली में जो प्रवासी दिल्ली प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें प्रत्येक 4 अथवा उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों को प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति को 25 रु० की नकद सहायता, जो अधिकतम 500 रु० प्रति माह है, देने के अलावा लगभग 500 रु० मूल्य का राशन दिया जा रहा है। जो लोग शिविरों के बाहर रह रहे हैं, उन्हें प्रत्येक 4 अथवा उससे अधिक सदस्यों वाले परिवार को प्रति माह प्रत्येक सदस्य को 200 रु०, जो अधिकतम 800 रु० प्रति माह है, दिए जा रहे हैं।

दिल्ली में प्रवासियों के प्रत्येक परिवार को एक समय का बिस्तर तथा किचन किट भी दिया जा रहा है। जम्मू में जरूरतमंद काफी परिवारों को कम्बल दिये जा रहे हैं।

घाटी में प्रवासियों की सम्पत्ति की सुरक्षा तथा शान्ति बहाल करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें उग्रवादियों की घर-घर जाकर तलाशी करना, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा गहन गश्त लगाना तथा विघटनकारी तत्वों के जघन्य नापाक इरादों का जनसंचार माध्यम से प्रचार करना शामिल हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्रों की स्थापना

601. **श्री वसंत साठे :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास बोर्डों की स्थापना के संबंध में संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) ये बोर्ड कब तक स्थापित किए जायेंगे;

(ङ) क्या सरकार ने बिहार, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्षेत्रीय विषमताओं को क्रमिक रूप से समाप्त करने के लिए कौन-से विशेष उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार का पहला प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के अधीन राष्ट्रपति का आदेश जारी करना था, जिससे कि विदर्भ मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए अलग से विकास बोर्डों की स्थापना की जा सके। संशोधित प्रस्ताव में अनुच्छेद 371 (2) में कोंकण को शामिल करना तथा राज्यपाल के लिए "विशेष उत्तरदायित्वों" के उपबन्धों में परिवर्तन करना है। प्रस्तावों पर मंत्रालय में जांच की गई है।

(घ) नीति वाले विषयों, विशेषरूप से जिसमें संवैधानिक संशोधन अन्तर्ग्रस्त हो, के लिए समय सीमा बताना व्यवहारिक नहीं है।

(ङ) से (छ) पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तथा यह बड़े स्तर की विकास नीति और कार्यक्रमों का भाग है। राज्य सरकारों

अपनी योजनाओं को तैयार करते समय इन बातों का ध्यान रखती है।

सीमेंट के मूल्य

602. **श्री वसंत साठे :**

श्री गोपत सिंह मक्काासर :

डा० चिन्ता मोहन :

श्री फूलचन्द वर्मा :

श्री गुलाब चन्द कटारिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट पर से नियंत्रण हटाने के बाद इसके मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने भी सरकार से सीमेंट के मूल्य न बढ़ाने की वकालत की है;

(ग) क्या सरकार का विचार सीमेंट के मूल्य नियन्त्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सीमेंट उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) दिसम्बर, 1989 से सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि होती रही है।

(ख) एम० आर० टी० पी० कमीशन ने 14-9-1990 को एक अन्तरिम आदेश जारी किया था। जिससे आदेश की तारीख से सीमेंट के मूल्य बढ़ाने का प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार करने से सीमेंट उत्पादकों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था।

(ग) इस समय सीमेंट उद्योग पर मूल्य तथा वितरण नियंत्रण लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सरकार सीमेंट उत्पादकों से निरन्तर बातचीत करती रही है ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सीमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उत्पादन बढ़ाने तथा सीमेंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार सीमेंट उद्योग को कोयले, वैगनों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का पूर्ण रूप से प्रबोधन करती है। सीमेंट की अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाने की योजनाओं का उदारता से अनुमोदन किया जा रहा है। सरकार को यह सलाह दी गई है कि वे व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखें, ताकि वे खुदरा स्तर पर लाभ न कमायें। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी मनोनीत एजेंसी के माध्यम से खरीद करके बाजार में हस्तक्षेप करें और समान खुदरा वितरण सुनिश्चित करें।

निर्माण उद्योग विकास बोर्ड का गठन

603. **श्री वसंत साठे :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण की तकनीक और प्रणाली संबंधी कार्यकारी दल ने निर्माण से संबंधित नीतियों, सामान्य नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं के समन्वयन और नई तकनीकों और सामग्रियों को लाने के लिए एक निर्माण उद्योग विकास बोर्ड के गठन की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है या करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित निर्माण उद्योग विकास बोर्ड का प्रमुख एक अध्यक्ष होगा जो सरकार में पदेन सचिव होगा। बोर्ड में 5 सदस्य रहेंगे।

यह बोर्ड बहु-विषयक राजनीति तैयार करेगा; उदाहरण के लिए :—

(I) निर्माण सामग्रियों के विनिर्माण, प्रयोग, कीमत अंकन और वितरण के लिए नीतियां।

(II) निर्माण से सम्बन्धित नीतियों के संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण, परिस्थितिकीय और पर्यावरण।

(III) निर्माण उद्योग का आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन के साथ यांत्रिकीकरण को इष्टतम तथा संतुलित करना।

(IV) निर्माण, वित्त व्यवस्था नीतियों, जनशक्ति विकास, निर्माण मजदूरों की उत्पादकता, सुरक्षा और कल्याण से संबंधिक औद्योगिक नीति।

(V) निर्माण के क्षेत्र में गुणवत्ता और लागत नियंत्रण के लिए समेकित दृष्टिकोण का निरूपण, निर्माणकर्ता एजेंसियों, सामग्री विनिर्माताओं और प्रबंधन एजेंसियों की भूमिका और दायित्वों को परिभाषित करना, ताकि उत्कृष्ट निर्माण कार्य हो सके।

(VI) उप-नियमों को अद्यतन बनाना और शहरी, अर्द्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पालन किए जाने वाले माडल उप-नियमों का निरूपण।

(VII) निर्माण की क्रिया-पद्धति, संहिताओं और विभिन्न मापदण्डों का क्षेत्रवार और प्रदेशवार मानकीकरण।

(VIII) वैकल्पिक भवन सामग्री और क्षेप्य उत्पादों का प्रयोग शुरू करना और उन्हें अपनाना।

(Ix) निर्माण में लगी हुई सभी एजेंजियों के प्रकार्यों का समन्वय करना ताकि सामान्य रूप से अनुमोदित नीतियों, क्रिया-पद्धतियों और मानकों का अपनाया जाना सुनिश्चित हो सके।

(X) विचारों और अनुभव के आदान-प्रदान, नई प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों इत्यादि के प्रचार-प्रसार के लिए एक फोरम का सृजन।

(xi) निर्माण डाटा बैंक का सृजन और निर्माण प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार।

(ग) कार्यदल की रिपोर्ट केन्द्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों में टिप्पणियों के लिए परिचालित की जा चुकी है।

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

604. श्री ए० के० राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिजली यूनिटों के रूप में परमाणु ऊर्जा का कितना उत्पादन हुआ, उत्पादन लागत कितनी आई तथा प्रत्येक चालू यूनिट की क्षमता के उपयोग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऊर्जा के अन्य स्रोतों की उत्पादन लागत की तुलना में ये सस्ता है अथवा महंगा है;

(ग) परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्राप्त स्वदेशीकरण की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या सन् 2000 के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन के प्रारम्भिक लक्ष्य को छोड़ दिया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :—

यूनिट	वित्त-वर्ष	सकल उत्पादन मिलियन यूनिट (मिलियन किलोवाट घंटा)	बिजली की बिक्री दर सूची पैसे/ किलोवाट घंटा	क्षमता गुणक %
1	2	3	4	5
तारापुर परमाणु बिजलीघर-1	1987-88	454	36.99—40.79	32.3
	1988-89	1209	40.79—43.47	86.3
	1989-90	919	43.47—46.20	65.1
	1990 91 (नवम्बर 90 तक)	716	46.20—51.03	76.4

1	2	3	4	5
तारापुर	1987-88	1151	36.99—40.79	81.9
परमाणु	1988-89	691	40.79—43.47	49.3
बिजलीघर-2	1989-90	632	43.47—46.20	45.1
	1990-91	588	46.20—51.03	62 8
	(नवम्बर 90 तक)			
राजस्थान	1987-88	327	40.31	16.9
परमाणु	1988-89	407	41.42—44.44	21.1
बिजलीघर-1	1989-90	516	44.44—46.59	26.8
	1990-91	297	46.59—51.86	23.1
	(नवम्बर 90 तक)			
राजस्थान	1987-88	1181	40.31	61.1
परमाणु	1988-89	1653	41.42—44.44	85.8
बिजलीघर-2	1989-90	1257	44.44—46.59	65.2
	1990-91	855	46.59—51.86	66·4
	(नवम्बर 90 तक)			
मद्रास परमाणु	1987-88	1134	45.95—47.72	54.9
बिजलीघर-1	1988-89	1284	47.72—50.82	62.4
	1989-90	548	50.82—52.46	26.6
	1990-91	742	52.46—58.71	53.9
	(नवम्बर 90 तक)			
मद्रास परमाणु	1987-88	902	45.95—47.72	43.7
बिजलीघर-2	1988-89	764	47.72—50.82	37.7
	1989-90	801	50.82—52.46	38.9
	1990-91	768	52.46—58.81	55.8
	(नवम्बर 90 तक)			

टिप्पणी :—

(1) इस समय काम कर रहे नरोरा परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को वाणिज्यिक स्तर पर काम करने योग्य बनाया जा रहा है।

(2) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले तथा राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट में हुए विद्युत उत्पादन के अन्तर्गत इन यूनिटों द्वारा निकटवर्ती भारी पानी संयंत्र को सप्लाई की गई भाप के बराबर विद्युत का उत्पादन भी शामिल है।

(ख) परमाणु बिजली पर आने वाली लागत कोयले को ईंधन के रूप में काम में लाने वाले उन ताप बिजलीघरों जितनी ही आती है जो कायले की खान के मुहानों से दूर स्थित हैं।

(ग) मद्रास परमाणु बिजलीघर के मामले में और बाद में लगाए गए यूनिटों में 85 प्रतिशत से 90 प्रतिशत काम स्वदेशी स्तर पर किया गया।

(घ) वर्तमान में काम कर रहे यूनिटों, जिनमें नरोरा परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट भी शामिल है के अलावा आशा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना का 235 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला दूसरा यूनिट और ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना के 235 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दो यूनिट चालू हो जाएंगे और इस प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक देश में स्थापित कुल परमाणु विद्युत क्षमता 2170 मेगावाट हो जाएगी।

(ङ) से (छ) यद्यपि परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम के पहले चरण के अन्तर्गत 10,000 मेगावाट विद्युत क्षमता के परमाणु बिजलीघर लगाने का लक्ष्य अभी कायम है। तथापि, इस लक्ष्य की प्राप्ति में लगने वाला समय आठवीं तथा नवीं पंचवर्षीय योजनावधियों में स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। 2000 ईसवी के लिए संशोधित लक्ष्य की जानकारी आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले आबंटनों को अन्तिम रूप दिया जाने के बाद ही प्राप्त हो सकेगी।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद

605. प्रो० रूप चन्द्र पाल :
श्री जी० एम० बनातवाला :
श्री मान्धाता सिंह :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री सैफुद्दीन चौधरी :
श्री आर० गुन्दुराव :
प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :
श्री उत्तम राठौड़ :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री कल्पनाथ राय :
श्री मित्रसेन यादव :
श्री चित बसु :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री डी० एम० पुट्टे गौडा :
प्रो० के० वी० थामस :
प्रो० राम गणेश कापसे :
श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :
श्री पी० सी० थामस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राम जन्म-भूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या इस समस्या का समाधान ढूंढ़ निकालने के लिए अब तक कोई बातचीत में सभी संबंधित पार्टियों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए हाल ही में दिए गए विभिन्न सुझावों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) विभिन्न विवादास्पद मामलों के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ङ) राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझाने के प्रयास जारी हैं। सरकार विश्व हिन्दू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की संयुक्त बैठक कराने में सफल रही है। इन दोनों संगठनों ने विवादित स्थल के बारे में अपने-अपने दावों की पुष्टि के बारे में अपने-अपने सबूत सरकार को पेश कर दिए हैं। संगठनों को संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। अगली बैठक 10 जनवरी, 1991 को होनी है।

भारत में एल० टी० टी० ई० की गतिविधियां

606. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री मदन लाल खुराना :

डा० सी० सिलवेरा :

श्री वामनराव महाडीक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एल० टी० टी० ई० की गतिविधियों में वृद्धि की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) सरकार ने इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में एल० टी० टी० ई० के अन्तर्ग्रस्त होने की कुछ घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। सरकार ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए अनेक उपाय कर रही है। राज्य सरकार और तटीय प्राधिकारियों के बीच बेहतर समन्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पुलिस गश्त को बढ़ा दिया है और अनेक तमिल उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

अयोध्या में कार सेवा के संबंध में कैसेटों का परिचालन

607. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में अयोध्या से संबंधित भड़काने वाले कैसेटों की बिक्री तथा परिचालन और दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक कैसेटों के सेट के निर्माताओं, उत्पादकों और वितरकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) उत्तेजनात्मक कैसेटों के परिचालन सहित साम्प्रदायिक प्रचार के खतरे से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के पास शक्तियां है तथापि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कानून के उपबन्धों को सख्ती से लागू करने के लिए समय-समय पर निदेश जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस ने 14 मामले दर्ज किए हैं। 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 80 कैसेटें बरामद की गई हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के लोगों का पुनर्वास

[हिन्दी]

608. **डा० बंगाली सिंह :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के लोगों के पुनर्वास हेतु कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा तथा इसके लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) किन-किन राज्यों में तथा किन-किन स्थानों पर इसे क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत विस्थापित अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार एक प्रारूप राष्ट्रीय नीति का सक्रिय रूप से प्रतिपादन कर रही है।

केन्द्रीय सहायता के लिए फार्मूला

609. डा० बंगाली सिंह :

श्री धर्मण्णा मोण्डय्या सादुल :

श्री उत्तम राठौड़ :

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए एक नए फार्मूले को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस बारे में विभिन्न राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों पर भी विचार किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) जी, हां। संशोधित फार्मूला के ब्यौरे संलग्न नोट में तथा राज्यों के सुझाव संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आठवीं योजना (1990—95) के दौरान राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का वितरण संबंधी संक्षिप्त नोट

सातवीं योजना (1985—90) के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता का वितरण आशोधित गाडगिल फार्मूले के तहत किया गया था जिसे अगस्त, 1980 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990—95) के संदर्भ में वर्तमान फार्मूले के पुनः संशोधन पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 11 अक्तूबर, 1990 को आयोजित बैठक में विचार किया गया। संशोधित फार्मूले के तहत जिन सिद्धांतों को अब अनुमोदित किया गया है उन्हें संक्षेप में नीचे दिया गया है—

(1) कुल केन्द्रीय सहायता राशि में से विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों उदाहरणार्थ—पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए उचित राशि को अलग से निर्धारित किया जाना है।

(2) शेष राशि में से 30%- राशि को (पूर्वोत्तर परिषद सहित) 10 विशेष श्रेणी राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग से रखा जाता है।

(3) शेष 70% राशि को नीचे बताए गए मानदण्ड के अनुसार 15 गैर-विशेष श्रेणी राज्यों

में आवंटित किया जाना है।

	अधिमान (%)	
	विद्यमान फार्मूला	संशोधित फार्मूला
1. जनसंख्या	60	55
2. प्रति व्यक्ति आय		
1. ऐसे राज्य जिनकी प्रति व्यक्ति आय विचलन-पद्धति पर आधारित राष्ट्रीय औसत से कम है।	20	20
2. उच्चतम प्रति व्यक्ति आय से दूरी पर आधारित सभी राज्य	—	5
3. कर प्रयास	10	—
4. वित्तीय प्रबंधन	—	5
5. विशेष समस्याएं	10	15
		विशेष विकास समस्या
जोड़	100	100

2. विकास संबंधी विशेष समस्याओं के अन्तर्गत निम्नलिखित समस्याएं आती हैं:

(1) तटीय क्षेत्र (2) विशेष पर्यावरणीय मुद्दे (3) बाढ़ तथा सूखा प्रवण क्षेत्र (4) असाधारण रूप से बिखरे अथवा घनी आबादी वाले क्षेत्र (5) न्यूनतम समुचित योजना आकार को प्राप्त करने के लिए विशेष वित्तीय कठिनाइयां (6) रेगिस्तान सम्बन्धी समस्याएं (7) शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों की समस्याएं।

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि विद्यमान फार्मूले के मुकाबले में संशोधित फार्मूले के तहत किसी भी राज्य को होने वाले समग्र लाभ अथवा हानि को अधिकतम 7% तक सीमित किया जाए।

4. असम और जम्मू कश्मीर के लिए केन्द्रीय सहायता का पैटर्न अन्य विशेष श्रेणी राज्यों के पैटर्न अर्थात् 90% अनुदान तथा 10% ऋण की तरह ही होगा।

5. कतिपय राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपाध्यक्ष ने यह उत्तर दिया कि "हम आपस में बातचीत करेंगे तथा योजना में किए जाने वाले नए आवंटनों के आधार पर हमारी यह पता लगाने की कोशिश रहेगी कि नए फार्मूले के तहत क्या उपलब्ध किया जा सकेगा।" अध्यक्ष ने

यह भी कहा कि "हम प्रत्येक राज्य के साथ बातचीत का एक और दौर चलाएंगे। हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। यदि किसी राज्य को किसी गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ेगा तो हम इसका ध्यान रखेंगे।"

राज्य	केन्द्रीय सहायता के फार्मूले में परिवर्तन के लिए दिए गए सुझाव
1	2
1. आंध्र प्रदेश	चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियों का विशेष आवंटन किया जाना चाहिए।
2. असम	सभी विशेष श्रेणी राज्यों के संदर्भ में सहायता का पैटर्न अर्थात् 10% ऋण 90% अनुदान, एकरूप बनाया जाना चाहिए।
3. बिहार	आशोधित गाडगिल फार्मूले के प्रति व्यक्ति आय मापदण्ड के तहत आर्थिक पिछड़ेपन को दिया गया अधिमान बढ़ाया जाना चाहिए।
4. गुजरात	केन्द्रीय सहायता के फार्मूले में राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को अधिमान दिया जाना चाहिए।
5. हरियाणा	सामाजिक सेवाओं तथा मानव संसाधन विकास क्षेत्रकों में पिछड़े राज्यों को विशेष सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
6. जम्मू व कश्मीर	सहायता का पैटर्न अर्थात् 10% ऋण तथा 90% अनुदान सभी विशेष श्रेणी राज्यों के संदर्भ में एकरूप होना चाहिए।
7. केरल	ऐसे राज्यों को विशेष अधिमान दिया जाना चाहिए जिनका प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय तथा प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश राष्ट्रीय औसत से कम है।
8. महाराष्ट्र	आशोधित गाडगिल फार्मूले के प्रति व्यक्ति आय के मापदण्ड के तहत राज्यों के हिस्से का प्रति व्यक्ति पद्धति की दूरी के आधार पर परिकलन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त "कर अनुपातों" को "प्रति व्यक्ति कर प्रयास" मापदण्ड के तहत राज्य की जनसंख्या के आकार से अधिमानित किया जाना चाहिए।
9. उड़ीसा	"प्रति व्यक्ति आय" मापदण्ड को दिया गया अधिमान बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा "प्रति व्यक्ति कर प्रयास" मापदण्ड के तहत "कर अनुपातों" का गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या के कुल उपभोग को घटाने के बाद प्राप्त हुई राज्य की आय के सम्बन्ध में परिकलन किया जाना चाहिए।

1	2
10. राजस्थान	केन्द्रीय सहायता के फार्मूले में "क्षेत्र" घटक को अधिमान दिया जाना चाहिए।
11. उत्तर प्रदेश	आनोधित गाडगिल फार्मूले के "प्रति व्यक्ति आय" मापदण्ड के तहत आर्थिक पिछड़ेपन को दिए गए अधिमान में वृद्धि की जानी चाहिए।
12. तमिलनाडु	केन्द्रीय सहायता में "जनसंख्या" और "कर प्रयास" घटकों के साथ-साथ राज्यों की विशेष समस्याओं को भी ध्यान में रखना चाहिए जो प्राकृतिक संसाधनों के अभाव तथा पिछड़ेपन के कारण सामने आती हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप

610. डा० बंगाली सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रारूप सभा पटल पर कब तक रख दिया जायेगा ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप तैयार करने से सम्बन्धित कार्य चल रहा है। योजना दस्तावेज मार्च, 1991 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है। दस्तावेज पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार तथा अनुमोदन किये जाने के उपरान्त उसे सदन पटल पर रखा जाएगा।

महिलाओं के लिए रोजगार हेतु आरक्षण

[अनुवाद]

611. श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी सेवाओं और सरकारी उपक्रमों में पदों का कुछ प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है और ये पद किस प्रकार के हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

अन्य पिछड़े जातियों की जनसंख्या

612. श्री माधवराव सिंधिया :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों एवं पूरे देश में, मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों की जनसंख्या के नवीनतम आंकड़ों का ब्यौरा क्या है, तथा कुल जनसंख्या का यह कितना प्रतिशत भाग बनता है; और

(ख) जनसंख्या के इन आंकड़ों का कब और किस प्रकार संकलन किया गया ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सूमन) : (क) और (ख) जनसंख्या की जातिवार सुव्यवस्थित जनगणना भारत के महापंजीयक द्वारा 1881 में लागू की गई थी परन्तु 1981 की जनगणना के बाद इसे जारी नहीं रखा गया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए 1981 के बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट में शामिल अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों के जातिवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मंडल आयोग ने यह मान लिया था कि पिछली अर्ध शताब्दी के दौरान विभिन्न जातियों/समुदायों तथा धार्मिक समूहों की आबादी पारस्परिक वृद्धि दर कमोबेश वही रही है तथा तदनुसार आयोग द्वारा 1931 की जनगणना के आधार पर देश की कुल जनसंख्या के मुकाबले में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिशत आंका गया था।

उपरोक्त अनुमान पर मंडल आयोग ने यह अनुमानित किया है कि अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 52% है।

बिहार से प्राप्त स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन सम्बन्धी विचाराधीन मामले

[हिन्दी]

613. प्रो० यदुनाथ पांडेय :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पास बिहार से प्राप्त स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्वीकृत करने से संबंधित विचाराधीन कितने मामले हैं;

(ख) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान पेंशन संबंधी ऐसे कितने मामलों को मंजूरी दी गई इनमें से बिहार से प्राप्त कितने मामले थे तथा ऐसे कितने नये मामले हैं। जिनमें पेंशन देनी शुरू कर दी गई है;

(ग) अब तक कितने मामले रद्द कर दिये गये हैं;

(घ) क्या स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन की मंजूरी के लिए बिहार से अन्तिम तारीख अर्थात् 31-3-1982 तक प्राप्त सभी आवेदनों का निपटान किया जा चुका है। तथापि, विचार के लिए अभी भी मामले प्राप्त हो रहे हैं। 30-11-1990 की स्थिति के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या 9,969 है।

(ख) 1988 में कुल 2,450 मामले, 1989 में 8,843 मामले और नवम्बर, 1990 तक 610 मामले मंजूर किए गए। इनमें, 1785 मामलों में से 1988 में 178, 1989 में 1,542 और 1990 में 65 मामले बिहार से थे। बैंकों की स्थानीय शाखाओं के माध्यम से दिये जा रहे वास्तविक भुगतान के बारे में सूचना का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है।

(ग) 2,89,206 (लगभग)।

(घ) से (च) दस्तावेजों की जालसाजी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जब भी ऐसी रिपोर्टें प्राप्त होती हैं उनकी राज्य सरकार या अन्य एजेंसियों के माध्यम से जांच-पड़ताल कराई जाती है। ऐसी जांच-पड़ताल के आधार पर हाल में पेंशन के ऐसे दो मामले रद्द किए गए।

बंधुआ मजदूरों के संबंध में आयोग का गठन

[अनुवाद]

614. श्री जी० एस० वासवराज :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंधुआ मजदूरों की समस्याओं की जांच हेतु एक आयोग गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आयोग के कार्यालय और इसकी संरचना का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) इस आशय के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देना

615. श्री जी० एस० वासवराज :

श्री मानधाता सिंह :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री उत्तम राठौड़ :

श्री चित्त बसु :

श्री प्रताप सिंह :

श्री सुबोर गिरि :

प्रो० मधु दण्डवते :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना की नीति में कोई परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रलेख कब तैयार हो जाएंगे; और

(घ) क्या सरकार योजना अवकाश के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने से संबंधित कार्य चल रहे हैं। योजना दस्तावेज मार्च, 1991 तक तैयार हो जाने की आशा है। इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार किए जाने और अनुमोदन किए जाने के बाद सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

कश्मीर, पंजाब और आसाम की स्थिति पर श्वेत पत्र

616. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कश्मीर, पंजाब, आसाम और राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर श्वेत पत्र जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक जारी किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आई० एन० एस० अंडमान

617. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्धपोत आई० एन० एस० अंडमान के डूब जाने के संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पोत के डूबने की जांच करने के लिए नियुक्त "जांच बोर्ड" ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट और उसके संबंध में नौसेना मुख्यालय द्वारा की गई सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है। इस समय आगे और ब्यौरे प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा।

झारखण्ड का मामला

618. श्री धर्मन्ना मोण्डय्या साबुल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखण्ड मामलों संबंधी समिति की रिपोर्ट पर बिहार सरकार की टिप्पणी प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने पृथक राज्य की अपनी मांग तेज कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान् : झारखण्ड मामलों संबंधी समिति के विशेषज्ञों द्वारा की गई अनेक सिफारिशों पर राज्य सरकार ने आमतौर से अपनी सहमति प्रकट की है। झारखण्ड मुक्तिमोर्चा पृथक झारखण्ड राज्य की अपनी मांग को जारी रखे हुए है। केन्द्र सरकार को मामले की जानकारी है।

बोडो समस्या के बारे में विशेषज्ञ समिति

619. श्री धर्मन्ना मोण्डय्या साबुल :

श्री चित्त बसु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बोडो समस्या के बारे में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर असम सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) बोडो समस्या के समाधान के लिए अनेक दौरों की बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं और इस समस्या के संबंध में सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) बोडो समेत मैदानी आदिवासियों की समस्याओं का एक सौहार्दपूर्ण और स्वीकार्य हल खोजने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में असम सरकार, अखिल बोडो छात्र संघ और बोडो पीपुल्स एक्शन कमेटी के बीच वार्ता के आठ दौर हुए। इन वार्ताओं से समाधान खोजने के लिए एक अनुकूल वातावरण बना है। सितम्बर, 1990 में हुई वार्ता के आठवें दौर में केन्द्र सरकार ने विशेषज्ञों की तीन सदस्यों की समिति का गठन करने का सुझाव दिया है जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में बसे बोडो और अन्य मैदानी आदिवासियों के क्षेत्रों का पता लगाएगी और उन्हें स्वायत्तता, विधायन, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को दिये जाने के बारे में अपनी सिफारिशें देगी। यद्यपि, असम की पिछली सरकार ने सुझाव को स्वीकार नहीं किया है फिर भी मामले को उनके साथ उठाया जा रहा है।

अयोध्या में शिलान्यास स्थल

620 प्रो० मधु दण्डवते :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीराम मन्दिर बनाए जाने के दृष्टिकोण से अयोध्या में "शिलान्यास" स्थल को "विवादास्पद" स्थल मानती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राम जन्म भूमि आन्दोलन के आयोजकों को इस विषय पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से बता दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या आन्दोलन के आयोजकों को ऐसी सलाह दी गई है कि उच्च न्यायालय का निर्णय होने तक वे विवादास्पद स्थल पर "कार सेवा न करें; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) अयोध्या में संबंधित विवादास्पद सम्पत्ति का मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष न्यायिक निर्णयादेश के अधीन है। उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त को विवादास्पद क्षेत्र का अनुपूरक सर्वेक्षण करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। सर्वेक्षण आयुक्त की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

औद्योगिक संबंधों संबंधी रामानुजम समिति की सिफारिशें

623. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये औद्योगिक संबंध-नियम संबंधी रामानुजम समिति ने अक्तूबर, 1990 में सर-

कार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या समिति में कोई मतभेद उत्पन्न हो गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मतभेद की टिप्पणी सहित रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं बताने वाला विवरण संलग्न है। रिपोर्ट पर राज्य सरकारों की राय मंगाई गई है तथा इस स्तर पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में बताना असामयिक होगा।

विवरण

रामानुजम समिति की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं तथा असहमति टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए एक विवरण

1. श्रम संघ : संविधान पंजीकरण इत्यादि

(रिपोर्ट का अध्याय 5)

(i) संगठित क्षेत्र के श्रम संघों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होना चाहिए।

(ii) संघ के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कुल कर्मचारियों की 10 प्रतिशत या 100 जो भी कम होनी चाहिए लेकिन यह 7 सदस्यों से कम नहीं होनी चाहिए।

(iii) श्रमिक पक्ष ने इच्छा व्यक्त की है कि एक से अधिक संघों की सदस्यता को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। नियोजक पक्ष ने ऐसी सदस्यता का प्रतिरोध करने की सिफारिश की है।

(iv) ऐसे श्रम संघ जिसकी सदस्यता किसी विशिष्ट शिल्प, व्यवसाय, जाति, मत, समुदाय, रंग, धर्म या ऐसे व्यक्तियों तक सीमित है जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं का पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, पर्यवेक्षकों और शिल्पकारियों के संघों को किसी शिल्प या व्यवसाय से संबंधित नहीं माना जाना चाहिए।

एटक, सीटू, टी० यू० सी० सी०, यू० टी० यू० सी० तथा यू० टी० यू० सी० (एल० एस०) (इसके बाद जिन्हें पांच असहमत श्रम संघ संगठनों के नाम से जाना जाता है) ने असहमति प्रकट करते हुए व्यवसाय पर आधारित संघों के पंजीकरण पर रोक लगाने का विरोध किया। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि वर्तमान शिल्प पर आधारित संघों को औद्योगिक संघों में परिवर्तित करने के लिए समय दिया जाना चाहिए।

(v) पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों में बाहरी व्यक्तियों की संख्या कुल संख्या की एक तिहाई संख्या तक सीमित कर दी जानी चाहिए। केन्द्र या राज्य का कोई मंत्री

श्रम संघ के पदाधिकारी बनने का पात्र नहीं होना चाहिए । पांच असहमत श्रम संगठन मंत्रियों को शामिल न किए जाने से सहमत नहीं है।

(vi) पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव तीन साल में एक बार होना चाहिए। लेकिन यदि सदस्य चाहें और श्रम संघ के संविधान में ऐसी व्यवस्था हो तो चुनाव पहले भी किये जा सकते हैं।

(vii) श्रम संघ के सविधान में यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि संघों के अन्दर उत्पन्न विवाद उस राष्ट्रीय श्रम संघ केन्द्र को भेजे जाएंगे जिससे कि संघ सम्बद्ध है। श्रम संघ केन्द्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर पक्षों के विचार सुनेगा। केन्द्र का निर्णय अन्तिम होगा। यदि संघ के अन्दर उठा विवाद ऐसे संघ से संबंधित है जो कि किसी राष्ट्रीय श्रम संघ केन्द्र से सम्बद्ध नहीं है तो ऐसा विवाद श्रम न्यायालय को भेजा जाएगा।

(viii) श्रम संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किसी श्रम संघ के कार्यकलापों से संबंधित कोई मामला किसी सिविल न्यायालय की न्याया-परिधि में नहीं जाएगा।

प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध कानून

2. **विस्तार : (रिपोर्ट का अध्याय 6)**

(i) समिति ने सिफारिश की है कि सभी नियोजित व्यक्तियों, चाहे नियोजक का स्वरूप और लाभ का लक्ष्य कुछ भी हो, के हितों की रक्षा के लिए एक समुचित वैधानिक तंत्र होना चाहिए।

(ii) एटक, एच० एम० एस०, इंटक और एन० एल० ओ० ने संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को औद्योगिक संबंध कानून की परिधि से बाहर करने का समर्थन किया है बशर्ते कि विनाचन का कार्यक्षेत्र अप्रतिबन्धित और सीमित न हो। बी० एम० एस०, यू० टी० यू० सी० और यू० टी० यू० सी० (एल० एस०) कर्मचारियों को परिधि से बाहर रखने के विचार से सहमत नहीं हैं।

(iii) एटक, बी०एम०एस०, सीटू, एच० एम० एस०, यू० टी० यू० सी० और यू०टी०यू०सी० (एल० एस०) में बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम जैसे राज्य कानूनों द्वारा परिचालित उद्योगों को छूट देने का विरोध किया है। इंटक, एन० एल० ओ० और नियोजक पक्ष ने राज्य कानूनों का परिचालन जारी रखने की इच्छा व्यक्त की है।

3. **उद्योग की परिभाषा :**

श्रमिकों के समूह ने उद्योग की एक विस्तृत परिभाषा बनाने की इच्छा व्यक्त की है और अब विद्यमान 1982 में उद्योग की परिभाषा में किए गए संशोधन को रद्द करने की सिफारिश की है। नियोजकों के समूह ने इच्छा व्यक्त की कि संशोधन को लागू किया जाना चाहिए। ए०आई०एम०ओ० ने आगे कहा कि स्थापना की तारीख से तीन साल पूरा होने तक किसी भी उपक्रम को तथा 20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले उपक्रम को औद्योगिक सम्बन्ध कानून की परिधि से बाहर रखा जाना चाहिए।

4. कर्मचारियों का विस्तार :

श्रमिकों के समूह ने सिफारिश की कि कर्मकार और अन्य श्रमिकों तथा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले अन्य कर्मचारियों के बीच में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, विभिन्न उद्योगों और कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच उठे विवादों को निपटाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले तरीके और तंत्र अलग-अलग हो सकते हैं। असहमति वाले पांच श्रम संगठनों ने औद्योगिक संबंध कानून को सभी गैर-लड़ाकू सिविल कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों पर भी लागू करने का पक्ष लिया है।

नियोजक पक्ष इस बात से सहमत नहीं था कि कर्मकार और अन्य कर्मचारियों के बीच के अन्तर को समाप्त किया जाये। वे अनुभव करते हैं कि श्रम संघों के अधिकार प्रबंध कार्य में सभी कर्मचारियों को नहीं दिये जाने चाहिए। अब जबकि समिति ने सिफारिश की है कि औद्योगिक कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए एक समुचित वैधानिक तंत्र होना चाहिए, यह अधिकार उन गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकता है जिनके संबंध सामान्य रूप से नियोजकों के साथ संविदात्मक होते हैं।

5. व्यक्तिगत कठिनाइयां :

समिति ने सिफारिश की है कि उस प्रत्येक प्रतिष्ठान में जहां 50 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, एक शिकायत निवारण पद्धति होनी चाहिए जिसमें दो स्तरों पर अपील करने की सुविधा हो। दूसरी अपील का निर्णय कर्मचारी द्वारा शिकायत भेजने के 30 दिन के अन्दर हो जाना चाहिए। यदि कर्मचारी निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसे अपने मामले को संधि-वार्ता परिषद में उठाने का विकल्प प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसको श्रम न्यायालय या औद्योगिक संबंध परिषद की न्याय-निर्णय विंग में सीधे ही जाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जब संधि वार्ता परिषद ने उसके मामले को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया हो।

तथापि नियोजक पक्ष ने सेवा से हटाने, सेवा समाप्ति या बर्खास्तगी के मामलों में सीधे न्याय-निर्णयन के लिए जाने के अधिकार को सीमित करने की इच्छा व्यक्त की। ऐसे मामलों में प्रभावित कर्मकार को पहले औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की समझौता-वार्ता विंग में जाना चाहिए और यदि कोई समझौता नहीं हो पाता है तब ही उसको औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की न्याय-निर्णयन विंग में जाने का अधिकार होना चाहिए।

ए०आई०एम०ओ० ने अपनी असहमति टिप्पणी में यह कहा है कि कर्मकार को दिये गये दंड के परिणाम में हस्तक्षेप करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। यहां तक कि जब न्यायालय यह अनुभव करे कि "कर्मकार को सेवा से हटाने का दण्ड अनुचित या अन्यायपूर्ण था, तब न्यायालय को चाहिए कि वह कर्मकार को सेवा में वापस लेने का निर्णय देने के बजाय कर्मकार को समुचित अनुतोष प्रदान करने का पंचाट दें ताकि बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करने की भावना के कारण उद्योग का अनुशासन प्रभावित न हो।"

6. श्रम संघों की मान्यता (रिपोर्ट के अध्याय 7 और 8)

(i) यदि श्रम संघ ने अपने पंजीकरण के बाद एक साल तक कार्यकाल पूरा कर लिया है तो श्रम संघ संधि परिषद में स्थान प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ने का पात्र हो जाएगा।

(ii) नियोजक पक्ष, इंटक और एन० एल० ओ० ने वार्ताकारी के लिए प्रतिनिधियों का पता लगाने के तरीके के लिए सदस्यता के सत्यापन की चेक आफ पद्धति अपनाने की वकालत की है। एटक, सीटू, एच० एम० एस०, टी० यू० सी० सी०, यू० टी० यू० सी० और यू०टी०यू०सी० (एल० एस०) जैसे अन्य श्रम संघों ने सुझाव दिया है कि सभी कर्मचारियों को वार्ताकारी प्रतिनिधियों को चुनने के लिए गुप्त मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने चेक आफ पद्धति का विरोध किया। बी०एम०एस० ने गुप्त मतदान का समर्थन करते हुए सुझाव दिया कि केवल संघ के सदस्यों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए।

(iii) सदस्यता के सत्यापन या गुप्त मतदान के लिए एक स्वतन्त्र तंत्र बनाया जाना चाहिए।

7. संधि वार्ता परिषदें (रिपोर्ट का अध्याय 8)

(i) संधि वार्ता परिषद में नियोजक तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या समान होनी चाहिए। संधि वार्ता परिषद का आकार उद्यम के आकार पर निर्भर होना चाहिए। संधि वार्ता परिषद का कार्य काल तीन वर्ष का होना चाहिए।

(ii) यदि कहीं कोई यूनियन नहीं है, तो 5 कर्मचारियों को श्रमिक पक्ष की ओर से गुप्त मतदान द्वारा चुना जा सकता है।

(iii) यदि कहीं केवल एक यूनियन है वह अपनी सदस्य संख्या को ध्यान में रखे बिना संधि वार्ता परिषद के सभी प्रतिनिधियों को नामित करेगी।

(iv) (क) अनेक यूनियनें होने पर, सत्यापन समर्थन करने वालों ने सुझाव दिया है कि वह यूनियन, जिसके साथ 50% से अधिक सदस्य हैं, एक मात्र वार्ताकार एजेंट होगी। यदि 50% से अधिक सदस्यों वाली कोई यूनियन नहीं है, तो उससे कम सदस्यता वाली यूनियनों को संधिवार्ता परिषदों में शामिल किया जाये ताकि उस प्रतिष्ठान के 75% सदस्यों को इस शर्त के अधीन शामिल किया जा सके कि परिषद में प्रत्येक यूनियन के सदस्य कुल सदस्यता के कम से कम 10% होने चाहिए। यदि 10% या इससे अधिक सदस्यता वाली सभी यूनियनों की कुल सदस्य संख्या 75% तक नहीं पहुंचती, तो संधि वार्ता परिषद सभी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम होगी बशर्ते कि इसमें प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों की सदस्यता 50% से अधिक हो।

(ख) अनेक यूनियनों के मामले में, गुप्त मतदान का समर्थन करने वालों ने सुझाव दिया है कि कुल वोटों के 65% से अधिक मत प्राप्त करने वाली यूनियनें को एक मात्र संधि वार्ता एजेंट के रूप में मान्यता प्रदान की जाये। यदि 65% के समर्थन वाली कोई यूनियन नहीं है, तो अवरोही क्रम से समर्थन वाली यूनियन को संधि वार्ता परिषद में शामिल किया जाये ताकि संधि वार्ता परिषद में व्यवसाय संघों के पक्ष में डाले गये वोट उस प्रतिष्ठान में डाले गये कुल वोटों का 85% हो जाएं, बशर्ते कि परिषद में प्रत्येक यूनियन को डाले गए कुल वोटों के अधिकतम 10% मत डालने चाहिए। यदि परिषद में ट्रेड यूनियन द्वारा डाले गए कुल वोटों

की संख्या उस प्रतिष्ठान में डाले गए वोटों के 85% तक नहीं पहुंचती है लेकिन 65% से अधिक है, तो भी परिषद कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं होगी।

(v) संधिवार्ता परिषद में हुआ समझौता नियोजक तथा कर्मचारियों पर बाध्यकर होगा। पांच असहमत व्यवसाय संघ संगठनों ने बताया है कि संधि वार्ता परिषद में हुए किसी समझौते का परिषद में कर्मकारों के 65% प्रतिनिधियों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, किसी यूनियन जिसे गुप्त मतदान के फलस्वरूप कम से कम 10% कर्मकारों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन परिषद में शामिल नहीं की जाती, को समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होना चाहिए।

(vi) यदि संधि वार्ता परिषद में कोई समझौता नहीं होता है, तो पक्षकार, यदि चाहें, स्वैच्छिक माध्यस्थतम तंत्र की सहायता ले सकते हैं।

8. औद्योगिक संबंध आयोग (रिपोर्ट का अध्याय 10)

(i) राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार बी०एम०एस०, एच०एम०एस०, इंटक तथा राष्ट्रीय श्रम संगठन और नियोजकों ने औद्योगिक सम्बन्ध आयोग (आई०आर०सी०) गठित करने का समर्थन किया है। केन्द्र और प्रत्येक राज्य में एक आई०आर०सी० होना चाहिए। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवा निवृत्त न्यायाधीश तथा राज्य औद्योगिक संबंध आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का कार्यरत सेवा निवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य तथा दो तकनीकी सदस्य — एक श्रमिकों की ओर से तथा दूसरा प्रबन्ध तंत्र की ओर से होना चाहिए।

(ii) औद्योगिक सम्बन्ध आयोग के प्रमुख कार्य होंगे :—

(1) सत्यापन या गुप्त मतदान की निर्धारित पद्धति को ध्यान में रखते हुए संधि-वार्ता परिषद की सदस्यता का पंजीकरण तथा प्रमाणन; (2) संराधन; (3) मध्यस्थता; (4) औद्योगिक विवादों में न्याय-निर्णयन; (5) श्रम न्यायालयों के पंचाटों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई; और (6) प्रवर्तन।

अन्य ट्रेड यूनियनों ने औद्योगिक सम्बन्ध आयोग के गठन का विरोध किया है। वे कतिपय संशोधनों जैसे ट्रेड यूनियनों द्वारा मामलों को न्याय निर्णयन के लिए सीधे निर्दिष्ट किया जाना, अधिकरणों द्वारा अन्तरिम आदेश जारी किया जाना तथा उनके द्वारा पंचाटों का कार्यान्वयन किया जाना, सहित अधिकरणों की वर्तमान पद्धति का समर्थन करते है।

9. हड़तालें और तालाबन्दियां (अध्याय-11)

(i) श्रमिक पक्ष ने सिफारिश की है कि हड़तालों को तालाबन्दी न माना जाए। किसी तालाबन्दी की घोषणा करने से पहले नियोजक के लिए समुचित सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए। नियोजक पक्ष ने इस पर असहमति व्यक्त की

है। तथापि, तालाबन्दी के लिए पूर्वानुमति को अनिवार्य किया जाय, नियोजक पक्ष ने इस पर जोर दिया है कि हड़ताल पर जाने से पहले यूनियनों को भी अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

कम संख्या वाले पांच व्यवसाय संघ संगठनों ने बताया है कि संधि वार्ता असफल होने की दशा में, "यदि यूनियन माध्यस्थम, संराधन या न्याय निर्णयन के लिए नहीं जाना चाहती तो यदि आवश्यक हो तो इसे सीधी कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए।"

(ii) प्रत्येक हड़ताल से पहले हड़ताल के लिए गुप्त मतदान होना चाहिए जिसमें प्रतिष्ठानों में नियोजित कम से कम दो तिहाई कर्मकारों की हड़ताल के समर्थन में वोट देना चाहिए। एटक, सीटू, टी० यू० सी० सी०, यूटक तथा यूटक (एल० एस०) ने हड़ताल के लिए मतदान का विरोध किया है। बी० एम० एस० तथा एच० एम० एस० ने बताया है कि कोई भी मतदान आवश्यक नहीं होगा यदि संधि वार्ता परिषद में कम से कम 51% कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन या यूनियनें हड़ताल का समर्थन करती हैं।

(iii) किसी हड़ताल या तालाबन्दी के लिए लिखित में कम से कम 14 दिन का नोटिस आवश्यक होना चाहिए।

(iv) किसी संधि वार्ता परिषद में या संराधनकर्ता, श्रम न्यायालय, औद्योगिक सम्बन्ध आयोग या मध्यस्थ के समक्ष सम्बन्धित विवाद के लम्बित रहने तक किसी हड़ताल या तालाबन्दी का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।

(v) किसी प्रतिष्ठान में हड़ताल या तालाबन्दी की दशा में उस प्रतिष्ठान में अनिवार्य सेवाओं को छूट दी जानी चाहिए।

(vi) किसी उद्योग को संसद के अनुमोदन से अनिवार्य सेवा घोषित किया जा सकता है। अनिवार्य सेवा की दशा में हड़ताल या तालाबन्दी के लिए एक महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए। पांच असहमत व्यवसाय संघ संगठन हड़ताल से किसी प्रतिष्ठान में अनिवार्य सेवाओं को सांविधिक छूट देने तथा लोकहित के मामले में नोटिस की वर्तमान अवधि को सप्ताह से एक महीने तक बढ़ाने जैसा कि ऊपर सुझाव दिया गया है, के लिए सहमत नहीं है।

(vii) समिति ने सिफारिश की है कि अवैध तालाबन्दी की दशा में कर्मचारी को पूरी मजदूरी तथा अन्य लाभों का हकदार माना जाए या सम्बद्ध औद्योगिक सम्बन्ध आयोग या श्रम न्यायालय को किसी पक्ष द्वारा अनुरोध करने पर किसी हड़ताल या तालाबन्दी को अवैध घोषित करने की शक्तियां दी गई हैं।

सी० आई० ई० ने बताया है कि यदि किसी हड़ताल को उद्योग में जीवन तथा सम्पत्ति या किसी समुदाय की सुरक्षा के लिए खतरनाक घोषित किया गया है तो कोई मजदूरी देय नहीं होगी चाहे वह तालाबन्दी तकनीकी रूप से अवैध हो।

10. जबरी छुट्टी (रिपोर्ट का अध्याय 13)

(i) जबरी छुट्टी से सम्बन्धित उपबन्ध 20 या इससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान पर लागू होगी।

(ii) यदि जबरी छुट्टी प्रबन्ध तंत्र के नियन्त्रण में होने वाले कारणों से हो, तो पूरी मजदूरी दी जाएगी अन्यथा मजदूरी सामान्य मजदूरी का 50% होगा।

(iii) यदि ठेकेदारों जबरी छुट्टी के लिए मुआवजे का भुगतान नहीं करता है तो मुख्य नियोजक यह राशि देने के लिए जिम्मेदार होगा।

(iv) नियोजक को जबरी छुट्टी की घोषणा करने के लिए संधि वार्ता परिषद की स्वीकृति लेनी होगी परिषद द्वारा अनुमति न दिए जाने की स्थिति में मामले को औद्योगिक विवाद माना जाएगा।

भारतीय नियोक्ता परिषद ने बताया है कि नियोजक संधि वार्ता परिषद की अनुमति लेने की अपेक्षा परिषद को सूचित करेगा ए० आई० एम० ओ० ने यह बताया है कि जबरी छुट्टी घोषित करने के लिए समुचित सरकार की पूर्वानुमति लेने के लिए वर्तमान उपबन्ध का लोप किया जाना चाहिए। यदि ये उपबन्ध बनाए ही रखने हैं तो ये 1000 से ज्यादा श्रमिक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होने चाहिए।

11. छंटनी (रिपोर्ट का अध्याय 14)

छंटनी का मुआवजा प्रत्येक वर्ष की सेवा के एक माह के औसत वेतन की दर से होना चाहिए। तथापि, 250 व्यक्तियों से कम नियोजित करने वाले या 5 करोड़ रुपये से कम का व्यवसाय करने वाले लघु प्रतिष्ठानों के लिए वर्तमान दरें रखी जा सकती हैं। पांच असहमत व्यवसाय संघ इस रियायत से सहमत नहीं हैं। दूसरी तरफ ए० आई० एम० ओ० इस वृद्धि से सहमत नहीं है।

पांच असहमत व्यवसाय संघ संगठनों ने सिफारिश की है कि छंटनी करने के लिए संधि वार्ता परिषद या भागीदारी संघ से अनुमति ली जानी चाहिए।

इसके अलावा किसी कर्मकार को केवल संधि वार्ता परिषद की सहमति से ही अतिरिक्त घोषित किया जा सकता है।

12. कामबन्दी (अध्याय 15)

कामबन्दी का प्रस्ताव संधि वार्ता परिषद के सामने कामबन्दी से कम से कम 90 दिन पहले रखा जाना चाहिए। यदि 30 दिन के अन्दर कोई समझौता नहीं होता तो किसी भी पक्ष द्वारा मसले को आई० आर० सी० (ओ० सं० परि०) को भेजा जाएगा। आई० आर० सी० को अपना पंचाट 30 दिन के अन्दर दे देना चाहिए। तथापि श्रमिक प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि फिर भी नियोजक के लिए समुचित सरकार की अनुमति आवश्यक होनी चाहिए।

नियोजक पक्ष ने विचार प्रकट किया था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के खण्ड 25 (ण) के उपबन्ध केवल उन्हीं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होना चाहिए जिनमें कम से कम 1000 श्रमिक नियोजित हों, उसने यह भी कहा कि यदि नियोजक कामबन्दी के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करने की अपेक्षा इसकी पूर्व सूचना दे देता है तो यह भी पर्याप्त होगा।

ए० आई० एम० ओ० ने इच्छा व्यक्त की है कि प्रभावी छंटनी कामबन्दी के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम में नियोक्ता द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त करने के वर्तमान उपबन्धों को हटाया जाए। इसके विकल्प में, मुआवजे के दो स्तरों का प्रावधान किया जाए। यदि कोई नियोजक संबंधित प्राधिकारी की बिना पूर्वानुमति के छंटनी या कामबन्दी का आश्रय लेता है, तो मुआवजे का स्तर इस मामले की अपेक्षा ऊंचा होना चाहिए। जो पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद प्रभावित होता है। अनुचित छंटनी या कामबन्दी से सम्बन्धित विवाद आई० आर० सी० के समक्ष उठाए जा सकते हैं। जिसे सेवा बहाली की स्थिति में पूर्ण मजदूरी देने का अधिकार होगा। इसने यह भी बताया है कि पूर्वानुमति सम्बन्धी उपबन्ध को 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर ही लागू किया जाना चाहिए।

पांच असहमत व्यवसाय संघ संगठनों ने इच्छा व्यक्त की है कि कामबन्दी से सम्बन्धित औद्योगिक विवाद अधिनियम के वर्तमान वैधानिक उपबन्ध को और अधिक कठोर बनाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया है कि रुग्णता पर काबू पाने की लागत को नियोजक से वसूल किया जाए।

13. धीरे कार्य करना

सी० आई० ई० ने सुझाव दिया है कि धीरे कार्य करने वाले कर्मकार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा उसकी मजदूरी काटने की भी व्यवस्था की जाए।

पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कार्य योजना

624. श्री लोकनाथ चौधरी :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में उग्रवादियों से निपटने और शान्ति एवं सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) पंजाब में स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है और राज्य में शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए समुचित कार्रवाई की जाती है। ऐसी कार्रवाई में अन्य बातों के साथ-साथ आतंकवाद के विरुद्ध कड़े कदम उठाना, प्रशासनिक/कानून और व्यवस्था तंत्र को सुदृढ़ करना और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी शामिल है।

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रोनिक न्यूज गैदरिंग टेलीविजन एकक की स्थापना

[हिन्दी]

625. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रोनिक न्यूज गैदरिंग टेलीविजन एकक

स्थापित करने का है, ताकि राज्य में किये जाने वाले विकास कार्यों तथा अन्य घटनाओं की सूचना एकत्रित की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) यद्यपि, सातवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमों के रूप में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, कार्यान्वयनाधीन 4 इलैक्ट्रानिक न्यूज गैदरिंग (ई० एन० जी०) सहित पूर्ण सुसज्जित टी० वी० स्टूडियो तथा रायपुर में कार्यान्वयनाधीन 2 इलैक्ट्रानिक न्यूज गैदरिंग (ई० एन० जी०) सहित कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है लेकिन राज्य की महत्वपूर्ण घटनाएं फिलहाल दिल्ली से भेजी गई कैमरा टीमों तथा स्ट्रिंजरों द्वारा कवर की जा रही हैं।

मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

626. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से उनकी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त कितने प्रस्ताव स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) 1987 से 1990 (30-11-1990) तक मध्य प्रदेश राज्य सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों से 11 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से दो आवेदन पत्र स्वीकृत कर दिये गये हैं और आशय पत्र मंजूर कर दिये हैं। शेष 9 आवेदन पत्रों में से 7 नामंजूर या अन्यथा निपटा दिये गये हैं और 2 प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

राज्यों की राजधानियों में भारत के समाचार-पत्रों में रजिस्ट्रार का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

627. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय दिल्ली में होने के कारण राज्यों से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों के प्रचालन का कारगर सत्यापन नहीं हो पाता है तथा समाचार-पत्रों के पंजीयन में अनावश्यक विलम्ब भी होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बड़े राज्यों की राजधानियों में भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अलावा इस समय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में इसकी तीन और यूनिट हैं, जिनका दर्जा बढ़ाकर अब प्रादेशिक कार्यालय का कर दिया गया है। अत: यह कहना सही नहीं है कि समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का सत्यापन केवल दिल्ली कार्यालय द्वारा ही किया जाता है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का बंगलौर, भोपाल और लखनऊ में तीन और कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया में पदोन्नतियां

628. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया में कर्मचारियों को विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठकर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाता है तथा इस प्रकार विभागीय कर्मचारियों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति पाने के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) अधिकारी-संवर्ग में पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को योग्य बनाने हेतु व्यावसायिक योग्यता के लिए उन्हें विभागीय परीक्षा के स्थान पर निगम की शिक्षा-प्रोत्साहन योजना के माध्यम से, विभिन्न विधाओं में अंशकालिक/पत्राचार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों से व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों को भी जिसके पास व्यावसायिक अर्हता नहीं है, अर्हकारी सेवा पूरी करने पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पर्यवेक्षण/अधिकारी संवर्ग में उच्च पद पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) ऐसे कर्मचारियों को भविष्य संवारने के लिए नियमित रूप से परामर्श दिया जाता है और प्रोत्साहित किया जाता है।

सैयद मोदी का मामला

[अनुवाद]

629. श्री सुधीर गिरि :

श्री अमल दत्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी मुकदमे पर पुनर्विचार की अपील दायर करने की सिफारिश किए जाने के बाद कार्मिक विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति दिए जाने में सामान्यत: कितना

समय लगता है;

(ख) कार्मिक विभाग को सैयद मोदी हत्याकांड के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अपील करने की सिफारिश कब प्राप्त हुई थी; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उक्त मामले में किस आधार पर अपील करने की सिफारिश की है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) निचली अदालत के निर्णयों के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका/अपील दायर करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त प्रस्तावों की कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में और जब कभी भी आवश्यक होता है, विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के परामर्श से तत्काल जांच की जाती है और सरकार के आदेश केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सूचित कर दिए जाते हैं। प्रत्येक मामले पर कार्रवाई करने के लिए मामले के स्वरूप तथा उससे संबंधित कानूनी विषयों की जटिलता के अनुसार अलग-अलग समय लिया जाता है।

(ख) सैयद मोदी हत्या काण्ड के मामले में सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर करने संबंधी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का प्रस्ताव कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में 23-10-90 को प्राप्त हुआ था।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस आशय के आधार पर पुनरीक्षण याचिका दायर करने का प्रस्ताव रखा था कि 17-9-90 का डिस्चार्ज आर्डर विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण था।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

630. श्री हरीश रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या ऐसे आवेदन पत्रों में बड़े व्यापारिक घराने भी शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) 1-6-90 से 30-11-90 की अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु 279 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए जिसमें राज्य सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों से प्राप्त 11 आवेदन शामिल हैं। इनमें 16 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन एम० आर० टी० पी० कंपनियों से सम्बन्धित हैं। लम्बित आवेदनों के ब्यौरे तब तक प्रकट नहीं किए जाते हैं जब तक सरकार उन पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लेती।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में असंगठित श्रमिक

631. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में स्वयं विभाग के बजाय ठेकेदारों के जरिये असंगठित श्रमिकों की भर्ती किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या असंगठित श्रमिकों को सौंपा गया कार्य एक स्थायी कर्मचारी के कार्य जैसा होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन्हें स्थायी रूप से नियुक्त किया जाएगा;

(घ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की हरिद्वार, झांसी, और भोपाल इकाईयों में नवम्बर, 1990 से कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं तथा इनमें से कितने असंगठित श्रमिक हैं;

(ङ) क्या विभाग द्वारा नियुक्त असंगठित श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की जाती है; और

(च) क्या इन श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों की तरह सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) अस्थायी एवं अनियमित प्रकार के कार्य ठेकेदारों के द्वारा कराये जाते हैं जो श्रमिकों को लगाते हैं। जब कभी भी भेल में रिक्तियां उपलब्ध होती हैं और ऐसे कामगारों के पास स्थायी कार्य करने की अर्हताएं होती है, उन्हें रिक्तियों के भरते समय वरीयता दी जाती है।

(घ) नवम्बर, 1990 से भेल में 48 कुशल कामगारों को भर्ती किया गया है। भेल ने नवम्बर, 1990 में हरिद्वार, झांसी एवं भोपाल स्थित अपने एककों में से किसी प्रकार के असंगठित श्रमिकों की भर्ती नहीं की है।

(ङ) और (च) एक प्रमुख नियोजक के रूप में, भेल यह सुनिश्चित करता है कि न्यूनतम मजदूरी, अवकाश, कैन्टीन आदि जैसे वैधानिक उपबन्धों का अनुपालन किया जाए।

ललितपुर और बुन्देलखण्ड में भारी उद्योगों की स्थापना

632. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ललितपुर और बुन्देलखण्ड क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वहां भारी उद्योगों की स्थापना करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका): (क) और (ख) 27 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार, ललितपुर और बुन्देलखण्ड क्षेत्र जिसमें बांदा, हमीरपुर, जालौन और झांसी जनपद शामिल हैं, में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस हेतु 19 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जो प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में है और जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

जिला		आवेदन संख्या
बांदा	—	1
हमीरपुर	—	—
जालौन	—	3
झांसी	—	14
ललितपुर	—	1

एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

[अनुवाद]

633. श्री राज मोहन रेड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नमक उपकर कोष

634. श्री काशीराम राणा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति देने में काफी विलम्ब होता है, जो नमक उपकर कोष द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से चलाई जाती है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात क्षेत्रीय नमक सलाहकार बोर्ड और केन्द्रीय नमक सलाहकार बोर्ड की कितनी बैठकें हुई और प्रत्येक वर्ष में कितनी योजनायें और राशि स्वीकृत की गई; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार, इन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करने तथा उनके क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए शक्ति के विकेन्द्रीकरण पर विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में अब तक, गुजरात क्षेत्रीय नमक सलाहकार बोर्ड द्वारा

चार बैठकें की गईं। 1987, 1988 तथा 1989 में स्वीकृत कुल धनराशि क्रमशः 10.60 लाख रु०, 44.47 लाख रु० तथा 33.12 लाख रु० थी।

सरकार ने तीव्र कार्यान्वयन हेतु योजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए क्षेत्रीय नमक अधिकारियों को अगस्त, 1990 में और अधिकार दे दिये हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाना

[हिन्दी]

(35. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में दूसरे दूरदर्शन केन्द्रों से दो चैनलों पर कार्यक्रमों का प्रसारण किया जायेगा जैसा कि महानगरों में किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता; और

(ग) और (घ) चार महानगरों में वर्तमान सेवा के अतिरिक्त इस समय किसी अन्य केन्द्र में दूसरी चैनल सेवा आरम्भ करने की कोई अनुमोदित योजना नहीं है।

महाराष्ट्र में घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

636. श्री हरि शंकर बहाले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इन उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जो 28 उद्यम अपने पंजीकृत कार्यालयों सहित महाराष्ट्र में स्थित हैं उनमें से निम्नलिखित 8 उद्यम विगत तीन वर्ष (1986—89) से निरन्तर घाटा उठा रहे हैं :—

(1) भारतीय होटल निगम

(2) इंडियन रेयर अर्थ्स लि०

(3) महाराष्ट्र एण्टिबायोटिक्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०

(4) माझगांव डाक लि०

(5) नेशनल बाईसाइकिल कॉरपो० ऑफ इंडिया लि०

(6) नेशनल टेक्सटाईल कॉरपो० (महाराष्ट्र नार्थ) लि०

(7) नेशनल टेक्सटाईल कॉरपो० (महाराष्ट्र साउथ) लि०

(8) रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि०

प्रत्येक उद्यम में घाटे के कारण अलग-अलग हैं। बहरहाल, क्षमता कम का उपयोग, विद्युत आपूर्ति में बाधा, बकाया ऋणों पर ब्याज की अत्यधिक लागत, निवेश लागत में वृद्धि, मांग में परिवर्तन आदि घाटे के मुख्य कारण हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकरण में सुधार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध मे विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जैसे —उत्पाद—मिश्र में परिवर्तन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बेहतर अनुरक्षण प्रबंध पद्धतियां ऊर्जा संरक्षण, आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन, संगठनात्मक पुनर्गठन आदि। समझौता ज्ञापन की एक नई अवधारणा लागू की गई है जो बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों के पारस्परिक दायित्वों को स्पष्ट करता है।

महाराष्ट्र में परमाणु विद्युत स्टेशन

637. श्री हरि शंकर महाले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में परमाणु विद्युत स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के क्या नाम हैं जिन्हें इन स्टेशनों को स्थापित करने के लिए चुना गया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार का विचार महाराष्ट्र के ठाणे जिले में तारापुर नामक स्थान पर दो और यूनिट, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट होगी, लगाने का है।

(ग) पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी अनुमति प्राप्त कर ली गई है और इस मामले में आगे और कार्रवाई की जा रही है।

छोटी फिल्मों का सीमा शुल्क निकासी के लिए आवेदन

[अनुवाद]

638. श्री कमल चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री 31 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3917 के उत्तर के संबंध में

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आठ महीनों (31 जुलाई, 1990 को समाप्त होने वाले) के दौरान फोटो फिल्मों तथा अन्य सामग्री की सीमा-शुल्क निकासी के लिए, राज्य-वार, कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) राज्य-वार कितने आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति दी गई; और

(ग) शेष आवेदन-पत्रों के स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

पंजाब, चण्डीगढ़ और दिल्ली में बम विस्फोट

639. श्री कमल चौधरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त—दिसम्बर, 1990 के दौरान पंजाब, चण्डीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बसों, रेलगाड़ियों और अन्य स्थानों पर हुए बम विस्फोटों का महीने वार राज्य/संघ क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक बम विस्फोट में मारे गये तथा घायल व्यक्तियों की संख्या और सम्पत्ति की क्षति का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे किसी मामले को सुलझाया गया है और इस संबंध में गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) पंजाब सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन चण्डीगढ़ और दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) दिल्ली में दो मामलों का हल निकाला गया है और पांच अभियुक्तों की शिनाख्त कर ली गई है तथा उनमें से तीन को गिरफ्तार किया गया है।

विवरण

	विस्फोटों की संख्या			मारे गए/घायल हुए व्यक्ति							संपत्ति को हुए नुकसान	
	पंजाब	चण्डीगढ़	दिल्ली	पंजाब		चंडीगढ़		दिल्ली			चंडीगढ़	दिल्ली
				मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए	पंजाब		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अगस्त, 90	13	—	1	10	95	—	—	5	18	सूचना सहज उपलब्ध नहीं है।	—	शून्य
सितम्बर, 90	11	—	—	4	37	—		—	—	—तदैव—	—	—
अक्तूबर, 90	10	—	1	3	61	—	—	3	2	—तदैव—	—	एक आटो और एक साइकिल क्षतिग्रस्त हुई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नवम्बर, 90	9	2	—	3	28	—	15	—	—	सूचना सहज उपलब्ध नहीं है	1. खिड़की के कुछ शीशे टूटे। 2. भवन और फर्नीचर को कुछ क्षति पहुंची।	—
दिसम्बर, 90	7	—	—	—	8	—	—	—	—	—तदैव—	—	—

टिप्पणी : पंजाब : पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई दैनिक स्थिति रिपोर्ट पर आधारित 25 दिसम्बर, 1990 तक की सभी सूचनाएं।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हिंसा के दौरान मारे गये व्यक्तियों की संख्या

640. **श्री कमल चौधरी :**

श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री प्यारेलाल हाण्डू :

श्री गुलाब चन्द्र कटारिया :

श्री यशवंतराव पाटिल :

श्री चिरंजीलाल शर्मा :

श्री ए० के० राय :

श्री गंगाचरण लोधी :

श्री केशरी लाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में अगस्त, 1990 से आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) अगस्त, 1990 से आज तक मारे गये नागरिकों और पुलिस कर्मियों की माह-वार संख्या क्या है तथा कितनी सम्पत्ति लूटी गई और कितनी सम्पत्ति अग्निकांड, बम विस्फोटों और अन्य विस्फोटों में नष्ट हुई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने उग्रवादी मारे गए और कितने गिरफ्तार किए गए;

(घ) क्या अलग-अलग गतिविधियों में सरकारी अधिकारियों के शामिल होने के बारे में कोई प्रमाण भी मिला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) गर्मी आने के साथ ही मई के अन्त से आतंकवादी हिंसा में वृद्धि हुई है।

(ख) से (च) जम्मू और कश्मीर सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

पुरानी दिल्ली के अन्दर और उसके इर्द-गिर्द साइकिल रिक्शाओं का चलाया जाना

641. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली के अन्दर और इसके आसपास साइकिल रिक्शाओं के चलाए जाने से यातायात की समस्या पैदा हो गई है;

(ख) इन क्षेत्रों में कितने साइकिल रिक्शा बिना लाइसेंस के चल रहे हैं;

(ग) क्या साइकिल रिक्शाओं को विशेषकर अजमेरी गेट और रामलीला मैदान के निकट सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर खड़ा किया जाता है जिसके कारण इन स्थानों पर असुविधा होती है और यातायात अवरुद्ध हो जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) पुराने शहर के अन्दर और आस-पास के क्षेत्र में साइकिल रिक्शा यातायात का एक प्रमुख साधन है जिसके द्वारा यात्रियों और विभिन्न प्रकार के सामान को लाया-ले-जाया जाता है। परिणामस्वरूप यातायात की समस्यायें पैदा होती हैं।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि बिना लाइसेंस के चलने वाली साइकिल-रिक्शों की संख्या के बारे में किसी प्रकार का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) क्योंकि पुरानी दिल्ली शहर में कोई भी मंजूरशुदा साइकिल स्टैंड नहीं है, इसलिए साइकिल रिक्शों को मुख्यत: सड़क तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा किया जाता है और इससे यातायात में बाधा पड़ती है। रामलीला मैदान के सामने आसफ अली मार्ग पर स्थित स्टैंड की क्षमता सीमित है।

(घ) बिना लाइसेंस वाली साइकिल रिक्शाओं को जब्त करने के लिए नियमित रूप से छापे मारे जाते हैं।

जम्मू में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

642. श्री जनक राज गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इस केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने जम्मू में 606.90 लाख रुपये की अनुमानित

जावत के एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा (पी० जी० एफ०) केन्द्र की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है। इमारत के निर्माण का काम सौंप दिया गया है तथा जैसे ही चुनी गई जमीन राज्य सरकार द्वारा औपचारिक रूप से दूरदर्शन को अलाट कर दी जाएगी, वैसे ही दूसरा निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

तिहाड़ जेल में दंगा

643. प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री राम लाल राही।

श्री वी० देव राजन :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री हरीश पाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अक्तूबर, 1990 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में कोई दंगा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस कारण यह घटना हुई तथा इसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, कितने व्यक्ति घायल हुए तथा कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है;

(ग) क्या इस घटना की जांच के आदेश दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं तथा इसके लिए जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध और तिहाड़ जेल प्रशासन को मजबूत बनाने, तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) 5 अक्तूबर, 1990 को प्रातः एक कैदी की मृत्यु होने के कारण केन्द्रीय जेल तिहाड़ में (न० 1) में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनेक कैदियों की मृत्यु हो गई अन्य अनेक कैदी और जेल कर्मचारी घायल हो गए तथा बड़ी मात्रा में सरकारी सम्पत्ति का भी नुकसान हुआ। बैरक में रहने वालों ने गैस सिलेन्डरों तथा अन्य सामान में आग लगा दी, भारी मात्रा में पथराव हुआ, जेल के औषधालय से बोतलें फेंकी गई और सिलेन्डरों की सहायता से दीवार तोड़ कर जेल तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने पहले अश्रुगैस का प्रयोग किया और फिर दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाई। कुल मिलाकर 10 कैदियों की मृत्यु हुई और 150 घायल हुए। 81 सुरक्षा कर्मचारी भी घायल हुए।

(ग) से (ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित विचारार्थ विषयों पर एक प्रशासनिक जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं :—

(I) 5 अक्तूबर, 1990 को तिहाड़ जेल में हुए दंगे की घटना के कारण और परिणाम के बारे में जांच-पड़ताल करना।

(II) स्थिति से निपटने में जेल प्राधिकारियों/सुरक्षा कर्मचारियों की तत्परता, गुणता तथा

पर्याप्तता की जांच-पड़ताल करना ।

(III) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय सुझाना और ऐसी घटनाओं के होने पर स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सुझाव देना ।

इंडियन रेअर अर्थ, लिमिटेड, छत्रपुर, उड़ीसा के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

644. श्री डी० अमात :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड, छत्रपुर, उड़ीसा अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से बोनस का भुगतान करती है; और

(ख) यदि नहीं, तो बोनस का भुगतान किस वर्ष से नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) ऑस्काम (इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, छत्रपुर) के कर्मचारियों को 1975 से 1986 तक की निर्माणावधि के दौरान प्रागत बोनस दिया गया था। यूनिटों ने अक्तूबर, 1986 में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करना आरम्भ किया था तथा बोनस संदाय अधिनियम लेखा वर्ष 1987-88 से लागू हुआ है। बोनस संदाय अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत, किसी यूनिट को अपने कर्मचारियों को पहले पांच वर्षों के दौरान तभी बोनस देना होता है जब उसे लाभ हुआ हो। चूंकि यूनिट को 1986 से हानि हो रही है इसलिए 1987-88 लेखा वर्ष से कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया है।

इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगों की स्थापना

645. श्री डी० अमात :

क्या प्रधान मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए इलेक्ट्रोनिक उद्योगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस विषय में राज्य में अभी तक असंतुलन बने रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इलेक्ट्रोनिक उद्योग के राज्यवार वितरण को समान रूप से करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रोनिक इकाइयों की स्थापना के लिए जारी किए गए राज्य वार औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या, आशय-पत्रों तथा पंजीकरणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण देश में इलेक्ट्रोनिक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन प्रदान करती है। राज्य सरकारें राज्य में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए सुविधाएं प्रदान करती है

तथा अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती है और इलेक्ट्रोनिकी विभाग आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है तथा अनुमोदनों को जारी करने के लिए कार्रवाई करता है। किन्तु इलेक्ट्रोनिकी इकाइयों की वास्तविक रूप से स्थापना करना तथा उनका कार्य-निष्पादन उद्योग के संचालकों एवं उद्योग को प्रभावित करने वाली बातों पर निर्भर करता है। इसके परिणाम स्वरूप, विभिन्न राज्यों में इलेक्ट्रोनिक उद्योग के विकास के स्तरों में विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। इलेक्ट्रोनिकी विभाग द्वारा उन राज्यों/क्षेत्रों में जो इस समय पिछड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोनिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। किन्तु इलेक्ट्रोनिक उद्योग का समान रूप से वितरण करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम रखना संभव नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् अप्रैल, 1987 से मार्च, 1990 तक जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों, आशय-पत्रों तथा औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय के पंजीकरणों की सूची

क्रम सं०	नाम	औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	आशय-पत्रों की संख्या	पंजीकरणों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	30	41	41
2.	असम	1	4	0
3.	बिहार	2	5	9
4.	चण्डीगढ़	1	4	0
5.	दादरा/नागर हवेली	0	0	5
6.	दिल्ली	11	9	10
7.	गोवा, दमन एण्ड दीव	3	8	9
8.	गुजरात	21	28	33
9.	हरियाणा	12	21	26
10.	हिमाचल प्रदेश	1	16	42
11.	जम्मू एण्ड काश्मीर	5	10	17
12.	कर्नाटक	69	77	56
13.	केरल	7	12	29
14.	मध्य प्रदेश	9	10	39

1	2	3	4	5
15.	महाराष्ट्र	47	48	110
16.	मणिपुर	0	3	?
17.	उड़ीसा	2	5	27
18.	पाण्डिचेरी	0	4	4
19.	पंजाब	11	19	26
20.	राजस्थान	13	15	44
21.	सिक्किम	0	0	1
22.	तमिलनाडु	28	44	40
23.	उत्तर प्रदेश	38	81	221
24.	पश्चिम बंगाल	9	25	13

केन्द्रीय ठेका मजदूर सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें

647. **श्री वसुदेव आचार्य :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ठेका मजदूर सलाहकार बोर्ड ने सामान को चढ़ाने, उतारने, ढुलाई करने और "ऐज पिकिंग" कार्य में ठेका मजदूर लगाने की प्रथा को समाप्त करने के मुद्दे का अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

यमुना के तट पर फैली तंग घाटियों को समतल करना

648. **श्री केशरी लाल :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में इटावा से फतेहपुर तक यमुना तट पर फैली तंग

घाटियों को समतल करने का है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और योजना आयोग ने इस प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की है; और

(घ) सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठा रही है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां। यह कार्यक्रम इटावा जिले सहित उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में कार्यान्वित हो रहा है। फतेहपुर जिले को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि तथा सहकारिता विभाग को वर्ष 1990-91 के लिए एक प्रस्ताव भेजा था।

(ग) योजना आयोग ने स्कीम का अनुमोदन कर दिया है। कृषि तथा सहकारिता विभाग को वर्ष 1990-9। में यह स्कीम जारी रखने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं :

(I) बाहर निकलने वाले पानी को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए पक्की नालियों द्वारा गहरे कटावों और अन्तरालों को भरने और सही करने, गड्ढेदार क्षेत्रों में नियंत्रण बांध बनाने और वानस्पतिक कवर देने के लिए पेड़ों, झाड़ियों और घास की उचित जातियां लगाने सहित, परिधीय बांध बनाना।

(II) पठारी भूमि का सुधार जैसे बांध बनाना, समतल करना, भूमि नरम करना इत्यादि ताकि पठारी भूमि की उत्पादकता बढ़ सके।

(III) वायुयानों से बीज छिड़ककर और हाथों से पौध लगाकर मध्यम और गहरी तंग घाटियों में वन-रोपण।

(IV) उथली घाटियों का कृषि, बागवानी और अन्य उत्पादक प्रयोगों के लिए भूमि सुधार जिसमें जहां सम्भव सिंचाई की सुविधा भी होगी।

(घ) घाटी-क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से सरकार ने एक व्यापक दृष्टिकोण बनाया है जिसमें बांध निर्माण घाटी नियंत्रण, घाटियों में भूमि-सुधार, उपयोगी पौध-रोपण, सड़क निर्माण, नलकूप, बिजलीकरण, कृषि उत्पादन कार्यक्रम, फसल प्रदर्शन इत्यादि भी शामिल हैं।

आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोग और नष्ट की गई सम्पत्ति

[हिन्दी]

649. श्री राजवीर सिंह :

श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

श्री पलाई के० एम० मैच्यू :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार देश में आतंकवादियों द्वारा कितने निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्याएं की गईं और कितने मूल्य की सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट की गई; और

(ख) इनकी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार ने अनेक निवारात्मक कदम उठाए हैं, जिनमें आसूचना ढांचे को सुदृढ़ करना, सीमाओं पर सतर्कता तेज करना, सुरक्षा बलों द्वारा छानबीन अभियान चलाना तथा राज्य पुलिस, अर्धसैनिक बलों तथा सेना के मध्य बेहतर समन्वयन का कार्य शामिल हैं।

पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी

650. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से लगी श्री गंगानगर जिले की 210 किलोमीटर लम्बी सीमा के साथ हथियारों की तस्करी की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कारगर ढंग से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्। श्री गंगानगर क्षेत्र में भारत-पाक सीमा से शस्त्रों की तस्करी किये जाने के कुछ मामलों का पता चला है।

(ख) सीमा पर चौकसी और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील भागों में तार अवरोधक खड़े किए गए है। सीमा पर बाड़ और फ्लड-लाईट लगाई जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकी के खम्भे

651. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सीमा पर चैक-पोस्ट 10—15 किलोमीटर की दूरी पर है जबकि पंजाब में ये अधिकतम 2 किलोमीटर की दूरी पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजस्थान सीमा पर पंजाब सीमा की तरह चैक-पोस्ट स्थापित करने का है ताकि शस्त्रों की तस्करी बेहतर ढंग से रोकी जा सके;

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (ख) से (घ) जी नहीं, श्रीमान्। यह कहना ठीक नहीं है कि पंजाब में सीमा बाड़

चौकियों के बीच औसत दूरी 2 किलोमीटर और राजस्थान में 10—15 किलोमीटर है। पंजाब में सीमा बाह्य चौकी के बीच औसत दूरी 3.5 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में यह दूरी 4.4 से 4.7 किलोमीटर के बीच है।

राजस्थान सीमा पर अतिरिक्त सीमा बाह्य चौकियां स्थापित करने का प्रस्ताव है।

जोधपुर लिफ्ट नहर जल आपूर्ति योजना हेतु धनराशि का आवंटन

652. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 के दौरान जोधपुर लिफ्ट नहर जल आपूर्ति योजना हेतु 9.54 करोड़ रु० की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त धनराशि राज्य सरकार को प्रदान की जा चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह धनराशि कब तक प्रदान की जाएगी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने पर यह पाया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा किए गए परियोजना कार्य, समापन सम्बन्धी प्रस्तावित समय अनुसूची, वित्तपोषण आवश्यकताएं, टैरिफ पुर्नसंरचना सम्बन्धी प्रस्ताव आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत किये जाने थे। अन्य संघटकों के साथ-साथ सहायता के बारे में विचार पेश किये जाने वाले ब्यौरों पर निर्भर करेगा।

लघु क्षेत्र उद्योगों को वित्तीय सहायता

653. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लघु क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान की कितनी राशि प्रदान की गई और इससे, राज्यवार कितने उद्योग लाभान्वित हुए;

(ग) क्या 30 सितम्बर, 1988 से यह योजना प्रभावी नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे उद्यमियों को अनुदान देने का है, जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत उपरोक्त तिथि तक उद्योग स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये थे, लेकिन उन्हें 30 सितम्बर, 1988 तक अनुदान मंजूर नहीं किया गया था; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) सरकार ने ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित लघु एककों हेतु एक केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है। इस योजना के ब्यौरे तैयार किये रहे हैं।

(ग) से (च) भाग (क) तथा (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून बनाना

[अनुवाद]

654. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री बालेश्वर यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए एक विधेयक पेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक पेश किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) फरवरी, 1990 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार का विषय भवन और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था करने के लिए एक केन्द्रीय विधान बनाने की आवश्यकता पर केन्द्रित था। इस सेमिनार में केन्द्रीय विधान और उसके अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता से सम्बन्धित विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति

655 श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में कितनी नई औद्योगिक परियोजनाओं को लाइसेंस, आशय पत्र और अन्य आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं तथा इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अभी भी लम्बित पड़ी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लम्बित परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) वर्ष 1989 और 1990 (31-11-1990 तक) के दौरान पश्चिम बंगाल में उद्योग लगाने के लिए 32 औद्योगिक लाइसेंस, 66 आशय पत्र और लाइसेंस मुक्त उद्योगों के पंजीकरण तथा छूट प्राप्त उद्योगों के पंजीकरण के रूप

में 108 अन्य स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।

(ख) और (ग) 1987 से 1990 (30-11-1990 तक) की अवधि में प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस के कुल 274 आवेदन पत्रों से, पश्चिम बंगाल में उद्योग लगाने से सम्बन्धित 50 आवेदन पत्र प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

कुछ विभागों में आरक्षण नीति लागू न होना

656. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मण्डल आयोग के अन्तर्गत 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा सशस्त्र बलों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं होता है; और

(ख) यदि हां, तो इन विभागों को मण्डल आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत शामिल न करने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा 13 अगस्त, 1990 को जारी किये गये कार्यालय ज्ञापन में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण, केन्द्र सरकार के अन्तर्गत सिविल पदों और सेवाओं में तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं पर लागू होगा।

उक्त कार्यालय ज्ञापन और मण्डल आयोग की रिपोर्ट भी जिसके आधार पर इसे जारी किया गया था, को विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से, चुनौती दी गई है, जिन पर अब उच्चतम न्यायालय के एक संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्देश दिया है कि लाभ पाने वाली जातियों की पहचान को छोड़कर 13 अगस्त, 1990 के आदेश के कार्यान्वयन हेतु कोई कदम न उठाए जाएं। सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है।

मण्डल आयोग के निष्कर्षों से विशेषज्ञों द्वारा अपने आपको अलग रखना

657. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मण्डल आयोग में काम करने वाले कुछ विशेषज्ञों ने अब अपने आपको आयोग के निष्कर्षों से अलग कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग से कितने विशेषज्ञ जुड़े हुए थे और कितने विशेषज्ञ रिपोर्ट से अलग हो गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) कुछ समाचार पत्रों में ऐसी रिपोर्ट छपी है जिनसे यह संकेत मिलता है कि अनुसूची

सैट डम्पी टेबल, अनुदेशों इत्यादि सहित सर्वेक्षण के पूरे परिरूप जैसे कुछ निश्चित कार्यों में सहायता के लिए आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दलों के सदस्यों के रूप में मण्डल आयोग से सम्बद्ध कुछ विशेषज्ञों ने अपने को आयोग के निष्कर्षों और परिणामों से अलग कर लिया है। तथापि, सरकार को केवल श्री बी० के० राय बर्मन से ही जिन्होंने एक विशेषज्ञ के रूप में आयोग के साथ काम किया था, इस आशय का लिखित पत्र प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

658. डा० बोलतराव सोनूजी अहेर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए इस बीच कोई अलग सचिवालय स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन में कितनी प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) और (ख) इस समय मंत्रिमण्डल सचिवालय की संयुक्त आसूचना समिति राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए सचिवालय का कार्य कर रही है। संयुक्त आसूचना समिति के अध्यक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव का पदभार भी दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया जा चुका है और इसकी एक बैठक भी हो चुकी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को "कोआर्डिनेशन कमेटी आफ आफिसर्स एशोसिएशन" द्वारा हड़ताल

659. श्री लाल गोपाल सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की "कोआर्डिनेशन कमेटी आफ आफिसर्स एशोसिएशन" के आह्वान पर इनमें अक्तूबर, 1990 में हड़ताल हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस हड़ताल का कितनी यूनिटों पर प्रभाव पड़ा; और

(घ) हड़ताल से प्रभावित यूनिटों में उत्पादन कितना कम हुआ ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) अधिकारी संघ की समन्वय समिति के हड़ताल के आह्वान पर औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र द्वारा शासित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी 11 तथा 12 अक्तूबर, 1990 को हड़ताल पर चले गये थे। उनकी मुख्य मांग औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र में संशोधन से संबंधित है।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय नेटवर्क पर कश्मीर के लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित कार्यक्रम

660. श्री बाल गोपाल मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर कश्मीर के लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित कार्यक्रमों के व्यापक प्रसारण हेतु जम्मू-कश्मीर सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कुमोद कान्त सहाय) : (क) और (ख) यद्यपि, दूरदर्शन को जम्मू और कश्मीर सरकार से अभी तक ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, दूरदर्शन समय-समय पर राष्ट्रीय नेटवर्क पर कश्मीरियों की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा तथा उनके सामाजिक जीवन और रीति-रिवाजों पर कार्यक्रम प्रसारित करता रहता है।

पंजाब में आतंकवाद के शिकार हुए व्यक्तियों की विधवाओं को पेंशन

661 श्री कृपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 सितम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार पंजाब में आतंकवाद के शिकार हुए व्यक्तियों की कितनी विधवाओं को पेंशन दी गई है; और

(ख) सरकार के पास इस प्रकार के कितने मामले अभी भी लम्बित पड़े हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कुमोद कान्त सहाय) : (क) और (ख) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1 सितम्बर, 1990 तक आतंकवाद के शिकार हुए व्यक्तियों की 1269 विधवाओं को पेंशन दी जा चुकी है। इसी तारीख को पेंशन देने हेतु 510 मामले लम्बित थे।

अखबारी कागज संयंत्र

662. श्री कृपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अखबारी कागज का दूसरा संयंत्र आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और क्या इसमें सीमावर्ती राज्य के लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) सरकार ने अलीगंज जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में नेपा लिमिटेड द्वारा 14·46 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से खोई-आधारित अखबारी कागज संयंत्र स्थापित करने का अक्तूबर, 1989 में अनुमोदन कर दिया है जिसमें 1205 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। कार्य-स्थल पर प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है।

पंजाब में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पर व्यय

663. श्री कृपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में आतंकवादियों की गोली के शिकार व्यक्तियों के परिवारजनों को वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) पंजाब में इस अवधि के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) क्या उक्त व्यय पंजाब सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) इस अवधि (30 जून, 1990 तक) के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनातगी पर 120.44 करोड़ रुपये की लागत आई है तथा यह सामान्यत: राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

वर्ष 1984 के दंगों के दौरान दिल्ली से पंजाब आकर बसने वाले व्यक्ति

664. श्री कृपाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 के दंगों में दिल्ली से पंजाब आकर बसने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रवासी व्यक्तियों को मुआवजा देने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा उन्हें दी गई अधिकतम और न्यूनतम राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली से पंजाब जाने वाले प्रवासी परिवारों की पुनर्वास व्यवस्था के लिए शुरू की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा प्रवासियों को मुआवजा देने के लिए अपनाये गये मानदंड, पंजाब और कश्मीर के प्रवासियों के मामले में अपनाये गये मानदंडों के समान है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) पंजाब सरकार ने यह योजना तैयार की है जिसके अन्तर्गत उन सिख प्रवासी विधवाओं को 5000 रु० की अनुदान और 100 रु० का जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है जिनके रोजी-रोटी कमाने वाले सदस्य तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 31-10-1984 से 7-11-1984 तक हुए दंगों के दौरान मारे गए। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रवासियों को विवाह अनुदान, प्राथमिकता के आधार पर रोजगार, नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा, एल०आई०जी० मकानों तथा आवासीय और व्यवसायिक प्लाटों के आबंटन में आरक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली से पंजाब पलायन कर गए व्यक्तियों की संख्या तथा उन पर खर्च की गई कुल धनराशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिसकर्मियों का संयुक्त संवर्ग

665. श्री नन्द लाल मोता :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस तथा अन्य राज्यों से ली गई पुलिस दिल्ली में कानून और व्यवस्था की निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो अपना पुलिस बल बढ़ाने के बजाय अन्य राज्यों से पुलिस बल प्राप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कानून और व्यवस्था पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए सभी संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिसकर्मियों का एक संयुक्त संवर्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) राज्यों अन्य सभी पुलिस बलों की तरह दिल्ली पुलिस, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, उन्हें राजधानी में संरक्षित व्यक्तियों तथा महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा भी करनी पड़ती है, जिसके लिए और अधिक मानव शक्ति की जरूरत होती है, विशेषरूप से तब, जब आतंकवादियों की धमकियों के खतरे में अत्याधिक वृद्धि होती है, जैसा कि हाल ही में घटित हुआ है। बढ़े हुए कार्यभार, जो स्थायी प्रकार का नहीं होता है, को निपटाने के लिए दिल्ली पुलिस, राज्य पुलिस बलों की तरह, केन्द्रीय पुलिस संगठन तथा अन्य राज्यों से अतिरिक्त बल लेती है।

(ग) और (घ) सभी संघ शासित क्षेत्रों तथा अरूणाचल प्रदेश, गोवा तथा मिजोरम राज्यों का आई० पी० एस० स्तर का एक संयुक्त संवर्ग है। निरीक्षक तथा निचले स्तर पर ऐसा संयुक्त संवर्ग उपयुक्त नहीं समझा गया है, क्योंकि इस स्तर पर दक्षतापूर्वक पुलिस का कार्य करने के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है।

नागा राजनीतिक समस्या का समाधान

666. श्री सिकिहो सेमा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड राज्य सरकार ने, नागा राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए केन्द्र, सरकार के समक्ष कोई ठोस योजना/प्रस्ताव रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं/प्रस्तावों को लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) इस सम्बन्ध में कोई योजना या प्रस्ताव इस मन्त्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन

[हिन्दी]

667. श्री बालेश्वर यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के फिल्मोत्सव में दिखाई गई फिल्मों का वाणिज्यिक प्रदर्शन, फिल्मोत्सव आरम्भ होने से पूर्व ही आरम्भ हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उद्घाटन से पूर्व किन-किन फिल्मों का प्रदर्शन किया गया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगाने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) वर्ष 1990 के दौरान कलकत्ता में आयोजित भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह तथा नई दिल्ली में हुए 37वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कोई वाणिज्यिक स्क्रीनिंग नहीं हुई थी। तथापि सरकार ने भारतीय फिल्मोत्सव, अहमदाबाद के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित ऐसी खबरें देखी हैं और गुजरात सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर दिया है।

(ग) और (घ) सरकार का यह दृढ़ विचार है कि फिल्म समारोह के उद्घाटन से पूर्व कोई वाणिज्यिक स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली में मिलावटी सीमेंट का उत्पादन

668. श्री बालेश्वर यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान दिल्ली में मिलावटी सीमेंट का उत्पादन करने वाले

एककों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) यह बताया गया है कि 1-9-1990 से 31-11-90 तक की अवधि में दिल्ली पुलिस द्वारा मिलावटी सीमेंट बनाने के 7 मामले पकड़े गये। मामले भारतीय दंड संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन दर्ज किये गये हैं।

कर्नाटक में कैगा परमाणु परियोजना के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

[अनुवाद]

669. श्री जोस फर्नान्डीज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कैगा परमाणु परियोजना के कारण कितने व्यक्तियों को अपनी जमीन से हाथ धोने पड़े हैं;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक मुआवजा और रोजगार दिया गया है;

(ग) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति अभी रोजगार पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(घ) सभी विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) कैगा परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना की वजह से कुल 133 परिवारों की भूमि प्रभावित हुई है जिनमें से केवल 85 परिवार ही विस्थापित हुए हैं।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने मुआवजे की जितनी धनराशि निर्धारित की थी, वह न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ने राज्य सरकार के पास जमा करा दी थी और राज्य सरकार ने वह धनराशि सभी प्रभावित परिवारों को बांट दी है। कैगा परियोजना ने प्रभावित परिवारों में से अब तक 127 व्यक्तियों को रोजगार दिया है। इन परिवारों में वे परिवार भी शामिल हैं जहां भूमि के साझेदार एक से अधिक परिवार थे।

(ग) और (घ) जिन परिवारों की भूमि प्रभावित हुई है उनमें से उन पात्र आवेदकों को कैगा परियोजना में रोजगार दिया गया है जो वास्तविक रूप में उस जगह रहते थे और जिनके बारे में राज्य सरकार ने यह प्रमाणित कर दिया है कि इनकी भूमि परियोजना लगाने से प्रभावित हुई है। परियोजना लगाने से प्रभावित अन्य किसी परिवार से प्राप्त अनुरोध पर योग्यता के आधार पर और इस संबंध में तैयार की गई नीति के अनुसार विचार किया जाएगा।

कर्नाटक में कम शक्ति के ट्रांसमीटर केन्द्र

670. **श्री जोस फर्नान्डीज :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कम शक्ति के सभी ट्रांसमीटर केन्द्र बंगलौर दूरदर्शन के कार्यक्रमों के साथ जोड़ दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि कर्नाटक में अधिकांश स्थानों पर बंगलौर दूरदर्शन के कार्यक्रम इसके ए० आर० ए० बी० एस० ए० टी० से जुड़े होने के कारण स्पष्ट रूप से दिखायी नहीं देते हैं; और

(ग) उक्त केन्द्र को "इन्सैट-1 डी" से जोड़ने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि पूरे कर्नाटक में दूरदर्शन के कार्यक्रम स्पष्ट रूप से देखे जा सकें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विभिन्न पारेषण केन्द्रों में उपलब्ध मौजूदा उपग्रह संग्रहण सुविधाओं की बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में ए० आर० ए० बी० एस० ए० टी०-1बी के माध्यम से क्षेत्रीय दूरदर्शन सेवा का वितरण संतोषजनक समझा जाता है। अत: इस समय इस सेवा को इन्सैट-1-डी० के माध्यम से वितरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो का सीमा स्कंध (बार्डर विंग)

[हिन्दी]

671. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो में इस समय कोई सीमा स्कंध (बार्डर विंग) है और यदि हां, तो कब से; और

(ख) इस विंग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामले दर्ज किए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां। अक्तूबर, 1985 से है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा स्कंध (बार्डर विंग) द्वारा दायर किए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित है :—

1988 - शून्य

1989 —4 मामले

1990— 3 मामले

"इंदिरा" नामक फिल्म के गाने के प्रसारण पर रोक

[अनुवाद]

672. श्री जनार्दन पुजारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से अक्तूबर, 90 के प्रथम सप्ताह से "इन्दिरा" नामक फिल्म के गाने के प्रसारण पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो गाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन कारणों से इस पर रोक लगाई गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस पर रोक हटाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां।

(ख) निर्माता द्वारा दी गई सूचना के अनुसार फिल्म का शीर्षक "इन्दिरा" था और गीत की प्रथम पंक्ति थी "सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, इन्दिरा उसको कहते";

(ग) यह गीत, आकाशवाणी पर, फिल्मी गीतों के प्रसारण हेतु अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुरूप नहीं था; और

(घ) और (ङ) जी नहीं। कारण ऊपर "ग" में दिए गए हैं।

कर्नाटक में समेकित बाल विकास सेवा

673. श्री जनार्दन पुजारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में 15 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार समेकित बाल विकास सेवा की कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के लाभभोगियों की संख्या कितनी है; और

(ग) जिन तालुकों को इन परियोजनाओं का नाम नहीं मिला है, उन्हें इनका लाभ देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) कर्नाटक में 31-3-90 तक 106 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। इसके अलावा राज्य क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा 29 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इनमें से कर्नाटक राज्य में 30 सितम्बर, 1990 तक 111 आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं चालू कर दी गयी हैं।

(ख) 30 सितम्बर, .990 तक कर्नाटक में इन चालू परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या नीचे दी गई है :—

1.	0—6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे	1032340
2.	गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं	149580
	कुल	1181920

(ग) संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए आई० सी० डी० एस० योजना का अनकवर्ड क्षेत्रों में उत्तरोत्तर विस्तार किया जा रहा है।

आधारभूत ढांचे वाले उद्योगों का उत्पादन

674. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष (अप्रैल —नवम्बर, 1990) के दौरान, बिजली, कोयला, बिक्री योग्य इस्पात, पेट्रोलियम तेल शोधन उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम और सीमेंट जैसे आधार भूत उद्योगों में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष अभी तक इन उद्योगों में कितनी मात्रा में और कितने प्रतिशत उत्पादन लक्ष्य के पूरा होने की सम्भावना है और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) अप्रैल—नवम्बर 1990 के दौरान मूलभूत उद्योगों का उत्पादन निम्नवत्—

उद्योग	एकक	अप्रैल—नवम्बर 1989 वास्तविक	अप्रैल—नवम्बर, 1990 लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य की अप्रैल—नवम्बर, 89 %उपलब्धि के बाद	%अन्तर
उत्पन्न हुई बिजली	बिलयन के० डब्ल्यू० एच०	159.4	177.3	170.5	96 1	6.9
कोयला	मिलियन मी० टन	118.3	132.3	118.1	89.3	—0.2
बिक्री योग्य इस्पात (मेन प्लेट्स)	लाख मी० टन	56.3	63.2	57.8	91.4	2.6
कच्चा पैट्रोलियम	मिलियन मी० टन	22.6	23.9	21.8	91.5	—3.3
सीमेंट	मिलियन मी० टन	28.8	31.8	30.7	96.7	6.5
पैट्रोलियम रिफ० पी० डी० टी० एस०	मिलियन मी० टन	31.6	32.6	31.5	96.8	—0.3

पंजाब में नजरबन्द आतंकवादियों की संख्या

675. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :

श्री चिरंजी लाल शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में 1 जनवरी, 1990 से आज तक पंजाब में नजरबन्द आतंकवादियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने आतंकवादियों को सजा दी गई है;

(ग) 1 जनवरी, 1990 और 30 नवम्बर, 1990 को रिहा किये गये तथा नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या कितनी थी; और

(घ) इस अवधि के दौरान पंजाब में अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर महीने-वार कितने व्यक्ति मारे/पकड़े गए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) पंजाब सरकार से इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

जम्मू और कश्मीर सीमा पर मारे गए/गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या

676. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1990 के दौरान जम्मू और कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा अथवा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर महीने-वार कितने व्यक्ति मारे गए अथवा पकड़े गए; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य में कितने उग्रवादियों पर मुकदमा चलाया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) राज्य सरकार से ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

बंगलादेश से अल्पसंख्यकों का पलायन

677. श्री राजमोहन रेड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बंगलादेश से अल्पसंख्यकों का पलायन आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में आए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं जिससे यह पता चलता हो कि अभी हाल ही में बंगलादेश से अल्पसंख्यकों का भारी संख्या में पलायन हुआ हो। तथापि, भारत और बंगलादेश के बीच लम्बी और खुली सीमा होने के कारण कभी-कभी घुसपैठिए चोरी-छुपे पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में घुस जाते हैं। घुसपैठ को रोकने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किये गये हैं। सीमा पर गश्त लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को तैनाथ किया गया है। वर्ष, 1986-87 से आरम्भ हुए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी गई है। जिसमें सीमा सुरक्षा बल की संख्या बढ़ा कर, सीमा चौकियों को स्थापित करके, और अधिक निगरानी बुर्जों का निर्माण करके, सीमा पर गश्त को बढ़ाकर तथा उन्हें अत्यधिक संवेदनशील उपकरण, जैसे नाईट विजन गोगल्स, दूरबीन, हाथ की टार्च, इत्यादि उपलब्ध करा कर चौकसी बढ़ा दी गई है।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि तथा श्रमिकों को राहत देने के लिए फार्मूले

678. श्री शांताराम पोटदुखे :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 नवम्बर, 1990 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभी वस्तुओं के लिए श्रमिक थोक मूल्य सूचकांक 184.3 अंक तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या श्रमिकों को आवश्यक राहत देने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोजकों के परामर्श से कोई फार्मूले तैयार नहीं किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) 1981-82 पर आधारित सरकारी थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू०पी०आई०) शृंखला के अनुसार, 10-11-1990 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान सभी वस्तुओं का सूचकांक 184.3 (अनंतिम) पर रहा है।

अखिल भारतीय साप्ताहिक डब्ल्यू० पी० आई० 447 विभिन्न वस्तुओं के थोक मूल्यों तथा देशभर में फैले महत्वपूर्ण बाजारों/केन्द्रों से लिए गए 2371 मूल्य उद्धरणों पर आधारित है। अतः डब्ल्यू० पी० आई० का कामगारों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

सभी तीनों प्रमुख समूहों, अर्थात् "मुख्य वस्तुओं", "ईंधन, बिजली, प्रकाश व लुब्रिकेन्ट्स" और "निर्मित उत्पादों" जिनमें सूचकांक क्रमशः 187.6, 184.2 और 182.5 पर पहुंच गए हैं, के डब्ल्यू० पी० आई० में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप 10-11-1990 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभी वस्तुओं के डब्ल्यू० पी० आई० 184.3 (अनंतिम) पर पहुंच गये।

(ग) कामगारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्रों के नियोक्ताओं से परामर्श करके डब्ल्यू० पी० आई० के आधार पर कोई सूत्र तैयार नहीं किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की उन्नति

679. बाबा सुच्चा सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षिक उन्नति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या उनमें बड़ी संख्या में बेरोजगारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्व-रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना पंजाब सरकार से मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

असम, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर में पकड़े गए हथियार

680. श्री ए० के० राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 11 महीनों के दौरान असम में आतंकवादियों द्वारा पुलिस कर्मियों सहित माहवार कितने व्यक्तियों की हत्या की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया/मारा गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान असम, जम्मू एवं कश्मीर में और पंजाब में पृथक-पृथक रूप से आतंकवादियों द्वारा छीने गए और उनसे वसूल किये गये हथियारों का माहवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) फरवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990 के बीच असममें पुलिस कार्मिकों सहित मारे गए व्यक्तियों की संख्या का माहवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

माह	पुलिस कार्मिकों सहित मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1	2
फरवरी, 1990	—
मार्च, 1990	13
अप्रैल, 1990	41

1	2
मई, 1990	5
जून, 1990	15
जुलाई, 1990	12
अगस्त, 1990	11
सितम्बर, 1990	46
अक्तूबर, 1990	4
नवम्बर, 1990	9
दिसम्बर, 1990	14

(इसमें यू० एल० एफ० ए० सीमा सुरक्षा बल और ए० बी० एस० यू० के उग्रवादियों में मारे गये 25 पुलिस कार्मिक शामिल हैं)

(ख) फरवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान 1181 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और 11 यू० एल० एफ० ए०/ए० बी० एस० यू० कार्यकर्ता मारे गए।

(ग) आतंकवादियों द्वारा छीने गये शस्त्रों और उनसे बरामद किए गए शस्त्रों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(I) यू० एल० एफ० ए०/ए० बी० एस० यू० के उग्रवादियों द्वारा विभिन्न प्रकार की 1966 बन्दूकें छीनी गईं।

(II) यू० एल० एफ० ए०/ए० बी० एस० यू० के उग्रवादियों द्वारा बरामद की गई बन्दूकों की माहवार संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

फरवरी, 1990	—एस० बी० बी० एल० बन्दूक	4
	डी० बी० एम० एल० बन्दूक	1
	देशी बन्दूक	16
मार्च, 1990	—देशी बन्दूक	5
	पिस्तौल	32
	राईफल	1
	लाईटमन	3

अप्रैल, 1990	—राईफल	2
	देशी पिस्तौल	6
	पिस्तौल	4
	स्टेनगन	1
	बी० बी० एम० एल०	2
	एस० बी० एम० एल०	1
मई, 1990	—देशी बन्दूक	8
	पिस्तौल	3
	डी० बी० बी० एल०	1
	रिवाल्वर	3
	राईफल	1
	नली बन्दूक	1
जून, 1990	—देशी बन्दूक	14
	पिस्तौल	9
	एस० एल० आर०	1
	डी० बी० बी० एल०	2
जुलाई, 1990	—देशी बन्दूक	3
	पिस्तौल	2
	रिवाल्वर	1
	एस० बी० बी० एल०	2
अगस्त, 1990	—देशी बन्दूक	2
	पिस्तौल	2
	रिवाल्वर	1
	एस० बी० बी० एल०	2
सितम्बर, 1990	—रिवाल्वर	4
	एस० बी० बी० एल०	2
अक्तूबर, 1990	—देशी बन्दूक	15
	पिस्तौल	3
	स्टेनगन	1
नवम्बर, 1990	—देशी बन्दूक	9
	रिवाल्वर	4
	पिस्तौल	2
	कारबाईन	1

दिसम्बर, 1990	—देशी बन्दूक	13
	एस० बी० एम० एल० बन्दूक	6
	एस० बी० बी० एल० बन्दूक	145
	डी० बी० बी० एल० बन्दूक	41
	पिस्तौल	10
	रिवाल्वर	1
	राईफल	9
	एयर गन	1

(III) जम्मू और कश्मीर में जनवरी, 1990 से नवम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान आतंकवादियों द्वारा छीने गए शस्त्रों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

प्राइवेट व्यक्तियों से	6
पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों से	21
(शस्त्रों में रिवाल्वर, राईफल, बन्दूकें, स्टेनगन, और छोटी मशीनगन शामिल हैं)	

(IV) जम्मू और कश्मीर में जनवरी, 1990 से नवम्बर, 1990 के दौरान आतंकवादियों से बरामद किए गए शस्त्रों की संख्या—5894, बरामद किए गए शस्त्रों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

ए० के० राईफल	1240
मशीनगन	77
पिस्तौल/रिवाल्वर	751
हथगोले	2502
सुरंगें	750
राकेट/आर०एस०एस०/आर० बूस्टर और आर० पी० जी०	574

(V) पंजाब में जनवरी, 1990 से नवम्बर, 1990 के दौरान आतंकवादियों से बरामद किए गए शस्त्रों की संख्या--2394

बरामद किए गए शस्त्रों की संख्या और विवरण का माहवार ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

जनवरी, 1990 से नवम्बर, 1990 के दौरान पंजाब में आतंकवादियों से बरामद किए गए शस्त्रों की संख्या और ब्यौरों का माहवार विवरण

1990	पिस्तोल	रिवाल्वर	ए०के० 47 राईफल	अन्य राईफलें	बन्दूकें	स्टेनगन	कारबाईन	एल०एम० जी० एस० एम० जी० एम० जी०	राकेट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जनवरी	22	9	16	7	7	4	—	1	5
फरवरी	26	13	9	5	6	1	—	—	—
मार्च	29	7	36	11	25	2	—	—	6
अप्रैल	76	31	59	16	37	8	2	4	45
मई	94	25	79	15	24	7	—	7	4
जून	59	10	55	6	24	6	—	4	17
जुलाई	64	19	—	66	42	3	—	6	5
अगस्त	73	25	—	75	38	2	—	6	5
सितम्बर	54	11	—	36	24	1	—	6	3
अक्तूबर	46	15	—	59	17	—	—	5	4
नवम्बर	59	24	—	65	23	—	1	9	11

राकेट लांचर	राकेट चार्जर	हथगोले	माउज्जस	डैटोनेटर्स	ए० के० 54	ए०के० 56	ए०के० 74	जोड़
11	12	13	14	15	16	17	18	19
—	—	8	1	10	—	—	3	93
—	—	2	2	—	—	—	2	66
3	—	12	4	17	3	—	4	159
3	11	31	4	32	—	2	12	373
2	—	27	9	56	—	—	—	349
2	—	4	6	57	—	—	—	250
1	—	43	6	—	—	—	—	255
4	—	24	7	—	—	—	—	259
3	—	13	5	—	—	—	—	156
6	4	26	7	—	—	—	—	189
13	—	30	10	—	—	—	—	245

आयुध कारखानों/सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में निवेश

681. श्री अमल दत्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आयुध कारखानों और सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयुध कारखानों और सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा किए जा रहे रक्षा संबंधी सामान के निर्यात में कोई अड़चनें आई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) मांगे गए ब्यौरे प्रकट करना लोक-हित में नहीं है।

(ख) और (ग) रक्षा मदें मित्र-देशों को निर्यात की जाती हैं। निर्यात के संबंध में जो सामान्य अड़चनें आती हैं वे इस प्रकार हैं—अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता का होना, प्रभावी अदायगी में आयात करने वाले देशों की वित्तीय कठिनाइयां और प्रौद्योगिकी सहयोग के अन्तर्गत निर्मित मदों के मामले में मंजूरी की आवश्यकता।

पंजाब में भारत-सीमा को सील करना

682. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 दिसम्बर, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "मिलिटेन्ट्स शिफ्ट बेसिज एज आर्मी मूव्ड इन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन सीमा क्षेत्रों में भारतीय सेना लगाये जाने के बाद आतंकवादियों द्वारा स्थापित किये गये नये अड्डों, जहां से वे अपनी गतिविधियां चलाते हैं, को पता लगाने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का क्या परिणाम निकला है;

(घ) क्या पंजाब में भारत-पाक सीमा को पूरी तरह से सील करने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) सरकार ने उल्लिखित समाचार देखा है तथापि, सरकार के पास इस आशय की कोई विशेष सूचना नहीं है कि उग्रवादियों ने अपने अड्डे बदल दिए हैं। सुरक्षा बल पंजाब में व्याप्त स्थिति से पूरी तरह से अवगत है और उपयुक्त समन्वित कार्रवाई कर रहे हैं।

(ख) से (घ) पंजाब में लगी भारत पाक सीमा के 236 कि०मी० टुकड़े पर अतिरिक्त तार लगाने का काम शुरू किया गया है और इसे अप्रैल, 1990 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

केरल में इलेक्ट्रानिक्स नगरों की स्थापना

683. श्री ए० चार्ल्स :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कुछ इलेक्ट्रानिक्स नगरों की स्थापना के जो प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों पर सरकार की मंजूरी कब तक मिल जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) केरल राज्य में कुछ इलेक्ट्रानिक शहर स्थापित करने के संबंध में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किन्तु त्रिवेन्द्रम में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव अवश्य है।

औद्योगिक नीति की समीक्षा

684. प्रो० रूप चन्दवाल :

डा० वेंकटेश काबड़े :

श्री मनोरंजन सूर :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री वसुदेव आचार्य :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :

श्री हर्षवर्धन :

श्री रामेश्वर प्रसाद :

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा :

डा० विप्लव दास गुप्त :

श्री समरेन्द्र कुन्डू :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिछली सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति 1990 पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति की पुनरीक्षा करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) "लघु तथा कृषि-आधारित उद्योगों के संवर्धन हेतु नीतिगत उपाय और औद्योगिक स्वीकृतियों के लिए प्रक्रियाओं में परिवर्तन" संबंधी दस्तावेज 31 मई, 1990 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। फिलहाल सरकार इस दस्तावेज पर विचार कर रही है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए आवेदन पत्र

[हिन्दी]

685. श्री राजबीर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के लिए राज्य-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से राज्य-वार कितने आवेदन पत्र निपटाए गए और कितने व्यक्तियों को पेंशन दी गई; और

(ग) विचाराधीन आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) निर्धारित अन्तिम तिथि अर्थात् 31-3-82 के बाद प्राप्त आवेदन विलम्ब से प्राप्त आवेदन हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे 8127 आवेदन प्राप्त हुए। उनके राज्य-वार ब्यौरों का विवरण संलग्न है।

(ख) इन आवेदनों में से 5031 आवेदनों को निपटाया जा चुका है। तथापि, विलम्ब से प्राप्त आवेदनों की मंजूरी से संबंधित कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) लम्बित आवेदनों के निपटाने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

विवरण

आवेदनों का राज्यवार ब्यौरों का विवरण
(1-1-89 से 30-11-90)

1. आंध्र प्रदेश	—	2523
2. आसाम	—	171

3.	बिहार	—	537
4.	चण्डीगढ़	—	1
5.	दादरा, नागर हवेली	—	3
6.	दमन एण्ड दीव	—	2
7.	दिल्ली	—	12
8.	गोवा	—	1
9.	गुजरात	—	49
10.	हरियाणा	—	102
11.	हिमाचल प्रदेश	—	29
12.	जम्मू और कश्मीर	—	477
13.	कर्नाटक	—	492
14.	केरल	—	244
15.	मध्य प्रदेश	—	60
16.	महाराष्ट्र	—	344
17.	मणिपुर	—	74
18.	उड़ीसा	—	223
19.	पांडिचेरी	—	28
20.	पंजाब	—	123
21.	राजस्थान	—	72
22.	तमिलनाडु	—	657
23.	उत्तर प्रदेश	—	724
24.	पश्चिम बंगाल	—	1179
	कुल	—	8127

नागालैंड की नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल को अवैध घोषित करना

[अनुवाद]

686. श्री शिकिहो सेमा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नागालैंड सरकार से मंत्रणा करके हाल ही में नागालैंड की नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल को अवैध घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) नागालैंड की नेशनलिस्ट काउंसिल को गैर कानूनी घोषित किए जाने से पहले नागालैंड के मुख्य मंत्री को सूचित कर दिया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान से आये हिन्दू शरणार्थी

[हिन्दी]

687. श्री कैलाश मेघवाल :

श्री राघवजी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के सिन्ध प्रांत में गड़बड़ी के कारण वहां से गत तीन वर्षों में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में आये हिन्दू शरणार्थियों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें पुनर्वास, रोजगार और नागरिकता प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) प्रत्येक राज्य ने उनकी सहायता और पुनर्वास के लिए कितनी राशि खर्च की और केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को कितना-कितना धन दिया;

(घ) क्या इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत पाकिस्तान सीमा पर किसानों को पहचान पत्र

688. श्री बेगा राम चौहान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सीमा के निकट खेती करने वाले किसानों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन किसानों को अपनी भूमि की सिंचाई करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की अनुमति लेनी पड़ती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन किसानों की पत्नियों सहित अन्य किसी भी पारिवारिक सदस्य को खेतों में काम कर रहे किसानों के लिए भोजन ले जाने तक की अनुमति नहीं होती;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) राजस्थान और गुजरात के चुने हुए सीमा क्षेत्रों में परिचय पत्र जारी करने की एक मुख्य योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत, 16 वर्ष और इससे अधिक के उम्र वाले सभी व्यक्तियों को परिचय पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है। अब तक राजस्थान में 2,35,000 परिचय पत्र और गुजरात में 60,5000 परिचय पत्र जारी किए गए हैं। पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्य सरकारें भी सीमावर्ती जिलों में ऐसी योजना लागू करने के लिए सहमत हो गई है।

(ख) से (ङ) पंजाब में किसानों और उनके सदस्यों को अपने खेतों पर काम करने की अनुमति के लिए सुरक्षा उपाय के तहत सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों से पर्ची/चिट प्राप्त करना होता है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसार भारती निगम को अंतरण

689. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन का प्रसार भारती निगम को अंतरण निर्धारित तारीख तक हो जायेगा;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ये स्थानांतरण कब तक प्रभावी हो जाएगा; और

(घ) प्रसार भारती अधिनियम लागू होने से पूर्व किए जाने वाले अन्य प्रशासनिक कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) प्रसार भारती की स्थापना से सम्बद्ध तारीख को औपचारिक रूप से

अधिसूचित करने से पहले सभी पक्षों से परामर्श करना जरूरी समझा गया है ताकि वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी स्थापना राष्ट्रीय हित में है।

दिल्ली में महिला अपराधी

690. श्री संघमित्रा सोमी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं द्वारा किए अपराधों की संख्या तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) दिल्ली में महिला अपराधियों की अनुमानित संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) वर्ष 1987, 1988, 1989 और 1990 (30-11-90 तक) दिल्ली में गिरफ्तार किए गए महिला अपराधियों का विवरण

क्रम सं०	अपराध शीर्ष	1987	1988	1989	1990 (30-11-90 तक)	कुल जोड़
1.	डकैती	—	—	—	—	—
2.	हत्या	28	30	39	29	121
3.	हत्या का प्रयास	—	19	54	15	88
4.	लूट	—	—	—	—	—
5.	दंगा	20	21	42	85	168
6.	बहकाने का अपराध	3	18	4	4	29
7.	चोरी	340	370	253	142	1105
8.	अन्य अपराध	1017	430	982	780	3215
9.	कुल अपराध	1403	894	1374	1055	4726
10.	स्थानीय और विशेष कानून	597	711	953	835	3096
	कुल जोड़	2000	1605	2327	1890	7822

जम्मू-कश्मीर में नजरबंद व्यक्तियों की संख्या

[अनुवाद]

691. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में वर्ष 1990 के दौरान (31 अक्तूबर तक) नजरबंद/गिरफ्तार व्यक्तियों का जिलावार ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्ति उक्त तारीख तक भी नजरबंद हैं;

(ख) इनमें से विधायकों और भूतपूर्व विधायकों तथा आतंकवादी संगठनों के नेताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें किस कारण के अंतर्गत गिरफ्तार/नजरबन्द किया गया था ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

उग्रवादियों द्वारा कश्मीरी विस्थापितों के घरों को जलाया जाना

692. श्री प्यारे लाल हाण्डू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1990 से अब तक उग्रवादियों द्वारा कश्मीरी विस्थापितों के कितने घरों को जलाया गया है; और

(ख) पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के भुगतान का तरीका और उसकी मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) राज्य सरकार से ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

जम्मू और कश्मीर के उग्रवादियों की आतंकवादी गतिविधियां

693. श्री शांताराम पोटदुखे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 दिसम्बर, 1990 को "दि हिन्दू" में "पाकिस्तान कॉल्स कश्मीर मिलिटेंट्स फोर रिव्यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हाल ही में हुई विभिन्न संगठनों के नेताओं की बैठक में बनाई गई नीति से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) स्थिति का सामना करने के लिए कई प्रकार के प्रशासनिक उपाय किए गए हैं जिनमें सीमाओं पर चौकसी बढ़ाना, आसूचना को मजबूत बनाना, सेना, अर्ध-सैनिक बलों और राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बनाना तथा संवेदनशील क्षेत्रों में चौबीसों घंटे गश्त लगाना शामिल है।

11.09 म० प०

स्थगन प्रस्ताव

संविधान की 10वीं अनुसूची के उपबंधों की मर्यादा बनाए रखने में सरकार की असफलता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे निम्नलिखित सदस्यों से लोकसभा के अध्यक्ष पद की तथा संसद के विशेषाधिकारों तथा उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने में तथा उसे सुरक्षित बनाए रखने में सरकार की असफलता के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की चार सूचनाएं मिली हैं :—

(1) श्री गुमान मल लोढ़ा

(2) श्री नाथू सिंह

(3) श्री लाल कृष्ण आडवाणी

(4) श्री मदन लाल खुराना

मैं श्री नाथू सिंह को जिन्होंने बैलट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रस्ताव को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं :

"संविधान की 10वीं अनुसूची में अन्तर्विष्ट संसद सदस्यों की निर्हरता से सम्बन्धित संविधान के उपबंधों, जो कि इस मामले को किसी न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखते हैं, की मर्यादा बनाए रखने में सरकार की असफलता।"

श्री नाथू सिंह बोलेंगे।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : महोदय, आडवाणी जी को इसे प्रस्तुत करने दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, जब यह प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो अगला व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आडवाणी जी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : महोदय, मैं संविधान की 10वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट संसद सदस्यों की निर्हरता से सम्बन्धित संविधान के उपबंधों, जो कि इस मामले को किसी न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखते हैं, की मर्यादा बनाए रखने में सरकार की असफलता के बारे में स्थगन प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा अनुमति दिये जाने का विरोध करती है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : महोदय, मैं अनुमति दिये जाने का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, पचास से भी अधिक सदस्य खड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। नियम 61 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है ··

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : चूंकि यह प्रश्न आपके अधिकारों तथा कर्तव्यों से संबंधित है अतः जब इस पर चर्चा की जाए तब आप पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करें, क्या आपके लिए यही उचित होगा ? (व्यवधान) मैं समझता हूं कि उस समय पीठासीन अधिकारी उपाध्यक्ष महोदय होने चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह सभा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आपको सभा की अध्यक्षता करने का पूर्ण अधिकार है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि प्रश्न काल स्थगित किया जा चुका है अब सभा सीधे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को अपना भाषण आरम्भ करने के लिए कहा है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री ए० एन० सिंह देव (आस्का) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री सिंह देव का व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ए० एन० सिंह देव : अध्यक्ष महोदय, जब स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है तो यह स्पष्ट है कि सदस्यों को इतनी स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे बिना किसी बाधा के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकें। यदि अध्यक्ष वहां मौजूद रहते हैं तब सदस्यों को थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि कुछ ऐसे मामले भी उत्पन्न हो सकते हैं जिनमें अध्यक्ष भी शामिल हों। चूंकि इस पूरे मामले में अध्यक्ष भी शामिल हैं अतः हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वह इस चर्चा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष महोदय को करने दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, चूंकि इसकी अनुमति दे दी गई है अतः मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अब सभा स्थगित हो।"

मेरे विचार से इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभा द्वारा अध्यक्ष को प्रश्न काल स्थगित करने का औपचारिक निर्देश देकर स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया गया है। जहां तक मुझे याद है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मेरे तथा मेरे सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर प्रश्न काल को अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर दिया गया है तथा यह घटना ही अपने आप में स्थिति की गम्भीरता का प्रमाण है। आपके द्वारा जो प्रथम घोषणा की गई थी वह इस सभा में उपस्थित सभी प्रतिनिधि वर्गों तथा दलों के नेताओं की पूर्ण राय से ही की गई थी तथा इसीलिए मैं उस समय हैरान हो गया जब एक सदस्य ने खड़े होकर यह कहा कि जब इस मामले पर चर्चा की जा रही हो तब आपको पीठासीन अधिकारी के रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मामला किसी एक व्यक्ति से सम्बन्धित नहीं है बल्कि यह एक संस्था से सम्बन्धित है। मुझे याद है कि पिछले सप्ताह 27 दिसम्बर को आपने सदन में घोषणा की थी तथा मैं उद्धृत करता हूं :—

"मुझे सभा को सूचित करना है कि 7 दिसम्बर, 1990 को उच्च न्यायालय, दिल्ली के रजिस्ट्रार से एक नोटिस प्राप्त हुआ था जिसमें मुझसे 1990 की सिविल लिखित याचिका सं॰ 3871 के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था···।"

इसे लिखित याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ संवैधानिक 52वां संशोधन अधिनियम, 1785 की 10वीं अनुसूची के छठे तथा सातवें पैराग्राफ की संवैधानिकता तथा वैधता की चुनौती दी गई है। तत्पश्चात् आपने यह भी कहा था कि "सभा की सुव्यवस्थित परम्परा तथा रीति के अनुसार मैंने नोटिस का जवाब न देने का निर्णय किया है।" अधिक महत्वपूर्ण बात आपके द्वारा की गई दूसरी घोषणा है। "मैंने विधि तथा न्याय मन्त्री को सभी सम्बन्धित कागजात भेज दिये हैं ताकि वे ऐसे कदम उठा सकें जिन्हें वह सभा की सुव्यवस्थित परम्पराओं तथा सही संवैधानिक स्थिति के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित करने के लिए उचित समझते हैं।"

महोदय, जब पिछली शाम को आपने उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा नवीनतम घटना के बारे में सभा को सूचित किया था तो मुझे भरोसा है कि कई व्यक्तियों को इससे आश्चर्य हुआ होगा। जब मुझे आपसे निजीतौर पर सूचना मिली थी, तब भी मुझे आश्चर्य हुआ था। परन्तु वह एक आश्चर्य मात्र ही था परन्तु जब बाद में मुझे यह पता लगा कि उच्च न्यायालय को भिजिय भारत सरकार द्वारा जिसे आपने सारे कागजात दे दिये थे, हलफनामा दायर करने के पश्चात् लिया गया था तो इस समय मुझे आश्चर्य न होकर दुःख हुआ था। मैं यहां तक कहूंगा कि मुझे यह जानकर क्षोभ हुआ कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार है जिसे अध्यक्ष द्वारा यह दायित्व सौंपा गया है कि वह सभा की गरिमा की रक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि उच्च न्यायालय अथवा कोई भी अन्य न्यायालय किसी भी प्रकार से संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन न करे और वही सरकार यह कहती है कि जहां तक दसवीं अनुसूची का सम्बन्ध है, न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यही प्रावधान है तथा सरकार से यही आशा की जा रही थी। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने उच्च न्यायालय, दिल्ली में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है :

"भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत किसी सदस्य को अनर्ह ठहराने के

लिए अध्यक्ष के अधिकार अर्ध-न्यायिक हैं तथा सभा की कार्यवाही को चलाने तथा उसे नियमित करने सम्बन्धी अध्यक्ष के अधिकारों से बिल्कुल भिन्न है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत अध्यक्ष अपनी शक्तियों का प्रयोग सदन से बाहर कर सकता है; सदन के अन्दर नहीं। उक्त शक्ति अर्ध-न्यायिक है क्योंकि इससे लोक सभा के सदस्यों के अधिकार प्रभावित होते हैं। अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 226, 32 तथा 136 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा इस शक्ति की न्यायिक पुनरीक्षा की जा सकती है।"

महोदय, अन्तिम वाक्य ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाक्य है। (व्यवधान) अतीत में भी ऐसे अनेक उदाहरण हुए हैं जब न्यायालयों ने कुछ कानूनों को संविधान के प्रतिकूल बताकर समाप्त कर दिया है। ऐसे भी अनेक मामले हुए हैं जबकि हमने यहां संसद में यह निर्णय किया है कि अमुक मामला वाद योग्य नहीं होगा परन्तु न्यायालय हमारे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हुआ। यही न्यायालय की शक्ति है। परन्तु इन चालीस वर्षों में क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई सरकार अथवा कोई दल या उसके सदस्य जो कानून-निर्माण से सम्बन्धित हों, वे स्वयं अदालत में गए हों तथा यह कहा हो कि अध्यक्ष को इसका अधिकार नहीं है। आपने अपनी पूरी निष्ठा के साथ सरकार पर यह जिम्मेदारी डाली थी कि वह यह देखे कि संसद की गरिमा की रक्षा कैसे की जाए तथा जो हमने कानून बनाए हैं उनकी रक्षा भी कैसे की जाए। यहां पर कानून की रक्षा करने के स्थान पर सरकार स्वयं अदालत में जाती है और वहां इस कानून की वैधता पर संदेह व्यक्त करती है। यह कहा गया है : "जहां तक वैधता का सम्बन्ध है हम बाद में अपने विचार व्यक्त करेंगे।" इसका अभिप्राय यह हुआ कि वे इस कानून की वैधता की भी रक्षा करना नहीं चाहते। परन्तु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस मामले में यह केवल ऐसे प्रश्न से संबंधित नहीं है जिसमें कानून को "अधिकार-क्षेत्र से परे अथवा अधिकार-क्षेत्र के अन्दर" घोषित किया गया है। जहां तक निर्णय का सवाल है, यह अनिवार्यतः अध्यक्ष की प्रतिष्ठा तथा संसद की गरिमा से संबंधित है। मैं यह कहूंगा कि चर्चा के दौरान भी मेरा यह विचार था कि इस कानून को बाद योग्य बनाया जाना चाहिए। इस पर भी यदि एक बार संसद ने इस कानून को एकमत से पारित कर दिया है तो सरकार के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस कानून की सदन से बाहर रक्षा की जाये तथा संसद तथा माननीय अध्यक्ष, संसदीय गरिमा के अभिरक्षक अथवा प्रवक्ता के अधिकार-क्षेत्र का न्यायालयों द्वारा अतिक्रमण न किया जाये।

इस विशेष मामले में, मैं सम्पूर्ण इतिहास में जाना नहीं चाहता। परन्तु इतना विदित है कि इस विशेष प्रावधान पर, जिसके अन्तर्गत इस मामले में न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, पंजाब उच्च न्यायालय में भी आपत्ति उठाई गई थी।

पंजाब उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि वह विशेष उपबन्ध अधिकारों से बाहर है और उसे समाप्त कर दिया जाये। भारत सरकार द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की गई। मेरे विचार से भारत सरकार एक सतत संस्थान है। भारत सरकार ने पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की और कहा कि अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार को चुनौती नहीं दी सकती है, अध्यक्ष अन्तिम प्राधिकारी है, हम इस प्राधिकारी को कम करके नहीं देखना चाहते हैं। यदि इसमें कोई परिवर्तन होगा तो वह संसद द्वारा ही किया जायेगा, न कि विधि के न्यायालय द्वारा।

कल ही माननीय विधि मन्त्री ने मंत्री मंडल के निर्णय का हवाला दिया था। (व्यवधान) कल इस बात का उल्लेख किया गया था कि चुनाव से संबंधित कानूनों में सुधारसंबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में मंत्री मंडल ने अगस्त में यह निर्णय लिया था, जिसमें यह कहा गया था कि यह

अधिकार इसमें विहित करने के स्थान पर··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत हो जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कल यह बताया गया था कि अगस्त, 1990 में मंत्री मंडल ने चुनाव प्रचार सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, जिनमें यह सुझाव दिया गया था कि निरर्हता के बारे में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष में विहित करने की बजाय, चुनाव आयोग में विहित किया जाए। चुनाव आयोग राष्ट्रपति को परामर्श देगा। मेरे साथी श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री इन्द्रजीत गुप्त और इस तरफ के अन्य कई सदस्यों सहित मैंने भी ऐसी ही सिफारिश की थी। यदि सरकार उस दिशा में कुछ कार्यवाही करती है तो मैं इसे संदिग्ध सरकार मानूंगा, क्योंकि इसका बहुत ही सीमित संदर्भ होगा। इस विशेष मामले में मेरा यह कहना है कि इस प्रकार की कार्यवाही आज ही स्वीकार नहीं की जा सकती है।

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : क्या आपका यह कहना है कि कल इसे स्वीकार कर लिया जा सकता था ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, मैं फिर 'नहीं' कह रहा हूं। मैं अपनी सिफारिश पर अभी भी कायम हूं। लेकिन वह आज ऐसा करना चाहते हैं और विशेषरूप से सरकार अध्यक्ष और संसद को इस प्रकार की कार्यवाही से आघात पहुंचा रही है, यह सरकार क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रही है ? यह एक निरर्थक बात है कि कोई सरकार न्यायालय में जाए और कहे कि मेरा अध्यक्ष यह निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम धन, कृपया शांत हो जाइए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसलिए मेरा यह कहना है कि अध्यक्ष पीठ द्वारा केवल यह घोषणा कर देने से कि हम न्यायालय के इस आदेश को नहीं मानते हैं, स्थिति की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। जहां तक न्यायालय के आदेश का संबंध है, उसको मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है लेकिन और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सभा आज सरकार के इस कदाचार और संसद की महिमा बनाए न रखने में असफलता के लिए उसकी निंदा करे और भर्त्सना करे। इस सत्र के दौरान जब भी निरर्हता की समस्या उठाई गई, मैंने सदैव यही कहा है कि यह मामला बहुत समय से टलता जा रहा है। कोई भी इस सरकार की प्रवृत्ति नहीं जानता है। यह सरकार कब तक बहुमत में रहेगी अथवा इसके कितने सदस्य इस सभा का सदस्य बने रहने के योग्य हैं। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि यह सत्र समाप्त होने से पहले आप अन्तिम निर्णय दे दें कि कौन से सदस्य सदस्यता के योग्य हैं। मैं इस सत्र के शुरू से ही यह अनुरोध करता आ रहा हूं। कल सत्र समाप्त होने जा रहा है। कल अचानक ही न्यायालय ने एक आदेश जारी कर दिया जिसमें दल-बदल के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए अध्यक्ष पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। आज आपने यह घोषणा की है कि कांग्रेस दल इस घोषणा से सहमत है। यह अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा से सहमत है कि न्यायालय के आदेश को न माना जाए, इसलिए मुझे विश्वास है कि कांग्रेस दल मेरे इस विचार से सहमत होगा कि अब इस बारे में घोषणा करने में और विलम्ब नहीं होना चाहिए कि कौन-सा व्यक्ति योग्य है अथवा कौन-सा अयोग्य है। (व्यवधान) कल शाम जब यह सभा स्थगित हो, तब हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से सदस्य इस सभा तथा सरकार के सदस्य बने रहने के योग्य हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कोई भी सदस्य किसी विशेष मामले

में, निर्णय लेने के लिए, अध्यक्ष को बाधित नहीं कर सकता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह एक ऐसी सरकार है जो न्यायालय के अधिकार का उपयोग कर अध्यक्ष को विवश करने की इच्छुक है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। केवल माननीय अध्यक्ष निर्णय दे सकते है और अन्य कोई नहीं दे सकता है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी राय प्रकट कर दी है। अब मुझे इस बारे में निर्णय लेना है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरा यह निवेदन है कि आपने अपनी घोषणा में संसद के अधिकार बनाम न्यायालय के बारे में स्पष्ट रूप से कहा था। (व्यवधान)

श्री ए० एन० सिंह देव : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री ए० एन० सिंह देव : महोदय, विपक्ष के माननीय नेता न्यायालय के आदेश का हवाला दे रहे हैं। (व्यवधान)

मैं नियम 58 (सात) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं; जिसमें इस प्रकार लिखा है :

"(सात) प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो···" (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह देव, मैंने आपकी बात सुन ली है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया आप बैठ जाइए। मैंने इसे नियम विरुद्ध कह दिया है। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, इस बात का औचित्य बताने के लिए कि अध्यक्ष की शक्ति न्यायिक संवीक्षा के अध्यधीन है, संघ सरकार अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136 पर निर्भर है। जब हमने यह विधेयक पारित किया और इसे अधिनियम मे परिवर्तित किया तथा इसे संविधान का एक भाग बनाया तब यह एक साधारण नियम नहीं था। हमने अधिनियम की धारा 7 अथवा अनुसूची के खण्ड 7 मे कहा कि इस संविधान में किसी बात के रहते हुए इस अनुसूची के अन्तर्गत सभा के सदस्य की निरर्हता से सम्बन्धित किसी मामले के बारे में न्यायालय को कोई अधिकार नहीं होगा। यह एक विशिष्ट प्रावधान है, जिसमें यह कहा गया है कि चाहे संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुसार न्यायालय को कुछ अधिकार प्राप्त हों, लेकिन जहां तक निरर्हता के प्रश्न का सम्बन्ध है, न्यायालय इस बारे में कुछ नहीं कर सकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपने जिसे कागजात दिए हैं, उसके पास तत्काल जाइए और अभी आपत्ति कीजिए और न्यायालय में दायर याचिकाओं को स्वीकार न करें तथा प्रारम्भ में ही उन्हें खारिज कर दीजिए। यह कार्यवाही करने की बजाय, उन्होंने

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

स्वयं इन याचिकाओं को दायर किया और यह उन्हीं व्यक्तियों की याचिकाएं थीं जिनकी सदस्यता पर प्रश्न लगा हुआ है। यह व्यक्ति सरकार और संसद के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में गए। सरकार ने इसका विरोध नहीं किया और न्यायालय में कहा कि इस बारे में अध्यक्ष के कोई अधिकार नहीं हैं तथा इस बारे में संवीक्षा करनी होगी। (व्यवधान)

मैंने सरकार को बुरी तरह से पेश आते देखा है, लेकिन मैंने सरकार का इतना निंदनीय व्यवहार नहीं देखा। यह निंदनीय है। इसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह देव जी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं इस बात पर बल नहीं दे सकता कि सरकार के इस व्यवहार के बारे में किसे सभा में स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि यह मामला अत्यन्त गम्भीर है और इसलिए सभा की भावनाओं को देखते हुए मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में यहां कुछ कहें। हमें यहां न्यायालय के आदेशों और निर्णयों से कोई मतलब नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि भारत सरकार ने यह विशेष हलफनामा दाखिल न किया होता, तो दिल्ली उच्च न्यायालय इस प्रकार का आदेश जारी नहीं कर सकता था। इस अस्वीकार्य, असंगत और निंदनीय हलफनामे के कारण ऐसी स्थिति आ गई, जिसमें संसद और अध्यक्ष पद की गरिमा के बारे में इतनी चर्चा की जा रही है। इसलिए मैं सभा का, केवल उन वर्गों का नहीं जो सरकार के विरुद्ध हैं, बल्कि सत्तारूढ़ दल का और उस कांग्रेस दल का भी समर्थन चाहता हूं, जिसका इस मामले में महत्वपूर्ण मत है कि इस विशिष्ट मुद्दे पर सरकार की भर्त्सना और निंदा की जाए, ताकि परम्पराओं और मूल्यों को बनाए रखा जा सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अब सभा स्थगित हो।"

श्री दिनेश सिंह,

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मुख मामला बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जब अत्यन्त गम्भीर चर्चा चल रही है तो वे शांत रहें।

श्री दिनेश सिंह : इससे इस पुनीत सभा के अधिकार और विशेषाधिकार प्रभावित होते हैं और मैं सभी पक्षों के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सभी वक्ताओं को धैर्यपूर्वक सुनें क्योंकि हम तभी अपने विचार एक-दूसरे के समक्ष रख सकते हैं, चाहे हमारे विचारों को सदस्य स्वीकार करें या न करें, यह दूसरा मुद्दा है। लेकिन यदि हमें इस सभा में अपने विचार शान्तिपूर्वक प्रकट नहीं करने दिए जाते हैं तो यह लोकतंत्र को नकारना होगा और इस पक्ष पर लड़ने का कोई लाभ नहीं होगा। महोदय, अब मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह मामला पार्टी का मामला नहीं है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। हमें इस बारे में सभा का मत तय करना है। मुझे आशा है कि अन्ततः हम इस बारे में किसी सहमति पर पहुंच जाएंगे और इससे इस सभा और अध्यक्ष की गरिमा बनी रह सकेगी और दोनों पक्षों के

माननीय सदस्यों के बीच कोई मतभेद नहीं होगा। अब कार्यवाही रोकने के बारे में न्यायालय के अनुरोध को अनसुना करने का आपका निर्णय पहले ही सभा की अनुमति से हो चुका है और इस प्रकार गुण-दोष के आधार पर यह कुछ हद तक निरर्थक हो जाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार को क्या करना चाहिए था अथवा क्या नहीं करना चाहिए था, इस बारे में मैं बाद में कहूंगा। लेकिन वह प्रश्न अब निरर्थक हो गया है, अध्यक्ष का प्राधिकार कायम रखा गया है, इस सभा के प्राधिकार को कायम रखा गया है और यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि आप जो विनिर्णय देंगे उस पर न्यायालयों द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार मेरा कार्य बहुत आसान हो गया है। मैं आदरपूर्वक कहना चाहूंगा कि आडवाणी जी ने सभा की गरिमा कायम रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस बारे में स्थिति पेश की थी। मैं कहना चाहता हूं कि इस शपथ पत्र में यह कहा गया है कि 10वीं अनुसूची का पैरा 7 इतना ही संवैधानिक वैध है कि पैरा 7 में न्यायालय शब्द इस प्रकार पढ़ा जाए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 32 तथा 136 के तहत अपने-अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करने में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को पृथक रखा जाए, हम इस मत का समर्थन नहीं कर सकते।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस शपथ पत्र को न्यायालय में दाखिल किया गया है। मैं नहीं समझता कि सरकार या प्रधान मंत्री की यह मत अपनाने की इच्छा रही होगी। हम इसमें कैसे आए इस मामले पर तो निःसन्देह सरकार जांच कराएगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं और वह निःसन्देह प्रधान मंत्री को यह बताएंगे कि इस मामले पर गौर करने की जरूरत है और सरकार द्वारा लिए गए इस मत को वापस लेने की जरूरत है। इस सभा के प्रति उत्तरदायी सरकार का ऐसा मत नहीं हो सकता।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि संविधान में 10वीं अनुसूची, पैरा 7 में जो स्थिति है और जिसे यहां पर पहले ही पढ़ा जा चुका है मैं इसे दोहरा कर सभा का और समय नहीं लूंगा लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस संविधान में जो कुछ निहित है उनके बावजूद—यही कानून नहीं है, संविधान महत्वपूर्ण है···

श्री सोमनाथ चटर्जी : अनुच्छेद 32, 226 सहित।

श्री विनेश सिंह : ये सब, क्योंकि ये संविधान का भाग हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन शपथ पत्र में इसके विपरीत कहा गया है।

श्री विनेश सिंह : हां, यह खेदजनक है। इस अनुसूची के तहत सभा के सदस्य को अयोग्य करार देने से सम्बन्धित कोई मामला किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होगा। इसलिए इस मामले में आपका प्राधिकार सर्वोच्च है। आप इस सभा के प्रति उत्तरदायी हैं, बाहर किसी न्यायालय के प्रति नहीं।

अगर हमें आपसे कोई शिकायत होगी तो हम आपके पास आएंगे। सभा को किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने का अधिकार है और अगर हमारे बीच मतभेद है तो आपके पास जाना और कहना हमारा अधिकार है किन्तु हम इस सदन के बाहर किसी से शिकायत नहीं करना चाहेंगे। हमने इस अधिनियम को पारित किया, हम इस अधिनियम के शब्दों का पालन क्यों नहीं करेंगे?

[हिन्दी]

श्री रामधन (लालगंज) : लेकिन आप लोगों का डिफैक्शन इनकरैक्ट किया है, यह डिफैक्शन राजीव गांधी ने कराया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : मैं पुन: माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले से कुछ लाभ पाने के प्रयास न करें। ऐसा करने के लिए भविष्य में अनेक अवसर आएंगे। लेकिन हमें इस मुद्दे पर सहमति रखनी चाहिए।

मुझे आशा है कि स्वयं प्रधान मन्त्री अथवा संसदीय कार्य मन्त्री, सरकार की तरफ से बोलते हुए इस सभा के समक्ष स्थिति स्पष्ट करेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : महोदय, हमें इस सरकार के संयुक्त उत्तरदायित्व को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में विलयित नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे आशा है कि प्रधान मन्त्री, संसदीय कार्य मन्त्री तथा उप-प्रधान मन्त्री जो वहां पर अब मौजूद हैं, इनमें से कोई एक या सभी इस सभा को यह स्पष्ट करेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण शपथ पत्र में यह वाक्य और यह मत किस प्रकार सम्मिलित किया गया। सबसे पहले तो मैं नहीं जानता कि शपथ पत्र को दाखिल करने का अवसर क्या था। (व्यवधान) फिर भी, वे इस बारे में स्पष्ट करेंगे और मुझे आशा है कि उनका स्पष्टीकरण इस सभा के प्रति सन्तोषजनक होगा, और सभा इस बारे में एक सर्वसम्मत मत लेगी। मैं इस बारे में अनुमान नहीं लगा रहा कि प्रधान मन्त्री या सरकार क्या कहेगी। (व्यवधान) आखिरकार, हर समस्या का एक समाधान होता है, आप सभा में किसी को फांसी पर लटकाने नहीं जा रहे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लेकिन उन्हें निकाल दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : इसके लिए भी बहुमत की आवश्यकता होगी। (व्यवधान) हमें इस मुद्दे पर इस सभा को विभाजित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मेरा यह अनुरोध है। हमें सरकार का मत सुनना चाहिए, उनका दृष्टिकोण समझना चाहिए और इसके बाद निर्णय लेना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या आप स्थगन प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : इसी कारण मैं यह कह रहा हूं कि हमें अब पार्टी का मत नहीं लेना चाहिए। हमें सरकार के विचार सुनने चाहिएं, उनका दृष्टिकोण समझना चाहिए, इसके बाद हम निर्णय लेंगे कि कौन समर्थन करेगा और कौन समर्थन नहीं करेगा।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप यह बताइए कि क्या आप इसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं।

श्री दिनेश सिंह : हम इसका समर्थन कर रहे हैं या नहीं, यह तो सभा में मतदान द्वारा ही व्यक्त होगा। आप अभी टालमटोल क्यों कर रहे हैं ? सम्भव है आप समर्थन करना चाहें, सम्भवत: आप वापस लेना चाहें, सम्भवत: हम आपके साथ हो जाएं। मैं नहीं जानता कि सरकार क्या कहने वाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, "हमें सरकार का मत सुनना चाहिए।" इसके बाद ही हम यह

निर्णय लेंगे कि हम इस मामले में क्या करने जा रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने स्थापित परम्पराओं के अनुरूप अध्यक्ष के पद की स्वतन्त्रता तथा आपके क्षेत्राधिकार के बारे में, बहुत स्पष्ट घोषणा की है।

महोदय, मैं तो केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि जो घोषणा आपने शुरू में की है वह पक्षपातपूर्ण नहीं है। मैं इस सभा के ऐसे दस से पन्द्रह पूर्वोदाहरण उद्धृत कर सकता हूं जबकि विभिन्न सरकारों के तहत अध्यक्षों ने ऐसा ही रवैया अपनाया था।

महोदय, मैं 27 जुलाई, 1988 का नवीनतम उदाहरण उद्धृत करता हूं जबकि इस पुनीत सभा के अध्यक्ष डा० बलराम जाखड़ थे, उन्होंने यह विनिर्णय दिया था :—

"मुझे सभा को सूचित करना है कि

11 जुलाई, 1988 को उच्च न्यायालय अपीलीय पक्ष, बम्बई के उप-रजिस्ट्रार से दो नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2 रिट याचिकाओं संख्या—इत्यादि के सम्बन्ध में 28 जून, 1988 से तीन सप्ताह के अन्दर मेरे द्वारा अथवा लोक सभा के महासचिव द्वारा एक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए मुझे 19 जुलाई, 1988 को बम्बई उच्च न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।"

"लोक सभा की सुस्थापित प्रक्रिया तथा परम्परा के अनुसार मैंने इन नोटिसों का उत्तर न देने का निर्णय किया है। मैंने संगत पत्र विधि तथा न्याय मन्त्री को भेज दिए हैं ताकि वह सभा की सुस्थापित परम्परा और ठीक संवैधानिक स्थिति के बारे में न्यायालय को सूचित कर सकें।"

महोदय, इसलिए आपने शुरू में ही जो घोषणा की है, वह इस सभा की श्रेष्ठ तथा स्थापित परम्पराओं के अनुरूप है। मैं आपको यही कहना चाहता था।

मैं आरम्भ में ही आपके ध्यान में संविधान की दसवीं सूची के पैरा संख्या 6 और 7 के स्पष्ट तथा संक्षिप्त निरूपण को लाना चाहूंगा। पैरा 6 स्पष्टतः कहता है कि :—

"यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन के, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।"

महोदय, साथ ही पैरा 7, जिसका सीधे ही न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का प्रतिरोधक है, बताता है :—

"इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी।"

अतः उनके लिए, जिन्होंने सरकार की ओर से शपथ पत्र जमा किये हैं, और हो सकता है कि

[प्रो० मधु दण्डवते]

उनके पास असंगत तर्क और निष्कर्ष हों, यह बिल्कुल साफ है कि अगर आप संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को भी जाते हैं और संविधान के उन अनुच्छेदों में सदस्यों की अयोग्यता के बारे में चाहे जो कुछ भी कहा गया हों, पैरा 7 संविधान के अन्य सभी अनुच्छेदों का स्थान ले लेता है। विशेषकर पैरा 7 साफ तौर पर कहता है "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी न्यायालय को किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी।" इस प्रकार पैरा 7 संविधान के अन्य सभी अनुच्छेदों का स्थान ले लेता है और यह संविधान के उस अनुच्छेद 122 के भी अनुरूप है, जिसके अन्तर्गत संसदीय कार्यवाही को न्यायालय की कार्यवाही तथा निर्णय से पृथक किया जाता है। इस विशेष मुद्दे को ध्यान में रखना होगा। महोदय, शपथ पत्र जमा करने के दौरान, एक विशिष्ट प्रश्न उठाया गया है और मैं उसका उत्तर दसवीं सूची के उपबन्धों के आधार पर देना चाहूंगा। जो शपथ पत्र पेश किया गया है, उसमें क्या तर्क दिया गया है? उसमें यह निर्दिष्ट है कि "अध्यक्ष की किसी सदस्य को अयोग्य करार करने की शक्तियां संविधान की दसवीं सूची के अन्तर्गत अर्ध-न्यायिक स्वरूप की हैं और ये सदन की कार्यवाही से संबंधित नियमन एवं संचालन शक्तियों से पूर्णतः भिन्न हैं। अतः यह शपथ पत्र अध्यक्ष महोदय की सदन के बाहर तथा सदन के अन्दर के क्षेत्राधिकारों में भेद बताने का प्रयास करता है। मुझे इस सवाल का जवाब स्वयं देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर उपबंध के निरूपण से स्वतः प्राप्त हो जाता है। पैरा 6(2) अति महत्वपूर्ण है। पैरा 6 का उप-पैरा 2 बताता है:

> "इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के संबंध में इस पैरा के उप पैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद, 122 के अर्थ में संसद की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य विधान-मंडल की कार्यवाहियां हैं।"

सम्भवतः जिन्होंने इस शपथ पत्र को तैयार किया है उन्होंने सम्पूर्ण संविधान का वरणात्मक अध्ययन किया है। कभी-कभी जब हम कतिपय दार्शनिकों के कृत्य का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसी पुस्तकें भी मिल सकती हैं, जो बताती हैं कि यह उन दार्शनिकों की चुनिंदा कृतियां हैं। इसलिए कतिपय अनुच्छेदों का विलोपन हो जाता है और वे ध्यान में नहीं रहते हैं। मैं माननीय संबंधित मन्त्री से इस तथ्य को ध्यान में रखने के लिए कहूंगा कि दसवीं सूची के उपबंध स्वतः ही उस शपथ पत्र को, जो कि सदन के अन्दर और सदन के बाहर के आपके क्षेत्राधिकारों में भेद बताता है, पूर्णतः अस्वीकृत करता है। अतएव जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है यह पहलू ध्यान में रखना होगा।

एक और मुद्दा यह है कि सदैव यह कहा जाता है कि आपमें न्यायिक-पुनर्वलोकन की शक्ति निहित है। न्यायिक पुनर्वलोकन किस चीज का? हमने सदैव संसदीय लोकतन्त्र के ढांचे में तीन शक्तियों के क्षेत्राधिकारों को परिभाषित किया है। जब कभी भी 24वें तथा 25वें संविधान-संशोधनों पर बहस हुई, मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा जो मैंने तब कहीं थी, क्योंकि मैं 5वीं लोकसभा का भी सदस्य था।

मैंने कहा था कि कभी-कभी अनावश्यक विवाद पैदा किए जाते हैं, चाहे फिर जनता संप्रभु हो, चाहे संसद सर्वोच्च हो या चाहें संविधान सर्वोच्च हो। मैं यह बहुत ही स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र के इन तीनों अंगों तथा तत्वों के अपने-अपने क्षेत्राधिकार हैं। लोग जन प्रतिनिधि सरकार को चुनने में संप्रभु हैं। जहां तक संसद का संबंध है, वह कानून बनाने तथा संविधान में संशोधन और उसकी व्याख्या करने में सर्वोच्च है, बशर्ते कि केशवानन्द भारती फैसले में जो कुछ निर्बन्धन

लगाये गये हैं, उनका ध्यान रखा जाये।

जहां तक संविधान का संबंध है यह सर्वोच्च है। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय का संबंध है, वह संसद द्वारा बनाये गये कानूनों की व्याख्या करने तथा यह देखने के लिए अपने आप में सर्वोच्च है कि संविधान में जो संशोधन किये गये हैं, वे संविधान की परिधि एवं इसके मौलिक ढांचे के अन्तर्गत ही किये गये हैं। इन तीनों क्षेत्राधिकारों को बारीकी से परिभाषित किया गया है। और जब तक इन तीनों के क्षेत्राधिकारों का, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार पर आक्रमण या अतिक्रमण नहीं होता है, टकराव की किसी भी तरह से कोई संभावना नहीं है।

इस चर्चा में भी मैं यही कहूंगा कि न्यायालयों को संसद के क्षेत्राधिकार को उचित सम्मान देना चाहिए और हमने भी सदैव न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को सम्मान दिया है। ईमानदारी से संसद ने उस क्षेत्र में हस्तक्षेप से अपने को बचाया है, जो न्यायपालिका से संबद्ध है। उदाहरण के लिए; संविधान का एक अनुच्छेद कहता है कि कोई भी न्यायालय सदन की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जबकि संविधान का ही दूसरा उपबंध कहता है कि उच्च या उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस करना इस सदन के क्षेत्राधिकार में नहीं होगा। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर संविधान की एक संस्था को दूसरी से पृथक रखा है, लेकिन मुझे शंका है कि जिस तरह से इस शपथ पत्र को तैयार किया गया है, वह एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण करने की कोशिश है।

मैं प्रसन्न हूं कि सत्तारूढ़ दल सहित सभी नेताओं ने, जो आपके चैम्बर में एकत्रित हुए हैं, अपनी पूर्णतः सहमति व्यक्त की है कि जहां तक आपके क्षेत्राधिकार का संबंध है, कोई भी व्यक्ति इस सदन में इस बात से असहमत नहीं है कि जो अधिकार संविधान में आपको दिये गये हैं, यहां तक कि सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में भी जो आपका अधिकार है, वे सब न्यायालयों के हस्तक्षेप से पूर्णतः बाहर हैं और यह बात ध्यान देने योग्य है।

यह कहने की बात नहीं है कि जहां तक न्यायालयों का संबंध है उनका कुछ मसलों पर किसी भी प्रकार से कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। हम कानून बनाते हैं। कभी-कभी ये कानून संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं और इसीलिए संसद सदस्य या गैर-सदस्य, इन कानूनों की न्यायिक समीक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। वे इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि वे उस विशिष्ट विधान की विधायी समर्थता को चुनौती देना चाहेंगे। वे विधान की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दे सकते हैं। जहां तक इस शक्ति का संबंध है, कोई भी इसे प्रयोग करने के रास्ते में अड़चने पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा है।

जहां तक इस सदन का संबंध है हमने कभी भी न्यायपालिका के प्राधिकार में अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं की है। हम इसी भावना से यह चाहेंगे कि न्यायपालिका संसद की शक्तियों में, अध्यक्ष की शक्तियों में तथा अन्य सभी उन उपबंधों में जो दसवीं सूची में रेखांकित है, हस्तक्षेप नहीं करेगी। अतः जहां तक क्षेत्राधिकार की समस्या का संबंध है, वह स्पष्ट है।

मैं इस संदर्भ में एक और पहलू का जिक्र करना चाहता हूं। अगर आप अपनी व्यवस्था या शक्तियों के किसी पहलू पर किसी भी तरह से पिछले दरवाजे से अतिक्रमण की अनुमति देते हैं, तो उस मामले में यह सम्भावित है कि कई मुकदमें दर्ज कराये जायेंगे और जो कुछ भी कार्य हम संसद में करते हैं, अगर उन्हें बार-बार मुकदमों के अधीन लाया जाता है और चाहे तब जो कुछ भी आपकी

[प्रो० मधु दण्डवते]

शक्तियां तथा संसद की शक्तियां हों, उस मामले में संसद के लिए अपनी कार्यवाही संचालित करना संभव नहीं होगा।

यही वजह है कि संविधान निर्माताओं ने इस प्रश्न को बहुत ही स्पष्ट कर दिया था। हमें डा० अम्बेडकर जैसे सदस्यों के संविधान सभा में दिये गये भाषणों का ही अध्ययन करना है। उन्होंने संविधान सभा को चेतावनी दी कि जहां तक अतिक्रमण की समस्या है जब तक हम एक संस्था को दूसरी से अलग नहीं करते हैं, तब तक संसद के उच्चतम न्यायालय के तथा न्यायिक संस्थाओं के कार्यों में समस्यायें पैदा होती रहेंगी।

12.00 मध्याह्न

इस संदर्भ में हम एक अनुरोध करना चाहते हैं। कुछ सदस्यों ने सही कहा है कि अर्हता की समस्या के सम्बन्ध में अध्यक्ष को क्या कार्यवाही करनी चाहिए इस बारे में हम उन्हें आदेश नहीं दे सकते हैं। जब हम यह कहते हैं कि यह अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है तब भी अप्रत्यक्ष रूप से उन पर दबाव डालना बेकार होगा। यह उनकी इच्छा और निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। हालांकि अध्यक्ष के विनिर्णय को हम चुनौती नहीं दे सकते हैं लेकिन यदि हम पिछले 7 वर्षों की संसद की कार्यवाही देखें तो हम पाएंगे कि अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगने का हमारा अधिकार रहा है। हमें हमेशा अनुरोध करने का अधिकार रहा है। केवल यही नहीं संसद सदस्य का विनिर्णय पर पुनः विचार करने का अनुरोध करने का भी अधिकार रहा है बशर्ते सदस्य अध्यक्ष पर दबाव न डालें। आज सभा की कार्यवाही शुरू होते ही आपने यह दृढ़ रवैया अपनाया और कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल जो आदेश जारी किए थे उनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। किसी तथ्य के बारे में जानकारी हासिल करने से ही कुछ पता लग सकता है। यदि निरर्हता के मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तथा संसद का सत्र समाप्त हो जाता है तब भी न्यायालय की कार्यवाही चलती रहेगी और इस बीच न्यायालय में कोई और गड़बड़ी भी हो सकती है। आपने सैद्धांतिक रूप से यह रवैया अपनाया है कि कल दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशों को स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन वास्तविकता के बारे में उसका सामने आने से ही पता चलता है। किसी सदस्य को निरर्ह करने के आपके क्षेत्राधिकार और शक्ति का आप विवेकसम्मत और सैद्धांतिक तरीके से दावा करते हैं तथा व्यवहारिक रूप से उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि निरर्हता के बारे में अपने क्षेत्राधिकार और विवेक के अनुसार सत्र समाप्त होने से पहले निर्णय दें ताकि सभा से बाहर फिर कोई गलती न हो। यदि हम मामले को लम्बित कर देंगे तो इसके और अधिक उलझने की संभावना है। इसलिए आप पर दबाव डाले बिना आपसे यह अनुरोध करने का हमारा अधिकार है कि संविधान की अनुसूची 10 की शर्तों में आपने जो अधिकार परिभाषित किए हैं, उनको देखते हुए, उन अधिकारों की वैधता को दर्शाने के लिए यह बेहतर होगा कि सत्र समाप्त होने से पहले— कल सभा का अंतिम दिन है—अपना निर्णय देने का प्रयास करें ताकि यह मामला हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं।

श्री आडवाणी ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हममें से अनेक ने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी थीं। स्थगन प्रस्ताव निंदा का एक साधन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम स्थगन प्रस्ताव पर इतना अधिक बल क्यों दे रहे हैं। बहुत वर्ष पहले श्रीनगर में हुई अध्यक्षों की बैठक में यह कहा गया था कि स्थगन प्रस्ताव निंदा करने का साधन है। चूंकि निरर्हता के संबंध में सरकारी हलफनामा प्रस्तुत किया गया है और अध्यक्ष की शक्तियों को चुनौती दी गई है, हम महसूस करते हैं कि कोई एक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है। यदि

कोई संसद सदस्य अथवा कोई और व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जाता है और अध्यक्ष की स्थिति को चुनौती देता है तब वह एक भिन्न प्रश्न है। लेकिन यहां पूरी सरकार दोषी है क्योंकि हलफनामा सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए हम महसूस करते हैं कि संविधान की गरिमा बनाए रखने और उसकी रक्षा करने में सरकार असफल रही है इसलिए यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

मैंने एक और प्रस्ताव के लिए भी सूचना दी थी। मैं इसे इसके साथ जोड़ना नहीं चाहता हूं लेकिन यह हमारी स्थिति को स्पष्ट करता है। मैंने नियम 184 के अधीन एक प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसमें कहा गया था कि दल-बदल के आधार पर निरर्हता के बारे में संविधान की अनुसूची 10 के पैरा 6 और 7 को देखते हुए इस सभा की यह सुविचारित राय है कि जनता दल (एस) के 37 संसद सदस्य, जिनके विरुद्ध दल-बदल विरोधी मामले अध्यक्ष के पास लम्बित पड़े हैं, के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के 8 जनवरी, 1991 के यथा स्थिति बनाए रखने के आदेशों की ओर ध्यान न दिया जाए ताकि संविधान की गरिमा बनाई रखी जा सके।

महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे संकल्प प्रस्तुत करने और सभा द्वारा उसे स्वीकार करने से पहले ही आपने उस बारे में अनुमान लगा लिया और उसे लागू कर दिया। मैं इस बारे में आपको बधाई देता हूं। आपने हमारे विचारों को जानने और समझने की चेष्टा की। सत्र समाप्त होने से पहले आप दृढ़ रवैया अपनाकर इस निरर्हता के मामले को हमेशा के लिए समाप्त कर दें ताकि जो व्यक्ति शुरू की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप करना चाहते हैं और व्यवधान डालना चाहते हैं आगे ऐसा न कर सकें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

वस्त्र मन्त्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय रामधन जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि लोकतन्त्र में आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है और मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है। यहां बहस भी आप अधिकार पर कर रहे हैं। जो दूसरे के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता उसको अपने अधिकार की रक्षा की बात करना अनैतिकता है। जो दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करता है उसको स्वयं अपने अधिकार के अतिक्रमण पर चिल्लाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। जो दूसरे के अधिकार का सम्मान करता है वही स्वयं अपने अधिकार के प्रति सम्मान की आशा रख सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : भाषण तो सब करते हैं। आप में से कोई है जो भाषण नहीं करता है, अब मैं अगर भाषण करता हूं तो आपको पीड़ा क्यों होती है।

श्री राम धन : आपकी चिट्ठी मेरे पास है।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : मैंने अपनी आत्मा से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि से अपने पुरुषार्थ पर भरोसा कर उचित समझा था तो वी० पी० सिंह के विश्वास मत प्रस्ताव के विरोध में मत दिया था। मैं दुनिया की नजर में अपराधी हो सकता हूं, लेकिन अपनी नजर में अपराधी नहीं हूं और यही वजह है कि यहां पर नैतिकता के जोर पर खड़ा हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि राजीव

[श्री हुकमदेव नारायण यादव]

गांधी के नेतृत्व में संसद में समर्थन करता था और कांग्रेस के व्हिप पर वोट देता था और बाहर आकर मोर्चा बनाकर उसका विरोध करता था।

श्री राम धन : उसी मोर्चे के तहत आप यहां आये हैं। सन् 1979 में जो आपने किया उसके फलस्वरूप आप यहां नहीं आ सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हुकमदेव जी आप स्पीकर से बोलें।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : इसीलिए मैं प्रार्थना करूंगा और यह कहूंगा कि अगर आप मेरी कमजोर नस को दबाओगे तो आपकी कमजोर से कमजोर नस को मैं भी दबाऊंगा। मैं आपके दबाने पर चीखता नहीं हूं, लेकिन मेरे दबाने पर आप चीखते क्यों हैं। मैं जिस बहादुरी के साथ आपके तीखे व्यंग्य बाणों और आपकी वाणी के प्रहारों को सहता हूं उसी तरह आप भी सहें।

श्री राम धन : मंडल आयोग पर वी० पी० सिंह का समर्थन क्यों किया था···

अध्यक्ष महोदय : राम धन जी बार-बार टोका-टोकी नहीं करते।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : दूसरों को याद दिलाने की कोशिश मत करें। जो इन्सान दूसरों को याद दिलाने की कोशिश करते हैं, वे अपने गलत कर्मों को क्यों नहीं याद करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप नैतिकता-अनैतिकता की बात करते हो। मैं किस से पूछूं? आज मैं फिर कहना चाहता हूं आदरणीय मधु दंडवते जी से, मधु लिमये जी से, जॉर्ज फर्नान्डीज जी से, श्री रवि राय जी से या कोई भी हो, सब लोगों से माननीय सदन के सामने हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं कि भारत की संसद ने अगर यह कानून बना दिया कि कोई दल-विरोधी कानून बन जाने के कारण अगर वह दल बदलता है तो अनैतिकता होती है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सन् 1975-76 की संसद गवाह है, चाहे उसके विरोध में रहा हूं, गलत रहा हूं, साथ रहा हूं लेकिन यह संसद जानती है कि इसके पहले इस संसद में कितने दलों का विभाजन हुआ है। इस संसद में दल के विभाजन से क्या आडवाणी जी बचे हुए हैं, मधु दंडवते जी बचे हुए हैं, क्या सोमनाथ चटर्जी बचे हुए हैं, क्या इन्द्रजीत गुप्ता बचे हुए हैं?··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों को हुकमदेव नारायण की बात को ध्यान से सुनना चाहिए।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं। अगर मुझे कहते हैं कि कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा मगर आप मेरी बात सुनिये। अगर धैर्य से सुनेंगे तो मैं भी आप लोगों की बात सुनूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि संसद में जब कानून नहीं बना हुआ था जब कोई एंटी-डिफेक्शन लॉ नहीं बना हुआ था, जिस संसद ने बहुत से सदस्यों को देखा···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री भीकाम्त जेना (कटक) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री हुकमदेव नारायण यादव मंत्री है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में बोल रहे हैं अथवा अपनी ओर से। वह मन्त्री के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं अथवा अपनी ओर से (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह कोई प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं हुआ?

श्री हुकमदेव नारायण यादव : इस सदन में कई बार कांग्रेस का विभाजन हुआ है और इसी

सदन में 1979 में चौ० चरण सिंह के नेतृत्व में जिन लोगों ने दल का विभाजन किया था, विद्रोह का झंडा उठाया था और जिनके पीछे नेता मानकर हमने दल का विभाजन किया था, आज मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं कि दल का विभाजन अपराध होता है। मैं पूछना चाहता हूं। सन् 1979 में हुकमदेव नारायण के कारण दल का विभाजन नहीं हुआ था। 1979 में जनता पार्टी का विभाजन हुआ था और जनता पार्टी का विभाजन कराने वाले स्व० चौ० चरण सिंह के नेतृत्व में जिन लोगों ने दल को विभाजित किया, वे उस तरफ बैठकर नैतिकता की बात पूछते हैं। अगर मैं ही दल का विभाजन करने का अपराधी हूं तो 1979 में दल का विभाजन करने वाले अपने को अपराधी क्यों नहीं मानते ?

[अनुवाद]

श्री सिकिहो सेमा (नागालैंड) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम, 378 के अधीन सदस्य को सभा में व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। यह मामला अत्यंत गम्भीर है। जब उनकी ओर के सदस्य बोलते हैं तब वह चुप रहते हैं लेकिन जब इस ओर के सदस्य बोलते हैं तब चुप नहीं रहते हैं। मैं आपका ध्यान नियम 378 की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभी की कार्यवाही मैं चला रहा हूं। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री हुकमदेव नारायण यादव जी सक्षम हैं।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहता हूं कि यही संसद गवाह है कि लोकदल में रहते हुए लोकदल (अ) बनाया था, लोकदल (ब) बनाया था। हम जमें या नहीं जमें लेकिन हमारी बात का उत्तर तो नैतिकता है। लोकदल (अ) बनाया था, लोकदल (ब) बनाया था, उस दिन एंटी डिफेक्शन एक्ट नहीं था। उस समय आपकी नैतिकता कहां थी ? उस समय आपको इसकी याद नहीं आयी। इस सदन में रहते हुए विभाजन हुआ था। अलग-अलग बंटवारे हुए थे। मैं यही पूछना चाहता हूं जब जनता पार्टी से लोकदल बना था, लोकदल से लोकदल (क) बना था, फिर लोकदल (च) बना था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आप अपना पॉइंट ऑफ आर्डर बताइए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है कि अभी विषय यह नहीं है कि ये सरकार डिफेक्टर है या नहीं, यह डिफेक्शन हुआ है या नहीं। यह विषय-वस्तु सही नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह विषय पर आ रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : आप मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर सुन लीजिए। अभी यह विषय नहीं है कि आप डिफेक्टर हैं कि नहीं हैं, डिफेक्शन सही है कि गलत है। (व्यवधान) जो अध्यक्ष की पॉवर है, उस पॉवर के खिलाफ कोर्ट में कोई अपील कर सकता है कि नहीं, मामला यह है। मैं समझता हूं कि जो भी मंत्री बोलें, सदस्य बोलें, इस इश्यू पर बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बनिस्बत इस बात के कि कौन डिफेक्टर है या नहीं है।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, राम विलास पासवान जी को मैं कहूंगा कि

[श्री हुकमदेव नारायण यादव]

प्रिय भाई राम विलास पासवान जी, मधु दंडवते जी जब कह रहे थे बार-बार "एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन" और कह रहे थे कि आप कल तक अपना निर्णय दे दीजिए ! (व्यवधान) सुनो ! एक तरफ तुम बात करते हो, मैं कहता हूं कि हनुमान गए थे (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप हमारी तरफ देखकर बोलिए।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि आडवाणी जी ने कहा और जब वे बोल रहे थे तो दल के सदस्य बार-बार कह रहे थे कि ये डिफेक्टर हैं, डिफेक्टर की सरकार है। मैं कह रहा हूं कि डिफेक्टर कौन है ? जनता पार्टी के सिंबल पर 1980 में जीतकर आए थे और श्री आडवाणी जी के नेतृत्व में जनता पार्टी को स्प्लिट करके भारतीय जनता पार्टी बनायी थी। वह डिफेक्शन था या नहीं था ? (व्यवधान) उस समय आदरणीय चन्द्रशेखर जी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जनता पार्टी का अस्तित्व था। जनता पार्टी के पार्लियामेंटरी ग्रुप का लीडर भी था। चूंकि आप पार्टी की कार्यवाही से पार्टी की आंतरिक कमियों से असंतुष्ट थे, आपने अपना चूल्हा अलग कर लिया। जब आपने अपना चूल्हा अलग किया तो आप धर्मी हो गए और जब मैं अपना चूल्हा अलग करूं तो मैं बन जाऊं अधर्मी ? (व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं। यही संसद है। कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। जिस समय सी०पी०आई० और सी० पी० आई० (एम) का विभाजन हुआ था, उस समय संसद के सदस्य भी सी० पी० आई० और सी० पी० आई० (एम) के आधार पर विभाजित हुए थे कि नहीं ? तब आपका विभाजन आइडियोलॉजिकल था और हमारा विभाजन पर्सनल ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि (व्यवधान) हां, हां, मुझे कुर्सी मिली है, और अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि कुर्सी के लिए मैंने दल विभाजन करके कुर्सी पाई तो मैं पापी हूं, लेकिन कुर्सी पाने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से निकले थे उसको आप ने नेता बनाया था। क्या वह आपकी नैतिकता थी ? याद करो ! (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर मैं आज कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाता हूं तो मुझे कहा जाता है कि यह अनैतिक काम कर रहा हूं। (व्यवधान) मुझे कहा जाता है···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : इनको बोलने दीजिये, इनका बोलने का प्राधिकार है।

(व्यवधान)

श्री हुकमदेव नारायण यादव : मुझे कहा जाता है कि कांग्रेस के समर्थन से हमने सरकार बनायी तो मैंने सिद्धांतों को तोड़ा मैं लेकिन कहना चाहता हूं कि सदन के बाहर और सदन के भीतर मार्क्सवादी और बी० जे० पी० वाले अलग-अलग झगड़ते रहे, अलग-अलग राह के राही रहे परन्तु सरकार चलाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए, वी० पी० सिंह के साथ दोनों एक ही प्लेटफार्म पर खड़े रहे। आप चाहे दुनिया को कितना ही धोखा दे दो, लेकिन मुझे इस बात पर कन्विन्स कर दो। आप दुनिया को कह सकते हो लेकिन मुझे यह बात बताओ कि वामपंथी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अछूत है और भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि वामपंथी अछूत हैं परन्तु भारत की संसद में एक समय वह आया, एक परिस्थिति वह आयी जब वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ने मिलकर, एक व्यक्ति को समर्थन देकर सरकार चलवायी। इसलिए पहले तुम अपने अन्दर झांक कर देखो। हमने गलत किया या सही किया, आप पहले अपना अन्तरावलोकन करके देखो···(व्यवधान)···दूसरे को कहने से पहले, आपको अन्दर झांकना पड़ेगा, यह भी मैं कहना चाहता हूं।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईये।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम किसी प्रश्न को उठाते हो तो पहले उस प्रश्न को समझो। मैं कहता हूं कि अगर तुम यह प्रश्न उठाते हो कि एक तरफ न्यायपालिका है, दूसरी तरफ अध्यक्ष का आसन है, तो अध्यक्ष जी, एक समय हनुमान जी जब सीता का पता लगाने के लिए लंका गये थे तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति के सहारे, रावण के सम्पूर्ण शक्ति बल को, रक्षापंक्ति को तहस नहस कर दिया, मेघनाथ तक को मूर्छित कर दिया, अक्षय कुमार को मार दिया इससे रावण के जितने लोग थे, वे यह समझ गये कि हनुमान को वशीभूत करना कठिन है। इस पर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। "ज्ञानी नाम अग्र-गण्यम" हनुमान जी ने स्वयं इस बात को कहा था कि यदि मैं चाहता तो उस ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकता था लेकिन उससे ब्रह्मा के अस्त्र का अपमान होगा, उनकी मर्यादा खण्डित हो जायेगी। ब्रह्मा के अस्त्र की मर्यादा बची रहे, इसलिए मुझे यदि कहीं बंध कर भी जाना पड़े तो बंधना स्वीकार है, लेकिन ब्रह्मा की मर्यादा को तोड़ना स्वीकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज संसद में मैं उसी रूप में आपके सामने खड़ा हूं। मैं दलबदलू हूं या क्या हूं, यह सरकार गलत है या सही है, इसका फैसला सड़कों पर होने दो। अध्यक्ष की कुर्सी को मैं ब्रह्मास्त्र के बराबर मानता हूं, यह ब्रह्मा का अस्त्र है और इस ब्रह्मा के अस्त्र को···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, देवेन्द्र यादव जी, आप भी बैठ जाइये। नहीं, नहीं, आप बैठ जाइये। हां, आपका क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि जैसा अभी यहां मंत्री जी, श्री हुकमदेव नारायण यादव जी ने अपने भाषण के क्रम में कहा कि मैं दलबदलू हूं या यह सरकार दलबदलू है या नहीं, इसका फैसला सड़कों पर होने दिया जाये। ऐसा उन्होंने कहा··· (व्यवधान) इसका फैसला तो आपके पास है, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई अन पार्लियामेंट्री बात हुकमदेव जी ने कही है ?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, अगर ये सड़क पर आने की बात कहते हैं, तो कहां की सड़क पर और किस सड़क पर, बिहार में सीतामढ़ी की सड़क पर या कहां की सड़क पर ? मन्त्री बनने के बाद जब वे वहां गये हैं, तो इनकी क्या हालत हुई है यह इनको पता है। (व्यवधान)

श्री गंगाचरण लोधी (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के तहत ?

श्री गंगाचरण लोधी : रूल नम्बर 376. अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय,···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार ने मेरे भाषण पर प्रश्न किया है कि फैसला कहां कराना चाहते हैं ? मैं एक कमजोर आदमी हूं—अर्थ बल से, बाहुबल से, धनबल से और जन बल से, लेकिन सुनिये, मैं यह कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी,···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जब तक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, तब तक उन्हें कृपया शांति से सुनने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे मन्त्री के नाते बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं क्योंकि मेरा कहना यह है मुद्दा क्या है, उसका उन्हें ज्ञान है या नहीं ? मुद्दा दल-बदल के बारे में है या जो कोर्ट का फैसला है, उस पर जो यहां एडजर्नमेण्ट मोशन आया है, उस पर बोलने का है । किस मुद्दे पर मन्त्री महोदय बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री हुकमदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी विषय पर बोलना चाहता हूं, लेकिन अगर आप उसको, चूंकि जमाना बाई-पास का है, उस रास्ते से मुझको ले जाना चाहते हैं, तो मैं बाई-पास पर भी लड़ना जानता हूं, रोड़ पर भी लड़ना जानता हूं और फील्ड में भी लड़ना जानता हूं और पार्लियामेंट में भी लड़ना जानता हूं । नीतीश कुमार, आप भी किसी जमाने में, एक राह के राही रहे हो, आज आप कहीं हो, मैं कहीं हूं, लेकिन मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं और आगे भी बहुत कुछ करना है । जो आज है, वही हमारी यात्रा की अन्तिम मंजिल नहीं है और वहीं हमारे कदम रुकने वाले भी नहीं है । इससे भी आगे यात्रा है । इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा था कि आप मुझे क्यों चुनौती दे रहो हो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं हर तरह से और हर जगह से फैसला करने को तैयार हूं । कहां फैसला करोगे, बताओ । फतेहपुर से या सीतामढ़ी से ? मैं दोनों जगह से तैयार हूं । मैं चाहूंगा कि वी० पी० सिंह फतेहपुर से रिजाइन करें और मैं सीतामढ़ी से रिजाइन करूं और दोनों, दोनों जगह से लड़ें । फैसला हो जाना चाहिए कि हुकमदेव नारायण और वी० पी० सिंह कहां हैं । दोनों एक ही धरती पर लड़ें, एक ही धरती पर फैसला होना चाहिए । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । श्री हुकमदेव नारायण यादव जी ने सदन में श्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है जो हमारे दल के हैं । मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं । मैं चुनाव लड़ूंगा ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हुकमदेव नारायण यादव : इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा था, माननीय सदस्यों से बार-बार कहता हूं कि अभी आप जिस समय पर आए हो, इस बार परमात्मा की विशेष कृपा से संसद का स्वरूप ही अलग ढंग का बना है । 220 की संख्या वाले जिसको···(व्यवधान)

श्री राम धन : पहले सिफारिश करते थे, सन् 80 में हारे हो, सन् 1984 में हारे हो 1979 के बाद ।···(व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मैं श्री वी० पी० सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा । मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैंने हुकमदेव जी को बुलाया है ।

(व्यवधान)

श्री हुकमदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा था कि जो प्रश्न इस सदन के सामने आया हुआ है उस प्रश्न पर यदि सदन के अन्दर गम्भीरता से विचार करना है तो

उसकी गम्भीरता को देखते हुए उसके सभी पहलुओं पर माननीय सदस्यों के विचार आए लेकिन जब किसी माननीय सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के अभिमान, अहंकार, मान, सम्मान और स्वाभिमान पर आप चोट करेंगे तो दूसरे आदमी के अन्दर भी सोया हुआ नाग फुफकार करेगा ही। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि यही सदन है कि इस सदन में 215 से लेकर 220 की संख्या के नेता श्री राजीव गांधी बनकर आए, 141—143 के एलायंस के लीडर श्री वी० पी० सिंह बनकर आए। लेकिन इसी सदन ने देखा कि 215—220 की एलायंस का लीडर अपोजीशन लीडर बनकर बैठा और 143 की एलायंस का लीडर लीडर आफ दी हाउस बनकर बैठा। क्यों बैठा, किस कारण से बैठा? उससे आश्चर्य मत करो, आश्चर्य उससे भी आगे करो कि 143 वाला लीडर आफ दी हाउस बना था तो लोग कहते थे कि यह कैसी अद्भुत घटना है। यह संसद गवाह है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मैं बोला था, प्रथम अभिभाषण पर मैं बोला था। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलते समय मैंने उस समय कहा था कि आने वाला समय और ही जायेगा। परमात्मा ने ऐसा चक्र घुमाया है जिससे 63 की संख्या वाला लीडर आफ दी हाउस है और उससे अधिक संख्या वाला लीडर आफ दी ऑपोजिशन या दूसरे दल के नेता के रूप में बैठे हैं। भारतीय लोकतन्त्र की सीढ़ी-पर-सीढ़ी क्रमित रूप से चल रही है उसका अंजाम आने वाले समय में कुछ और ही देखने को मिलेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल के नेता और लोकतन्त्र में विश्वास करने वाले लोग जब तक अपने अहंकार का परित्याग नहीं करेंगे, अपने अधिकार का विसर्जन नहीं करेंगे, केवल अपनी दृष्टि से सम्पूर्ण कानून की व्याख्या करेंगे और अपने स्वार्थ के लिए जब चाहेंगे स्पीकर के पद की प्रतिष्ठा करेंगे और जब चाहेंगे उसकी अप्रतिष्ठा करेंगे तो ऐसे में आने वाले दिनों में एक जबर्दस्त भूचाल आयेगा।

मैंने देखा है कि आज जो उधर बैठे हैं वे आज अध्यक्ष के प्रति बहुत सम्मान प्रकट कर रहे हैं लेकिन जब वह उस तरफ बैठे हुए थे और इस तरफ कांग्रेस की सरकार थी इसी आसन पर उस समय माननीय जाखड़ साहब बैठे हुए थे, उस समय के संसद की कार्यवाही के पन्नों को निकाल कर देखेंगे तो पता लगेगा कि उन्होंने आसन के प्रति कितना सम्मान प्रकट किया था? उस समय इन्होंने आसन के प्रति जो रूप अख्तियार किया था मैं उस ओर अपनी बात नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष का आसन सर्वोपरि होता है···(व्यवधान)···

श्री राम धन : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो कुछ पिछली लोक सभा में हुआ उसकी कार्यवाही के बारे में सारे दस्तावेज पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी में हैं, वह चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं। हुकमदेव जी ने गलत बयानी की है। उनकी इस गलत बयानी को कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : अनादर केवल भाषण या शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से भी होता है और व्यवहार से भी होता है। दो दिन पहले इसी हाउस में श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी का एक मामला आया था। अध्यक्ष महोदय बार-बार सदस्यों से कह रहे थे कि इस मामले को मैं समाप्त मानता हूं, ऐसे में इन लोगों ने उठकर कहा कि नहीं, आपके कहने पर भी हम इसे समाप्त नहीं मानते हैं। उस समय स्पीकर के आसन का सम्मान कहां जा रहा था? मैं केवल इतना इस सदन में समझ पाया हूं कि चाहे बड़े नेता हों, चाहे छोटे नेता हों, मानसिकता की गहराई को नहीं देखते हैं, अपने मर्जी, मन और कल्पना के अनुसार अगर आसन का फैसला होता है सम्मानजनक फैसला होता है और अगर अपनी भावना के प्रतिकूल आसन का फैसला होता है तो तो कहते हैं कि यह सम्मानजनक नहीं

[श्री हुकमदेव नारायण यादव]

है। ये चाहते हैं कि आसन का निर्णय अपने मन के अनुकूल हो और अगर अपने अनुकूल आसन का निर्णय नहीं होता है तो कहते हैं कि आसन निष्पक्ष नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मुझे अध्यक्ष के आदेश से फांसी पर भी चढ़ना पड़े तो मुझे फांसी पर चढ़ना कबूल है और उसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं मानता हूं कि उनका आसन सर्वोपरि है और सर्वोच्च है। सर्वोच्च आसन के सामने और सर्वोच्च संस्था के सामने हर आदमी को अपनी भावना और अपनी बात कहने का खुले रूप से अधिकार प्राप्त है। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के आगे हमने भी सिर इसलिए झुकाया था कि शस्त्र की मर्यादा न टूटने पाये। लोकतन्त्र में अध्यक्ष के आसन के पास वही ब्रह्मास्त्र की मर्यादा है। हुकमदेव नारायण नहीं, हुकमदेव नारायण जैसे कितने भी शक्तिशाली लोग क्यों नहीं होंगे यदि उनके आदेश पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया जाएगा चाहे तोड़ने की कोई भी ताकत रहे, मैं नहीं तोड़ूंगा, हमारा उसके आगे सिर झुकेगा, हम उस आदेश को स्वीकार करेंगे, उस आसन के आगे यह सिर झुका रहेगा, यह सिर एक बार नहीं, हजार बार झुकेगा। अगर लोकतांत्रिक मर्यादा की रक्षा के लिए हमारी गर्दन कटती रहेगी तो हम अपनी गर्दन भी कटाते रहेंगे लेकिन अपने अध्यक्ष के आदेश के प्रति असम्मान प्रकट नहीं करेंगे। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति छल, कपट और तिकड़म के जरिए, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का नाम लेते हुए अध्यक्ष से इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करवाना चाहता हो तो प्रयोग करने वाला स्वयं जानता है कि प्रयोग करना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो जाता है तो हनुमान ब्रह्मास्त्र में जरूर बंध जाता है लेकिन जब उसकी पूंछ से अग्नि निकलती है तो सम्पूर्ण लंका भी जलकर राख हो जाती है। हम उस मर्यादा के आगे झुकते हैं···(व्यवधान)··· हम बार-बार सिर झुकाते हैं, मैंने यह कहा था। जैसा मधु दण्डवते जी कह रहे थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अगर लोकतंत्र के अंग हैं तो तीनों के प्रति तीनों का सम्मान होना चाहिए। सम मान का अर्थ नया होता है, मेरे गुरू ने मुझे सम मान का अर्थ समझाया था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुभाषिनी जी, हर एक का बोलने का एक स्टाइल है। हुकमदेव जी का बोलने का एक खास स्टाइल है, आप उनको सुनिए। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह तो आपको धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यहां रेलेवेण्ट बात होनी चाहिए, कोई इरेलेवेण्ट बात नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने लंका जलाने की बात कही है, लंका कौन-सी है, कौन-सी लंका जलाना चाहते हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, आप कृपया बैठ जाएं।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कह रहा था कि सम्मान का अर्थ होता है सम मान, कि सबों के प्रति बराबर के मान का व्यवहार ही सम्मान है। लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के प्रति आदर करें, तीनों, तीनों का बराबर सम्मान करें तभी वह सम्मान हो सकता है। अगर कोई उसमें अधिक अधिकार चाहता है और कोई किसी दूसरे के अधिकार को गौण समझता है तो यह अधिकार का झगड़ा होगा, कभी सम्मान का प्रदर्शन नहीं हो सकेगा इसलिए न्यायपालिका को भी यह ख्याल रखना पड़ेगा कि अध्यक्ष का आसन, जो विधायिका है, यह भी उतनी ही सम्मानित है, जितना कि न्यायपालिका सम्मानित है···(व्यवधान)···विधायिका को

भी यह ख्याल रखना पड़ेगा कि विधायिका··· (व्यवधान)

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि श्री हुकमदेव नारायण यादव अभी जो बोल रहे हैं, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया है और वह वक्तव्य मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं···

अध्यक्ष महोदय : पाइण्ट ऑफ आर्डर क्या है ?

[अनुवाद]

प्रो० राम गणेश कापसे : उन्होंने कहा 'दल-बदल विरोधी कानून को पहले ही न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। किसी को स्पष्टीकरण देने के लिए क्यों कहा जाए ?"

[हिन्दी]

यह टाइम्स आफ इण्डिया में कल आया है और स्पीकर का सब जो काम है।

[अनुवाद]

"यह बेकार होगा।"

[हिन्दी]

ऐसा इन्होने कहा है और अभी यह सम्मान की बात कह रहे हैं। मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर है कि जो टाइम्स ऑफ इण्डिया में कल आपने वक्तव्य दिया है, या तो उसके मुताबिक बोलो या यह बोलो कि वह हमने कहा नहीं।

श्री हुकमदेव नारायण यादव : मैं जो कह रहा हूं, आज अध्यक्ष जी के सामने कह रहा हूं, वह सुनिये। किसी अखबार में क्या छपा था, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

प्रो० राम गणेश कापसे : आपने कहा था या नहीं ? (व्यवधान)

श्री हुकमदेव नारायण यादव : मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि न्यायपालिका को भी अपने अधिकार की व्याख्या करते समय यह स्मरण रखना पड़ेगा कि कार्यपालिका और विधायिका, दोनों का भी वही सम्माजनक स्थान है जो न्यायपालिका का है। उसी प्रकार से विधायिका को भी यह स्मरण रखना पड़ेगा कि उन तीनों अंगों की भी उतना ही सम्मान और प्रतिष्ठा देश के अन्दर है। अगर ये तीनों अंग इस बात का निर्णय करते समय मर्यादा को स्मरण रखेंगे कि तीनों अंगों में कोई आगे-पीछे नहीं हैं बल्कि एक ही पेड़ की ये तीनों शाखाएं हैं। इनमें से किसी भी शाखा पर अगर कोई आघात करता है, तो दोनों आपस में टकराती हैं और उससे मूल पेड़ को ही नुकसान पहुंचता है, शाखाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि न्यायपालिका को अपने हद की सीमा में उनको अधिकार है, विधायिका को भी अपने हद में अधिकार हैं और कार्यपालिका को भी अपने हद में अधिकार हैं, अगर ये तीनों अपने स्वविवेक, अपने नियम और मर्यादा के भीतर रहें, तो फिर कभी संसद और न्यायपालिका को अदालत में बहस का अवसर नहीं आ सकता है मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रलोभन और भय का वातावरण इस देश में बना है। उस भय और प्रलोभन के वातावरण के कारण अधिकारों और कर्तव्य की व्याख्या के सवाल किए जाते हैं।

[श्री हुकमदेव नारायण यादव]

सचिव, बैद्य, गुरू तीनों जो,
प्रिय बोलहीं भय आस ।।

भय और आस का परित्याग करके सिद्धान्त की व्याख्या करेंगे, तब किसी आधार पर जा सकते हैं।···(व्यवधान)···खुराना साहब, आपके माननीय सदस्य मुझसे पूछ रहे थे कि लंका कहां है। अवध में दिखाई पड़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लंका नहीं दिखाई पड़ रही है। लंका का तो पता है कि लंका कहां है। अयोध्या को लंका बनाने के चक्कर में लंका दिखाई नहीं पड़ रही है।··· (व्यवधान)···अध्यक्ष महोदय, तीनों को अपनी मर्यादा में रहना होगा। हम जिस संस्था के सदस्य हैं, एक न्यायपालिका में, आज एक अधिवक्ता का सम्मान था, न्यायाधीश के जरिए आघात किया जाता है, तो सम्पूर्ण अदालत हड़ताल में चली जाती है। क्यों ? एक जगह नहीं चाहे वह संसद के बाहर हो, आज सम्पूर्ण विश्व में समता के संघर्ष पर लड़ाई जारी है। हर व्यक्ति चाहता है कि सभी व्यक्तियों को समता का अधिकार हो। हर व्यक्ति चाहता है कि वह समान हो। कोई व्यक्ति वह नहीं चाहता है कि किसी पद पर अगर कोई चला गया तो उनको विशेषाधिकार हो गया और हम अगर उस पद पर नहीं हैं तो हम विशेषाधिकारहीन हैं। वही झगड़ा है और वही संघर्ष का मुद्दा बना हुआ है। अगर आप कहते हो कि संसद के काम में न्यायपालिका हस्तक्षेप न करे, न्यायपालिका के काम में संसद हस्तक्षेप न करे और न्यायपालिका के काम में अन्य किसी का हस्तक्षेप न हो, तो भारत इस परिवर्तित समय में, संसदीय लोकतंत्र के संक्रमण काल की स्थिति में, भारतीय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवर्तन के चक्र में आज मैं चाहता हूं कि भारत की संसद में नये सिरे से भारतीय संसद के स्वरूप को भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप की व्याख्या भी होनी चाहिए। एक पक्ष कुछ चाह रहा है और दूसरा पक्ष कुछ चाह रहा है। समाज का वह ऊपर उठा हुआ वर्ग अगर ऊपर उठना चाहता है तो ऊपर वाले दबाते हैं और जब ऊपर वाले दबाते हैं तो अतिक्रमण होता है या नहीं होता है। कोई कानून का सहारा लेता है, लेकिन न्यायपालिका को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए।

अध्यक्ष के आसन का जहां तक सम्मान है, अध्यक्ष महोदय केवल इस कुर्सी पर बैठे हुए अध्यक्ष महोदय नहीं हैं, उसके आगे भी यदि वे अध्यक्ष के आसन पर नहीं बैठे रहते, तो मैं रबी राय जी से यही प्रार्थना करता कि आप केवल अध्यक्ष के आसन पर नहीं रहे, आपके नेतृत्व में अगर मुझे राजनीतिक संघर्ष लड़ने का जीवन में बहुत बड़ा अवसर मिला है। आपको नेता मानकर इससे पूर्व में कई बार कठिन-से-कठिन परिस्थिति में कई तरह के निर्णय लेने पड़े हैं। हम एक राह के राही हैं। अन्याय, अत्याचार, जुल्म और सितम के खिलाफ, अपमान के खिलाफ हमेशा बागी और विद्रोही बनकर काम किए थे। उस समय भी जनता पार्टी का विभाजन हुआ था और विभाजन करने वाला मुद्दा भी था। मैं कहता हूं कि चौधरी चरण सिंह के अपमान के कारण जनता पार्टी का विभाजन हुआ था और इस बार चौधरी देवी लाल के अपमान के कारण जनता दल का विभाजन हुआ है। अगर अपमान तब हुआ था आप नहीं मानों···(व्यवधान)···क्योंकि आपके लिए अपमान कुछ नहीं है ··(व्यवधान)··· वाह-वाह भले ही कर दोगे, लेकिन कल अपमानित होने वाले चाहे शरद यादव हों, रामविलास पासवान हों, नीतीश कुमार हों और जैसे हुकमदेव नारायण यादव अपमानित होकर कराह रहा है, उस अपमान की चोट से दल में रहते हुए मधु दण्डवते के मुंह से कराह नहीं निकलेगी, लेकिन आज भी अपमान की चोट से नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और शरद यादव कराहते रहे हैं। आज कभी मैं कराहता हूं, कभी तुम कराहते हो और आगे भी कराहते रहोगे, इसलिए इस अपमान के खिलाफ विद्रोही बनकर खड़े हो, जहां कहीं भी अपमान होगा, उस अपमान के खिलाफ अगर कोई विद्रोह नहीं करता है तो वह मनुष्य नहीं है। अगर देवी लाल जी को अपमानित किया गया तो उस अपमान के खिलाफ हुकमदेव

नारायण यादव अकेले खड़े हुए थे। अध्यक्ष महोदय, इस आसन के प्रति मैं अपने सिर को झुकाता हूं। (व्यवधान) मण्डल कमीशन पर भी मैं बोला था। अगर आप मण्डल कमीशन की बात करते हो, देवी लाल के नेतृत्व में मुलायम सिंह यादव और हम सब लोग मण्डल कमीशन के खिलाफ रहे थे। आप लोग मुझे मत बुलवाओ, इतिहास ने मुझे मजबूर किया था, कभी-कभी इतिहास में, इस मजबूरी के कारण मनुष्य को पापी को भी महात्मा कहना पड़ता है। नहीं तो देवी लाल जी जिस समय राष्ट्रपति के पास गए। श्री शरद यादव, रामविलास पासवान, मधु दण्डवते और 6 हजार लोग, बाप-दादा के समेत घर के पिता के साथ पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने वाले का नाम दे रहे थे और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पिछड़ों के हत्यारों के नाम कह रहे थे। उस दिन देवी लाल हमारे साथ थे, इसलिए आप इन बातों को मत छेड़ो कि देवी लाल क्या हैं और वी० पी० सिंह क्या हैं। (व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हमेशा जब कभी भी इतिहास में व्यक्ति का अपमान होता है या किसी व्यक्ति की आत्मा पर आघात होता है (व्यवधान) इसी अपमान और आत्मा पर आघात के कारण योद्धा लोग कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे। इसी अपमान के कारण हिन्दुस्तान की धरती पर कुरुक्षेत्र और महाभारत का युद्ध हुआ था। इस अपमान का बदला लेने के लिए ही भारतमाता की धरती लाल हुई थी। इसलिए मैं कहता हूं कि युग-युग से यह धारा रही है, अपमान के खिलाफ अगर मरना भी पड़े तो मरो, लेकिन अपमान को मत सहो। इसी अपमान के कारण जनता दल का विभाजन हुआ था। (व्यवधान) वी० पी० सिंह भी अपराधी हैं और मैं भी अपराधी हूं।

एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अध्यक्ष की नजर में मैं भी अपराधी हूं। आपकी नजर में अगर हमने कोई अपमानजनक काम किया है तो मैं भी अवश्य अपराधी हूं। आपकी नजर में हमारे आचरण, वाणी और कर्तव्य से, अध्यक्ष महोदय अगर आपके सम्मान पर कोई आघात पहुंचा है तो उसके लिए मैं कोटि-कोटि शासन से नहीं, श्री राय से नहीं, बल्कि अपने इस पद से कोटि-कोटि बार क्षमा-याचना करूंगा, अपने मस्तक को झुकाऊंगा और आपके आदेश को शिरोधार्य करूंगा। इस शासन के आगे अपना सिर झुकाते हुए इसकी सम्प्रभुता और मर्यादा को हर समय बनाये रखूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि—"लड़ना है, चाहे कम ताकत में हो, तब होगा इन्साफ यहां", किसने क्या किस्मत पाई है और उत्तर प्रदेश के गंगा-यमुना मैदान में यह फैसला होगा। हम और आप जमीन पर लड़ेंगे और आने वाला संसद या इतिहास बतायेगा कि कौन कितना पानी में है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में मैं आपको इस महान संस्था की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए दिए गए निर्णय के लिए बधाई देता हूं।

महोदय, संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा का न तो सौदा किया जा सकता है और न ही उस पर विवाद किया जा सकता है। संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली के मूल उद्देश्यों अथवा विशेषताओं में संसद की सर्वोच्चता प्रमुख है। महोदय हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद सर्वोच्च है और हमारे देश का संविधान हमारे मूलभूत नियम हैं और उनमें यह प्रावधान किया गया है कि जहां तक संसद, उसके कार्यकरण, प्रक्रिया, विशेष रूप से अध्यक्ष की स्थिति का संबंध है, संसद सर्वोच्च है और इसे न्यायालय सहित किसी प्राधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है।

महोदय, हमने अभी सत्तारूढ़ दल के जो भाषण सुने हैं उनमें स्पष्ट रूप से सभा के समक्ष प्रस्तुत

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

मुद्दों की उपेक्षा की गई है और दल-बदल के लाभों के बारे में बताया गया है। हुकमदेव नारायण जी ने सरकार से देवी लाल जी को निकाले जाने का उल्लेख किया और कहा कि उसी कारण जनता दल में विभाजन हुआ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब देवी लाल जी को निकाला गया था तब उन्होंने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया ? जब श्री वी० पी० सिंह ने यह कार्यवाही की थी तब कोई जनता दल (एस) क्यों नहीं बनाया गया ? उस समय ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वी० पी० सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस नहीं लिया था और कांग्रेस के समर्थन से कुछ थोड़े से व्यक्तियों की सरकार बनाना संभव नहीं था। इसलिए जब भी दल-बदल उपयोगी होता है और मंत्री पद उपलब्ध होते हैं तब दल-बदल होता है। जब तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया तब तक जनता दल में अलग दल नहीं बना। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्री बालगोपाल मिश्र कृपया आप बैठ जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने श्री हुकमदेव नारायण यादव के भाषण में कोई बाधा नहीं डाली थी। उन्होंने सत्तारूढ़ दल की ओर से विचार व्यक्त किए लेकिन वह एक मंत्री भी हैं। उन्होंने प्रमुख मुद्दों के उत्तर नहीं दिए।

वह कहते हैं मामले को सदन के बाहर सुलझाया जायेगा मेरा विचार है कि उनका अभिप्राय चुनाव से है। मेरे विचार से सरकार ने विशेषतया हुकमदेव नारायण जी के भाषण के बाद उठाये गये मुद्दों का कोई उत्तर नहीं दिया है। उनका केवल यह उत्तर है कि वे मामले को चुनाव द्वारा सुलझाना चाहते हैं। इस दल-बदल को जारी रखा जाए या नहीं इस बात का निर्णय लेने के उद्देश्य से क्या सरकार राष्ट्रपति को तुरन्त चुनाव कराने की सलाह देने जा रही है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि यदि आप इसे संविधान में अधिनियमित उचित प्रावधान नहीं मानते, तो, आप संविधान की अवज्ञा करने के बजाय संविधान में सीधे संशोधन करने का प्रयास क्यों नहीं करते ? उनमें न तो राजनीतिक साहस है, न नैतिक साहस है और न ही उन्हें समर्थन प्राप्त है क्योंकि कांग्रेस समर्थन के बिना वे सदन में कुछ नहीं हैं। जहां तक मंत्रियों का सम्बन्ध है, उन्हें निष्ठा की शपथ लेनी होगी जो इस प्रकार है :

> "मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा···और सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा···।"

महोदय, संविधान में क्या उपबन्ध है ? हमारे संवैधानिक उपबंधों में कोई अस्पष्टता नहीं है। आज चाहे इसे कोई पसंद करे या न करे हमें इसके प्रति निष्ठा रखनी होगी। आज वह दल-बदल की प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन, उन्हें भारत के संविधान के उपबंध को लागू करना होगा जिनके प्रति उनकी निष्ठा है इसमें कहा गया है :

> "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी।"

महोदय, वह पीठासीन अधिकारी की स्थिति से, आपकी हैसियत से और आपकी प्रतिष्ठा के बारे में बोल रहे हैं। यदि इस मामले पर उनकी यही प्रतिक्रिया है, तो वह न्यायालय क्यों गये थे ? उन्होंने इसे आप पर क्यों नहीं छोड़ा, विशेषतया जब इस प्रकार का प्रावधान किया गया है ?

11.00 म० प०

आज हमें कोई संदेह नहीं है कि इस सरकार में डर और असुरक्षा की भावना है। इसीलिए, हमने देखा है कि संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। हमने देखा है इस सदन के अध्यक्ष को भी गिरफ्तार करने की धमकी मंत्री द्वारा दी गई है। इस सरकार के आने के बाद से ही हम अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में सुन रहे हैं। अब हमने देखा है कि सरकार ने यह चाल चली है। संविधान में परिवर्तन किये बिना न्यायालय में जाना विधि अधिकारियों का उपयोग करना और इस सरकार के प्रथम विधि अधिकारी द्वारा इस देश के संवैधानिक उपबंधों के बिल्कुल विपरीत है।

महोदय, मैं श्री दिनेश सिंह के भाषण की प्रशंसा करता हूं उन्होंने कहा है जहां तक दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद (पैराग्राफ) सात का संबंध है, इसकी दूसरी बार व्याख्या नहीं की जा सकती और यह न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से भी बाहर है। मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वह बताएं कि इसका सही अर्थ क्या है। कांग्रेस (इ) के शासन के दौरान यह मामला न्यायालय के समक्ष लाया गया था और तत्कालीन सरकार द्वारा इस बारे में विशिष्ट निर्णय लिया गया था जिसमें वर्तमान महान्यायवादी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था जो उस समय अतिरिक्त महाधिवक्ता थे और यह कहा गया था कि यह मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। महोदय, यह मुद्दा कोई पहली बार नहीं लाया गया है। यदि आप संविधान के अनुच्छेद 105 (2) को देखें, जो काफी स्पष्ट है इसमें कहा गया है :

> "संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिय गये किसी मत के संबंध में, उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और कोई व्यक्ति, संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा···।"

यह किसी बात को कहने या करने के बारे में है। उच्चतम न्यायालय ने 1965 में निर्णय दिया था कि यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है क्योंकि जो कुछ सदन के भीतर होता है किसी न्यायिक निर्णय का विषय नहीं हो सकता और यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। यह निर्णय दिया गया है कि "जो कुछ भी कहा गया गया हो" का अभिप्राय सब कुछ कहने या करने से है। इसलिए, दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ सात में इसी प्रकार की व्याख्या की गई है। 'किसी भी मामले के बारे में' का अभिप्राय अयोग्यता के प्रश्न से सम्बन्धित प्रत्येक मामले के संबंध से है। अगर ऐसी बात है, तो अस्पष्टता कहां थी ? प्रश्न काफी गम्भीर है और सिद्धांत का प्रश्न है। क्या सरकार ऐसा व्यवहार कर सकती है, जो इस देश के संवैधानिक उपबंधों के विपरीत हो ? यह एक मूल मुद्दा है और सरकार को उत्तर देना चाहिए। मंत्री जी आधे घंटे से अधिक समय तक बोले हैं और उन्होंने इस मुद्दे को छुआ तक नहीं हैं वह इस सभा के सदस्य होने के साथ-साथ एक कैबिनेट मंत्री भी हैं लेकिन उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सरकार का एकमत निर्णय था या यह विधि मंत्री का निर्णय था जिसे महान्यायवादी ने कहा था। हम देखते हैं कि जब यह मामला उठाया गया है तो भारत सरकार की ओर से 1991 में एक शपथ पत्र दाखिल किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि यह शक्ति (अर्थात 10वीं अनुसूची के अधीन शक्ति) उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226, 32 तथा 136 के अधीन अपनी शक्तियों के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यह सरकार सभा के अन्दर अपने गुण-दोषों तथा शक्ति के आधार पर बनी रहना नहीं चाहती बल्कि यह तो उन अन्य अभिकरणों के आधार पर कायम रहना चाहती है जिन्हें इस सभा के कार्य तथा आप, अध्यक्ष द्वारा लिए जा सकने वाले निर्णयों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

है । हम यह बात नहीं कर रहे कि आप क्या निर्णय लेंगे। हम आपके सम्मुख विवाद के गुण दोषों की बात भी नहीं कर रहे हैं। यह तो पूर्णतया आपका क्षेत्राधिकार है। आप अपनी समझ से जो बेहतर समझें निर्णय ले सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि यह निर्णय लेने का अधिकार और क्या यह अधिकार ऐसे किसी कारण या उपबन्ध के अधीन है जो आपको अपनी शक्तियों तथा कार्यों का निर्वाह करने से रोकेगा।

जहां तक आज उत्पन्न हुई इस स्थिति का संबंध है, हम समझते हैं कि सरकार कइसी बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। भारत के विधि मंत्रालय में न्याय तथा विधायी विभाग में एक उप सचिव कैसे, किन परिस्थितियों में एक शपथ पत्र में ऐसा रवैया अपना सकता है ? यह किस स्तर पर निर्णय लिया गया कि ऐसा रवैया अपनाया जाएगा और अब सरकार क्या करना चाहती है ? सरकार इस बात को भी मान चुकी है कि अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जब एक बार सरकार यह मान चुकी है कि 10वीं अनुसूची के सम्बन्ध में अध्यक्ष की शक्ति सर्वोच्च हैं तो अब आवश्यक परिणाम कौन सा रह गया है ? अब सरकार क्या करेगी ? क्या सरकार न्यायालय में इस मत को अपनाने का आग्रह करेगी ? मैं समझता हूं कि इस बारे में आज सुनवाई हो रही है। वहां पर महान्यायवादी क्या कर रहे हैं ? क्या वह संविधान की मर्यादा बनाए रखे हुए हैं या सरकार की ओर से संविधान को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए।

जहां तक कल पारित हुए आदेश का सम्बन्ध है, यह तो निमन्त्रण है, भारत सरकार की तरफ से न्यायालय के सम्मुख खड़े महान्यायवादी, जोकि संविधान को बनाए रखने और इसे कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं, कह रहे हैं :

"ठीक है, इस मामले पर हम बाद में बहस करेंगे।"

"निःसन्देह इस प्रश्न पर गौर करने की शक्ति न्यायालयों के पास है।"

लेकिन वह कहते हैं :

"क्या 52वां संविधान संशोधन वैध है या नहीं, इस पर हम बाद में बहस करेंगे।"

वह कहते हैं :

"यह निवेदन है कि दसवीं अनुसूची के कुछ [पैराग्राफ की वैधता कानूनी मुद्दे से परे है, भारतीय संघ के अधिवक्ता जिरह के समय दसवीं अनुसूची की वैधता के बारे में निवेदन करेंगे।"

क्या अब भारत सरकार ने अपना मत बना लिया है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में सरकार पुनः विचार करती है। जब सरकार अनिश्चयपूर्ण रवैया अपनाती है केवल तब ही ऐसा शपथ पत्र दाखिल किया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि इस सरकार ने उन कुछ सदस्यों के उद्देश्य हेतु ही यह संदिग्ध रवैया अपनाया है जो सत्ता में रहना चाहते हैं और जिन्हें आपसे प्रतिकूल निर्णय पाने की संभावना थी।

क्या भारत सरकार को इस प्रकार कार्य करना चाहिए जबकि हमने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है ?

क्या इस देश में शासन करने का आधार किसी भी प्रकार से सत्ता में बने रहना है ?

इस उद्देश्य के लिए एक उप सचिव जैसे साधारण कर्मचारी का दुरुपयोग किया जा रहा है और महान्यायवादी के पद को दूषित किया जा रहा है। मुझे बहुत खेद है। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। वह प्रत्यक्ष रूप में भारत सरकार की हिदायतों को लागू कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री हमें बताएं कि भारत के महा न्यायवादी तथा उप सचिव को यह हिदायत देने के लिए कौन उत्तरदायी है, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। यदि यह हिदायत मंत्री ने दी है तो कम से कम वह हो कि वह इस्तीफा दे दें और सभा से क्षमा मांगें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जीवित रहने की इच्छा होना अच्छा है। लेकिन बने रहने की इच्छा इस देश में संसदीय लोकतन्त्र के कुछ मूल सिद्धांतों की कीमत पर नहीं हो सकती। यदि इस सभा की स्थिति का मजाक उड़ाया जाता है और अध्यक्ष की स्थिति को सत्ता में बने रहने के लिए दूषित किया जाता है तो सभा का यह कर्तव्य है कि वह एक हो जाए और मैं श्री दिनेश सिंह से अनुरोध करता हूं कि जब आपने यह मत बनाया है तो इस पर उचित कार्यवाही भी होनी चाहिए। या तो सरकार इसे वापस ले और माफी मांगे या फिर इस सरकार को इससे आगे एक मिनट भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब, परीक्षा कांग्रेस (आई) पार्टी की है। इस कानून के लिए विधेयक उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

श्री बसंत साठे (वर्धा) : अपनी सीमा मत लांघिए। इस मामले में राजनीति मत लाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह उन द्वारा तैयार किया गया था। वे इसे लाए। इसलिए, मैंने आपके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। आप अपनी समझ से यह कानून इस सभा में लाए हैं। इसे सभा में पारित किया गया था। मैं कांग्रेस (आई) पार्टी से जानना चाहूंगा कि क्या वे अभी भी इसके क्रियान्वयन के पक्ष में हैं या नहीं।

श्री बसंत साठे : आपने श्री दिनेश सिंह का भाषण सुना है। हमने कहा है कि हम इसके पक्षधर हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि वह स्पष्ट करे कि सरकार का समर्थन कर रहे सदस्यों का निजी कदम कुछ भी हो, सरकार का मत सुस्पष्ट है। वे दिल्ली उच्च न्यायालय जाकर अपना शपथ पत्र वापस लें। वे यह स्पष्ट रूप से कहें कि अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती जैसाकि यह करने का प्रयास किया जा रहा है और यह फैसला रद्द हो। श्री हुकमदेव नारायण के लिए यह कहना बहुत सरल है कि न्यायपालिका और विधान मंडल के बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। हम भी कोई मतभेद नहीं चाहते। लेकिन इस मतभेद का कारण क्या है? यह मतभेद किसके कारण हुआ है? यदि उन्हें अध्यक्ष की स्थिति, सभा की गरिमा और अध्यक्ष की गरिमा में थोड़ा विश्वास होता तो वे वहां नहीं जाते और वे प्रैस को यह नहीं कहते: इसमें अध्यक्ष को क्या निर्णय लेना है, यह मामला तो पहले ही न्यायालय के सम्मुख विचाराधीन है। उन्होंने इस वक्तव्य से इन्कार नहीं किया है।

महोदय, बुनियादी प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष दसवीं अनुसूची पर निर्णय लेते समय अनियंत्रित शक्ति के साथ कार्यवाही कर सकता है या नहीं अथवा क्या आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं। ऐसे मामले में क्या ऐसी सरकार जिसके पास बहुमत का समर्थन नहीं है, एक बेकार अल्पमत सरकार जो निःसंदेह इस संसद की सबसे बड़ी पार्टी के समर्थन से कायम है, सत्ता में बने रहने के लिए अपनी इच्छानुसार तरीकों का उपयोग करेगी? अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इसके लिए प्रतिकार करें। इस बारे में उनका रवैया यही नहीं रह

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

सकता। मुझे पता है कि इस बारे में, कैसे बार-बार प्रयास किए जाते रहे हैं। हाल ही में इस संबंध में समाचार पत्रों में भी छपा है। इसमें कहा गया है कि जे० डी० (एस) शायद राष्ट्रपति को याचिका देंगे। 8 जनवरी, के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपा है कि :

> "जनता दल—एस का नेतृत्व इस बारे में राष्ट्रपति महोदय को याचिका देने पर विचार कर रहा है कि, जिन 37 संसद सदस्यों को कथित रूप से दल-बदल करने के आरोप में अयोग्य किया जा सकता, इसका निर्णय संविधान के अनुच्छेद 103 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग से विचार-विमर्श करके, उनके द्वारा किया जाना चाहिए।"

अत: मेरे विचार से यह एक सामंजस्यपूर्ण चाल है, यह एक सोच विचार पूर्ण कदम है, या तो आप पर जोर डालने के लिए या आपकी स्थिति को कम करने के लिए, अध्यक्ष के पद को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। आपसे शक्तियों को छीनकर न्यायालय में जाने से संसद की स्थिति की भी बदनामी होगी। वे अपने विधि अधिकारियों से करीब अपने हक में आदेश करा लेंगे। अब वे खड़े होकर कह रहे हैं कि हम अध्यक्ष महोदय का आदर करते हैं, इस सरकार का न तो कोई सांविधानिक आधार है, नहीं देश के बहुमत का इसे समर्थन है। अब इनके द्वारा उठाया गया कदम राजनैतिक, और सांविधानिक दृष्टि से गलत और अनैतिक है। अत:, मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सरकार को अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए। इस शपथ पत्र को वापस लेकर, आपसे और सभा से माफी मांगनी चाहिए। और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए और प्रधानमंत्री द्वारा भी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री बसंत साठे : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब जब हम इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे बताया गया है कि इस समय न्यायालय में कुछ तर्क दिये जा रहे हैं। अगर हमारे पीछे से उच्च न्यायालय कुछ आदेश दे देता है, तो हमारे द्वारा की गई सारी चर्चा व्यर्थ हो जाएगी। अत: मैं, सरकार विधि मन्त्री या उप-प्रधान मन्त्री, जो भी यहां उपस्थित हों, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसा किया है और यदि हां तो, ठीक है, और उन्हें हमारे वकील को वहां सूचित करना चाहिए कि दिए गए शपथ-पत्र पर भरोसा न करें या जब तक हम इस मामले पर चर्चा न कर लें, अपने तर्कों को स्थगित कर दें। मेरा विश्वास है कि यहां चर्चा को व्यर्थ नहीं होने देंगे। कल, अगर सभा शपथ-पत्र के बारे में कोई सर्वसम्मत निर्णय लेती है, तब हमें उच्च न्यायालय से कोई विवाद नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका के हितों में उच्च न्यायालय के प्रति पूर्ण आदर रखते हुए, मेरा विचार है कि इस मामले में सुनवाई रोक दी जाए। मेरा यह अनुरोध है। (व्यवधान)

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : इस समय उच्च न्यायालय का भोजन-अवकाश चल रहा है और वहां पर कोई तर्क नहीं दिए जा रहे हैं। अगर तर्क समाप्त हो गए हों और सरकार द्वारा शपथ पत्र द्वारा न्यायाधीश के सम्मुख यह अनुरोध दाखिल किया जाता है, तो यहां चर्चा करना व्यर्थ है। अत:, इस बारे में अगर सर्वसम्मति बन जाती है, तो सरकार द्वारा यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह इस शपथ-पत्र को ही वापस ले रही है। उन्हें यह तर्क देना चाहिए कि संसद सर्वोच्च है और देश के कानून में उसका सर्वोच्च स्थान है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री साठे ने एक सही मुद्दा उठाया है। इससे सभा की सर्वसम्मत राय का पता चलता है, अगर सरकार इससे सहमत नहीं होती है, तो मैं अध्यक्षपीठ से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार को तत्काल इस शपथ पत्र को वापस लेने का आदेश दे या कम-से-कम इस शपथ-पत्र के आधार पर किए जाने वाले तर्कों को रोक दें। सारे सदन का मत है कि यह शपथ-पत्र, सर्वथा

असमर्थनीय है। अध्यक्षपीठ को इस प्रकार का निदेश अवश्य ही सरकार को देना चाहिए।··· (व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आज प्रातः विधि मंत्री से यह अनुरोध किया गया था। विधि मंत्री ने कहा था कि, "हम शपथ पत्र का समर्थन करते है और हम महसूस करते हैं कि विधान सभाओं द्वारा अनुच्छेद 6 और 7 के प्रावधानों की पहले पुष्टि नहीं की गई है अतः यह अधिकार से परे की बात है। इसीलिए, हम उच्च न्यायालय से यह अनुरोध कर रहे हैं," यह एक अति गम्भीर मामला है, विधि मंत्री और विधि सचिव वहां मौजूद थे, विधि मन्त्री और विधि सचिव ने कहा था कि, "हम वहां शपथ पत्र का समर्थन करेंगे," वे इसे वापस नहीं ले रहे हैं। अतः, कृपया आप निदेश जारी करें।

प्रो० मधु दंडवते : श्री साठे ने जो कुछ सुझाव दिया है, उसे आपका निदेश समझकर जारी किया जाना चाहिए। अगर हमारी तरह, वे भी अपना भोजन-अवकाश समाप्त कर देते हैं, तो समस्या पैदा हो जाएगी। अतः, इसे यथाशीघ्र जारी किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अटार्नी-जनरल को निदेश नहीं दे सकते। सरकार को ही निदेश जारी करना होगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, जब तक इस बारे में संसद अपना निर्णय पूरा नहीं करती··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री यहां बैठे हुए हैं, वे इस बात को नोट कर रहे हैं।

श्री गुमान मल लोढा : सरकार इस प्रावधान को रद्द करने जा रही है। अतः यह एक गम्भीर मामला है।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, सोमनाथ जी सही कह रहे हैं। आपका निदेश सरकार के माध्यम से ही जाएगा। आपको सरकार को अवश्य निदेश देना चाहिए, ताकि वे इसे आगे प्रस्तुत कर सकें।

श्री श्रीकान्त जेना : विधि मन्त्री यहां उपस्थित हैं। बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद, वह चुप बैठे हैं। इसका अर्थ है सरकार शपथ-पत्र का समर्थन करती है।

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : सरकार को अपने वकील को अवश्य निदेश जारी करने चाहिएं कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय में सरकार द्वारा दिए गए शपथ-पत्र का समर्थन न करें, सरकार को शपथ-पत्र वापस ले लेना चाहिए और न्यायालय के सम्मुख मौखिक अनुरोध करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : इसमें अध्यक्ष को शामिल न करें।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष और विधि मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि सभा में इस मामले पर चर्चा होने तक, उच्च न्यायालय में इस विषय को स्थगित किए जाने के बारे में अनुरोध करें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोगों की स्ट्रांग ओपीनियन है, उसे गवर्नमैंट भी सुन रही है।

मंत्री भी बैठे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, आपने शुरू में, सदन में कहा था कि सभी नेताओं को आपने बुलाया था।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैंने तो कहा था।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुमान मल लोढा : जितनी चर्चा हुई है, यह मामला उससे कहीं अधिक गम्भीर है, क्योंकि विधि मन्त्री चाहते हैं कि अटार्नी जनरल के माध्यम से खंड 6 और खंड 7 को अधिकारातीत मानकर समाप्त कर दिया जाए।

प्रो० मधु दंडवते : इसका एक हल है, जैसाकि श्री साठे ने सुझाव दिया है कि, अगर सरकार की तरफ से यह कह दिया जाए कि वह इसकी सूचना दे देंगे, तो यही पर्याप्त है। उस मामले में हमें आपका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, उन्हें कहना होगा कि वे शपथ-पत्र वापस लेंगे। उन्हें खड़े होकर यह कहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : प्रश्न यह है कि, सुबह आपकी राजनैतिक नेताओं से बैठक हुई थी। सरकार को आम भावनाओं की जानकारी थी। विधि मन्त्री यहां बैठे हुए हैं। वह चुप बैठे हुए हैं और किसी भी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। पहले इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहिए। सुबह हुई बैठक और यहां हुई चर्चा से उन्हें क्या जानकारी मिली है। सरकार क्या कर रही है? सरकार की ओर से हमें कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों का जो यूनैनिमस विचार है, उसे मैं तो सुन ही रहा हूं, सरकार भी सुन रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उसमें क्या करूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मामला हम सब लोगों की राय का है। हमारी राय क्या है, सदन की राय क्या है, बहुमत की राय क्या है, और सरकार की राय क्या है, उसका कुछ पता नहीं है। जब सुबह सदन की बैठक शुरू हुई थी तो आपने कहा था कि मैंने सभी दलों के नेताओं को बुलाया, नेताओं की राय थी और अदालत की बात आपने नहीं माननी है। (व्यवधान)

अगर सरकारी पार्टी, सत्ता पार्टी भी इसमें शामिल हो तो फिर सब लोगों की एकमत से यह राय हुई।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हम इस राय से सहमत हैं कि सदन में अध्यक्ष महोदय के पद की जो गरिमा है, वह सर्वोच्च है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : फिर अदालत में मामला क्यों चल रहा है। मंत्री महोदय की सफाई के बाद, मेरा जो कहना है, उसकी गम्भीरता को आप समझिये। आपका और हमारा सबका फैसला सर्वसम्मत से यह हुआ कि हमें अदालत की बात को नहीं मानना है। फिर सरकार अदालत में अपनी

उसी बात पर क्यों अड़ी हुई है जिसमें सरकार अदालत को बता रही है कि आप ऐसा फैसला दीजिये जिससे आपको सीधे लोकसभा के अध्यक्ष के मुकाबले खड़ा होने का मौका मिले। यह बड़ी ही खतरनाक बात सदन में इस वक्त हो रही है। आपको कहा क्या कि आप मत मानिये और कोर्ट को आप कह रहे हैं कि अपना इस तरह का फैसला दीजिये, यह क्या मजाक किया जा रहा है, क्या मजाक है यह। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्रीमन्, यह एक गम्भीर मामला है, अभी जो श्री सुमान मल लोढा ने सभा से कहा है, उससे सारी समस्या पर नया मोड़ आ गया है। उनके अनुसार विधि और न्याय मंत्रालय की संयुक्त समिति को आज सुबह कहा गया था कि दोनों प्रावधान—छह और सात खंड अधिकारातीत होने के कारण अवैध हैं।...(व्यवधान)...अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम है। इस बारे में न्यायालय में निर्णय नहीं लिया जा सकता अनुसूची के दो पैराग्राफ अधिकारातीत हैं। सरकार की यही राय है।...(व्यवधान)...अगर अटार्नी-जनरल को ये निदेश दिए जाएं तो, यहां की जा रही सारी चर्चा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अतः, यह आवश्यक है कि सभा की ओर से, आप सरकार को निदेश दें कि न्यायालय में तर्कों को बन्द किया जाए, क्योंकि वे तर्क शपथ-पत्र पर आधारित हैं और दूसरी ओर पैराग्राफ छह और सात अधिकारातीत हैं। यह सभा इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। (व्यवधान)

डा० देवेन्द्र प्रसाद पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें अध्यक्ष पद को नहीं शामिल किया जाना चाहिए। सरकार वकील को निर्देश दे कि वे शपथ-पत्र में विश्वास नहीं करेंगे इसे वापस ले लिया जाए वे न्यायालय के समक्ष अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत करें। महोदय, आपको इस मामले में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। सरकार को निर्देश देने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अजीत पांजा : महोदय, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। 2 बजे तक भोजन अवकाश नहीं हुआ है। (व्यवधान) यदि माननीय न्यायाधीश शपथ पत्र वापस लेने का आग्रह करते हैं तो उप सचिव को यह मामला समाप्त कर देना चाहिए कृपया सरकार इस मामले में तत्काल कार्यवाही करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, विधि मंत्री बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। कृपया विधि मंत्री की बात धैर्यपूर्वक सुनिए।

(व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि वे मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो मैं नहीं बोलूंगा। (व्यवधान) यदि इस मामले पर कोई बोला है तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी नहीं, केवल इस विषय के बारे ही जवाब दे सकता हूं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया शपथ पत्र को स्पष्ट कीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप शपथ पत्र वापस लीजिए। (व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : ऐसा ही शपथ पत्र प्रो० मधु दण्डवते ने बम्बई उच्च न्यायालय में दाखिल किया है (व्यवधान) महोदय, यदि वे व्यवधान डालेंगे तो मैं नहीं बोल सकता। (व्यवधान) प्रो० मधु दण्डवते पर कोई व्यंग्य नहीं किया गया था। उन्होंने बम्बई उच्च न्यायालय में उसी बात का तर्क देते हुए याचिका दायर की है। हम इसको बहुत जल्दी उद्धृत करेंगे। (व्यवधान) महोदय, आज हमने महा न्यायवादी से मिलने के लिए कहा है। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम विधि मंत्री की बात धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक सुनें। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, उनमें प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए (व्यवधान) क्या अध्यक्ष महोदय यहां बैठे हुए हैं अथवा वहां ? (व्यवधान) मेरी जानकारी के अनुसार श्री राम जेठमलानी तर्क प्रस्तुत कर रहे थे और उनके साथ श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी थे। सभा में सभी पक्षों द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है उसे देखते हुए मैं न्यायालय के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को बुलाऊंगा और उनको इस मामले को तब तक स्थगित रखने के लिए कहूंगा जब तक कि संसद इसके बारे में कोई निर्णय न ले लें। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : महोदय, मैं एक सामान्य बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : आप हमें चर्चा करने का अवसर दीजिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देवी प्रसाद पाल बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : यदि आप मुझे एक बात कहने की अनुमति देते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सभा के नेताओं की सामूहिक राय थी। यह मामूली स्थगन प्रस्ताव नहीं था जिसपर चर्चा की जा रही थी यह शपथ पत्र वापस लेने का निर्देश था। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : स्थगन प्रस्ताव पर पूरी चर्चा के बाद शपथ पत्र की वापसी का मामला उठाया जाएगा। इस पर निर्णय लेने के बाद यह मामला उठता है। इसलिए तब तक चर्चा की जाए। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : जब तक संसद निर्णय नहीं ले ले तब तक शपथ पत्र की वापसी का प्रश्न, सरकार और इस मामले की स्थिति स्थगित रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मध्याह्न भोजन के लिए भी सभा को स्थगित करने का समय हो गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम श्री देवी प्रसाद पाल की बात सुनें।

डा० देवी प्रसाद पाल : महोदय, अभी सभा के समक्ष यह मुद्दा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री पाल, आप लंच के बाद बोलिए।

[अनुवाद]

अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है तथा 2.35 म० प० पर पुनः समवेत होगी।

1.33 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.35 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.38 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.38 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

स्थगन प्रस्ताव

संविधान की 10वीं अनुसूची के उपबंधों की मर्यादा बनाए रखने में सरकार की असफलता (—जारी)

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : महोदय, मध्याह्न भोजन से पहले मैंने कहा था कि मैं महान्यायवादी से कहूंगा कि वे न्यायालय में जाकर इस मामले को तब तक स्थगित रखने की मांग करें जब तक कि संसद अपना निर्णय न ले ले। तदनुसार महान्यायवादी ने न्यायालय में जाकर स्थगन का प्रयास किया परन्तु श्री राम जेठमलानी, श्री बी० पी० सिंह के वकील, श्री अरुण जेतली, श्री शान्ति भूषण ने महान्यायवादी के स्थगन संबंधी अनुरोध का विरोध किया था और इसलिए न्यायालय ने इस मामले को जारी रखने का निर्णय किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : विधि और न्याय मंत्री ने बताया है कि यहां लिए गए निर्णय के अनुसार अब महान्यायवादी ने इस मामले को स्थगित रखने की मांग की तो दूसरे पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध किया था इसलिए यह मामला स्थगित नहीं हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि स्थगन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध स्थगन आदेश रहेगा और उनका यह अनुरोध था कि स्थगन आदेश को रद्द किया जाए अन्यथा इसका तात्पर्य

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

यह होगा कि स्थगन आदेश की अवहेलना की गई है। क्या महान्यायवादी ने स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए दबाव डाला था ? (व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे भय है कि आप हर बार एक नई बात कह देते हैं। मामला समाप्त हो जाता है और उसे पुनः शुरू कर देते हैं···। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह मामला किस प्रकार समाप्त हो गया है ? यह किसने कहा है ? (व्यवधान)

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने यह नहीं कहा है कि यह मामला समाप्त हो गया है। मैंने यह कहा है कि हर बार यह मामला समाप्त हो जाता है और फिर शुरू हो जाता है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मध्याह्न भोजन से पहले हम इस बात पर सहमत हुए थे कि महान्यायवादी न्यायालय में जाकर इस मामले को स्थगित कराएंगे। स्थगन आदेश को रद्द करने का कोई प्रश्न नहीं था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल श्री जार्ज फर्नान्डीज को अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, सुबह जो बात छेड़ी गई थी, वह इस संदर्भ में कि अदालत का मामला बहस के लिए है और सभी दलों के नेताओं ने अध्यक्ष जी से कहा है कि आपको अदालत की किसी भी बात को इस मामले पर मानना नहीं चाहिए। उसके बाद यहां माननीय सदस्य वसन्त साठे जी ने बात छेड़ी और कहा कि यहां हम लोग बहस करेंगे और अपनी राय जो यहां पर व्यक्त हो रही है, सदन में, सत्ताधारी दल ने अपनी राय स्पष्ट नहीं की है लेकिन और लोगों ने जो राय यहां पर व्यक्त की है और विशेषकर जिस दल ने इस सत्ताधारी दल को सत्ता में बनाये रखने का काम किया है, कि हमें अदालत में जो भूमिका सरकारी पार्टी ने की है, वह मंजूर नहीं है। इसके बारे में यहां कोई अस्पष्टता की बात नहीं है, हम सभी लोग बहुत स्पष्ट हैं कि जो भूमिका इन्होंने अदालत में ली है, वह हमें मंजूर नहीं है। श्री दिनेश सिंह जी ने यहां पर जो बात कही, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा और सदन के इस हिस्से में तो इस बारे में कहीं कोई दुविधा मन में रही ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब अदालत को, यानि एटार्नी जनरल को यह सूचना देने की बात हो गई कि समय मांगा जाय तो वह समय इसलिए नहीं मांगा जाय कि केवल जो बहस अभी चल रही है, उस बहस को रोकने के लिए वह समय इसलिए मांगा जाय कि यहां पर जो बहस हो रही थी, उस बहस को खत्म करने तक यहां पर कोई स्पष्ट आदेश देने का सवाल नहीं उठता है, इस मकसद से, लेकिन अगर अदालत में यह बात राम जेठमलानी ने, अरुण जेटली ने और अन्य वकीलों ने, जो उन लोगों की तरफ से वहां पर खड़े हैं, कि संविधान की जो हत्या हो रही है, उसको रोकने के लिए अगर उन्होंने इसके विरोध में अपनी बात रखी हो तो वह विरोध कोई एडजर्नमेण्ट का विरोध करके नहीं है, वह विरोध एक ठोस बात को लेकर है कि अदालत लोक सभा में अध्यक्ष के अधिकारों का हनन करने में आगे न बढ़े। तो यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जो स्टे दिया हुआ है, उस स्टे को हटाने की बात हो और उसके बाद अगर उसको आगे बढ़ाने वाली बात आ जाती है तो हम समझ सकते हैं वरना इस सदन को फिर इस सरकार को यह कहना पड़ेगा कि आपको इस मामले को खत्म करने के लिए उस एफीडेविट को वापस लेने का काम करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, मेरे विचार से हम यह चर्चा उचित रूप से कर रहे थे। हम समूची सभा की भावना जानते हैं। हमारी तरफ से श्री दिनेश सिंह ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जहां तक संवैधानिक उपबन्ध का सम्बन्ध है, उसके बारे में हमारा यह दृढ़ विचार है कि आज के कानून के अनुसार अध्यक्ष के अधिकार की जो स्थिति है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। यह कहने के बाद मेरे विचार से यह चर्चा उचित रूप से चली थी। स्थगन प्रस्ताव पर पूरी चर्चा की जाए। मंत्री महोदय बोले थे परन्तु उन्होंने इस मामले के बारे में कुछ नहीं कहा था। हमें विधि मंत्री महोदय अथवा प्रधान मंत्री महोदय से सरकार का विचार मालूम करना है। इससे मामला स्पष्ट हो जाएगा। चर्चा के दौरान हमें बताया गया था कि न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई हो रही है। न्यायालय में बहस चल रही है। इससे बाद में टकराव की एक विशेष स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए मैंने अध्यक्ष महोदय को बताया है और अन्य माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत थे कि हमें न्यायालय की सुनवाई तब तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए जब तक कि सभा स्थगन प्रस्ताव के बारे में निर्णय न ले। मेरे विचार से इनकी ऐसी भावना थी। अब क्या हो गया ? विधि मन्त्री के अनुसार महान्यायवादी ने स्थगन की मांग की थी। स्थगन के प्रश्न पर तो कहीं भी विचार नहीं किया गया यह स्थगन मामले के निपटारे के लिए है। बहस की जाएगी या नहीं यह निर्णय किया जाना है। हम यहां पर अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अधिकार क्षेत्र पर कोई भी प्रश्न कर सकता है। यह किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वह इस अधिनियम या संविधान या सरकार के अधिकार क्षेत्र पर भी प्रश्न कर सकता है। जनता को प्रश्न करने का अधिकार है। अब मेरा यही कहना है कि जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है इसमें हम स्थगन के प्रश्न को न लाएं। मुझे वास्तव में यह नहीं पता है कि वे माननीय अधिवक्ताओं ने उस मुद्दे को क्यों उठाया है। हमारी यह मांग है कि आज इसे स्थगित कर दिया जाए ताकि इस बीच इस मामले पर हम यही निर्णय कर सकें। इस स्थगन का किसी भी स्थिति में विपरीत प्रभाव नहीं होगा। मेरी समझ में यह नहीं आता कि उन्हें तर्क प्रस्तुत करने तथा अप्रसांगिक मामले के द्वारा स्थगन को रद्द करने के लिए किस प्रकार सलाह दी गई। जहां तक चर्चा हुई है इसके बारे में हमें कोई शंका नहीं है और कम से कम हमारे पक्ष के लोगों का यह स्पष्ट मानना है कि यह शपथ पत्र जिसे प्रस्तुत किया गया है उसे वापस ले लेना चाहिए क्योंकि यह प्रावधानों का उल्लंघन है। निश्चय ही हमें सरकार के विचार भी जानने चाहिए। लेकिन यह हमारा विचार है और यही दिनेश सिंह जी का भी दृष्टिकोण है। जब तक हम सरकार के पक्ष को न सुन लें। चर्चा तथा अन्तिम निर्णय तक पहुंचने में अड़चन क्यों डाल रहे हैं ? अभी वकीलों ने स्थगन का विरोध किया है और बहस जारी है इसलिए बेहतर यह होगा कि हम इस पर चर्चा जारी रखें और इस मामले को जल्द से जल्द समाप्त कर दें। अन्यथा हम मुख्य मुद्दे से हट जाएंगे।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री वसंत साठे के विचार से पूरी तरह सहमत हूं। हमें सरकार के विचार को जानना चाहिए। लेकिन मेरे विचार में स्थगन कोई असम्बद्ध मामला नहीं है। जब माननीय सदस्य ने श्री वसंत साठे और श्री आडवाणी जी सहित अन्य सदस्यों ने यह सिफारिश की थी कि न्यायालय द्वारा इसे स्थगित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार को स्थगन प्राप्त करने का निर्देश देने के पीछे उनकी भावना और उद्देश्य यह है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच मतभेद न हो। इसी कारण, सुबह सभी दलों ने एकमत से यह निर्णय किया था कि अध्यक्ष महोदय न्यायपालिका के निर्णय पर कोई ध्यान नहीं देंगे चाहे वह निर्णय कुछ भी हो। स्थगन को रद्द करने का सरकार से निवेदन करना उसी विचारधारा का विस्तार है। मुझे यही कहना है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह साधारण सी बात है कि सुबह जब सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि अध्यक्ष महोदय न्यायालय के निर्णय पर कोई ध्यान नहीं देंगे तो सरकार को स्वयं ही स्थगन को रद्द करने के लिए कहना चाहिए।

दूसरा, उस समय यह प्रश्न नहीं था। उस समय विधि मंत्री बहस में भाग ले रहे थे और वह बोलना चाह रहे थे। परन्तु, भोजनावकाश का समय घोषित कर दिया गया। उस समय हम यह कहना चाह रहे थे कि न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने का कोई सवाल नहीं है बल्कि शपथ पत्र को वापस ले लिया जाए। हम इस बात पर सहमत हैं। यह आम राय है। अब इसमें कोई दोहरी चाल नहीं होनी चाहिए। शपथ पत्र का मामला हम स्थगन प्रस्ताव के पारित होने या विफल होने पर नहीं छोड़ सकते। यह गम्भीर मामला है। कृपया कोई गड़बड़ी पैदा न करें। सरकार की यह गलती है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा विधि मंत्री द्वारा स्थगन के सम्बन्ध में न्यायालय की कार्रवाई के बारे में दिये गये वक्तव्य पर हुई। मेरे विचार में सदन के सभी सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने को इच्छुक हैं। मेरे विचार से वे सदस्य जो इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं वे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए जब खड़े होंगे तो इस मुद्दे पर भी बोल सकेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्राय: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घण्टे का ही समय निर्धारित होता है जबकि हमने पहले ही इस पर चर्चा के लिए दो घण्टे से अधिक का समय ले लिया है। मेरे विचार से, कम-से-कम सभी दलों के नेताओं को इस रोचक तकनीकी मामले पर बोलने को इच्छुक होंगे इसलिए उन्हें भी बोलने के लिए समय मिलना चाहिए। यदि हम इस मुद्दे से हट कर चर्चा करते हैं तो वास्तव में हम मुद्दे से भटक रहे हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा करें।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कृपया हमारा साथ दें और नियमित चर्चा को चलने दें।

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो रही है उसमें केवल अध्यक्ष पद की गरिमा का ही प्रश्न नहीं बल्कि सदन की सर्वोच्चता का भी प्रश्न है। आज जो प्रश्न सदन के समक्ष है वह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश देने के कारण उत्पन्न हुआ था। सदन के समक्ष विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष महोदय इस पूर्व सूचना (नोटिस) को स्वीकार करेंगे और इसे मानेंगे। सदन के लिए यह बहुत ही गम्भीर मामला है। सदन के सभी सदस्य भी सदन तथा अध्यक्ष पद की गरिमा, गौरव और सर्वोच्चता के प्रति उतने ही चिंतित हैं। इसका कारण यह है कि अध्यक्ष महोदय सदन के विशेषाधिकारों के अभिभावक और संरक्षक हैं और इस अधिकार का किसी प्रकार का अतिक्रमण अन्तत: सदन के सम्मान और विशेषाधिकार को कम कर देगा।

संसदीय लोकतंत्र में हमें यह स्वीकार करना होगा कि जनता की सर्वोच्चता सदन में परिलक्षित होती है। सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं। इसलिए सदन की सर्वोच्चता पर किसी भी अधिकारी, कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यह हमारे संविधान की मौलिक विशेषता है तथा यह उसका आधार है। एक संसदीय वाद-विवाद में, जब संविधान को स्वीकार किया जा रहा था, यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या सदन के निर्णय के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय न्यायपालिका का होगा। उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में सदन की भावनाओं को

व्यक्त किया था कि सदन के ऊपर कोई सर्वोच्च निकाय अथवा शक्ति नहीं हो सकती क्योंकि यह जन सम्प्रभुता की भावना को व्यक्त करती है। यह हमारे संविधान की उतनी ही मौलिक विशेषता है जितना कानून के शासन की सर्वोच्चता है। जिस प्रकार एक न्यायालय किसी विशेष परिनियम पर निर्णय देता है अथवा किसी कानून विशेष को निरस्त कर देता है तो संसद अथवा यह सभा उस निर्णय की वैधता से सम्बन्धित निर्णय को टाल नहीं सकती है। संसद कानून में संशोधन कर सकती है सभा कानून में संशोधन कर सकती है परन्तु सभा इस निर्णय में विचार नहीं कर सकती कि यह निर्णय वैध है अथवा नहीं। यही कानून के शासन की सर्वोच्चता है।

इसी प्रकार जब सभा में कोई निर्णय ले लिया गया है तब सभा की कार्यवाही को न्यायपालिका द्वारा भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता चाहे वह न्यायिक क्षेत्र में कितनी भी सर्वोच्च क्यों न हो। हमारे संविधान की यही मुख्य विशेषता है तथा संविधान के अनुच्छेद 105 में यही उल्लेख किया गया है। जब तक कि कानून अथवा नियमों द्वारा उस कानून को संहिताबद्ध नहीं किया जाता, हमने इस सभा के उन्हीं विशेषाधिकारों तथा अध्यक्ष की उन्हीं शक्तियों को माना है जो कि हाऊस ऑफ कामन्स को प्राप्त है। अतएव इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अध्यक्ष इस सभा का प्रतिनिधित्व करता है। जहां तक इस सभा की कार्यवाही का सम्बन्ध है, अध्यक्ष की प्रतिष्ठा तथा श्रेष्ठता को सभी अन्य प्राधिकरणों द्वारा स्वीकार किया गया है। इस सदन के बाहर कोई भी प्राधिकारी ऐसी वैधता के बारे में प्रश्न नहीं उठा सकता। हमारे संविधान में ऐसे ही कानून सम्मिलित हैं।

जब हमने दल-बदल कानून लागू किया था, उस समय राजीव गांधी सरकार ने हमारी संवैधानिक लोकतंत्र की विशुद्धता को कायम रखने के उद्देश्य से संविधान की दसवीं अनुसूची का उल्लेख किया था ताकि अवसरवादियों द्वारा स्वार्थपरायणता अथवा निजी हित अथवा शोषण के अधिकार पर संसदीय लोकतंत्र की छवि को खराब न किया जा सके। दसवीं अनुसूची में यह व्यवस्था थी। यह हमारे ही संविधान का एक हिस्सा था। इसके अनुसार, यदि किसी भी सदस्य विशेष को दल-बदल करने के कारण अयोग्य ठहराया जाता है अथवा विशेषाधिकार हनन संबंधी यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तब उस स्थिति में अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम होगा। संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 7 में स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख किया गया है कि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में अध्यक्ष के निर्णय को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अत: हमारे संविधान की भावना भी यही रही है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण किसी सदस्य की अयोग्यता निर्धारित करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम होगा। यह संविधान में दिया गया है। दूसरे शब्दों में सरकार के अन्य तंत्रों को भी स्वयं संविधान द्वारा ही शक्तियां दी गई हैं यदि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों तथा अन्य कानूनी अधिकारों के कार्यान्वयन हेतु संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अपने निरीक्षणात्मक कार्यक्षेत्र का उपयोग करता है तथा यदि सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने पर्यवेक्षी कार्यक्षेत्र का उपयोग करता है, ये अधिकार/शक्तियां भी उन्हें संविधान द्वारा ही प्रदत्त की गई हैं। संविधान की दसवीं अनुसूची में यह व्यवस्था की गई है कि इस संविधान में उल्लिखित अन्य प्रावधानों के बावजूद, दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत किसी सदस्य की अयोग्यता निर्धारित करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अनुसार इस सम्बन्ध में संविधान के किसी भी अन्य प्रावधान की परवाह न करते हुए अध्यक्ष को ही समस्त अधिकार प्रदान किए गए हैं।

[डा० देवी प्रसाद पाल]

3.00 म० प०

अतएव अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा सभा को इसे मानना है, इसका आदर करना है। सभा तथा अध्यक्ष-पद की यही श्रेष्ठता तथा गरिमा है। अतएव यदि किसी के भी द्वारा उस शक्ति में हस्तक्षेप किया जाता है तब नि.संदेह ही ऐसे हस्तक्षेप को सहन नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य से जब वामपंथी दल के मेरे मित्र श्री चटर्जी अपना वक्तव्य दे रहे थे मैंने देखा कि वह हर समय कांग्रेस की छाया से आतंकित से ही प्रतीत हो रहे थे तथा जब भी वह अपना वक्तव्य दे रहे थे वह श्री राजीव गांधी तथा कांग्रेस पर बिना दोषारोपण किए अपना कोई वाक्य पूरा नहीं करते थे।

श्री सोम नाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैंने ऐसा कब किया था ?

डा० देवी प्रसाद पाल : जी हां, आपने ऐसा कहा था। जिस प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं उससे किसी राजनैतिक दल विशेष पर प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि सदन में मौजूद प्रत्येक दल पर इसका प्रभाव पड़ता है। परन्तु सभा की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए, यही संवैधानिक लोकतन्त्र की परम्परा है जिसे हमें कायम रखना है।

विपक्ष के मेरे विद्वान मित्रों द्वारा इस हलफनामें के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है। मैंने इस हलफनामे को पढ़ा है। मैं स्पष्टतः यह मानता हूं कि हलफनामे के पैरा 4 में यह उल्लेख किया गया है कि न्यायालय, विशेष रूप से उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के कार्यक्षेत्र को दसवीं अनुसूची के पैरा 7 में से निकाला नहीं गया है। मेरे विचार से यह ठीक नहीं है तथा मेरा अपना यह मत है कि इस हलफनामे को वापस ले लिया जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान इस हलफनामे पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को इस हलफनामे पर विश्वास किए बिना मौखिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। मेरे विचार से यह हलफनामा अध्यक्ष पद की प्रतिष्ठा तथा गरिमा को कम करता है क्योंकि इसमें यह स्वीकार किया गया हैं कि यह संविधान के अनुच्छेद 226 के क्षेत्राधिकार में है। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे मामले में सरकार की मंशा इस सभा तथा अध्यक्ष की प्रतिष्ठा तथा गरिमा को कम करना नहीं है। यदि कोई ऐसा हलफनामा दायर किया जाता है जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है तब ऐसे हलफनामे को वापस ले लिया जाना चाहिए, ऐसे हलफनामे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। परन्तु उसका अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार सभा तथा अध्यक्ष पद की प्रतिष्ठा तथा गरिमा को कम करना चाहती है। (व्यवधान) आप सभा की भावना से इसे समझ सकते हैं।

महोदय, मैं यह कहूंगा कि जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है, इसने सभा की श्रेष्ठता की सर्वदा रक्षा की है। इसने अध्यक्ष पद की प्रतिष्ठा तथा गरिमा को सर्वदा कायम रखा है। अध्यक्ष के समक्ष जो मामला इस समय लम्बित है उसके संबंध में अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में हम बुरा नहीं मानेंगे परन्तु निश्चित रूप से यह हमारा विचार है कि आज जो भी संविधान का रूप है, किन्हीं भी परिस्थितियों में अध्यक्ष पद की गरिमा तथा प्रतिष्ठा को किसी भी प्राधिकरण अथवा स्वयं न्यायपालिका द्वारा भी कम नहीं किया जा सकता। उससे हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे का महत्व कम हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अब अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। अन्य सदस्यों को भी अभी बोलना है।

डा० देवी प्रसाद पाल : महोदय, अतएव मेरे विचार से यदि हलफनामा वापस कर लिया जाता

है अथवा इसे वापस करने का निर्णय किया जाता है तो निन्दा प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया जा सकता। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सभा प्रात: 11.00 बजे से ही इस प्रश्न पर चर्चा कर रही है परन्तु अभी भी हम किसी भी समाधान पर नहीं पहुंचे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इस समय यहां पर उपस्थित हैं इससे इस मुद्दे के संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। इससे पूर्व श्री लोढ़ा द्वारा विधि मंत्रालय की सलाहकार समिति की आज प्रात: की गई बैठक में हुई कार्यवाही के बारे में जो बताया गया है यदि वह ठीक है···

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बारे में यहां सभा में जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। हम यहां पर उसका उल्लेख नहीं करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका पहले ही जिक्र किया जा चुका है। मैं इस समय इसे अनदेखा नहीं कर सकता। इससे इंकार कर दिया गया होता अथवा इसका विरोध किया गया होता। उसके अनुसार मंत्री जी ने कहा था कि हम इस बात को मानते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हमें अब इस पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, मैं नहीं समझ पा रहा कि आप कैसे इससे निकल सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप कह सकते हैं। "एक विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, हम जानना चाहते हैं, और मेरे मत में एक ही मुद्दे पर एक लम्बी और विस्तृत चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सदन के सदस्यों का बहुमत, मैं यह नहीं कहता कि यह एक सर्वसम्मत विचार है क्योंकि सरकार ने अभी अपना विचार प्रकट नहीं किया, किन्तु, जो दल सरकार का समर्थन कर रहा है, और जिसके समर्थन के बिना सरकार नहीं चल सकती, उस दल ने अपने प्रवक्ता के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि वे स्वयं को उस प्रतिकूल दस्तावेज से जिसे शपथपत्र कहा जाता है, अलग कर रहे हैं। सदन के इस ओर, प्रत्येक की सर्वसम्मति है। अब यह पता लगाने की जरूरत है और आपको इस उद्देश्य के लिए प्रयास करना चाहिए कि क्या इस शपथपत्र पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अगर उनका विचार यह है कि इस शपथपत्र पर उन्हें कायम रहना चाहिए तब निश्चय ही यह सदन एक बिल्कुल नई और नाजुक स्थिति का सामना करेगा और हमें निर्णय लेना होगा कि हम क्या करें। किन्तु अगर सरकार यह मानने के लिए तैयार है कि उस शपथपत्र का सार संविधान की भावना के विरुद्ध है और इसलिए सदन की सर्वोच्चता पर एक प्रहार है, और अध्यक्ष की गरिमा और प्रतिष्ठा पर एक प्रहार है, तब एक उपाय खोजना पड़ेगा और सरकार को एक उपाय खोजना ही पड़ेगा। मेरे विचार से यदि किसी ने गलती की है तो इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि एक षड्यंत्र हुआ है। इसमें कौन शामिल हैं, मैं नहीं जानता। श्री चटर्जी ने इसे एक सम्मिलित क्रिया कहा है। मैं कह रहा हूं, कि कुछ लोगों के बीच एक सांठगांठ हुई है—मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री उस षड्यंत्र में शामिल हैं। किन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय और मंत्रालय के मामूली अधिकारी—कनिष्ठ अधिकारी मामूली से मेरा आशय बुरे अर्थ में नहीं है—मंत्रालय का एक कनिष्ठ अधिकारी, एक शपथपत्र को दर्ज करने के लिए एक षड्यंत्र हुआ है, जो वह सरकार के निर्देशों के बिना नहीं कर सकता था। ऐसा किया गया है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

और फिर, सुबह हमें सदन में यह अशिष्ट नजारा दिखाई दिया कि हम अध्यक्ष के समर्थन में यह निर्णय ले रहे हैं कि उच्च न्यायालय से अध्यक्ष को मिलने वाले किसी भी आदेश या स्थगन आदेश की उपेक्षा की जाएगी। यह संसद की परम्परा के अनुसार है। यह सत्य है कि भूतपूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान एक या दो अवसर मुझे याद हैं, जब न्यायालय से उन्हें आदेश मिले। उन्हें अदालत के सामने प्रस्तुत होने का आदेश मिला और उन अवसरों पर भी सदन ने उचित निर्णय लिया और अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि हम इन सम्मनों की उपेक्षा करेंगे। किन्तु अब यह सम्मन से भी कुछ अधिक है। उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष पर एक स्थगन आदेश दिया है और उन्हें कहा है कि वे इन लम्बित मामलों में और अधिक जांच न करें, कानून के अनुसार इन मामलों को निपटाने का सिर्फ उन्हें ही अधिकार है। मैं नहीं जानता कि सरकार का इस पर क्या रुख है। अगर सरकार सोचती है कि इस अधिनियम में एक संशोधन की आवश्यकता है, तो उन्हें एक संशोधन लाना चाहिए। वे इस आशय का एक संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। कि वास्तविक शक्ति अध्यक्ष के पास न होकर किसी अन्य या तो राष्ट्रपति या निर्वाचन आयुक्त या किसी अन्य के पास हों। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे अदालत में गए और एक कनिष्ठ अधिकारी के द्वारा अपनी ओर से उन्होंने एक शपथपत्र दिया, वे अध्यक्ष की शक्तियों को चुनौती दे रहे हैं, जो यह सदन निश्चय ही बर्दाश्त नहीं करेगा। 'सदन' से मेरा आशय सदन के दोनों पक्षों से है। मैं नहीं जानता कि मैं उन्हें क्या कह कर पुकारूं लघु सरकार या दल बदलुओं की सरकार··· (व्यवधान) मैं उनकी ओर से कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि एक मंत्री के अतिरिक्त किसी ने कुछ नहीं कहा; और उन्होंने एक घण्टे तक बोला, जो कि पूरी तरह से असंगत भाषण था, यहां जो चर्चा हो रही है उससे उसका कोई संबंध नहीं था और फिर हरेक को चुनौती देते रहे। "श्री वी०पी० सिंह को चुनौती देता हूं। उन्हें इस्तीफा देने दें। मैं इस्तीफा दे दूंगा। हम एक दूसरे से लड़ेंगे।" यहां यह मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। "हम गलियों में चलकर लड़े।" हो सकता है कि हमें गलियों में लड़ना पड़े। कम से कम मैं तो सीतामढ़ी गया था। मैं जानता हूं वहां क्या होगा। मैं आशा करता हूं कि वे सीतामढ़ी का उल्लेख नहीं करेंगे। कुछ भी हो, यहां इस गंभीर मुद्दे पर बहस करने का यह तरीका नहीं है।

महोदय, प्रधानमंत्री यहां हैं। मैं अपनी टिप्पणी को खींचना नहीं चाहता। मेरे विचार से अब वे किसी निर्णय पर, निष्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे, और यह स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि यह शपथपत्र —इसमें जिसका भी हाथ रहा हो—मैं नहीं जानता कि कभी भी हम यह जान पाएंगे कि इसमें किसका हाथ था, जब तक कि कोई इसे स्वीकार नहीं करता —एक गलत वक्तव्य दिया गया। अगर वह शपथपत्र वापस ले लिया जाता है। तब मुझे विश्वास है कि यह सदन उदारता दिखाते हुए इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाएगा··· (व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : सरकार को प्रादेश पत्र का विरोध करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें इस प्रादेश पत्र का विरोध करना होगा। मेरे विचार से, संसद के इतिहास में, संसद के सर्वोच्च अधिकारों, अध्यक्ष की गरिमा और प्रतिष्ठा पर प्रहार करने का यह सर्वाधिक गंभीर प्रयास है। इससे पूर्व कभी भी ऐसी बात नहीं हुई। यह अप्रकट रूप से एक संवैधानिक तख्तापलट का प्रयास है। कोई तख्तापलट करने का प्रयास कर रहा है। किसी ने भी इस प्रकार अध्यक्ष को अधिकारों से वंचित करने का प्रयास नहीं किया और इस सदन में प्रत्येक के पास इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है कि अध्यक्ष की गरिमा और शक्ति कायम रखी जाएगी; अन्यथा संसदीय संस्था समाप्त हो जाएगी। इस संस्था का कुछ भी शेष नहीं रहेगा। किसी ने इसे चुनौती देने

का विचार किया था। इसके पीछे कौन है? हम यह भी जानना चाहते हैं। हमें यह बताया गया कि यह मंत्रिमंडल का संयुक्त निर्णय नहीं है। मामला मंत्रिमंडल तक नहीं गया। सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने हमें बताया। हमने उससे पूछा, क्या इस पर मंत्रिमंडल में चर्चा की गई? उसने कहा: "नहीं" फिर, किसने यह निर्णय लिया? यह निर्णय मंत्रिमंडल के बाहर किसी और के द्वारा या सरकार के कुछ सदस्यों द्वारा या सरकार के एक सदस्य द्वारा लिया गया जिसने सारे देश को इस संकट में डाल दिया और संसद के विशेषाधिकारों का मजाक उड़ाया है इसके लिए कौन उत्तरदायी है? कोई विनाश का खेल खेल रहा है। वह संसदीय गरिमा और अध्यक्ष के अधिकारों के समूल आधार को नष्ट करना चाहता है। अगर आप यह बताना नहीं चाहते कि वह कौन है, यह आप पर है कि आप यह भेद न खोलें। लोग अपने अंदाज लगाएंगे और यह मामला पूरे देश में फैलेगा। यह सरकार की सहायता नहीं करेगा क्योंकि अगर आप यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि क्या हुआ था, जब आप सभी तरह की अफवाहों को प्रमाणित करते हैं, सभी प्रकार की खबरें और समाचार पत्रों की रिपोर्ट, जो सारे देश में फैलेंगी और लोग अपने अनुमान लगाएंगे। इससे बेहतर है कि सारे मामले को स्पष्ट कर दिया जाए यह स्वीकार लें कि यह बात कैसे हुई और स्पष्ट रूप से कहें कि हम शपथपत्र वापस लेने को तैयार हैं, और तब मामला सुलझाया जा सकता है। इसलिए मैं अपनी टिप्पणी को लम्बा नहीं खींचना चाहता क्योंकि इस ओर के मेरे मित्रों ने विस्तृत तर्क दिए हैं।

मैं श्री आडवाणी द्वारा प्रस्तुत किए हुए स्थगन प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करता हूं। हम इस प्रकार का गलत और निंदात्मक कार्य करने के लिए सरकार की निंदा करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि अगर इस प्रश्न पर सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है तो इस सदन में यह स्थगन प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा।

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : महोदय, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि इस सभा में सुबह से यह वाद-विवाद चल रहा है। इसमें कई मुद्दे मिला दिए गए हैं। जहां तक मैं समझता हूं यह सीमित मुद्दा तो दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामले में इस सरकार द्वारा दायर एक सम्बित शपथ पत्र का था। इस मुद्दे पर दो विचार हो सकते हैं। एक विचार यह है कि एक ऐसे मुद्दे पर सरकार द्वारा शपथ-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे कुछ संसद सदस्यों ने इस डर से उठाया है कि वे संसद में अपना स्थान खो बैठेंगे। यह एक अलग ही पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि शपथ-पत्र केवल किसी मामले से सम्बद्ध तथ्यों पर होना चाहिए ताकि कानून की व्याख्या पर ऐसे किसी भी शपथ-पत्र की आवश्यकता नहीं है और ऐसा कोई भी शपथ-पत्र जो कि दायर किया गया है, उसमें कानून की व्याख्या नहीं होनी चाहिए जैसी कि इस शपथ-पत्र में की गई है। लेकिन विपक्ष के नेता और दण्डवते जी द्वारा, इससे कई अधिक बुनियादी मुद्दे उठाए गए हैं, जिनका मैं आदर करता हूं। इस शपथ-पत्र सम्बन्धी सीमित मुद्दे से वे दल-बदल विरोधी कानून पर आ गए तथा संसद की सर्वोच्चता और अध्यक्ष महोदय के प्राधिकार की बात करने लगे। महोदय, मैं सरकार का एक बहुत ही कनिष्ठ सदस्य हूं और इस सभा का सदस्य भी नहीं हूं। मैं उस सदन में केवल दो वर्ष से हूं। मेरे कई साथी जैसे जसवन्त जी यहां हैं, वे मेरी बात का समर्थन करेंगे। शुरू में ही मैं आपको बता दूं कि जहां तक संसद की सर्वोच्चता की बात है, जहां तक किसी एक संसद सदस्य के विशेषाधिकारों का सवाल है, इस सम्बन्ध में किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि विशेषाधिकार और सर्वोच्चता सत्तारूढ़ सरकार की दया पर नहीं मिलते हैं। न ही इस सरकार की दया पर और न ही किसी अन्य सरकार की दया पर संसद किसी भी सरकार से बड़ी है। फिर मैं नहीं समझता कि इन बातों को अनावश्यक रूप से क्यों तूल दिया जा रहा है। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि इस

[श्री कमल मोरारका]

सरकार को संसद की शक्तियों को कम करने का अधिकार है। इसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। यदि एक शपथ-पत्र न्यायालय में दायर किया जाता है तो उस शपथ-पत्र के औचित्य पर निश्चित रूप से चर्चा की जा सकती है। लेकिन यह बिल्कुल बेबुनियाद है कि न्यायपालिका इस पर अमल करवा सकती है। मैं न्यायपालिका पर की गई इस टिप्पणी को नहीं समझ पाया हूं। मुझे विश्वास है कि चाहे कोई भी सरकार आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न ही इससे कोई फर्क पड़ता है कि कोई सरकार उसके प्राधिकार को छीनने की कोशिश करेगी लेकिन तब ऐसे मामले में, न्यायपालिका, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और संविधान की ठीक ढंग से व्याख्या करने के लिए मौजूद है।

जहां तक संसद की सर्वोच्चता का सवाल है, मैं नहीं समझता कि इस सीमित मुद्दे पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव को ऐसे तूल दी जाए जैसे कि संसद की सर्वोच्चता या अध्यक्ष के प्राधिकार को खतरा होने वाला है।

दूसरा प्रश्न दल-बदल विरोधी कानून का है। इस सम्बन्ध में जो सूक्ष्म विभेद हैं उसको नहीं समझा जा रहा है कि जहां तक इसके अपने कार्यकरण की बात है अध्यक्ष सर्वोच्च है और संसद सर्वोच्च है। यहां तक कि हर एक सदस्य द्वारा दिए गए भाषण भी निरापद हैं। इन भाषणों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र भी निरापद हैं। वह सब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। लेकिन महोदय, जहां तक संविधान की 10वीं अनुसूची की बात है इसे दो न्यायालयों में चुनौती दी गई है···(व्यवधान)··· कृपया मुझे सुनने के लिए धैर्य रखें···(व्यवधान)···मैं आपसे केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि मुझे सुनें, आपको मेरे साथ सहमत होना चाहिए। महोदय, संसद के दोनों सदनों ने दल-बदल विरोधी कानून सर्वसम्मति से पारित किया है। इस कानून को पारित करने में सभी दलों का हाथ है। लेकिन कानून में एक वह सर्वविदित स्थिति भी है जहां संसद में सर्वसम्मति से पारित अधिनियम भी उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकारातीत घोषित किया जा सकता है। पिछले कितने ही अधिनियमों को, यहां तक कि संविधान संशोधनों को रद्द किया जा चुका है। प्रो० मधु दण्डवते ने जिक्र किया था कि संसद के शक्ति प्रयोग के अधिकार असीम हैं। मुझे याद है कि मैं उन दिनों बहुत छोटा था। मैं अभी महाविद्यालय से निकला ही था और मैं संसद की शक्ति को अनन्तिम करने के अधिकार के श्री नाथपाई के विधेयक का बहुत बड़ा प्रशंसक था।

श्री नाथपाई ने एक विधेयक पेश किया था जो कि काफी समय तक लोगों की चर्चा का विषय बना रहा। संसद के अधिकार को अनन्तिम बनाने के लिए उस अनुच्छेद 368 को संशोधित किया जाना चाहिए। बाद में 1974 और 1975 में संशोधन किए गए। उच्चतम न्यायालय का एक बहुत ही मशहूर मुकदमा रहा है तथा केशवानन्द भारती मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने एक कानून का निरूपण करते हुए यह बात कही थी कि संसद की शक्ति अनन्तिम है और सिवाय इसके कि संसद को संविधान के मूलभूत ढांचे को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अधिनिर्णित कानून है। मैं नहीं समझता कि यह स्थिति कैसे बदल सकती है। खैर यदि हम समझते हैं कि संसद का अधिकार अनन्तिम है लेकिन इस कानून की अधिनिर्णीत स्थिति ऐसी है कि संविधान का मूलभूत ढांचा अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता है तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

महोदय, उच्चतम न्यायालय ने अन्य मुकदमों में भी यह कहा कि न्यायिक समीक्षा करना हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे में अन्तर्निहित है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता कि प्रो० मधु दण्डवते को उद्धृत करूं जो कि उन्होंने अपनी रिट याचिका में कहा था जो मुम्बई उच्च न्यायालय

में प्रो० मधु दण्डवते बनाम संघ सरकार के मुकदमे के संदर्भ में दायर की गई थी।

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रो० मधु दण्डवते इस मुद्दे के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। (व्यवधान)

श्री कमल मोरारका : महोदय, मैं उद्धृत करता हूं :

"याचिका दाता का निवेदन है कि यह अधिनिर्णित है कि न्यायपालिका संविधान का मूलभूत और आवश्यक अंग है तथा संसद द्वारा पारित कोई भी कानून इसकी संवैधानिक शक्ति को निरस्त अथवा रद्द नहीं कर सकता है। याचिकादाता का निवेदन है कि यह कानून का मूलभूत सिद्धान्त है कि किसी भी प्राधिकारी द्वारा अपनी शक्ति का उपयोग संविधान द्वारा न केवल अनुबन्धित होगा बल्कि कानून के अनुरूप भी होना चाहिए तथा न्यायपालिका अन्य प्राधिकारी द्वारा कानून की औपचारिकताएं पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करती है।"

* * * * *

"प्रतिवादित खण्ड 7 के द्वारा सभी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार सदस्यों की अर्हताओं सम्बन्धी मसलों के बारे में प्रतिबन्धित है तथा साथ ही इसकी न्यायिक समीक्षा के लिए कोई भी वैकल्पिक संविधानिक तरीका या व्यवस्था नहीं है। प्रतिवादित खण्ड 6 और 7 तद्नुसार संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। खण्ड 7 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की सम्पूर्ण पीठ द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है।"

श्री गुमान मल लोढ़ा : जिसे आपने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। (व्यवधान)

श्री कमल मोरारका : महोदय, दण्डवते जी काफी समय से मेरे नेता रहे हैं। मैं उन्हें उद्धृत करने से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं उनकी विचारधारा से सहमत हूं। हम सभी ने कानून पारित किया है, हम सब इस फैसले के भागीदार हैं। जब इस विधेयक पर वाद-विवाद चल रहा था उस वक्त भी इस बात पर सभा में चर्चा की गई कि अन्तिम निर्णय का अधिकार अध्यक्ष महोदय को है या चुनाव आयोग को या भारत के राष्ट्रपति को या न्यायालय को है। और उस समय सभी की समझबूझ से यही निष्कर्ष निकला था कि यह शक्ति अध्यक्ष महोदय को ही मिलनी चाहिए और इसे उन पर छोड़ देना चाहिए। इस कानून को पारित करने के बाद भी न केवल आम नागरिक बल्कि दण्डवते जी, जिन्होंने वाद-विवाद के दौरान इसका समर्थन किया था ने, इसे न्यायालय में चुनौती देना ठीक समझा। यह मामला अभी तक सम्बित है। अत: ऐसा मामला जो अभी न्याय निर्णयाधीन है उसे लेना ठीक नहीं है। जहां तक कानून की बात है इस सभा की वचनबद्धता का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय की शक्तियां निर्बाध हैं। लेकिन यह भी सच है कि ये मुकदमे दो उच्च न्यायालयों में सम्बित हैं और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में जाएंगे अत: मैं नहीं समझता कि सभा का इरादा न्यायालय से टकराना है जो कि आज की इस समस्या का कारण है।

महोदय, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने श्री हुकमदेव नारायण यादव के भाषण का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि इस भाषण से इन मुद्दों का कोई समाधान नहीं होता है। मैं उनसे सहमत हूं लेकिन जो कुछ भी हुकमदेव जी ने उत्तर दिया था वह स्थगन प्रस्ताव के बारे में नहीं था कि बल्कि उनके पहले दिए भाषण उनसे सम्बद्ध थे। यह सम्पूर्ण मुद्दा अर्थात संसद की सर्वोच्चता और फिर दल-बदल विरोधी अधिनियम इन सब पर चर्चा की गई

[श्री कमल मोरारका]

थी, यह मामला न्याय निर्णयाधीन है।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा। अगर दल-बदल विरोधी कानून को लागू करना है और अध्यक्ष की शक्ति को बरकरार रखना है, जिसकी हम सभी कामना करते हैं, तो संसदीय पार्टियों तथा विधान सभा के दलों के नेताओं को भी संयमपूर्वक बर्ताव करना चाहिए। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 25 लोक सभा सदस्यों तथा पांच राज्य सभा सदस्यों का अचानक निष्कासन न केवल पक्षपातपूर्ण था, बल्कि यह अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना कार्य··· (व्यवधान) महोदय, मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

महोदय, मैं संसदीय पार्टी का एक सदस्य था, मुझे अभी भी यह जानना बाकी है कि 25 सदस्यों के साथ ऐसा क्या कुछ गलत था जो अन्य 32 के साथ नहीं था।

महोदय, इन्द्रजीत गुप्त कहते हैं कि एक संवैधानिक उथल-पुथल की सम्भावना थी। अगर दसवीं अनुसूची और दल-बदल विरोधी अधिनियम को नष्ट करने का प्रयास किया गया तो वो यही, गैर-जिम्मेदाराना कार्य था—मैं बहुत ही सरल अभिव्यक्ति का प्रयोग कर रहा हूं। इसमें एक अत्यन्त गहरी चाल थी। इतने सदस्यों के निष्कासन के लिए बारीक आकलन किया गया है, ताकि अन्य सदस्य अपने विभाजन को एक विभाजन न कह सकें। मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि संवैधानिक उपबन्ध के कार्यान्वयन में सभा में हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने हमारी आलोचना की है वे यह नोट करें कि अगर कभी दल-बदल विरोधी अधिनियम का उल्लंघन हुआ है तो यह "जनमोर्चा" नामक पशु द्वारा किया गया है जो कांग्रेस पार्टी से उत्पन्न हुआ। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन (लालगंज) : उसी में से पैदा हुए हो और उसी को गाली दे रहे हो। अपने बाप को गाली दे रहे हो। अरे पैर पकड़ा करते थे कि हमको जन मोर्चा में शामिल कर लो और उसी की बदौलत यहां जीतकर आए हो और उसी को गाली दे रहे हो। इनको शुबहा था कि ये जीत कर नहीं आएंगे। इसीलिए इन्होंने दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। एक बलिया और दूसरा महाराजगंज और श्री वी० पी० सिंह की शरण में जीतकर आए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल मोरारका : मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि अगर दल-बदल विरोधी कानून को इसके मौजूदा स्वरूप में कार्यान्वित करना है, जैसा कि हमने लोगों में नैतिकता जगाने के लिए कानून बनाने का प्रयास किया है। हमने सदस्यों की संख्या निर्धारित की है चाहे इसके पीछे कुछ भी तर्क हो, हमने व्यवस्था की कि अगर सदस्यों का 'एक-तिहाई' भाग असहमत है तो वे एक विभाजित गुट में बदल सकते हैं।

महोदय, किसी भी पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं कर सकता कि यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रयोग कर लोगों को इस प्रकार निष्कासित करें कि 'एक तिहाई' न बनें। ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर इस अधिनियम का कार्यान्वित करना है तो पार्टियों के, नेताओं को और जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करना होगा। जो नेता 400 सदस्यों में से सात सदस्यों का 'जन-मोर्चा' बना सकता है, वह इस एक-तिहाई पर आपत्ति कर रहा है। इन शब्दों के

साथ मैं कहता हूं कि संसदीय सर्वोच्चता के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, हम सब इससे सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर सभा में माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो इस सभा की शक्तियां तथा क्षेत्राधिकार, माननीय अध्यक्ष की शक्तियां तथा क्षेत्राधिकार तथा न्यायपालिका की शक्तियां और क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित हैं। यह बहुत ही नाजुक मसला है और हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक इस पर विचार करना है। मैं नहीं समझता कि सदस्यों ने बोलने में कोई गलती की है लेकिन यदि अपरोक्ष बात नहीं कही गई हो तो उसको अध्यक्ष सभा तथा न्यायालय के भी क्षेत्राधिकार के सन्दर्भ में जांच की जाएगी और हम उचित निर्णय लेंगे।

श्री केसरभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटण) : महोदय, मुझे व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न करना है। जिन पर दल-बदल विरोधी अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है और जिनके खिलाफ अध्यक्ष के सम्मुख मामला लम्बित पड़ा है, उन्हें इस वाद-विवाद मे भाग लेने की अनुमति न दी जाए।

श्री कमल मोरारका : महोदय, मैं तो श्री वी० पी० सिंह द्वारा इस बोझ से मुक्त कर दिया गया हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी तक हुई बहस पर टिप्पणी देते हुए कहा कि यहां न्यायपालिका और संसद् के बीच में टकराव जैसी स्थिति दिखायी पड़ रही है।

आज सुबह इस सदन के अध्यक्ष ने कहा कि अदालत के दिये हुए फैसले को वे अस्वीकार कर रहे हैं। मगर मेरी राय यह है कि इस वक्त जो टकराव की स्थिति है वह न्यायपालिका और संसद में इतनी नहीं है। जितनी कार्यपालिका और संसद में है क्योंकि जिस ऐफीडेविट को लेकर यहां पर बहस चल रही है उसके आधार पर अगर न्यायपालिका ने कोई एक विचार कर लिया, कोई एक निर्णय दे दिया तो ऐफीडेविट कार्यपालिका की तरफ से गया है। इससे महत्वपूर्ण सवाल हम लोगों के सामने आ जाता है क्योंकि कार्यपालिका के सामने यह प्रश्न आज पहली बार नहीं आया है। अभी एक माननीय मंत्री जी ने कहा कि कैसे सरकार या व्यक्ति इस मसले पर अलग-अलग राय रखने के काम को कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे केवल दो सालों से ही संसद और सरकार आदि-आदि को नजदीक से देखते और जानते हैं। यह सवाल पहले खड़ा हो गया था संविधान में संशोधन होने के कुछ ही समय के बाद जब पंजाब में यह प्रश्न पहली बार उठाया गया था। पंजाब का मामला जब हाई कोर्ट में आ गया तो सरकार की तरफ से एक भूमिका ली गई थी और वह भूमिका यह थी कि अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। वहां पर सारे मुद्दे बहस के लिए आए थे। हाई कोर्ट ने इस पर कुछ अलग राय दी और उस अलग राय के बाद ही जब अदालत ने अपना फैसला दिया तो न्यायपालिका की तरफ से, सरकार की तरफ से देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपील पेश करने में आया है जो अभी भी वहां पर पड़ा हुआ है। इस वक्त जो इन लोगों ने अदालत में ऐफीडेविट को दाखिल किया है, उसमें जो भूमिका ली है और पंजाब के मामले में पहले हाई कोर्ट और उसके बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका या सरकार की ओर से जो भूमिका ली है उसमें तो

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

बिल्कुल अन्तर्विरोध है, वकील वही हैं। सरकार में, जैसे अभी श्री मोरारका ने कहा कि वे कह सकते हैं कि हम लोग नए हैं, अनुभवहीन हैं मगर चुनकर गए लोग अनुभवहीन हों। कुछ ही दिनों (व्यवधान)

माफ कीजिए हम आपकी बात से सहमत हैं, कम अनुभव वाले हैं, हमारे लिए इतना ही काफी है कि कम अनुभव वाले हैं। मगर कम अनुभव वाले लोग होते हुए भी एक सरकार वह है जो कायम स्वरूप की सरकार है और हम जानना चाहेंगे कि सरकार की भूमिका, क्योंकि प्रधानमन्त्री जी यहां पर मौजूद हैं, सर्वोच्च न्यायालय में इस वक्त पड़े हुए मसले के बारे में क्या है? जो कल दाखिल की हुई ऐफीडैविट है वह अभी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। सरकार कहेगी कि हमारी राय अभी बदल गई है क्योंकि हम कम अनुभव वाले लोग हैं, अदालत को अधिकार है कि वह संसद के अधिकारों का हनन कर सकती है, वह सभा के अध्यक्ष के अधिकारों पर हल्ला कर सकती है, क्या सरकार की तरफ से यही राय बनी है? हम जानना चाहेंगे कि सरकार की इस मामले में क्या भूमिका है? अच्छा होता कि आज मंत्रीमण्डल के वे मंत्री यहां पर मौजूद होते इस बहस में हिस्सा लेने के लिए जिन्होंने भारत के संविधान के उस संशोधन को पेश करने का काम किया था जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री के मंत्रीमण्डल में कानून मंत्री रहे थे। मेरा इशारा श्री ए० के० सेन की ओर है जो आज के मंत्रीमण्डल के सदस्य हैं। उन्होंने कानून को पेश किया था और उस कानून को वैसे ही एक दिन खड़े होकर एक मंत्री की ओर से पेश करने में नहीं आया था, राष्ट्रपति के अभिभाषण में उन परिस्थितियों में मात करने के लिए जिसके ऊपर यहां पर बहुत ही भीमसेनी भाषण अभी हमारे मित्र श्री हुकमदेव यादव जी ने दिया। उस परिस्थिति पर मात करने के लिए क्या कानून हम लोगों को बनाना है यह आपकी सरकार की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक राय व्यक्त करने में आई थी। और जब 1985 में उस कानून को इसी सदन में उसी जगह पर बैठ कर जब कानून मंत्री ने पेश किया था, जो राय या जो विचार उस वक्त की सरकार के थे चूंकि इसमें किसी व्यक्ति के राय की बात नहीं है, उस समय की सरकार की जो राय थी उसको श्री अशोक सेन ने इस सदन में पेश किया था और बताया था कि लोक सभा के अध्यक्ष के क्या अधिकार होंगे, उनको रखते हुए उन्होंने कहा था कि—

[अनुवाद]

"श्री अशोक कुमार सेन : इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का इस स्पष्टीकरण के साथ समर्थन करता हूं कि इस मामले में मतभेद हो सकता है कि क्या एक व्यक्ति वास्तव में पार्टी टिकट पर निर्वाचित हुआ है अथवा क्या उसने वास्तव में जनादेश के विरुद्ध मत दिया है अथवा क्या उसके मत देने से पहले जनादेश उसके पास पहुंच चुका था। ये सभी निर्णय न्यायालय, निर्वाचन आयोग अथवा राज्यपाल, राष्ट्रपति के हाथों में न देकर संबंधित सभा के अध्यक्ष अथवा सभापति को दिए जा रहे हैं ताकि इसका यह अभिप्राय हो···"

[हिन्दी]

इस पर उनको टोका गया और जयपाल रेड्डी ने ही इस पर उनको टोका। अशोक सेन जी आगे कहते हैं कि :

[अनुवाद]

"श्री अशोक कुमार सेन : एक बार यदि यह सभा के नियंत्रण से बाहर चला गया तो

न्यायालय को निर्णय लेने में वर्षों लग जाएंगे, क्योंकि अनेक अपीलें होंगी और मामला भुला दिया जाएगा जैसा कि पहले के दलबदल विरोधी विधेयकों के साथ हुआ है। इसलिए यदि हम इस संबंध में कार्यवाही चाहते हैं तो उन्हें इस मामले पर निर्णय करने के लिए संबंधित सभा के अध्यक्ष अथवा सभापति को शक्ति दें, जिसे संबंधित सभा के बहुमत द्वारा चुना गया है।"

"इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के लिए सभा की सर्वसम्मत स्वीकृति की सिफारिश करता हूं।"

[हिन्दी]

इस पर उपाध्यक्ष जी, बहस हो गई। बहस का समापन करने से पहले उस समय के प्रधान मंत्री जी ने चन्द शब्दों में कुछ बातें रखीं। उनमें से एक जुमला पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वह यह कहते हैं कि—

[अनुवाद]

"प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : यह विधेयक हमारे सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ करने की दिशा में पहला कदम है।"

"हम अन्य कदम उठाएंगे, चुनाव सुधार तथा अन्य सुधार करेंगे, महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ऐसे आगामी निर्णय लेते समय पूरे विपक्ष को अपने साथ लेकर चलेंगे।'

[हिन्दी]

मगर जो मूल वाक्य है वह है—

[अनुवाद]

"प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : यह विधेयक हमारे सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ करने की दिशा में पहला कदम है।"

[हिन्दी]

उस समय के कानून मंत्री इस विधेयक पर हुई बहस के समापन पर फिर अध्यक्ष के अधिकारों के बारे में जो जुमला कहते हैं मैं उसे यहां रखना चाहूंगा चूंकि सदन की इस कानून को बनाते समय क्या राय रही, क्या सोच रही वह आज हम लोगों के सामने स्पष्ट शब्दों में आ जाये। अशोक सेन भी कहते हैं कि—

[अनुवाद]

"श्री अशोक कुमार सेन : अन्य प्रश्न अध्यक्ष के प्राधिकार के संबंध में हैं।"

[हिन्दी]

चूंकि प्रश्न यहां छेड़ा गया, इस पर बहस हुई थी, भिन्न-भिन्न राय इस पर व्यक्त हुई थी और

[श्री अशोक कुमार सेन]

सरकार की तरफ से यह बात कही गई।

[अनुवाद]

"श्री अशोक कुमार सेन : अन्य प्रश्न अध्यक्ष के प्राधिकार से संबंधित हैं। शुरू से ही हमारी यह स्पष्ट इच्छा थी कि हम इस मामले को न्यायालयों में अथवा निर्वाचन आयोग के कार्यालय में लम्बित पड़ा रहने और उछलने नहीं देंगे।

अगर इस विधेयक को कारगर बनाना है और दलबदल को कारगर रूप से गैर कानूनी बनाना है तो हमें ऐसे मंच का चयन करना चाहिए जो इस मामले में निर्भयतापूर्वक और शीघ्र निर्णय दे सके। इसके लिए यही मंच संभव है।"

"इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, मामला बहुत ही स्पष्ट है कि इस सदन की इस मामले में क्या राय रही। उस समय के कानून मंत्री ने इस कानून को अंतिम वोट के लिए डालते हुए जो चार शब्द कहे उनको भी सदन की जानकारी के लिए यहां रखना चाहूंगा चूंकि इस मसले पर आज फैसला करने के लिए हम यहां बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि :

[अनुवाद]

"श्री अशोक कुमार सेन : इस पवित्र दिवस पर···"

[हिन्दी]

कौन सा था वह।

[अनुवाद]

पवित्र दिवस—वह महात्मा गांधी की शहादत का दिन था।

[हिन्दी]

आगे सुनिए—

[अनुवाद]

"श्री अशोक कुमार सेन : इस पवित्र-दिवस पर हम इस महान विधेयक को पारित कर रहे हैं। यह सदैव हमारे लोकतन्त्र की नियति का मार्गदर्शन करेगा। अगर यह विधेयक पारित हो गया तो निःसंदेह हमारे देश में आने वाले समय में केवल एक स्वच्छ राजनैतिक जीवन ही पनपेगा। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि यह कार्य पूर्णतया सर्वसम्मति से हुआ है। इससे हमारे देश की शक्ति हमारी एकता की शक्ति तथा हमारे लोगों का यह संकल्प झलकता है कि सदैव ही आवश्यकता पड़ने पर जब देश को हम सब के संगठित प्रयास की आवश्यकता हुई, उस समय हम अपनी सीमाओं को भूल जाते हैं, अपने मतभेद भुला देते हैं तथा पार्टी सीमाएं भी नहीं

रखते और सारे देश के जीवन में यह स्वर्ण सूत्र रहता है कि यह देश नष्ट नहीं होगा और न ही हमारा लोकतन्त्र नष्ट होगा।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, इस कानून का, इस संशोधन का यह महत्व है···

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने इस कानून के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया और वहां चले गए।

[हिन्दी]

श्री आर्वे फर्नान्डीज : जिस कानून को आज एक तरह से खत्म करने में सरकार लगी हुई है, इस कानून का यह महत्व है और अध्यक्ष जी, इसमें मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्योंकि, हम यह मानते हैं कि अदालत में कल जो भूमिका रखी गई, जो एफीडेविट दाखिल किया गया, यह तो जिस व्यक्ति के नाम से पेश किया है, कोई उसकी राय नहीं है। कोई कोई आई० बाबू लाल हैं, डिप्टी सेक्रेटरी आफ दि गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री आफ लॉ, यह कोई उन की राय थोड़े ही है, यह राय तो वहां से आई है, जहां से लोक सभा के अध्यक्ष को उनके कमरे में आकर कहा गया था कि अगर हमें जो अभिप्रेत है, उस प्रकार का फैसला नहीं आता हो तो फिर आपको जेल भेजने का काम हम कर सकते हैं। बात तो वहां से शुरू हो गई, एटार्नी जनरल अदालत में खड़े हो जाते हैं और अपनी राय को वह भी रखते हैं और फिर किसी एक छोटे से आफिसर के जरिये एफीडेविट को दाखिल करने का काम होता है। असली चीज यह है कि सरकार आज बहुत ही बेचैनी में फंसी है। हमको बड़ी खुशी हुई जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय श्री दिनेश सिंह जी ने यहां पर अपनी बात रखी तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि उस कानून के साथ, संविधान के उस संशोधन के साथ हम अभी भी सम्पूर्णतया खड़े हैं, जिसको 1985 में हम लोगों ने न केवल सदन की गरिमा को लेकर बल्कि देश के प्रजातंत्र को बचाने के एक महाअस्त्र के तौर पर यहां पर पारित किया था। हम उसके साथ इस क्षण तक अड़े हुए हैं और उससे हम हटने वाले नहीं हैं, यह बात बहुत ही स्पष्ट तौर पर यहां पर कही गई, उसके बाद असल में हम लोग तो उम्मीद करते थे कि सरकार की तरफ से आगे कोई बात नहीं चलाई जाएगी, चूंकि हम जानते हैं कि जहां से समर्थन है उस समर्थन के सिवा सरकार एक क्षण के लिए भी चलने वाली है, नहीं और जब उस दल की ओर से, उस दल की तरफ से अधिकृत रूप से यह बात इस सदन के भीतर कही जाती है तो उसके बाद भी अगर सरकार मामले को यहां तक ले जाने का काम करती है, सुबह कि फिर उसी कांग्रेस दल के माननीय सदस्य, हमारे मित्र वसंत साठे जी ने अगर सवाल को नहीं छेड़ा होता तो पता नहीं क्या होता, आज अदालत में। अदालत में मामला फंसा हुआ था, हममें से किसी के ख्याल में ही नहीं आया और वहां पर भी आपकी तरफ से यह बात छेड़ी गई और अदालत के सामने इस मामले को खत्म करने के वास्ते कम-से-कम सरकार की भूमिका, यह कानून बनाते हुए जो राय थी, उस राय के साथ आज भी है, यह बताने की भूमिका को अदालत के सामने कहने का मुद्दा भी श्री वसंत साठे की तरफ से आ गया, मैं उनका विशेष तौर पर उनके लिए अभिनन्दन करना चाहता हूं कि इस मसले पर सोचकर उन्होंने एक बात सदन के सामने रख दी। ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, मेरे अभिनन्दन से कभी-कभी परेशानी हो सकती है। मैं जानता हूं कि मेरा अभिनन्दन कभी-कभी परेशानी कर सकता है। उनको शरद पंवार बाद आ रहे हैं, मैं क्या करूं। (व्यवधान)

[श्री आर्य फर्नान्डीज]

उपाध्यक्ष जी, अब मैं कोई और अधिक आपका समय नहीं लूंगा लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले ही बताया कि यह तो येन केन प्रकारेण, कैसे भी करके सरकार को बचाने वाली बात तक यह सारा मामला सीमित है और इसका सबूत और चाहिए हो तो जो 8 तारीख यानि कल के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह जो खबर आई है कि "जे० डी० (एस) में पिटीसन प्रेसीडैन्ट", राष्ट्रपति के सामने सरकारी पार्टी अभी जाना चाहती है और मैं जानता हूं कि सरकारी पार्टी की ओर से कोई कह सकता है कि यह तो किसी के नाम से आया हुआ बयान नहीं है, यह तो अखबार में दिया हुआ बयान है लेकिन सदन के जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, हमारे मित्र मालवीय जी, सत्य प्रकाश, अध्यक्ष जी, सत्यप्रकाश मालवीय जी इतनी बारीक नजर से अखबारों पर और उनके दल पर कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई हल्की-सी भी बात विरोध में कहे तो उसकी सफाई देने के लिए वह रातोंरात खड़े हो जाते हैं। उनके लिए रात और दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह खबर जैसे ही अखबारों में आई कि राष्ट्रपति के पास जाना है, अध्यक्ष के अधिकारों को छीनना है, राष्ट्रपति के हाथों में देना है यानि फिर वही डराने का प्रयास। हो सकता है कि राष्ट्रपति तक जाने की हिम्मत भी न हो लेकिन फिर भी चूंकि राष्ट्रपति के पास ऐसे ही पत्र यहां पर बैठे हुए मंत्रियों की तरफ से, कम-से कम एक मंत्री की तरफ से दिए हुए हैं, मुझे जानकारी है कि···कैसे उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कुछ लोगों ने किया था। ···(व्यवधान)···

श्री राम धन : श्री भागेय गोवर्धन···(व्यवधान)···

श्री आर्य फर्नान्डीज : कहां तक इस बात को खुल कर किया। काम जनता दल (एस) की तरफ से किया जाएगा मैं नहीं जानता। मगर हम जानना चाहेंगे, अगर इस बात में तथ्य न होता तो क्यों इसका खंडन नहीं किया गया, क्यों यह बात स्पष्ट नहीं की गई कि लोक सभा के अध्यक्ष जो इस सदन के अन्दर संविधान के जिम्मेदार हैं, उसके बारे में हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का द्वन्द्व नहीं है। हम अध्यक्ष को इज्जत केवल शब्दों में ही नहीं करते हैं, बल्कि व्यवहार में भी करते हैं। यह बात क्यों नहीं कही गई। अखबारों के सामने यह बात क्यों नहीं चली गई। उपाध्यक्ष जी, इसलिए हमारी मान्यता है कि यह सारा प्रयास किसी एक चीज के लिए है। अब "कोल्यूजन" का इस्तेमाल हमारे मित्र इन्द्रजीत गुप्त जी ने किया। "कोल्यूजन" की जगह पर हम तो यह कहेंगे कि हम को तो षड्यन्त्र नजर आता है। "कोल्यूजन" से कुछ आगे जाते हैं और उस षड्यन्त्र का एक-एक कदम हम देख रहे हैं···(व्यवधान)·· पहले हम जाकर उनको डाटेंगे, डांट से बात नहीं बनती है तो अदालत में जाकर हरकत करो और अदालत से कोई मामला ठीक नहीं होता हो तो राष्ट्रपति वाली धमकी देने का काम करो। येन-केन-प्रकारेण, लोक सभा के अध्यक्ष को धमका कर उनसे फैसला लेने का प्रयास करो। यही एक षड्यन्त्र उपाध्यक्ष जी, मुझे यहां पर स्पष्ट तौर से नजर आ रहा है।

सरकार टिके या न टिके, ये बहुत छोटी बातें हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं मैं। बताना चाहता हूं, भूतपूर्व प्रधान मंत्री और बाद में विरोधी दल के नेता ने इसी पर दिए हुए भाषण का एक जुमला मैं आपको बताता हूं। वे कहते हैं, उस वक्त के विपक्ष को बताते हैं अब आप लोगों के दिन अब समाप्त हो गए और वहां भी हमारे लोग जाकर बैठ जाएंगे तथा सदन बिल्कुल ही हमारा हो जाएगा। कुछ ही सालों में जो उनकी हालत हो गई है, वे भी उसको जानते हैं। मैं इस बात को कोई गलत दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। मैं इस बात को केवल इस दृष्टि से कह रहा हूं कि सरकार बनेंगी और सरकार जायेंगी,

उससे मतलब नहीं है, मगर जो कुछ सैद्धान्तिक बातें संविधान के साथ जुड़ी हुई हैं, इस देश के प्रजातन्त्र को बनाए रखने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए, उसके साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। यह इसमें अतिमहत्वपूर्ण बात है। हम, उपाध्यक्ष जी, चाहते हैं सदन से, कि वह फैसला लें।

अन्त में, मैं भारत के संविधान के दसवें शैड्यूल के नियम-7 को यहां पर रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी···

[हिन्दी]

धारा 105 को करिए, 108 को करिए, 32 को करिए, 226 को करिए।

[अनुवाद]

कुछ भी करिए···इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

[हिन्दी]

वहीं बात खत्म हो जाती है। आखिरी जुमला इसी से सम्बन्धित नियम 8 (3) को मैं कोट कर रहा हूं:

[अनुवाद]

"सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथा स्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के उपबन्धों पर और किसी ऐसी अन्य शक्ति पर जो उसे संविधान के अधीन प्राप्त है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना; यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन बनाए गए नियमों के किसी व्यक्ति द्वारा जान-बूझकर किए गए किसी उल्लंघन के बारे में उसी रीति से कार्रवाई की जाए जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती है।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, सदन के अधिकारों का हनन हो चुका है। कानून मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। अटॉर्नी-जनरल इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिस व्यक्ति की ओर से यह दस्तावेज यहां पर पेश किया गया है, वह इसके लिए जिम्मेदार हैं और···** मैं इस सदन से मांग करता हूं कि इस सदन के अधिकारों के लिए हनन के लिए···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : न्यायाधीशों के विरुद्ध कोई भी टिप्पणी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : एग्जामिन करिये। ब्रीच-आफ-प्रिवलेज के नियम के अन्तर्गत इसकी कार्यवाही करने का फैसला हो जाए—यही मेरी प्रार्थना है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : न्यायाधीशों के सम्बन्ध में टिप्पणी कृपया कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि ऐसी कोई टिप्पणी न करें, जिससे उत्तेजन पैदा हो।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : विशेषाधिकार का प्रश्न न्यायाधीशों पर लागू नहीं होता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : न्यायिक सुधारों के सम्बन्ध में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नाथू सिंह (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने इस गम्भीर मसले पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, लेकिन जिस विषय पर यहां बहस हो रही है, इस विषय पर कई बार, कई सदनों में बहस हो चुकी है। सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी (व्यवधान) उस बहस के बाद संसद की सुप्रीमेसी को कायम किया गया है, जिसे यूनेनिमस माना गया है क्योंकि हमारा लोकतंत्र एक संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में संसद महत्वपूर्ण होता है, पावरफुल होता है। इसलिए संसद की सुप्रीमेसी को कोई चेलेंज नहीं कर सकता है और इस सम्बन्ध में माननीय जार्ज साहब ने एक हवाला दिया, केशव सिंह का एक फेमस केस है। जिसमें जिन जजों ने स्पीकर को नोटिस दिया, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जजों के बारे में यहां पर कुछ नहीं कहा जाये, लेकिन वहां तो स्पीकर को नोटिस देने पर जजों को नोटिस दिया गया और कहा गया कि हाउस के बाद उनको बुलाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसलिए पैदा हुई कि हमारी सरकार ने थोड़ी-सी गलती की और मैं इसे थोड़ी-सी गलती नहीं मानूंगा, बल्कि यह बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने एक एफिडेविट कोर्ट में दिया और अटार्नी जनरल ने एफिडेविट देते समय कहा कि वह मेरी निजी राय नहीं है। उन्होंने कहा कि यह ओपिनियन सरकार की है, उन्होंने वह राय सरकार की राय बताई।

माननीय प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यदि यह राय सरकार

की थी तो इससे बड़ा अपराधी सरकार के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। यदि यह राय आपके लॉ मिनिस्टर की थी तो कानून मंत्री को, प्रधान मंत्री जी आप तुरन्त बर्खास्त कर दीजिए, वर्ना ये मंत्री जी आपकी पूरी सरकार को ले बैठेंगे। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि स्पीकर को नोटिस देने का मतलब, कोर्ट से, स्पीकर अकेले स्पीकर नहीं है, बल्कि वह इस पार्लियामेंट को नोटिस माना जाए और पार्लियामेंट के सदस्य, जिनको कि इस देश की जनता चुनकर भेजती है, इसलिए वह नोटिस पूरे देश की जनता को माना जाएगा। इस लोकतांत्रिक देश में जनता से ऊपर कोई न्यायालय नहीं हो सकता। पार्लियामेंट से ऊपर कोई न्यायालय नहीं हो सकता। इसलिए उस नोटिस का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि जिन जजों ने स्पीकर को नोटिस दिया है, जिन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चेलेंज किया, वह चाहे सरकार के एडवाइज पर किया हो। उनको ये सदन जिस तरह से यू० पी० में···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाथू सिंह, मैंने बड़े सम्मानपूर्वक ढंग से सदस्यों से निवेदन किया है कि चर्चा को इस ढंग से न चलाएं कि मामला और भी उलझ जाए। यह सदन और अध्यक्ष सर्वोच्च हैं। इनकी प्रतिष्ठा की रक्षा की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। यह हमारा कर्तव्य है कि इसकी प्रतिष्ठा को भी बचाया जाए। इसलिए, ऐसी टिप्पणी मत करें जिसे मुझे कार्यवाही वृत्तांत से निकालना पड़े।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नाथू सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां जूडिशयरी और विधायिका दोनों का अलग-अलग क्षेत्र है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में संविधान बिल्कुल स्पष्ट है। कोई सन्दिग्धता नहीं है। कृपया उसका हवाला न दें।

[हिन्दी]

श्री नाथू सिंह : यही मैं कह रहा हूं। इसलिए अदालत ने जो स्पीकर को नोटिस देकर इस सदन की अवमानना की है, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूं और इसको सीरियसली सदन को लेना चाहिए। यह हमारा कनवेंशन बन चुका है कि कभी भी स्पीकर, पार्लियामेंट और विधान सभा कोई कानून पास करती है तो उस कानून के मामले में अदालत इंटरफेयर कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई मामला होता है तो अदालत उसके मामले में सुनवाई कर सकती है। लेकिन जहां पर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स से संबंधित मामला नहीं है, यह सदन का अन्दरूनी मामला है, सदन के सदस्यों और स्पीकर के बीच का मामला है और सदस्यों और स्पीकर के बीच में जो मामला है, उसमें दुनिया की कोई अदालत इंटरफियर नहीं कर सकती। मेरा निवेदन केवल इतना-सा था कि कोई भी अदालत संसद के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह कन्वेंशन पहले से चली आ रही है कि संसद के क्षेत्राधिकार में कोई भी अदालत इंटरफियर नहीं करेगी। इसलिए आज इस संसद को आखिरी बार यह तय कर देना चाहिए कि भविष्य में किसी भी स्पीकर को, संसद

[श्री भानु सिंह]

या विज्ञान सभा को इस तरह का कोई नोटिस न दिया जाए। इसके लिए आज एक फैसला करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि एंटी-डिफेक्शन बिल, जिसको थ्रीनेमिसली पास किया गया था, क्या यह सरकार उस बिल को समाप्त करना चाहती है। क्या अपने ही द्वारा पास किए हुए कानून को संसद गलत मानती है। यदि ऐसा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के हर सदस्य के लिए एक परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा की घड़ी में यह तय करना है कि इस संसद को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोई भी अदालत इसके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए मेरी प्रत्येक सदस्य से अपील है कि स्पीकर के पीछे खड़े होकर हमें समर्थन देना चाहिए जिस मंत्री ने यह गलत काम किया है, एफीडेविट दिलवाया है, यह बात सबसे ज्यादा विचारणीय है। एंटी-डिफेक्शन बिल के विरोध में, संविधान के विरोध में उन्होंने यह काम किया है, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी आजकल स्वामियों से घिरे हुए हैं और जब तक प्रधानमंत्री जी स्वामियों से घिरे रहेंगे, तब तक सरकार संकट में रहेगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आज कोई भी रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है, सरकार कहती है कि एंटीडिफेक्शन एक्ट के अन्तर्गत स्पीकर तय करेगा, लेकिन इस अधिकार को छीनकर प्रेसीडेंट को देना चाहते हैं, कल को आप इस अधिकार को प्रधानमंत्री जी को देना चाहेंगे, यह इस सरकार की टेंडेंसी का परिचायक है। आज एक दिन सरकार कुछ कहती है, दूसरे दिन सरकार कहती है कि यह नहीं कहा; समाचार पत्रों में छप गया, फिर यहां पर आकर खण्डन कर दिया, कितनी बार आकर सदन के अन्दर खण्डन करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि जिस मंत्री की वजह से आज संसद में इस मामले को पेश करना पड़ा कि संसद की सुप्रीमेसी है या नहीं, उस मंत्री को तुरंत डिसमिस किया जाए। मैं प्रिवलेज मोशन की बात नहीं करूंगा, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि उस मंत्री को बरखास्त किया जाए। मैं पूरे सदन से निवेदन करूंगा कि इस मामले में पार्टी बेरियर्स को तोड़ कर स्पीकर साहब का साथ दें और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एफीडेविड वापिस करवाएं और सदन में यह घोषणा करें कि संसद के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किसी के द्वारा नहीं, होने दिया जाएगा, सरकार पूरे सदन के साथ रहेगी।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (बार्जिलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ है, वह बहुत ही गंभीर है। कोई भी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता तथा संसद द्वारा पारित कानूनों पर पुनर्विचार करने के, इसके अधिकार पर प्रश्न नहीं उठा रहा है। परन्तु जो कुछ हुआ है, उससे यह प्रतीत होता है कि...** (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सावधानी बरतें।

(व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मैंने बताया है कि इसका तात्पर्य क्या है। जो कुछ हुआ है, वह संसद की सर्वोच्चता, सम्मान तथा अधिकारों पर हमला है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि प्रधानमंत्री महोदय को शपथ-पत्र वापस लेने पर विचार करना चाहिए तथा इस पर पुनर्विचार करके पर्याप्त संशोधन करने चाहिए। मेरा पहला सुझाव यही है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, उनको सामने रखते इस पर सदन स्थगित हो तो इसका सत्रावसान न किया जावे।

4.00 प० म०

क्योंकि यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है, इसलिए टकराव की स्थिति पैदा होने की संभावना है। इसलिए मैं गंभीरतापूर्वक यह सुझाव देता हूं कि सदन का सत्रावसान न किया जाए ताकि सदन को पुनः बुलाने की औपचारिकताओं से बचा जा सके।

यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रातः अध्यक्ष महोदय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह निर्णय दिया कि वह स्थगनादेश को अनदेखा करेंगे। स्थगनादेश की अवहेलना यह स्पष्ट करती है कि सरकार स्वयं यह मानती है कि संसद सर्वोच्च है तथा कुछ गलत हुआ है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से यह अपील करना चाहूंगा कि वह शपथ-पत्र पर पुनर्विचार करके इसमें कुछ संशोधन करें या इसे पूरी तरह से वापस ले लें।

डा० ताम्बि दुरै (करूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन के अध्यक्ष की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं। हमारा दल हमेशा से अध्यक्ष की प्रतिष्ठा तथा उसके निर्णय को सम्मान देता रहा है। वह जो भी कहते हैं, हम उसका पालन करते हैं। पिछले दिनों, हम अध्यक्ष महोदय से मिले थे। हमारे दल के एक सहयोगी दूसरे दल में शामिल हो गये हैं। हमने अध्यक्ष महोदय से सम्पर्क स्थापित किया तथा उचित कार्यवाही करने के लिए उनकी अनुमति मांगी। हमने इस सम्बन्ध में कोई शर्तें नहीं लगाईं, जैसी कि जनता दल जैसी पार्टियां लगा रही हैं कि इतनी अवधि के भीतर कार्यवाही की जानी चाहिए। इसे अध्यक्ष के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अपनी सुविधानुसार उसे निर्णय लेने दीजिए हमेशा ही हमारा अध्यक्ष की विवेक बुद्धि पर विश्वास रहा है। आप हमें किसी और समय बुलायें, या कैसे भी बुलायें, कैसी भी प्रक्रिया अपनाई जाये, हमारे दल को पहले बरीयता दी जाए या बाद में, अध्यक्ष इसे कितना समय दिया जाता है, इस संबंध में हमने कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया। हम सदैव आपके निर्णय के पालन करते रहे हैं तथा उसे स्वीकार करते हैं। हम मात्र अपने विचार अभिव्यक्त कर देते हैं।

दूसरी बात, मैं उस दलबदल कानून के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा, जो कानून इसी सदन द्वारा पारित किया गया है; जिसमें कि अध्यक्ष को इस सदन के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया गया है। हमें उन पर पूरा विश्वास है। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने 25 सदस्यों के संबंध में उनके निर्णय का जिक्र किया है। यह पूर्ण रूप से अध्यक्ष के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। हम इस पर प्रश्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम इस पर भी प्रश्न नहीं कर सकते कि वह इस मुद्दे पर किस प्रकार निर्णय लेंगे। वह जो भी निर्णय देंगे, हमें स्वीकार होगा। हम न्यायालय में नहीं जायेंगे। जो दृष्टिकोण हम यहां पर अपना रहे हैं, यही दृष्टिकोण हम तमिलनाडु विधान सभा में भी अपना रहे हैं। इस संबंध में हमारी पार्टी कृतसंकल्प है। हम दोहरी नीति नहीं अपनाते हैं जैसे कि तमिलनाडु में कुछ सदस्यों को अदालत में जाने को कहा गया और उसके पश्चात् अदालत के निर्णय के बहाने यह कहा गया कि अध्यक्ष को तमिलनाडु सरकार की सुविधा के लिए कुछ निर्णय लेने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि

[डा० ताम्बि दुरै]

श्री कमल मोरारका यह बतायेंगे कि इस संबंध में उनका दृष्टिकोण क्या था। केवल उन्होंने ही अदालत में जाने वाले सदस्यों की वैयक्तिकता के बारे में कहा था। उन्हें इसका मौलिक अधिकार है। हम सदस्यों के अधिकारों पर प्रश्न नहीं उठा सकते। कोई भी सदस्य अदालत में जा सकता है। परन्तु हम सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। यह एक और बात है।

दलबदल कानून के बारे में हमारे एक माननीय सदस्य ने पूछा कि अध्यक्ष को तुरन्त निर्णय लेने की हम इतनी बड़ी शक्ति क्यों दे रहे हैं। इसे लटकाया नहीं जाना चाहिए जब यह कानून लागू किया गया तो इसका उद्देश्य इस देश में लोकतन्त्र को स्थायी बनाना था। लोकतन्त्र अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय लोकतन्त्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका हैं जो एक—दूसरे के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकतीं। उन्हें इस बात का ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक का कार्य करने का अपना तरीका है। यही लोकतन्त्र की भावना है।

जब सदस्य पक्ष बदलते हैं तब एक तिहाई सदस्यों की आवश्यकता होती है और इसे हम दल-बदल नहीं कह सकते। यह विचारों की भिन्नता है। लोकतन्त्र में हमें विचारों की भिन्नता का सम्मान करना होता है। यदि हम कुछ बातों को जबरदस्ती थोपते हैं, तो वह लोकतन्त्र नहीं हो सकता है। अल्पसंख्यकों की भी इज्जत होती है। यदि कुछ सदस्यों के विचारों में भिन्नता हो तो अधिनियम में विभाजन का प्रावधान है। इस प्रावधान के आधार पर वह अपना दल बना सकते है। हम यह नहीं कह सकते कि उन्होंने दल-बदल किया। मैं दुबारा इस बात पर बल दे रहा हूं कि हमारे दल का रवैया दृढ़ है और हमारी दोहरी नीति नहीं है। इस सभा के सदस्य के रूप में अध्यक्ष की गरिमा बनाए रखना मेरा कर्त्तव्य हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही कह चुके हैं कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी सूचनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और हमने उनके इन विचारों का स्वागत किया है तथा उन्हें प्रोत्साहित किया है। हम किसी की इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि अध्यक्ष की शक्तियां वापिस ले लेंगे। अभी भी कोई प्रतिबंध नहीं है। वह किसी भी प्रकार से अपना निर्णय ले सकते हैं और सभा को इसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय को गंभीरता से नहीं ले रहा है। लेकिन, जैसा अन्य सदस्यों ने अनुरोध किया है, वैसा ही मेरा भी अनुरोध है कि हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार इस मामले में क्या कर रही है। यदि इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कुछ सदस्य अनुभव कर रहे हैं, तब उसमें संशोधन और सुधार करना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक बीच का रास्ता भी है। लेकिन उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक दल-बदल विरोधी कानून का संबंध है, माननीय अध्यक्ष के अधिकारों के उपयोग में कोई बाधा नहीं है और मुझे प्रसन्नता है कि सभा की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने न्यायालय के आदेशों की सूचना की ओर ध्यान न देने का निर्णय लिया। लेकिन इस माननीय सदन में मैं यह स्मरण कराना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू, जो 17 वर्षों तक इस सभा के नेता रहे थे, एक परम्परा बनाना चाहते थे। न्यायपालिका पर विधायिका की सर्वोच्चता के बारे में सभी जानते हैं कि यह नियम बनाने का उच्चतम मंच है। यह सभा नियम बनाने के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। इसीलिए इसे न्यायपालिका से उच्च माना गया है। मैंने वाद-विवाद में देखा है कि कई बार पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस सभा को याद दिलाया था कि संविधान का उद्देश्य न्यायपालिका और विधायिका में टकराव कराना नहीं है और हम ऐसा कर भी नहीं सकते। हमारे लिए यह प्रश्न है कि परम्परा के अनुसार

हमें टकराव की स्थितियां पैदा नहीं करनी चाहिएं इसलिए, मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध है कि वह हलफनामे में संशोधन करें। जहां तक विभाजन का संबंध है, मुझे विश्वास है कि यह विभाजन था। दल-बदल का कोई प्रश्न नहीं है। मुझे इस मुद्दे के बारे में कोई संदेह नहीं है। लेकिन, मेरा बीच का रास्ता है और मेरा यह सुझाव नहीं है कि हलफनामा वापिस ले लिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को परम्परा का सम्मान करना चाहिए तथा आपसी टकराव से बचना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह हमें बताएं अथवा आश्वासन दें कि वह हलफनामे में इस प्रकार से संशोधन करेंगे कि टकराव का प्रश्न ही नहीं रहेगा और इस सभा तथा अध्यक्ष की गरिमा बनी रहेगी।

श्री राजीव गांधी (अमेठी) : उपाध्यक्ष महोदय, पहली लोक सभा से अब तक ऐसे प्रश्न इस सभा में उठाए जाते रहे हैं और मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमति प्रकट करते हुए।

4.08 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह सुझाव देना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर इस सभा, उसके अधिकारों, न्यायपालिका अथवा सभा के भिन्न-भिन्न वर्गों के बीच टकराव नहीं होना चाहिए। इन मुद्दों पर मतैक्य की आवश्यकता है। यदि हम अपने लोकतन्त्र के 40 वर्ष का इतिहास देखें, तो पंडित जी, इंदिरा जी के समय से और यहां तक कि हमारे शासन काल के दौरान भी यह मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट रहा है और हमने इन मुद्दों को इतना गंभीर नहीं होने दिया। जब कभी भी सभा की सर्वोच्चता का अतिक्रमण हुआ, तब हमने इसकी रक्षा करने का प्रयास किया। जैसा कि पंडित जी ने कहा हमने तीसरे चैम्बर को विकसित नहीं होने दिया।

महोदय, यह सभा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और इसके कार्यकरण में वही उच्च रहनी चाहिए। इसके रास्ते में किसी को भी बाधा नहीं बनने देना चाहिए।

जिस विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह हमारी सरकार द्वारा लाया गया था। लेकिन, उस समय हमने सभी विपक्षी दलों से विस्तृत विचार-विमर्श किया था और विधेयक में अनुचित संशोधन कर दिया गया···(व्यवधान)···और सभा के सामने विधेयक का वही रूप आया जिसे सभा के सभी वर्गों ने एकमत से स्वीकार किया था। हमारे विचार इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य हमारी राजनीतिक प्रणाली के कार्यकरण में उच्चतर नैतिक नियम और मूल्य लाना था, इसे कुछ राजनीतिक नैतिकता और स्थिरता लाने के लिए लागू किया गया था। विधेयक को एकमत से पारित किया गया था। आज अनेक प्रश्न उठाये जा रहे हैं क्योंकि इस बारे में काफी घटनाएं घट गई हैं। यदि विधेयक के कार्यों के बारे में कोई संदेह है, तो विधेयक में, यदि आवश्यकता हो, तो परिवर्तन कर देना चाहिए, लेकिन अभी कोई संशोधन न करने से पहले हमें सांविधिक पुस्तकों और संविधान में जो कुछ कहा गया है, उसे स्वीकार करना चाहिए और कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए।

उच्च न्यायालय में सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के कुछ भाग ऐसे हैं, जो हमारे विचार में इस सभा में पारित दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार नहीं हैं और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे और जहां संशोधन की आवश्यकता होगी, सरकार वहां संशोधन करेगी।

[श्री राजीव गांधी]

हमें एक बार फिर न्यायपालिका और सभा के बीच अति नाजुक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए और हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करे। मैं दुबारा अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर हम सभा को विभाजित नहीं करें; हम एक होकर रहें और अध्यक्ष की गरिमा बनाई रखी जाए। महोदय, आप इस सभा के अधिकारों, विशेषाधिकारों, सभी सदस्यों और सभा के माध्यम से हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के संरक्षक हैं।

मैं एक बार फिर माननीय प्रधान मंत्री जी से अपील करता हूं कि इस मामले की गहराई से जांच करें, और जहां सुधार करने की आवश्यकता है, वहां सुधार करें और मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि वे इस मामले को समाप्त करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का समर्थन करें।

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर) : अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सभी माननीय सदस्यों के भाषण मैंने ध्यानपूर्वक सुने हैं। यह अति उपयोगी वाद-विवाद था और इस मामले के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। जो भी मुद्दे उठाये गये, मैं उनके बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता। मैं केवल इस वाद-विवाद के महत्वपूर्ण मुद्दे पर ही अपने विचार रखना चाहता हूं।

मैं शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संसद और लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के पद की गरिमा और विशेषाधिकारों का संरक्षण और रक्षा के बारे में मैं उसी प्रकार चिंतित हूं जैसे सभा के अन्य सदस्य।

मैं माननीय सदस्यों के इस मत से पूर्णत: सहमत हूं कि संसद अपने कार्य के बारे में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च है और किसी भी न्यायालय का संसद की सर्वोच्चता के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यह ऐसा विषय है, जिसके बारे में विचारों की भिन्नता नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, इस सभा की गरिमा और सर्वोच्चता को कम करने की मेरी सरकार की कभी मंशा नहीं रही। सरकार संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी और इसकी सर्वोच्चता में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी मुद्दे के आगे नहीं झुकेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रश्नाधीन हलफनामे में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, श्री मदन लाल खुराना को कोई शक नहीं होना चाहिए। यह संशोधन किया जाएगा और अध्यक्ष के पद अथवा संसद की गरिमा में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है और उन्हें इस बारे में ऐसी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आप उस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम इस चर्चा में भाग लेने वाले उन सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उस मुख्य मुद्दे का समर्थन किया है जिसका मैंने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय उल्लेख किया था कि अयोग्यता के मुद्दे पर भारत सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ-पत्र अत्यधिक आपत्तिजनक था और यह संसद के अधिकार और अध्यक्ष पद की गरिमा को कम करता है। मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रधान मंत्री के अलावा चर्चा में भाग लेने वाले दो अन्य वक्ताओं ने शपथ-पत्र के मुद्दे पर कुछ भी अधिक नहीं कहा क्योंकि दूसरे मुद्दे अधिक संगत तथा आज की चर्चा से सम्बद्ध नहीं हैं। यदि शपथ-पत्र का मामला शुरू में ही

अध्यक्ष महोदय की घोषणा के बाद समाप्त कर दिया जाता, तो न्यायालय के आदेश की जानकारी सदन को नहीं होती।

जब प्रधान मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया था, तो मैं चाहता था कि वह अपनी बात सुस्पष्ट तरीके से कहते। लेकिन, जहां तक मुझे बताया गया है कि शपथ-पत्र के आपत्तिजनक भाग को हटा दिया जाएगा। इस विशेष शपथ-पत्र के एक खंड का चर्चा के दौरान उल्लेख नहीं किया गया है जो कि परोक्ष रूप से संकेत करता है कि आज जो कानून की स्थिति है, यदि उसकी यथा स्थिति बनाए रखी जाए, तो हो सकता है कि यह एक स्वैच्छिक निर्णय हो। 'स्वैच्छिक' शब्द का प्रयोग एक अलग अर्थ में किया गया है। यह कहा गया है कि राज्य के किसी भी अंग को संविधान के उपबंधों के तहत स्वेच्छा से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस तरह की टिप्पणियों ने सभी वर्गों में कड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। मुझे जब श्री दिनेश सिंह और श्री राजीव गांधी ने कहा तो मुझे फिर से आश्वासन मिला। मैंने देखा है कि जिस पार्टी के सहारे यह सरकार चल रही है, उसके दो वरिष्ठ नेताओं ने मेरे विचार का पूरी तौर से समर्थन किया है और वे भी यह मानते हैं कि जब तक इस विशेष शपथ-पत्र को या तो वापस नहीं लिया जाता अथवा इसमें कोई उपयुक्त संशोधन नहीं किया जाता, तब तक संतोष नहीं होगा।

इसलिए प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये इस आश्वासन के आधार पर कि अध्यक्ष पद और उसके प्राधिकार को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी और संसद की सर्वोच्चता को अपमानित अथवा कम नहीं किया जाएगा, जहां तक विधान का संबंध है, इसकी रक्षा की जाएगी। इस प्रकार, इस आश्वासन को देखते हुए मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर जोर नहीं देता।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री आडवाणी को अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया

4.20 मं० पं०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ और पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

[हिन्दी]

वस्त्र, संजी तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शुकदेव नारायण यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं--

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :--

श्री हुकमदेव नारायण यादव]

(क) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—1925/91]

(ख) (एक) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—1926/91]

(ग) (एक) भारतीय रुई निगम लिमिटेड, के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रुई निगम लिमिटेड, का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1927/91]

(घ) (एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० —1928/91]

(2) उपर्युक्त मद (1) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1926/91]

(3) (एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—1929/91]

(4) (एक) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ सूरत के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ, सूरत के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—1930/91]

(5) (एक) रेशम तथा कृत्रिम रेशम मिल्स अनुसंधान संघ, मुम्बई के वर्ष 1989-90 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेशम तथा कृत्रिम रेशम मिल्स अनुसंधान संघ, मुम्बई के वर्ष 1989-90 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1931/91]

दिल्ली में टैक्सी और आटोरिक्शा चालकों द्वारा अधिक किराया वसूल किए जाने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3576 के 30 अगस्त, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिल्ली में टैक्सी और आटोरिक्शा चालकों द्वारा अधिक किराया वसूल किए जाने के बारे में सर्वश्री अरविन्द तुलसीराम कांबले तथा भवानी शंकर होटा द्वारा पूछे अतारांकित प्रश्न संख्या 3576 के 30 अगस्त, 1990 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा

(दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1932/91]

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड और हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

[श्री दीनेश राम सारण]

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1933/91]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—1934/91]

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1935/91]

आयुध (दूसरा संशोधन) नियम, 1990

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, श्री सुबोध कान्त सहाय की ओर से आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयुध (दूसरा संशोधन) नियम, 1990, जो 19 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 994 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1936/91]

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के वर्ष 1988-89 तथा केन्द्रीय उच्च तिब्बतीय अध्ययन संस्थान, सारनाथ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं आदि

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1937/91]

(3) (एक) केन्द्रीय उच्च तिब्बतीय अध्ययन संस्थान, सारनाथ, के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय उच्च तिब्बतीय अध्ययन संस्थान, सारनाथ के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1938/91]

(4) हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1939/91]

(5) (एक) विश्व-भारतीय शांतिनिकेतन के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व-भारती शान्तिनिकेतन के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1940/91]

(7) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति

[श्री भानेय गोवर्धन]

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1941/91]

(8) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 382, जो 23 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 6क में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 405, जो 30 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 25 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) सा० का० नि० 406, जो 30 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के परिनियम 17 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चार) सा० का० नि० 310, जो 19 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों सहित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को विनियमित करने के लिए अध्यादेश संख्या 2 की विरचना की गई है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1942/91]

केन्द्रीय भाण्डागारण निगम का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरवर हुसैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1943/91]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा इलैक्ट्रानिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं कमल मोरारका की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1990, जो 7 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 412 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1990, जो 21 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 429 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-तथा-निवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1990, जो 21 जुलाई, 1990, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 430 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1990, जो 4 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 479 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1990, जो 4 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 480 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1990, जो 18 अगस्त, 1990, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 505 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1990, जो 18 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 506 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1990, जो 18 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 507 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1990, जो

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

18 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 508 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम 1990, जो 18 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 509 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर की सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1990, जो 18 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 510 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1944/91]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क, की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) इलैक्ट्रोनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इलैक्ट्रोनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल ०टी०—1945/91]

(ख) (एक) सी० एम० सी० लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सी० एम० सी० लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1946/91]

(3) (एक) नेशनल फैसीलिटी फार एनीमल टिसु एण्ड सेल कल्चर, पुणे के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फैसीलिटी फार एनीमल टिसु एण्ड सेल कल्चर पुणे के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1947/91]

(4) (एक) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1948/91]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलोजी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलोजी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1949/91]

(6) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलोजी केन्द्र, श्रीनगर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्नोलोजी, केन्द्र, श्रीनगर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1950/91]

(7) (एक) कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, ग्वालियर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, ग्वालियर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1951/91]

(8) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेन्टर फार बेसिक साइन्सिज, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेन्टर फार बेसिक साइन्सिज, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1952/91]

(9) (एक) वाडिया इन्सटीट्यूट आफ हिमालयन जिओलोजी, देहरादून के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

(दो) वाडिया इन्स्टीट्यूट आफ हिमालयन जिओलोजी, देहरादून के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1953/91]

(10) (एक) इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ जिओमैगनेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ जिओमैगनेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1954/91]

(11) (एक) इण्डियन साइंस कांग्रेस एसोसियेशन, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन साइंस कांग्रेस एसोसियेशन, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1955/91]

(12) (एक) महाराष्ट्र एसोसियेशन फार दी कल्टीवेशन आफ साइंस, पुणे के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र एसोसियेशन फार दी कल्टीवेशन आफ साइंस, पुणे के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1956/91]

(13) (एक) इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ ट्रॉपीकल मेट्रोओलॉजी, पुणे के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ ट्रॉपीकल मेट्रोओलॉजी, पुणे के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ ट्रॉपीकल मेट्रोओलॉजी, पुणे के वर्ष 1989-90

के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1957/91]

(14) (एक) इण्डियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इण्डियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—1958/91]

(15) (एक) इण्डियन एकेडमी आफ साइंसिज, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इण्डियन एकेडमी आफ साइंसिज, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—1959/91]

(16) (एक) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1960/91]

(17) (एक) प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान तथा मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान तथा मूल्यांकन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—1961/91]

(18) (एक) रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सर-

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

कार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1962/91]

(19) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग का वर्ष 1988-89 का उनतालीसवां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित संघ लोक सेवा आयोग की सलाह न मानने के कारण स्पष्ट करने वाला एक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1963/91]

(20) संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1990 जो 6 अक्तूबर 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 623 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—1964/91]

(21) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कर्नाटक में कतिपय भूमि सौदों की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह जांच आयोग का प्रतिवेदन [खंड एक तथा खंड दो (भाग एक तथा दो)]

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन संबंधी कार्यवाही ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1965/91]

भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक—संघ सरकार-मिश्र धातु निगम लिमिटेड का प्रतिवेदन

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, श्री ललित विजय सिंह, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, की ओर से, संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक-संघ सरकार (1990 का संख्या 2) (वाणिज्यिक)—मिश्र धातु निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1996/91]

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड और पाइराइट्स फास्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की समीक्षाएं तथा वार्षिक प्रतिवेदन

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उप-धारा(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1967/91]

(2) (एक) पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पाइराइट्स, फास्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—1968/91]

बाजारी ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्विजय सिंह) : मैं अगस्त तथा नवम्बर, 1990 में जारी किए गए बाजारी ऋणों के परिणाम दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1969/91]

4.21 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने 7 जनवरी, 1991 को हुई अपनी बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1990 को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को

[महासचिव]

सौंपा जाये और निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव पर लोक सभा की सहमति तथा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले लोक सभा के सदस्यों के नामों को इस सभा को सूचित किया जाए ।

प्रस्ताव

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 45 सदस्य होंगे; पंद्रह सदस्य इस सभा से, अर्थात्—

1. श्री हंसराज भारद्वाज
2. श्री माधव सिंह सोलंकी
3. श्री गुलाम नबी आजाद
4. श्री मदन भाटिया
5. श्री बलराम सिंह यादव
6. श्री एच० हनुमनतप्पा
7. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी
8. श्री अनन्त राम जायसवाल
9. श्री मोतक हनुमंत राव
10. श्री अश्विनी कुमार
11. श्री शब्बीर अहमद सलारिया
12. श्री राम जेठमलानी
13. श्री वी० गोपालसामी
14. श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र; और
15. श्री दिनेश गोस्वामी और

30 सदस्य लोक सभा से होंगे;

संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से होगी;

अन्य विषयों के सम्बन्ध में प्रवर समिति से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया विषयक नियम ऐसे रूप-भेदों और उपांतरणों सहित लागू होंगे, जो सभापति करें;

यह समिति 160 वे सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा को एक प्रतिवेदन देगी; और

यह सभा लोक सभा से यह सिफारिश करती है कि लोक सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिये नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को संसूचित करे।"

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने 7 जनवरी, 1991 को हुई अपनी बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया है कि अर्जित प्रति रक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक, 1989, को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये और निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव पर लोक सभा की सहमति तथा उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले लोक सभा के सदस्यों के नामों को इस सभा को सूचित किया जाये।

प्रस्ताव

"मानव प्रतिरक्षण न्यूनता विषाणु (एच० आई० वी०) संक्रमण के फैलाव को निवारित तथा नियन्त्रित करने और अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) पीड़ित व्यक्तियों के विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार और सामाजिक अवलम्ब तथा पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिये उपायों का तथा उससे सम्बन्धित और उसके अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 30 सदस्य होंगे, 10 सदस्य इस सभा से अर्थात्—

1. श्री कपिल वर्मा
2. कुमारी सरोज खापर्डे
3. श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया
4. श्री प्रभाकर वी० कोरे
5. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन
6. डा० आर० के० पोद्दार
7. श्री जे० एस० राजू
8. डा० एन० तुलसी रेड्डी
9. श्री दिनेश भाई त्रिवेदी
10. श्री महेन्द्र सिंह लाठर; और

20 सदस्य लोक सभा से होंगे;

संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से होगी;

अन्य विषयों के सम्बन्ध में प्रवर समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया विषयक नियम

[महासचिव]

ऐसे रूप-भेदों और उपांतरणों सहित लागू होंगे, जो सभापति करेंगे;

यह समिति राज्य सभा के 158वें सत्र के प्रथम दिन तक इस सभा को एक प्रतिवेदन देगी;

यह सभा लोक सभा से यह सिफारिश करती है कि लोक सभा उक्त समिति से सम्मिलित हो; और

लोक सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को संसूचित करे।"

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 7 जनवरी, 1991 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 दिसम्बर, 1990 को पारित छावनी (संशोधन) विधेयक, 1990 को इस सिफारिश के साथ लौटा दिया है कि विधेयक में निम्नलिखित संशोधन किया जाये :—

'खण्ड 1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में '1990' के स्थान पर '1991' प्रतिस्थापित किया जाए।'

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के अनुसरण में मुझे उक्त विधेयक को इस निवेदन के साथ लौटाने का निदेश हुआ है कि उक्त संशोधन पर लोक सभा की सहमति को इस सभा को सूचित किया जाये।

4.22½ म० प०

छावनी (संशोधन) विधेयक, 1991

संशोधन के साथ राज्य सभा द्वारा लौटाया गया

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधन के साथ लौटाया गया छावनी (संशोधन) विधेयक, 1990 सभा पटल पर रखता हूं।

4.23 म० प०

प्राक्कलन समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : मैं वित्त मंत्रालय, वार्षिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) राष्ट्रीयकृत बैंकों में जनशक्ति की आवश्यकता के संबंध में प्राक्कलन समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की उससे संबंधित बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

4.23½ म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

(एक) तीसरा प्रतिवेदन

श्री एन० जे० रावबा (छोटा उदयपुर) : मैं पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सैंतालीसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में उसका तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

4.23½ म० प०

(दो) अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन तथा विवरण

श्री एन० जे० रावबा (छोटा उदयपुर) : मैं निम्नलिखित की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल-1 द्वारा अक्तूबर, 1990 के दौरान किये गये कलकत्ता, टाटा नगर और मद्रास के अध्ययन दौरे से संबंधित प्रतिवेदन।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल-2 द्वारा अक्तूबर-नवम्बर, 1990 के दौरान किये गये जयपुर, अहमदाबाद, बम्बई और नागपुर के अध्ययन दौरे से संबंधित प्रतिवेदन।

(3) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के विश्व० विद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश तथा उन्हें प्रदान की गई अन्य सुविधाओं के बारे में 43वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण।

———

4.24 म० प०

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक*

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*दिनांक 9-1-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : कल और परसों दो दिन से हम थोमसन प्रैस के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि थामसन प्रैस के कर्मचारियों को आज सुबह बड़ी बुरी तरह पीटा गया था तथा इसीलिए वे हड़ताल पर चले गये हैं। थामसन प्रैस अब भी बन्द है। मेरी मित्र श्रीमती सुभाषिनी अली ने मुझे बताया है कि वहां अभी तक बिजली का कनैक्शन पुनः नहीं दिया गया है। प्रधान मंत्री द्वारा इस संसद को दिये गये आश्वासन का भी सम्मान नहीं किया गया है तथा राज्य सरकार लगातार इसका पालन नहीं कर रही है। ऐसा कैसे जारी रह सकता है? श्री भजन लाल जी यहां पर मौजूद हैं। शायद उनके पास बेहतर सूचना हो। उन्हें क्या कहना है? मुझे अभ-अभी मिली सूचना के अनुसार आज सुबह थामसन प्रैस कर्मचारियों को बड़ी बुरी तरह से पीटा गया है। कुछ कर्मचारियों तथा एक मैनेजर हमले के दौरान घायल हो गये। कुछ व्यक्ति पुलिस की गाड़ियों में आये तथा उन्होंने कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। प्रैस में इस समय पूर्ण हड़ताल चल रही है। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह एक अत्यन्त ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि कल जब प्रधान मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था उस समय मैंने उन्हें याद दिलाया था कि कर्मचारियों को भी सुरक्षा की आवश्यकता है। परन्तु उन्होंने उस सम्पूर्ण समस्या के उस पक्ष के बारे में कुछ कहने से इन्कार कर दिया। आज, हमें बताया गया है कि एक पुलिस की जीप प्रैस के परिसर में गुण्डों को लेकर आई थी तथा उन गुण्डों ने थामसन प्रैस के उन कर्मचारियों को पीटा, जो एच० एम० एस० यूनियन से संबंधित थे तथा वहां पर बिजली भी नहीं दी गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कल शाम यहां संसद में प्रधान मंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी वहां बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, वहां पूरी तरह से काम बन्द है।

अतएव मैं चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में अपना वक्तव्य दे। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यहां पर गृह मंत्री जी उपस्थित हैं। वह कर्मचारियों पर हुए हमले के संबंध में वक्तव्य दे सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि यह मामला बहुत सीरियस है। आप पार्लियामेंट के 3-4 मैम्बर्स को भेजकर रिपोर्ट मंगवाइए जो आज अभी चले जाएं और कल सुबह तक रिपोर्ट आपको पेश कर दें जिससे आपको और सारे सदन को यह पता चल जाए कि किस अधिकारी ने हाउस को मिसलीड किया है और पुलिस की निगरानी में गुण्डों को लाकर

प्रैस के लोगों को पिटवाया गया है। वह स्थान यहां से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां पर यह प्रैस है। जब यहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दे दिया, तो उसके बाद भी ऐसी घटना वहां हुई है, यह बहुत शर्मनाक एवं अफसोसनाक है। (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, जब प्रधान मंत्री जी ने यहां कह दिया, तो फिर और किस के कहने की आवश्यकता रह गई जो अभी तक प्रैस की बिजली चालू नहीं की गई और उसके बदले वहां पर कर्मचारियों एवं मजदूरों को पुलिस के संरक्षण में गुण्डों को लाकर पिटवाया गया है। जब प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया, तो फिर उनके आश्वासन के बाद तो स्थिति शांत हो जानी चाहिए थी। कम-से-कम प्रधान मंत्री और इस हाउस का तो सम्मान किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बंक बयाल जोशी (कौटा) : अध्यक्ष महोदय, वहां पर लोगों को पीटा गया है। (व्यवधान)

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि लीडर आफ अपोजीशन ने कहा, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं इस बात में, बल्कि मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि इन्होंने कुछ कहा है वह कम कहा है, बल्कि वहां पर स्थिति और भी ज्यादा खराब है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर हाउस की एक कमेटी बनाकर जांच करवाएं। यहां पर इतने जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं जिनका कोई अन्त नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पंजाब की हालत बहुत खराब हो गई है। कल रात को ही, यानि जो रात कल ही बीती है, उस रात को, पंजाब में गिल और दिलो नामक गांव में एक ही जाति के लोगों को रात में घर से निकाल कर गोलियों से आतंकवादियों ने भून दिया है। पंजाब के हालात बहुत खराब हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, बैठ जाएं। बस, हो गया। मैं श्री सुबोध कान्त जी को बुला रहा हूं। आप मेहरबानी करके बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, एक ही जाति के लोगों को घर से निकाल कर गोलियों से उड़ा दिया गया है। इससे वहां हालत और खतरनाक हो गई है। इससे ज्यादा और क्या खतरनाक स्थिति हो सकती है? इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी कार्रवाई करें जिससे कि वहां के लोगों को यह विश्वास हो सके कि देश में उनकी रक्षा के लिए भी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें अब गृह राज्य मंत्री के विचारों को सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमती सुब्राविनी अली : मैं चाहती थी कि वह एक मिनट के लिए मान जायें।

अभी-अभी हमें 'दिल्ली यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स' ने ज्ञापन दिया है जिसमें बताया गया है कि पिछले दो महीने से हरियाणा तथा सिरसा जिले में इस प्रकार का उत्पीड़न जारी है। हरियाणा के जिलों में विशेषरूप से सिरसा जिले में पत्रकारों के खिलाफ सभी तरह के झूठे आपराधिक मामले दायर किए

[श्रीमती सुमित्रिनी अली]

गए हैं तथा जिला प्रशासन इन पत्रकारों को बुलाकर उन्हें धमकी दे रहा है तथा हर सम्भव प्रकार से उन्हें परेशान किया जा रहा है।

उन्होंने प्रधान मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इस मामले का भी उल्लेख करें।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, पंजाब के मामले का, जिसका जिक्र अभी श्री भजन लाल जी कर रहे थे, कल रात को लुधियाना के पास एक गांव में 12 आदमियों को घरों से निकालकर कत्ल कर दिया गया, जिसके कारण लोगों में दहशत फैल गई है और उसी का परिणाम है कि सारे पंजाब से लाखों की तादाद में लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर जाने की सोच रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। सरकार ने यह कहकर गलत सिगनल दे रखा है कि कोई भी आदमी टैररिस्ट्स के सामने गोली न चलाये, उसके कारण उनका होसला बहुत बढ़ गया है और उसी के कारण अब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुए। जिस तरह से कश्मीर से सारे लोग निकलकर आ गए हैं, वैसे ही पंजाब से निकलकर आ रहे हैं। सरकार को बताना चाहिए कि वहां पर क्या कार्रवाई सरकार इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कर रही है? हालांकि आज शाम को 5 बजे इसी पर सदन में डिबेट है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। अभी एक स्पेसीफिक सवाल पर श्री सुबोध कान्त सहाय बोलेंगे।

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध सुबोध कान्त सहाय) : जैसा कि कल प्रधान मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था, हमें जो जानकारी मिली है कि पूरी रात वहां पर बिजली लगाने का काम चला है और इसकी व्यक्तिगत तौर पर भी वहां के वरिष्ठ पत्रकार जो इंडिया टुडे से संबंधित हैं, उनसे जानकारी की है। बिजली लगने का जितना काम था वह रात भर चल रहा था। सुबह वहां पर फिर मारपीट की घटना हुई है उसके तहत जो आज माननीय सदस्यों का रोष आया है मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन के लिए यह बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरह की घटना लगातार वहां पर हो रही है, उसको करने में निकम्मा साबित हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : इन्होंने जिला प्रशासन को कह दिया है कि वह निकम्मा है। (व्यवधान)

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं प्रैस के मामले में घड़ियाली आंसू बहाने वालों से सहमत नहीं हूं, मैं उस आर्गनाईजेशन के किसी अवसर पर मजदूरों के साथ रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला प्रशासन के लिए सदन में आज जो रोष व्याप्त किया गया है अगर उसको उसकी जानकारी है तो उसके लिए सबसे शर्म की बात है। मैं सदन खत्म होने के बाद व्यक्तिगत तौर पर फिर इस पर देखूंगा। (व्यवधान)

———

4.32 म० प०

जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सुबोध कान्त सहाय बोलेंगे।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1983 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1983 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सुबोध कान्त सहाय : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

4.33 म० प०

जम्मू-कश्मीर दंड विधि अध्यादेश द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण दर्शाने वाला विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : मैं जम्मू-कश्मीर दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1990 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1969/91]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रो० सोज बोलेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैंने 'जम्मू-कश्मीर दंड विधि' संशोधन, अधिनियम के सम्बन्ध में संशोधनकारी विधेयक के पुर:स्थापन के खिलाफ नोटिस दिया था।

---

*दिनांक 9-1-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका कोई नोटिस नहीं आया है। ये तो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। आप तो रूल्स जानते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : रूल्स तो जानता हूं। मैंने रूल्स के मुताबिक नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

मैंने नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं दिया है।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : दिया है। मैंने माननीय मंत्री सहाय जी, द्वारा इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने के खिलाफ नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इसे पुर:स्थापित कर चुके हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब, बिल हो चुका है, आप इसको बाद में उठाइए, आप बैठ जायें मैं बाद में बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह (दौसा) : अध्यक्ष जी, मैंने प्रीविलेज मोशन दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)

4.35 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे। श्री पी० मुदाल गिरिवप्पा... उपस्थित नहीं हैं। श्री पीटर जी० मरबनियांग।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 पर शिलांग उप-मार्ग के लिए मंजूरी दिये जाने की मांग

श्री पीटर जी० मरबनियांग (शिलांग) : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 शिलांग नगर से होकर गुजरता है जहां पहले से ही वाहनों की भारी भीड़भाड़ रहती है। यह राजमार्ग त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और असम (कछार घाटी) राज्यों को जोड़ता है। मेघालय सरकार ने शिलांग नगर में भीड़-भाड़ को रोकने के लिए राजमार्ग के उप-मार्ग बनाने संबंधी योजनाएं और अनुमानित अनुमान केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिए हैं। तथापि, आज तक मंजूरी नहीं दी गई है। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह 1990-91 के वित्तीय वर्ष में शिलांग उप-मार्ग के लिए मंजूरी दे।

(दो) कोटाबलासा और बेलाडिला के बीच चलने वाली यात्री रेलगाड़ी में शायिकाओं वाले डिब्बे पुन: लगाए जाने की मांग

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : कोटाबलासा से बेलाडिला तक एक रेलवे लाईन है जो उड़ीसा के कोरापुट जिले और मध्य प्रदेश के बस्तर जिले से होकर निकलती है। इस लाईन पर पिछले 15 वर्षों से इलैक्ट्रिक इंजिन वाली एक मिली-जुली रेल चल रही है। क्योंकि इस लाईन पर केवल यही एक यात्री गाड़ी है जो बड़े क्षेत्रों तक जाती है, बहुत से यात्री भुवनेश्वर और उत्तरी भारत के लिए इस ट्रेन की सुविधा का उपयोग करते हैं। फिर भी, उन्हें वाल्टेयर से भुवनेश्वर या दिल्ली के लिए आरक्षण करवाने में असुविधा होती है क्योंकि यह ट्रेन वाल्टेयर में आकर समाप्त हो जाती है। इस ट्रेन में दो शायिकाएं थीं जिन्हें ईस्टकोस्ट एक्सप्रेस में जोड़ा गया था जिससे यात्रियों को वाल्टेयर में दूसरे वर्ग का आरक्षण न लेना पड़े। मैं इसका कारण नहीं जानता कि इन शायिकाओं को क्यों हटा दिया गया है इससे उन यात्रियों को बहुत असुविधा होती है जो लम्बी यात्रा पर जा रहे हैं, उन्हें वाल्टेयर से और आगे यात्रा के लिए आरक्षण करवाना पड़ता है।

मैं माननीय रेलवे मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि दो बड़े डिब्बों, पहले और दूसरे दर्जे की शायिकाओं को, एक भुवनेश्वर के लिए और एक दिल्ली के लिए यात्री-गाड़ी में पुन: लगा दिया जाए, इसे यात्री-गाड़ी से हटाकर और भुवनेश्वर और दिल्ली जाने वाली क्रमश: ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस और लिंक एक्सप्रेस में लगा दिया जाए। इससे राज्य और केन्द्रीय मुख्यालयों के लिए लम्बी यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

श्री नाथ सिंह (बीसा) : मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया यह समझ लीजिए कि यदि आपने विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है, तो आप केवल अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही इसे उठा सकते हैं। माननीय

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय यहां पर बैठे थे। उन्होंने इसे पेश करने के लिए या पेश न करने के लिए अनुमति नहीं दी, मैं नहीं जानता। इसलिए, कृपया आप इसे इस प्रकार प्रस्तुत नहीं कर सकते।

श्री मानधाता सिंह (लखनऊ) : किन्तु नियम के अनुसार यह भी प्रावधान है कि अध्यक्ष महोदय इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देते तो नोटिस को सदन के सामने पढ़ा जाना चाहिए। मैंने नियम 222 के अधीन नोटिस दिया था···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसे इस प्रकार नहीं किया जा सकता।

4.39 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले (—जारी)

(तीन) कोटा को "ख" श्रेणी का नगर घोषित किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा नगर राजस्थान की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसकी वर्तमान आबादी 6 लाख 30 हजार से भी अधिक है। इतनी बड़ी आबादी के कारण आज से 4 माह पूर्व एक आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक अपील में यह दिया कि कोटा में नगर परिषद की बजाय उसे नगर निगम घोषित करके ही वहां के निर्वाचन करवाये जायें। स्मरण रहे कि नगर निगम 5 लाख की आबादी के ऊपर ही घोषित किया जाता है। जब गत सरकार ने "बी" श्रेणी के नगर घोषित किये तब कोटा की आबादी तीन लाख 50 हजार थी। इसमें 10 परसेंट और जोड़ने के बाद इसकी 3 लाख 57 हजार की आबादी हो गई क्योंकि पहले 3 हजार आबादी कम थी, इसी कारण कोटा को "बी" श्रेणी का नगर घोषित नहीं किया गया। अब चूंकि कोटा नगर को मेगनेट सिटी घोषित किया गया है जो कोटा के महत्व को दर्शाता है। अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि कोटा नगर को शीघ्र "बी" श्रेणी का नगर घोषित किया जाये।

(चार) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर और इटावा के बीच एक रेल लाइन का निर्माण किए जाने की मांग

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर देहात एवं फतेहपुर, जिसका कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, अभी भी अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। यहां पर यातायात व संचार के माध्यमों का अत्यन्त अभाव है। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के विकास को अभी भी कोई दिशा नहीं मिली है तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। यदि इस सम्पूर्ण क्षेत्र में यातायात व संचार के साधनों का समुचित रूप से विस्तार किया जाए तो वहां के विकास के साथ-साथ लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि कानपुर-इलाहाबाद रेल मार्ग में फतेहपुर, बिन्दकी, जहानाबाद, घाटमपुर, भोगनीपुर, सिकन्दरा, औरैया और इटावा के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए शीघ्र ही उस क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण कराया जाय तथा सर्वेक्षण के उपरान्त इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए जिससे कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विकास की ओर एक सार्थक पहल की जा सके।

(पांच) दामोदर कार्य योजना को कार्यान्वित किए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : बाढ़ नियन्त्रण, सिंचाई और विद्युत के लिए महान दामोदर नदी पर बांध बनाकर उसके जल का उचित उपयोग करने के लिए दामोदर घाटी परियोजना की योजना बनाने से पहले, इस नदी को बंगाल की 'रिवर आफ सोरो' कहा जाता था। इस देश के औद्योगिक केन्द्र से निकलती हुई दामोदर नदी में प्रदूषण बहुत तेजी से उच्च-जल स्तर पर पहुंच रहा है और यही सही समय है जब गंगा कार्य योजना के समान इस नदी को साफ करने के लिए एक योजना बनाई जाये और उसे लागू किया जाये। वर्तमान में जो कूड़ा-करकट दामोदर नदी में गिरता है उसे तीन भागों में रख सकते हैं—कार्बनिक या नगरपालिका का कूड़ा-करकट, अकार्बनिक या औद्योगिक कूड़ा-करकट या विशेष वस्तु। ये सभी मिलकर नदी के पानी को दूषित करते हैं। औद्योगिक कूड़ा-करकट, खदानों इत्यादि द्वारा फैलाई गई विषाक्तता के अलावा इससे पर्यावरण का खतरा भी उत्पन्न होता है। यह एक खतरे का चिन्ह है कि कार्बनिक कूड़ा-करकट पदार्थ चेतावनी के चिन्ह को पार कर गया है। नदी में गिरने वाले औद्योगिक कूड़ा-करकट के अलावा अन्य प्रदूषक तत्व हैं—विद्युत ताप गृह, कोल वाशरिज, कोक अवन बैटरीज और खदानों द्वारा छोड़ी गई फ्लाई एश, कोल वाशरिज और लेड।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि बिना किसी देरी के दामोदर कार्य योजना आरम्भ करके इस नदी, जो हुगली नदी के बाद बंगाल की दूसरी जीवन-रेखा नदी है, की रक्षा की जाये। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि इस अति आवश्यक योजना को बनाने और उसके लागू करने में पश्चिम बंगाल सरकार की भी सहायता ली जाये।

(छः) बम्बई का नाम बदलकर सभी भाषाओं में मुम्बई किए जाने की मांग

श्री वामन राव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : 'बम्बई' महानगर शहर का नाम हाल ही में बदलकर 'मुम्बई' किया गया। फिर भी इस संबंध में सरकारी अधिसूचना के अनुसार 'मुम्बई' नाम केवल हिन्दी में ही प्रयुक्त होगा।

नगर का नाम बम्बई से मुम्बई करने की मांग के पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण हैं। महाराष्ट्र के लोगों की, विशेष तौर पर, बम्बई के लोगों की यह मांग बहुत लम्बे समय से है। लोगों ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये किये गये संघर्ष में बार-बार हिस्सा लिया है। किन्तु, एक शहर का नाम दो भाषाओं में अलग नहीं हो सकता। भाषा में परिवर्तन हो सकता है, उच्चारण में परिवर्तन हो सकता है किन्तु नाम एक समान ही रहना चाहिए। हाल ही में कुछ शहरों के नाम बदले गये थे। उदाहरणार्थ, त्रिवेन्द्रम से तिरुवन्थापुरम, कोचीन से कोची, किन्तु सभी भाषाओं में एक ही प्रकार को रखा गया है।

सभी भाषाओं में नाम को बदलकर मुम्बई करने के लिए गृह मंत्री को भी कई आवेदन भेजे गये हैं। यदि निकट भविष्य में लोगों की मांग नहीं मानी जाती तो अपने इस इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनमें और असन्तोष फैल सकता है।...**...

उपाध्यक्ष महोदय : जो लिखित में नहीं दिया गया वह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(सात) उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की सिधौली तहसील में चीनी मिल लगाए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। संसदीय क्षेत्र मिसरिख के अन्तर्गत सम्मिलित विधान सभा क्षेत्र सिधौली और उसके आसपास मीलों तक कोई बड़ा उद्योग न तो निजी क्षेत्र में हैं और न ही सहकारी अथवा सरकारी क्षेत्रों में। बड़े उद्योग के बिना न तो इस क्षेत्र का विकास हो पा रहा है और न बेरोजगार लोगों को काम ही मिल रहा है। छोटे-बड़े और सीमांत किसान भी जब तक नगदी फसल उत्पादित नहीं कर पाते और उसकी खपत के माकूल अवसर नहीं मिलते। गरीबी के शिकार रहते हैं। इस क्षेत्र में गन्ने की बेहतर उपज हो सकती है, परन्तु गन्ने की खपत करने के कोई साधन नहीं है। इसलिए किसान बहुत कम गन्ना पैदा करते हैं। जबकि इंच-इंच भूमि पर बेहतर गन्ने का उत्पादन हो सकता है। सिधौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अटरिया अथवा दाऊदपुर में से किसी भी स्थान पर चीनी मिल लगाकर इस क्षेत्र को एक बड़ा उद्योग दिए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि दाऊदपुर और अटरिया दोनों स्थानों के इर्द गिर्द पाँचोसी कि० मी० के मध्य चीनी उद्योग नहीं है। दोनों स्थान जी०टी० रोड नं० 24 पर हैं और रेलवे लाइन से सम्बद्ध हैं।

हमारी सरकार से मांग है कि सिधौली क्षेत्र के अन्तर्गत इन स्थानों पर चीनी उद्योग सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र में लगाने के लिए कार्यवाही करें अथवा निजी उद्यमियों को अटरिया अथवा दाऊदपुर में चीनी मिल लगाने के लिए आमन्त्रित कर आशय पत्र जारी करें।

(आठ) अयोध्या और फैजाबाद में "कार सेवा" के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की मांग

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की ओर सदन का ध्यान क्षेत्र में व्याप्त स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

गत दो माह से भाजपा व विश्व हिन्दू परिषद के तत्वावधान में चलाए जा रहे तथा कथित कार सेवा अभियान के चलते फैजाबाद शहर, अयोध्या का विशेषकर व सामान्य तौर पर पूरे क्षेत्र में जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

प्रात. दस बजे से सांय चार बजे तक जब तक कार सेवक अपने तथाकथित सत्याग्रह समाप्त नहीं करतेहैं, तब तक राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 28 पूर्णतया बन्द रहता है। फलस्वरूप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से पूर्वी व उत्तर पूर्वी राज्यों (बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम, मणिपुर) आदि को खाद्य व अन्य सामग्री लाने ले जाने वाली ट्रकें हजारों की तादाद में अयोध्या व फैजाबाद से 50 किलोमीटर दोनों ओर पुलिस द्वारा रोकी रखी जाती हैं, जिससे ढुलाई के काम में बड़े पैमाने पर बाधा उत्पन्न हो गई है। फलतः आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान को छू रहे हैं। यहां तक कि डीजल व उर्वरक की ढुलाई न हो पाने के कारण रबी की फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

कार सेवा अभियान से अयोध्या फैजाबाद के सभी कारोबार उद्योग एवं व्यापार पूर्णतया ठप्प हो गए हैं।

सम्पूर्ण सरकारी तन्त्र व अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपसे निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान देकर क्षेत्र की जनता को जान व माल की सुरक्षा प्रदान करे व सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए कारगर कदम उठाये।

(नौ) मध्य प्रदेश के रीवा नगर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किए जाने की मांग

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रीवा नगर 1948 के पूर्व रीवा की देसी रियायत तथा विंध्य प्रदेश बनने के बाद उसकी राजधानी था। सन् 1950 के मध्य तक हाईकोर्ट था। सन् 1956 के नवम्बर महीने में विंध्य प्रदेश का विलीनीकरण नये मध्य प्रदेश में हो गया। उस समय की सरकार द्वारा यह वचन दिया गया था कि नये मध्य प्रदेश में जिन प्रान्तों को विलीन किया जा रहा है उनके निवासियों को ये सारी सुविधायें मिलती रहेंगी जो विलीनीकरण के पूर्व वहां मौजूद थीं। इस आश्वासन के आधार पर रीवा में हाई कोर्ट बनी रहनी चाहिए थी। किन्तु यह सुविधा बन्द कर दी गयी। रीवा सम्भाग के सुदूरवर्ती क्षेत्रों जैसे सीधी जिले के देवसर एवं सिंगरौली एवं शहडोल जिले के वेनीवारी जैसे दुर्गम क्षेत्रों के लोग न्याय पाने से वंचित हैं।

अतः वर्तमान सरकार से मैं मांग करता हूं कि मध्य प्रदेश के रीवा नगर में जबलपुर हाई कोर्ट की एक खण्डपीठ स्थापित की जाये।

———

श्री महादेव शिवनकर (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह इनफोर्मेशन चाहिए कि कल सत्र समाप्त हो जायेगा। इससे पहले पिछली सरकार ने आश्वासन दिया था कि वैधानिक विकास मण्डल की स्थापना विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के लिए की जायेगी। अभी तक इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई। ये तीनों प्रदेश अभी तक अविकसित हैं जबकि इनको शासन द्वारा आश्वासन भी दिया गया था। (व्यवधान) क्या सरकार विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण के लिए विकास मण्डल स्थापना के सम्बन्ध में कटिबद्ध है, उनकी नीति है और अगर है तो इस सम्बन्ध में खुलासा करें क्योंकि कल आखिरी दिन होने के कारण मैं इस सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं।

———

4.58½ म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अन्तर्गत पंजाब की स्थिति पर चर्चा को कल के लिए स्थगित किया जाता है। हम इस संबंध में 5.00 म० प० चर्चा नहीं करेंगे। हम अन्य मामलों पर चर्चा कर सकते हैं।

———

4.54 म० प०

लोक सभा की बैठक का बढ़ाया जाना

पैट्रोलियम और रसायन तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : सरकारी कार्यों की आवश्यक मदों को पूरा करने के लिए अब यह आवश्यक है कि शुक्रवार, 11 जनवरी, 1991 को सभा की बैठक बुलायी जाए। चूंकि उस बैठक की अवधि बढ़ी हुई होगी अतः उस दिन हर किस की तरह न तो प्रश्नकाल होगा और न ही गैर सरकारी सदस्यों का कोई कार्य किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, शुक्रवार के दिन अगर सीटिंग होनी है तो प्राइवेट मेम्बर बिजनेस इसमें अवश्य होना चाहिए। (व्यवधान) रोज इसमें कोई न कोई गड़बड़ी हो जाती है और प्राइवेट मेम्बर के अधिकारों का अतिक्रमण होता है। इसलिए प्राइवेट मेम्बर बिजनेस को अवश्य लाना चाहिए, बाकी और कामों को आप बाद में भी ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, मेम्बर वगैरह तैयार नहीं होते, इसलिए हम लोग इसको नहीं लाते।

[अनुवाद]

मेरे विचार से यह सभा संसदीय कार्य मन्त्री के सुझाव से सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

4.55 म० प०

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प; भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक और भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं० 20, 21 तथा 22 पर एक साथ विचार करते हैं। दो घण्टे का समय इसके लिए दिया गया है। हम इस चर्चा को आज ही पूरा कर सकें इसके लिए सदस्यों को अत्यन्त संक्षेप में अपनी बात कहनी होगी।

[हिन्दी]

श्री निरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि यह सभा 15 अक्तूबर, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा अध्यापित भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अध्यादेश 1990 यहां पर प्रस्तुत किया गया है और इसके सम्बन्ध में जो कानून बनने जा रहा है, इस अध्यादेश को निकालने की आवश्यकता नहीं थी। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि इस अध्यादेश के द्वारा कानून बन जाने के बाद देश की हालत बहुत खराब हो जाएगी। इससे सरकार को सोने की कीमत बढ़ाने और सोना बेचने तथा अधिक नोट छापने की छूट मिल जाएगी। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ेगी। इसलिए सोने की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए। इससे सरकार को सोना बेचने की छूट मिल जाएगी और अधिक नोट छापने की छूट मिल जाएगी, जोकि देश के लिए घातक होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह दुनिया का नियम रहा है कि जितना सोना रिजर्व बैंक में रहता है, उतनी ही मात्रा में नोट छापे जाते हैं, लेकिन यहां पर आप उल्टी बात करने जा रहे हैं। सोने की मात्रा कम हो जाएगी और नोट अधिक छपेंगे, इससे पेपर करेंसी बाजार में ज्यादा आ जाएगी और निश्चित रूप से मंहगाई बढ़ेगी। अभी वैसे ही मंहगाई बढ़ रही है, कल भी इस पर चर्चा हो रही थी, मैं समझता हूं कि इससे और अधिक महंगाई बढ़ेगी। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और मंहगाई बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस कदम को उठाने से पहले सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह से आज आप करने जा रहे हैं, इसी तरह से ब्राजील और अरजेंटीना की सरकारों ने किया था और उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इसलिए आज जब देश में इतनी मंहगाई है, कृपा करके इस अध्यादेश को कानून का रूप न दें। सोने की कीमत बढ़ाने और ज्यादा नोट छापने का अधिकार सरकार न ले। आरक्षित सोने की कीमत 20 गुना बढ़ा देने से बढ़ने वाली मुद्रास्फीति के दूरगामी परिणाम होंगे। आज जो सरकार है और भविष्य में जो भी सरकार आएगी, इससे होने वाले नुकसान को नहीं रोक सकेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आरक्षित सोने का कोष बढ़े और इसके लिए प्रवासी भारतीयों को सोना लाने की छूट दी जाए। इससे तस्करी में भी कमी आएगी और सोने का कोष भी बढ़ेगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो मंहगाई बढ़ रही है, सोने की कीमत बढ़ाने और अधिक नोट छापने से मंहगाई और बढ़ेगी, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। (व्यवधान)

4.58 म० प०

इस समय एक बजकर बावन मिनट से सभा भवन में उप सभापति पद रिक्त हुआ

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : भार्गव जी, एक मिनट रुकिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यगण वहां पर इकट्ठे खड़े मत हों।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे वहां पर इकट्ठे नहीं खड़े हों। सुरक्षा कर्मचारी उन्हें सैंट्रल हॉल में स्थित डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उन सज्जन को छोड़ दीजिए तथा उन्हें केन्द्रीय कक्ष में जाने दीजिए.....

(व्यवधान)

5.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ लोग इनको उठाकर सैंट्रल हाल में ले जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यान से ले जाएं और भार्गव जी आप बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। समूह के रूप में खड़े मत होइये।

अब श्री गिरधारी लाल भार्गव अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मेरा निवेदन यही है कि देश में काफी महंगाई है और इस सारे अधिकार से सोने की कीमत को बढ़ाने से, सोना बेचने और अधिक नोट छापने का सरकार को अधिकार मिलेगा। इससे महंगाई बढ़ेगी। मेरा निवेदन यही है कि इस अध्यादेश को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह बिल के रूप में जो ला रहे हैं इसको जनमत जानने हेतु और प्रसारित करने के नाते दोनों अधिकार आपने मुझे बोलने के लिए दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी मेरी सारी बातों का उत्तर देंगे और सोने की कीमत बढ़ाने के जो अधिकार देने जा रहे हैं, उसको वापिस ले लें।

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प; भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक और भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले पर विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सदस्यों को जानकारी है कि हमारे विदेशी मुद्रा भण्डारों में न केवल मुद्रा भण्डार होते हैं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित एस० डी० आर० तथा सोना भी होता है। जबकि एस० डी० आर० तथा मुद्रा भण्डारों का मूल्यांकन सुव्यवस्थित वित्तीय प्रक्रिया द्वारा किया जाता है तथा उसमें समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 (4) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित सोने का मूल्य प्रति रुपया 0.118489 ग्राम शुद्ध सोने (10 ग्राम के लिए 84.396 रु० की दर से नियत किया जा रहा था। ऐसी स्थिति का परिणाम यह हुआ कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य का 1/26वां आंका गया था जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित भण्डारों के लिए लिए काफी कम कीमत को दर्शाता है। अन्तर्देशीय तुलना करने पर यह विशेष रूप से भारत के लिए हानिकारक है।

सोने की पुरानी निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित सोने की वास्तविक स्थिति ज्ञात करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन प्रकिया में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। इस समय जिस नई प्रक्रिया के बारे में विचार किया जा रहा है उससे भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर मूल्यांकन में परिवर्तन कर सकेगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में भी व्यापक रूप से परिवर्तन हो सकते हैं परन्तु ये मूल्य उससे कभी अधिक नहीं होंगे। इस प्रक्रिया से न केवल वास्तविक मूल्यांकन ही हो सकेगा बल्कि कई देशों के साथ उचित तुलना भी हो सकती है।

माननीय सदस्य यह नोट करना चाहेंगे कि इस संशोधन में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि समय-समय पर मूल्यांकन में परिवर्तन किया जा सके। इससे वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की अधिकतम सीमा बनी रहती है तथा इस प्रकार से मनमाने मूल्यांकन के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। यह एक ऐसी स्थिति में होगा कि सोने के बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर भी इसके प्रभाव पड़ेंगे।

प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप हमारे द्वारा धारित सोने की कीमत अन्य देशों के साथ तुलना की जा सकेगी जैसे थाइलैंड तथा ब्राजील जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने सोने की कीमत सौ प्रतिशत से थोड़ी अधिक आंकते हैं, इसी प्रकार पाकिस्तान तथा घाना जो नब्बे प्रतिशत अपने सोने का मूल्य रखते हैं तथा अर्जेंटीना और पेरू जो अस्सी प्रतिशत से थोड़ा अधिक अपना मूल्य रखते हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए।"

[श्री यशवन्त सिन्हा]

प्रत्येक अनुसूचित बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कुल मांग का औसतन डी०डी० देयताँ-रिजर्व बैंक के पास रखे तथा समय-सीमा भी अपने अनुसार ही रखे। इसे बहुधा "कैश रिजर्व रेशियो" के नाम से कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, की धारा 42 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से नकदी के विकास में अपना नियंत्रण रख सकें। रिजर्व बैंक परिस्थितियों के अनुरूप कैश रिजर्व रेशियो मांग करके अर्थ-व्यवस्था में नकदी पर नियंत्रण करने के लिए अपने तंत्र का इस्तेमाल करता है। इस समय अधिकतम पन्द्रह प्रतिशत तक सीमित उपर्युक्त रेशियो को कायम रखने के लिए अनुसूचित बैंकों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक ने पैसे में कटौती की थी। अधिकांश बैंक पन्द्रह प्रतिशत की वर्तमान सांविधिक सीमा स्तर पर पहले ही सी० आर० आर० कायम रख रहे हैं। इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि सम्बद्ध धारा में यह संशोधन करने के लिए है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक को यह शक्ति मिल सके कि वह इस उद्देश्य हेतु अधिकतम बीस प्रतिशत तक सीमा निर्दिष्ट कर सके। यह अपेक्षा की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक परिस्थितियों के अनुरूप अधिकतम धनराशि पर नियंत्रण करने के लिए इस सीमा को बढ़ाएगा।

महोदय, मुझे भरोसा है कि सम्पूर्ण सभा इन विधेयकों का एक मत से समर्थन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 15 अक्तूबर, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

गिरधारी लाल भार्गव जी आपने संशोधनों का सुझाव दिया है। क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने तो अध्यादेश निरस्त करने वाली बात कही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम मद सं० 20,21 तथा 22 पर एक साथ विचार कर रहे हैं। आपने अपना संकल्प पहले ही प्रस्तुत कर दिया है तथा तत्पश्चात् आपने मद सं० 21 के सम्बन्ध में संशोधन का भी सुझाव दिया है। अतः क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को उस पर 5 अप्रैल, 1991 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए" (1)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

प्रो० रासा सिंह रावत।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, उस पर 10 अप्रैल, 1991 तक राय जानने के प्रयोजनार्थ परिचालित किया जाए।" (3)

श्री अजीत पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन मुद्दों को साथ-साथ चर्चा के लिए लिया गया है। मैं भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1991 के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। यह संशोधन अत्यंत साधारण प्रतीत हो रहा है। लेकिन मैं नहीं जानता कि वास्तव में सरकार ने भली-भांति विचार कर इसे प्रस्तुत किया है या नहीं। इस बारे में अध्यादेश पहले ही जारी किया जा चुका है। जबकि हमें इस विधेयक का समर्थन करना है फिर भी इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं को मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना और उद्देश्यों के विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, मैं उद्धृत करता हूं :

> "बैंक, नोटों का निर्गमन करने और भारत में मुद्रा-स्थिति की सुदृढ़ता बनाए रखने की दृष्टि से आरक्षित राशियों का रखा जाना नियंत्रित करने के लिए तथा समष्टिगत रूप से देश की करेंसी और प्रत्यय व्यवस्था को देश के लाभार्थ चलाने के लिए भारत के लिए एक रिजर्व बैंक को गठित करना समीचीन है; किन्तु विद्यमान मुद्रा पद्धति के आधार पर अस्थायी उपबन्ध करना (मैं अस्थायी उपबन्ध शब्दों पर बल दे रहा हूं) और भारत के लिए सबसे उपयुक्त मुद्रा मान के प्रश्न को उस समय सोचे जाने के लिए छोड़ देना समीचीन है जब कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-स्थिति इतनी स्पष्ट और स्थायी हो जाए कि स्थायी उपाय करना संभव हो।"

जहां तक इस अधिनियम का संबंध है वर्ष 1934 से इसमें 73 बार संशोधन किए गए। जब इस अधिनियम को पारित किया गया और स्वतन्त्रता के बाद इसे स्वीकार किया गया तब यह एक अस्थायी उपाय था और इसका उद्देश्य स्थायी उपाय खोजना तथा नये सिरे से सभी तथ्यों की जांच करना था।

73 संशोधन करने के बाद आप अधिनियम के अन्य भागों के संशोधनों से इसकी तुलना करें जो भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में मुद्रा स्थिति की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने तथा आमतौर पर करेंसी और प्रत्यय व्यवस्था संचालित करने तथा स्थापना के लिये किये गये। मैं नहीं समझता कि वर्ष 1934 से अब तक जब भी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसमें संशोधन करने की आवश्यकता हो हम खंडों में इसका संशोधन करते रहे और 1934 में जिस उद्देश्य से इस अधिनियम पर विचार किया गया था और इसे पारित किया था उसका स्थायी उपाय न ढूंढें। प्रस्तावना में ही इसके लिए अस्थायी

[श्री अजीत पांजा]

प्रावधान है। इसलिए सरकार के लिए यह एक सही अवसर है कि वह 1934 के अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार पूर्ण रूप से नया अधिनियम बनाये और पुराने अधिनियम को निरस्त कर दे। समुचित स्पष्टता लाने के लिए स्थायी उपाय अपनाये। इस समय, 1991 तक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए जिस उद्देश्य हेतु सरकार प्रावधानों में संशोधन करने की सोच रही है वैसे ही वर्ष 1934 में मूल अधिनियम बनाते समय उसने सोचा था और यह कहा था कि जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति स्पष्ट हो जायेगी तब भारत के लिए सबसे उत्कृष्ट चालू मुद्रा व्यवस्था के आधार पर इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। महोदय, अब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति स्पष्ट मुद्रा हो गई है। कम-से-कम वर्तमान संशोधन यह दर्शाता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय उतार-चढ़ाव, वृद्धि अथवा कमी पर विचार करना चाहते हैं। मैं उद्देश्यों और कारणों के कथन से उद्धृत करता हूं—"इसे कोई समय नष्ट किये बिना विदेशी मुद्रा आरक्षितियों के स्तरों का वास्तविक चित्रण सुनिश्चित करना है।" मैं नहीं समझता कि इस अधिनियम में संशोधन करने से पहले इसके मुख्य उद्देश्यों की जांच की गई थी। इसलिए मैं यह बात जोर देकर कह रहा हूं कि स्थायी उपाय किए जाएं क्योंकि खण्डों में संशोधन करने से देश की वित्तीय समस्या नहीं सुलझेगी। जहां तक विदेशी मुद्रा भण्डारों तथा विभिन्न वित्तीय सौदों का संबंध है शायद इसी कारण हमें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह सोने से सम्बन्धित है। सोना सभी महान संस्कृतियों की सम्पदा और सम्पन्नता का प्रतीक रहा है। विश्वकोष ब्रिटेनिका में यह कहा गया है :

> "यह अनुमान है पिछले 10,000 वर्षों में भूमि से निकाला गया सोना पूरे विश्व में बैंकों और सरकारी खजानों में है तथा अलंकरणों, आभूषणों और अन्य शिल्पकृतियों के रूप में है।"

यह ऐसी धातु है जिसे हमेशा सम्भाल कर रखा गया। इसलिए इसके विभिन्न उपायों की विस्तार से जांच की जानी आवश्यक है।

उद्देश्यों में जो संशोधन करने की मांग की गई है उसमें कहा गया है कि 0.118489···

उपाध्यक्ष महोदय : जो पत्र परिचालित किये गये हैं आप उनमें से नहीं पढ़िए।

श्री अजीत पांजा : मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं इसके कुछ उद्धरण दे रहा हूं। यह ग्राम है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1934 में इतनी ही राशि निर्धारित की गई थी। ऐसा नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें 1969 के अधिनियम की धारा 26 के द्वारा संशोधन किया गया था जो 1 फरवरी, 1969 से प्रभावी था। जहां तक सोने का संबंध है 1934 में यह सोचा गया था कि उस समय 2.88 ग्रेन का उपयोग किया जायेगा। ग्रेन पदार्थ है न कि ग्राम अथवा वजन है। इसे 1968 में लाया गया था। क्या यह सत्य है कि वर्ष 1968 से 1991 तक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति पर विचार नहीं किया गया? सरकार द्वारा इसे अब प्रस्तुत करने की आशा थी लेकिन इस उपबन्ध को लागू करने की आकस्मिकता के कारण उन्हें अध्यादेश जारी करना पड़ा।

सरकार विदेशी मुद्रा आरक्षितियों के बारे में चिन्तित है। लोगों को यह दिखाने के लिये कि

विदेशी मुद्रा बढ़ गई है वह यह गणना करना चाहते हैं। विधेयक में यह स्वीकार किया गया है कि इससे घरेलू मूल्यों में 140 गुना और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में 126 गुना वृद्धि होगी। इसलिए विदेशी मुद्रा आरक्षितियों में असाधारण रूप से घरेलू मूल्यों में 40 गुना से अधिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में 26 गुना से अधिक वृद्धि हो गई।

माननीय मंत्री जी यह बात ध्यान में रखें कि देश में इस प्रकार कृत्रिम तरीके से सम्पत्ति की वृद्धि का देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और हमें इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं कर लेनी चाहिए जिससे यह लगे कि हमारे पास विदेशी मुद्रा के बड़े भण्डार हैं।

यह ऐसा होगा कि इस प्रावधान से हमें विश्व बैंक तथा अन्य संस्थानों से ऋण लेने में सहायता मिलेगी। लेकिन क्या माननीय मंत्री जी जो भी प्रभाव पड़ने वाले हैं उनकी विस्तार से जांच करेंगे क्योंकि जब अध्यादेश पारित हुआ था तब वह मंत्री नहीं थे।

अगला मुद्दा सोने के सिक्कों और सिल्लियों से संबंधित है। संशोधन में यह प्रावधान है कि जहां तक सोने के सिक्कों और सिल्लियों का संबंध है, इस धारा के उद्देश्य के लिए, सोने के सिक्कों और सिल्लियों का मूल्य आंका जाएगा।

मैंने सोने की परिभाषा दे दी है और यह माननीय मंत्री द्वारा सुधार करने के अध्यधीन है। जहां तक इस अधिनियम का संबंध है इसमें सोने के सिक्कों और सिल्लियों की परिभाषा नहीं दी गई है, यदि ऐसा नहीं किया गया है तब हमें किसके अनुसार कार्यवाही करनी होगी ?

हमें इसका सामान्य शब्दकोष अर्थ देखना होगा। प्रत्येक शब्दकोष, चाहे वह चैम्बर्स या अन्य कोई शब्दकोष हो, उनमें जहां तक 'गोल्ड' का सम्बन्ध है, इसके भिन्न-भिन्न अर्थ दिए गए हैं। ट्वीनटियथ सैन्चरी चैम्बर्स डिक्शनरी में इसका अर्थ बताया गया है :—

"भारी पीली धातु।'

आगे यह भी कहा गया है :—

"सिक्कों के निर्माण के लिए प्रयोग होने वाली मूल्यवान धातु।"

इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटेनिका में एक अलग अर्थ दिया गया है :—

"'गोल्ड' एक भारी घनत्व वाली, मूल्यवान, चमकीली, पीली धातु है, जिसमें देदीप्यमान माना होती है।"

अगर हम इसके सामान्य शब्दकोष अर्थ को देखें, तो पायेंगे कि ऑक्सफोर्ड, चम्बर्स और इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटेनिका शब्दकोशों में 'गोल्ड' शब्द के अर्थ में अन्तर है।

अगर मेरे पास सोने का सिक्का है तो, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार, कानून के अन्तर्गत इसका मूल्य क्या होगा ?

स्वर्ण सिक्के की परिभाषा क्या है ? इसमें सोने की मात्रा कितनी है ? सोने की शुद्धता, इसके

[श्री अजीत पांजा]

'फाइनेन्स' भाग को 1,000 के अनुपात में आंकी जाती है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहा जाता है। जबकि मिश्रधातु सोना इसमें सोने की प्रतिशतता के अनुसार, 12, 14, 16, 22 आदि कैरेट का होता है। 12 कैरेट सोने में 50 प्रतिशत सोना होता है। अत: मेरे या सरकार के पास सोने के सिक्के (या सोने की सिल्लियां) हैं इसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कितना होगा? आप कैसे पता लगाएंगे कि वह किस प्रकार का सोना है और कितने कैरेट का है? जहां तक इस अधिनियम का संबंध है, इसमें ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। अगर हम सामान्य खंड अधिनियम या शब्दकोष की परिभाषा को देखें, तो पाएंगे कि इस बारे में कोई भी परिभाषा नहीं है। अत: इसे स्पष्ट करना होगा। अन्यथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य या घरेलू मूल्य मालूम करने के इस प्रकार की बनावटी व्यवस्था से देश में इस प्रकार की पूंजी एवं सम्पत्ति पैदा होगी, जो कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति के लिए खतरनाक होगी।

अब मैं, दूसरे मुद्दे पर आता हूं। प्रतिभूति को लाया गया है, जहां तक इस अधिनियम का संबंध है, जो एक विशेष कानून है। इसमें प्रतिभूति को परिचालित नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे कि सोने के सिक्कों का मूल्य कैसे आंका जाएगा। प्रतिभूति का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य से मूल्य अधिक न हो, इस बारे में कैसे आंकलन किया जाएगा। अगर अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं है तो यह किस प्रकार की प्रतिभूति है? उद्देश्य यह है कि यह अभी एक अस्थायी प्रावधान है। अभी तक स्थायी प्रावधान नहीं किया गया है। अत: जहां तक समस्त अधिनियम की परिभाषा का संबंध है, जब तक सरकार पूरी तरह से विचार नहीं करती, तब तक यह वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकती। मात्र सभी प्रावधानों में संशोधन करने से ही, ये परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं।

महोदय, जहां तक समग्र अधिनियम का संबंध है, और इसमें रुपये के सिक्कों का प्रश्न है, रुपये के सिक्कों को परिभाषा धारा (2) उप-धारा (घ) में दी हुई है। यदि रुपये के सिक्कों को परिभाषित किया गया है, और सोने के सिक्कों को परिभाषित नहीं किया गया है, तो आप किस प्रकार से और कैसे हस्तक्षेप करेंगे? विधान में उस समय रुपये के सिक्कों का परिभाषित किया गया था, क्योंकि यह सन् 1934 की स्थिति है। लेकिन यहां तक सोने की सिक्कों और सोने के सिल्लियों का संबंध है, इस बारे में स्थिति पर विचार ही नहीं किया गया। जहां तक परिभाषा का सम्बन्ध है, इस बारे में चुप्पी साधी गई है। मैंने इसकी जांच की है। जहां तक इस अधिनियम का संबंध है, अगर हम इस अधिनियम को लें और इसकी उद्देश्य खंड से तुलना करें, तो मेरे विचार से जहां तक सरकार का संबंध है, यह कहीं भी अनुकूल नहीं होगी। यह भी पाया गया है कि वर्ष 1985 से 1989 के दौरान श्री राजीव गांधी की सरकार के समय 624.07 करोड़ रुपये मूल्य का सोना जब्त किया गया था। इतने मूल्य के सोने को जब्त किया गया था। जब्ती के बाद इसके मूल्य में वृद्धि हुई। 1987 में इसका मूल्य 65 करोड़ रुपये था। 1988 में बढ़कर यह 200 करोड़ रुपये हो गया। 1989 में —वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार—इसका मूल्य 2,59.55 करोड़ रुपये हो गया, पिछले पांच वर्षों के दौरान, कुल रकम में वृद्धि हुई है। इसने पिछले सारे ऐतिहासिक रिकार्ड तोड़ दिए हैं। जब्त किए गए सोने का मूल्य 624.07 करोड़ रुपये था। रिजर्व बैंक इसका क्या मूल्यांकन करेगा? राजस्व विभाग ने सीमा शुल्क आदि अन्य एजेंसियों के माध्यम से इस सोने को एकत्र

और जब्त किया था। कानून के अन्तर्गत इसे रिजर्व बैंक में जमा कराना चाहिए। राजीव गांधी सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान ऐसा किया गया। उस समय स्पष्ट निर्णय लिया गया था। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री को ऐसे निर्णय की जानकारी होगी। जब्त किए गए सोने के निपटान के बारे में निर्णय लिया गया था। उस समय यह निर्णय लिया गया कि 624.07 करोड़ रुपये मूल्य के सोने को राजस्व विभाग की आय समझा जाना चाहिए। उस समय यह स्पष्ट निर्णय लिया गया था।

उस निर्णय को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। हमारे योग्य अधिकारियों द्वारा तस्करों से इतनी भारी रकम का सोना जब्त किया गया था। इसे अभी राजस्व विभाग की आय में नहीं दिखाया गया है। यह रिजर्व बैंक के पास है। लेकिन जो विभाग, राजस्व विभाग यह सब कार्य कर रहा है, उसे इसका कोई श्रेय नहीं दिया गया है। अतः आपने राजस्व में 624 करोड़ रुपया का घाटा दिखाया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह निर्णय श्री राजीव गांधी की सरकार के दौरान लिया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि सीमा शुल्क, डी० आर० आई० आदि द्वारा जब्त किये गये सोने को भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराया जाये और राजस्व जमा के रूप में दर्शाया जाये। लेकिन दुर्भाग्य से इस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया। मैं आशा करता हूं कि इसे लागू किया जाएगा। मैं महसूस करता हूं कि इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अगर वास्तविकता की अनदेखी करके, टुकड़ों में संशोधन किया जाता है, तो देश की तस्वीर पेश करने के मामले में यह सही कदम नहीं होगा।

5.25 म० प०

[श्री जसवन्त सिंह पीठासीन हुए]

मैं यह बात कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि 1934 में इस अधिनियम के निर्माता, यह सोचकर इसे लाए थे कि यह एक अस्थायी उपबन्ध है और जब अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति स्थिर होगी, तो स्थायी अधिनियम लाया जाएगा। सरकार को सभी बातों को लेकर, 1991 की भारतीय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के अनुरूप, तत्काल एक स्थायी अधिनियम लाना चाहिए अन्यथा, अगर हम इस मामले को तत्काल हल करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के अधिनियम को लाना होगा, क्योंकि इससे पूरी मुद्रा प्रणाली का आकलन करना होगा। सरकार ने अध्यादेश लागू करने के बारे में सोचा है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० राम गणेश कासले (ठाणे) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करता हूं कि जल्दबाजी में वे इस बिल को पास न करें, सोच-विचार करके बिल पास करना जरूरी है क्योंकि इसका असर केवल इस वर्ष के रैवेन्यू पर या लोगों की स्थिति पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आने वाले 20 वर्षों तक, जो आज निर्णय आप कर रहे हैं, उसका असर रहने की सम्भावना है। हमें यह निर्णय करना है कि हम ब्राजील और अर्जेन्टीना की दिशा में जाना चाहते हैं या अपनी आर्थिक स्थिति और न बिगड़े, इसकी कोशिश करना चाहते हैं। इसका जवाब देना मंत्री महोदय की जिम्मेदारी रहेगी और मैं ऐसा मानता हूं कि वे इस जिम्मेदारी को समझकर आगे चलकर इस प्रकार का आग्रह नहीं करेंगे

[श्री० रामावतेश काफले]

तथा सोने की कीमत बढ़ाने का जो विचार चल रहा है, वह समाप्त हो जायेगा।

सभापति महोदय, सोने की कीमत बढ़ने से सरकार को सोना बेचने और नोट अधिक छापने की छूट मिल सकती है यानी मुद्रास्फीति और बढ़ने की सम्भावना है। कल ही हम महंगाई के बारे में यह बोल रहे थे कि महंगाई बहुत बढ़ गयी है। इस महंगाई के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण मुद्रा-स्फीति भी है। तो क्या सरकार इस दिशा में सोच रही है कि जो मुद्रा-स्फीति आज बढ़ी है, वह आगे जाकर और बढ़े और उसके बाद कीमतें भी और बढ़ें ? मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के कदम उठाने से पहले, जो सामान्य आदमी है, उसकी दशा पर भी विचार करें, तो ही उसका फायदा हर आदमी को रहेगा और शासन लोगों के लिए कुछ कर रहा है, इस बात को भी मान्यता मिलेगी।

सभापति महोदय, आज इस संशोधन के द्वारा सरकार सोने की कीमत लगभग 20 गुनी कर रही है जिसके कारण मुद्रा-स्फीति और भी बढ़ेगी, सिवाय इसके और कोई फायदा होने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए कि आज जो सोना सरकार के कोष में है, उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाये, इस पर सोच-विचार न करके, आज दूसरी तरफ सोच चल रहा है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि शासन सिर्फ आज की स्थिति पर ही सोच रहा है और अगले 20 वर्ष में क्या परिणाम निकलेंगे, उस पर विचार करना छोड़ रहा है। यदि आज की स्थिति पर सोच कर, सरकार ने यह संशोधन कर दिया और यह बिल पास कर दिया तो इसका असर आज नहीं, बल्कि अगले 20—30 वर्षों तक रहेगा। आज जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं उसका कारण पिछले 20 वर्षों में जो हुआ और उसके कारण जो मुद्रा-स्फीति बढ़ी और उसके कारण महंगाई बढ़ी, उसके परिणामों के कारण पहुंचे हैं। इसलिए मेरा फिर आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस बिल को जल्दबाजी में पास न करायें और मंत्री महोदय विचार करके, फिर समझदारी से इस पर कदम उठायेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदय, हमें इस अधिनियम के जो उद्देश्य और कारण परिभाषित किए गए हैं, और मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, उससे यह पता नहीं चलता कि अगर संसद ने विधेयक पारित कर दिया तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने पास रखे सोने और सोने की सिल्लियों की कीमत में कितनी वृद्धि होगी।

श्री अजीत पांजा : ऐसा नहीं है, घरेलू 40% और अन्तर्राष्ट्रीय 20% है।

श्री अमल दत्त : यह दर है। वृद्धि का जो कुछ प्रभाव—पहले हो गया है—उस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हमें यह जानने का अधिकार है कि 1934 में जो मूल्य निर्धारित किया गया था, उससे अब तक इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि रिजर्व बैंक के पास कितनी मात्रा में सोना और सोने की सिल्लियां हैं और इस प्रकार हम इसके प्रभाव को नहीं जान सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में आंकड़े देंगे।

19 फ़रव, 1912 (शक)

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प; भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक और भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित

यह कहा गया है कि हाल ही के खाड़ी संकट के कारण, रिजर्व बैंक के आरक्षित सोने का पुनर्मूल्य-निर्धारण आवश्यक हो गया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि खाड़ी की स्थिति से, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। खाड़ी की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। लेकिन यहां पिछले 6-7 साल या इससे भी अधिक समय से ही यह स्थिति ऐसी ही चल रही है।

वास्तव में कुछ वर्षों से स्थिति निरन्तर बिगड़ती ही जा रही है और इसलिए इस देश का वास्तविक विदेशी मुद्रा ऋण एक लाख करोड़ रुपये के लगभग पहुंच गया है। इसका एक कारण रुपये की कीमत में गिरावट भी हो सकता है।

इसलिए सिर्फ खाड़ी की स्थिति ही इसका कारण नहीं है। इसका वास्तविक कारण यह है कि सरकार और देश ने अपने साधनों से अधिक खर्च किया है या वे अपनी आवश्यकतानुसार साधन जुटाने में सफल नहीं हो पाए हैं। घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर असफलता प्राप्त हुई है। हम अपनी संकटपूर्ण स्थिति को अस्थायी रूप से संभाल सकते हैं, जो स्थिति है उसे थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। अचानक लोग कहेंगे कि भारत की विदेशी मुद्रा का कोष 5000 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये या ऐसा ही कुछ हो गया है। इसलिए, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर और ऋण देने के लिए दबाव डालना आसान हो सकता है। क्योंकि पहले वे यही देखते हैं कि ऋण लेने वाले में वापस करने की सामर्थ्य है अथवा नहीं या वह पैसा वापस देने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेगा। यह सामर्थ्य किस प्रकार प्राप्त की जाएगी इससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कोई मतलब नहीं है। किन्तु ऋण लेने के लिए किस प्रकार की सम्पन्नता की शेखी तो मारनी ही है ? इस ऋण की हमें बहुत आवश्यकता है क्योंकि हम आवश्यक उपाय करने में सफल नहीं हुए जो वर्षों से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हम ऐसी स्थितियां बनाते रहे जिसने आज हमें वर्तमान स्थिति में धकेल दिया है। एक बात और देखनी है कि यह संशोधन जो स्वर्ण नियंत्रण के लिए है, जिसमें कहा गया है कि फिलहाल वह मूल्य जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य से अधिक नहीं है, प्रतिस्थापित किया जाएगा। कितनी बार पुनः मूल्य निर्धारण किया जाएगा ? यह बहुत आवश्यक है और इसे नियम का अंग होना चाहिए। यह निर्णय प्रशासन पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि इस महीने हम इसका पुनः मूल्य निर्धारण करेंगे क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ गया है और जब मूल्य गिर जाएंगे। तो हम इसका पुनःमूल्यांकन नहीं करेंगे, हम मूल्यों को उच्चतम बिन्दु तक रखेंगे जब तक कि यह अगले बिन्दु तक नहीं पहुंच जाता।

इसलिए, इस विधेयक में एक दोष है। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। और एक विशेष वर्ष की तिथियां निर्धारित करेंगे अब पुनःमूल्यांकन किया जाएगा। अभी इसे प्रशासन पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वे अपना निर्णय दें या इस स्थिति पर अपना नजरिया बदलें।

दूसरा विधेयक बैंकों में नकद जमा अनुपात के बारे में है, मंत्री जी ने कहा है कि वह अब 15% है और कुछ समय से उसे लगभग प्राप्त किया जा चुका है। बैंकों द्वारा ऋण देने की स्थिति को और अधिक नियंत्रित करने की स्थिति में रिजर्व बैंक नहीं है, जबकि ऋण संतुलन नियंत्रित करने की रिजर्व बैंक से आशा की जाती है। ऋण संतुलन को नियंत्रित करने का क्या उद्देश्य है ? निश्चय ही इसका उद्देश्य मूल्य वृद्धि रोकना है। किन्तु सिर्फ ऋण नियंत्रण के द्वारा मांग को रोक कर मुद्रास्फीति की स्थिति को संभाला नहीं जा सकता, किन्तु ऋण को लाभकारी उद्देश्यों में भी लगाया जा सकता है, जहां

[श्री कमल दत्त]

संक्षिप्त अवधि के द्वारा मूल्य बढ़ने के साथ-साथ आपूर्ति भी बढ़ाई जा सकती है।

5.36 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

रिजर्व बैंक ऐसा कुछ नहीं करता, यहां तक कि रिजर्व बैंक विशेषकर ऋण को भी नियन्त्रित नहीं करता। इसने कुछ दिशा निर्देश दिये हैं, ये दिशा निर्देश व्यावहारिक तौर पर अपरिवर्तनीय हैं। अब यह जो कर रहा है, उसकी वजह से कुछ वर्षों से मुद्रास्फीति की स्थिति का हमें सामना करना पड़ रहा है। इसे उपभोग की वस्तुओं के लिए ऋण दिए जाने को नियंत्रित करना होगा, जैसे कि उपभोक्ता के उपयोग की वस्तुएं विशेषकर, विलासिता की वस्तुएं। परन्तु इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीयय बैंक और स्टेट बैंक इस ओर जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी आंखें बन्द की हुई हैं और इसलिए ऋण की विशाल राशि खड़ी हो गई है। हर व्यक्ति जानता है कि स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार उधार और बैंक कर्जा इत्यादि के द्वारा चलता है। वास्तव में, मुझे बताया गया है कि 90 प्रतिशत मरुति कारें बैंक से प्राप्त कर्जा से खरीदी जाती हैं। एक बैंक का इस क्षेत्र पर प्रभुत्व है वह है 'सिटी बैंक।' अब, दूसरे बैंक भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। इसी प्रकार, दुपहिया वाहनों की खरीद के लिए भी बैंक राशि देते हैं। मैं लोगों के कार खरीदने के विरुद्ध नहीं हूं। किन्तु, जो लोग दो वर्ष पश्चात् कार खरीद सकते थे, उन्होंने इन्तजार किया होता, यदि ऐसी स्थिति पैदा नहीं की गई होती, अगर यह मानसिकता न बनाई गई होती कि प्रतीक्षा मत करो, तुम प्रतीक्षा क्यों करते हो ? तुम्हें जो चाहिए वह अभी ले लो, अन्यथा जिसमें पांच वर्ष, छः वर्ष या दस वर्ष भी लग सकते हैं। यही स्थिति मुद्रास्फीति पैदा करती है। रिजर्व बैंक ने यही मानसिकता बनाई है। उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में बैंक द्वारा कर्ज दिये जाने के संबंध में अपना कर्तव्य निभाने में यह असफल रहा है। सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टेड तथा विदेशी बैंक ही नहीं बल्कि भारतीय स्टेट बैंक ने भी व्यक्तिगत बैंकिंग को बढ़ावा दिया है। इससे उन लोगों, जिनकी एक अच्छी निर्धारित आय है। बैंक उनसे यह कहता है कि—"आप कर्ज लो, आप अपनी जीवन शैली को सीमित क्यों रखते हैं ? आप बैंक से पैसा लीजिए और बाद में वापस कर दीजिए" वर्षों से इसी प्रकार की मानसिकता पैदा की गई है और इसे रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नहीं किया। अब, नकद जमा अनुपात को पन्द्रह से बीस प्रतिशत तक बढ़ाकर भी इसे नहीं रोका जा सकता। बल्कि पूरे मामले को सरकार को ही संभालना है और यह और ज्यादा इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती।

दूसरी बात यह है कि, कम्पनियां और औद्योगिक घराने पैसा ले रहे हैं। वे जिस कथित उद्देश्य के लिए पैसा ले रहे हैं, उससे भिन्न उद्देश्य के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। यह जांच करने का कोई तरीका नहीं है कि कर्ज लेने वाले, विशेषकर बड़ा कर्ज लेने वाले लोग। जिस उद्देश्य के लिए धन लिया गया था, क्या उसका उपयोग उसी कार्य के लिए कर रहे है अथवा नहीं। इसकी कोई जांच नहीं की जाती। रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि बैंक जांच-पड़ताल करें और इसे जांच कार्य का निरीक्षण करना है। इसने कुछ नहीं किया। मैं यही बातें कहना चाहता हूं।

मैं श्री पांजा का समर्थन करता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को एक नया रूप देना है और इसमें एक संशोधन करना पड़ेगा। किन्तु जिन बातों के बारे में मैं कह रहा हूं भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान राशि और ढांचे के दायरे में भी की जा सकती है।

अब, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि बड़ी कम्पनियों द्वारा कैसे पैसा खर्च किया जा रहा है, इस कारण उनमें से कई घाटे में चली गई हैं। उनमें से कई अन्धा-धुन्ध पैसा खर्च कर रही हैं इसलिए घाटे में हो गई हैं। ये कर्ज अब रद्द कर दिए गए हैं या उनमें से अधिकांश रद्द किए जा रहे हैं। बैंक उन्हें प्राप्त करने के लिए अदालत में जाने की इच्छुक नहीं है। कुछ भी हो, इस देश में न्याय व्यवस्था ठप्प हो गई है। अगर बैंक अदालत में भी जाते हैं, तो भी 'डिक्री' लेने के लिए दस या बीस वर्ष लगेंगे और इसे बढ़ाया भी जा सकता है और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। किन्तु, इस बीच क्या हुआ है? एक मानसिकता बनाई गई है कि एक बार जो ऋण ले लिया जाए, उसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी मानसिकता के लिए खुद बैंक ही जिम्मेदार है और सबसे अधिक जिम्मेदार है रिजर्व बैंक जिसका कर्तव्य है कि वह दूसरे बैंकों की गतिविधियों की जांच करे। जब तक ये चीजें रोकी नहीं जातीं, तब तक आप नकद जमा अनुपात को सही नहीं कर पाएंगे। एक निर्णय लिया गया है—हम सब उसमें भागीदार हैं—कि 10,000 रुपये या जो भी राशि हो तक के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। चुनाव के समय हर व्यक्ति वायदा करता है कि अगर वह सत्ता में आ गया तो ऐसा किया जाएगा और आखिरकार संसद में ऐसा निर्णय लिया गया। मैं नहीं जानता कि कहां तक वह निर्णय लागू किया गया है। किन्तु ऐसी मानसिकता बनाई गई है कि बैंक छोटे लोगों को कर्ज नहीं देना चाहते। वास्तव में, इसकी शुरूआत बड़े लोगों की गलतियों की वजह से हुई। यह आशा की गई थी। इस आशा को पूरा करना था किन्तु, वह पूरी नहीं की गई। किन्तु, उस प्रयास की वजह से, छोटे लोगों को कर्ज नहीं मिल रहा। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की वजह से कह रहा हूं। मैं देखता हूं कि जो लोग खेती में या कृषि क्षेत्र के अन्य प्राथमिक कार्यों में लग सकते हैं, अगर वे बैंक जाते हैं, तो उन्हें भगा दिया जाता है। 5,000 या 10,000 रुपये के कर्जे के लिए कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, उनकी ओर देखना भी नहीं चाहता, वे कहते हैं : "तुम यह राशि कभी वापस नहीं लौटाओगे। तुम सरकार के पास जाओ" और वे कर्जे माफ कर देंगे। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? यह सब कुछ बड़े उद्योगों के कारण हुआ है। किन्तु, इसकी वजह से छोटे लोगों को कष्ट उठाना पड़ रहा है और सरकार कुछ नहीं कर सकती। वह असहाय है।

सम्पूर्ण देश की भलाई के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार को हमने जन्म दिया और उसका प्रसार किया। इसी के बारे में हम सुन रहे थे और बात कर रहे थे और हमने सोचा था कि पूरी भारतीय राजनीति में ये बातें अब तक भुला दी गई होंगी। आज, हम पाते हैं कि, रिजर्व बैंक ने यह निर्देश दिए हैं कि किसी भी बैंक का कार्यालय तब तक नहीं खुलेगा, जब तक कि वह आर्थिक रूप से सक्षम न हो। कितनी अवधि में? बैंक कार्यालयों के आर्थिक रूप से सक्षम होने की समय सीमा क्या है? यदि हम ऐसा नहीं करते तो यह होगा कि बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्यालय नहीं खोलेंगे। विचार यह था कि एक बैंक कार्यालय 17,000 लोगों को अपनी सेवा प्रदान करेगा। बैंक खोले जाने का यही कारण था। मैं नहीं जानता, हो सकता है आगे चलकर आंकड़े कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन आज रिजर्व बैंक कहता है, यदि व्यवहार्य नहीं हो तो बैंकों को कार्यालय नहीं खोलने

[श्री अमल दत्त]

चाहिए जिसका अर्थ है कि बड़े शहरों में शहरी क्षेत्रों में बैंकों को केन्द्रित कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यालय नहीं खोल रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि यह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने का एक उपाय है तो मेरे विचार से यह आपकी गलती है क्योंकि यह सरकार ही मुद्रास्फीति को बढ़ा रही है। सरकार को अपने वित्त घाटे पर नियंत्रण करना चाहिए। कानून द्वारा रिजर्व बैंक पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए कि वह एक सीमा तक सरकार को ऋण प्रदान कर सकती है और सरकार भी उस सीमा तक ही रिजर्व बैंक से ऋण ले सकती है। इसकी कुछ सीमा होनी चाहिए। इस बात पर हम सबको सोचना शुरू करना चाहिए। इस बात को इस विधेयक में नहीं लाया जा सकता, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उपाय करने चाहिए अन्यथा मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को रोकने का कोई तरीका नहीं है। उससे अधिक, शायद यह सरकार की कुल ऋण लेने की कुछ सीमा होनी चाहिए जैसा कि संविधान में भी दिया गया है। वैसा नहीं किया गया है। इस बारे में पिछली सरकार, श्री वी० पी० सिंह की सरकार ने बात की थी, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। हो सकता है उस समय कुछ कागजात तैयार किए गए हों। अतः मैं मंत्री जी से और सरकार से इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने और कदम उठाने का अनुरोध करता हूं कि रिजर्व बैंक से सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण सीमित होना चाहिए तथा संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत सरकार की कुल उधार लेने की शक्ति को सीमित किया गया है। मूल्य वृद्धि को रोकने और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने की यही नीति और उपाय है। ये कुछ जरूरी उपाय हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही इस बात के लिए शंका भी जाहिर करता हूं कि आजादी के बाद कभी भी इस तरह का संशोधन नहीं आया है। जहां तक मुझे जानकारी है, 1934 में जो भाव रिजर्व बैंक ने तय किया था, वही भाव आज भी है। यह बात दूसरी है कि सोने की कीमत बाजार में बहुत बढ़ी हुई है और इसके मुकाबले में विश्व में इतनी कीमत कहीं नहीं बढ़ी हुई है। यही कारण है कि लोग इस देश में सोना विदेशों से मंगाते हैं और महंगा बेचते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केवल इतने से ही समस्या हल होने वाली नहीं है। अगर सरकार के पास सोने की कमी है तो सरकार को चाहिए कि देश में जितने राजा-महाराजा हैं, उनके पास बहुत अधिक सोना रखा हुआ है, उनसे सोना निकलवाइये। इमरजेंसी के समय में इसका सबूत है कि राजाओं के यहां से 18 मन सोना सरकार द्वारा जब्त किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी ऐसा राजा-महाराजा नहीं होगा, जिनके पास दो क्विंटल से कम सोना होगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कानून के मुताबिक, कानून के तहत, इन तमाम बातों पर विचार करना चाहिए और सरकार के पास यदि सोने की कमी है तो कानून के तहत उनकी तलाशी लेनी चाहिए। जिस प्रकार सीलिंग एक्ट के तहत सीमा से अधिक जमीन निकाली जाती है, उसी तरह से

कानून के तहत सोना भी उनसे निकालना चाहिए। इससे सरकार मजबूत होगी और सरकार को इस तरह का कानून बनाने का मौका कम आएगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में सोने के भंडार बहुत हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, अभी केवल एक ही जगह से सोने की निकासी होती है। सरकार को चाहिए कि जगह-जगह पर जमीनों की जांच कराये, जिससे सोने के भंडारों का पता लग सके। धरती ही नहीं, जल में भी सोने के भंडार हैं, सरकार को इसकी तरफ भी कदम उठाने चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक सोने के भंडार मिलें और हमारी शक्ति मजबूत हो सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कानून के तहत सरकार को इस पर कन्ट्रोल करना चाहिए, लेकिन इस तरह का काम भी सरकार को नहीं करना चाहिए जिससे देश के तस्कर मालामाल हो जायें। जहां तक मुझे जानकारी है, 1978 में पांच सौ मन सोना सरकार के द्वारा नीलाम कर दिया गया था। उस नीलाम किये हुए सोने को देश के तस्करी करने वाले लोगों ने खरीदा। उससे सरकार की हैसियत भले ही घट गई हो, लेकिन देश में रहने वाले तस्करों की हैसियत बढ़ गई। इसलिए उस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि कई एक मामलों में सरकार को कदम उठाना चाहिए, जिससे कि सरकार की समस्या दूर हो सके तथा सरकार किसी संकट में न आये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मूल्य बढ़ाने के साथ-साथ सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस मूल्य के बढ़ने से हमारे देश में सोने की कीमत नहीं बढ़े। क्योंकि देश के लोगों में शंका है कि अगर रिजर्व बैंक में सरकार के द्वारा रखे हुए सोने की कीमत बढ़ा दी जाती है तो अभी जो सोने का दाम है इतना अधिक, उससे भी अधिक सोने का दाम बढ़ जायेगा। भले ही दूसरे देश में कोई संकट हो या न हो, अगर हमारे देश में सोने की कीमत बढ़ जाएगी तो हमारे यहां के लोग बहुत संकुचित विचार से इस मामले में सोचते हैं कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप हो गया। हमारे देश में कई तरह का धर्म होता है, जिस धर्म के अवसर पर सोने को गहने के रूप में लगाया जाता है। देहातों में एक ज्युतिया पर्व होता है इस अवसर पर औरतें सोने के गहने पहनती हैं, चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, या धनी हो। तमाम लोग चाहते हैं कि सोना पहनकर इस पर्व को पूजें। ऐसी कई प्रकार की परम्परायें इस देश में हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह जो दाम बढ़ जाते हैं इसका असर इस देश के आम बाजारों में सोने की कीमत पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर यह दाम बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि सरकार सरकारी खजाने में रखे हुए सोने का दाम बढ़ा कर के, आम जनता में भी जो सोना बिकता है उसका भी दाम बढ़ा दिया गया। ऐसा करने से आम जनता की निगाह हमारे और आपके ऊपर खराब हो गई।

इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो सोने की कीमत देश के आम बाजार में बढ़ी हुई है, उस कीमत को कंट्रोल करने में सरकार को कानून बनाना चाहिए और उसे सख्ती से लागू करना चाहिए। जिससे कि आम जनता उससे परेशान न हो। यह बात दूसरी है कि हमारे देश में जितना सोने का औरतों के लिये महत्व है या गहने बनाने के लिये आम परिवारों में महत्व है, उतना महत्व इसका विदेशों में नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश में सोने की कीमत अधिक है और विदेशों में कम है क्योंकि हमारे यहां तमाम औरतें चाहती हैं कि मैं अवश्य गहना पहनूं और विदेश में औरतें नहीं चाहती हैं कि हम सोने का गहना पहनें या वहां पर इस तरह का कोई रिवाज नहीं है।

इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकारी खजाने में रखे हुए सोने का दाम बढ़ाने

[श्री नारायण सिंह]

के सवाल पर तो हम लोग सहमत हैं लेकिन सरकार को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि आम बाजार में सोने की कीमत न बढ़े, जिससे जनता पर कोई भार न पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस देश में जो सोना छिपाकर रखा गया है उस सोने को किसी-न-किसी तरह से जब्त करने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए, जिससे कि सरकार की शक्ति कमजोर न हो, छिपा हुआ धन, जो काले धन के रूप में है वह बाहर आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री जग पाल सिंह : (हरिद्वार) : सभापति जी, मैं रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, अमेंडमेंट बिल 1990-91 का कुछ सुझावों के साथ समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दुनिया में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या वहां की मुद्रा का आधार सोना, दुनिया के स्तर पर समझा जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में सोने के भण्डार होने के बावजूद भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी मुद्रा की कीमत लगातार गिर रही है। हो सकता है कि हमारे पास सोने का भण्डार कम हो। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि हर साल हमारे देश में करीब-करीब दो सौ टन सोने की खपत है, भारत सरकार सिर्फ 20 टन सोना इस देश में पैदा कर पाती हैं। इससे साफ है कि 180 टन सोना अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से हिन्दुस्तान में तस्करी करके लाया जाता है। अभी तक गवर्नमेंट आफ इण्डिया के जो आंकड़े हैं कि 180 टन सोने में से गवर्नमेंट आफ इण्डिया पर ईयर सिर्फ 18 और 20 टन के बीच में ही तस्करी का सोना पकड़ पाती है। अभी जो 3-9-90 से हमारे देश में सोने की कीमत और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत में 1157 रुपये का फर्क है। स्वाभाविक है कि हमारे देश में दुनिया के हर बाजार से सोने की तस्करी ज्यादा होगी।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था पिछले 11-12 महीनों में, वी० पी० सिंह की सरकार में जिस बुरी तरह से गिरी है, उसको संभालने के लिए आप सख्त कदम उठायें। जो कारण आपने दिया है कि ये आर्डीनेंस आप इस वजह से लाये हैं, इसमें पूर्णतया सत्यता नहीं है। आज हमारी या भारत की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में, चाहे आप आई० एम० एफ० का वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बात करते हों, कोई भी आज प्रतिष्ठा पूर्वक भारत को लोन देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है और उनका यह सवाल भी ठीक है, आप अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते नहीं हैं। और आप हजारों करोड़रुपये का कर्जा इंटरनेशनल मानेटरिंग फण्ड से और विश्व बैंक से ले रहे हैं। भारत सरकार की स्थिति तो यह भी नहीं रही कि वह अपने घाटे को कम कर सके या देश में सामाजिक न्याय देने के लिए कोई मजबूत अर्थव्यवस्था पैदा कर सके।

सभापति महोदय, 162 करोड़ रुपये के करीब का सोना हर साल तस्करी के जरिए देश में आता है। मेरा निवेदन है कि सोने का भण्डार बढ़ाने के लिए या विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए तस्करी का सोना पकड़ने की मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए, तभी शायद आप इस अमेन्डमेंट बिल की मंशा को पूरा कर पाएंगे। भारतीय प्रवासी जो विदेशों में रहते हैं, मेहनत-मशक्कत करके उनके पूरे परिवार आमदनी करते हैं, उनको कुछ छूट दी जानी चाहिए। एक तरफ तो आप इंडस्ट्री में जो प्राफिट है, उसमें आप छूट देने के लिए तैयार हैं कि विदेशी मुद्रा की कीमत पर उसको ले जा सकते हैं, लेकिन

जो हमारे भारतीय प्रवासी विदेशों में रहते हैं, उनके लिए छूट नहीं है कि वे सोना वहां पर ला सकें। आप एक लिमिट बांध दीजिए कि इतने जेवरात ला सकेंगे, इससे वह सोना कानूनी होगा। अगर सरकार उचित समझे तो उस पर उचित कस्टम ड्यूटी भी लगा सकते हैं, इससे कम से कम सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी और वह सोना भी लीगल होगा, इससे तस्करी में भी कमी आएगी और देश की विदेशी मुद्रा भी बढ़ सकती है।

सभापति महोदय, दो ही तरीके हैं, या तो लोकल सोना पैदा करिए या इल्लीगल सोने को पकड़िए, यह काम आपको करने होंगे, तभी जाकर इस अमेंडमेंट बिल की मंशा पूरी होगी। 1934, 1956, 1968 के बाद यह अमेंडमेंट लाया गया है, कीमत को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैं इस बारे में शंकित हूं। मैं एक बार फिर आपका इशारा इस तरफ कर रहा हूं कि वह पूरी की पूरी इंडियन इकानमी का बहुत इंपार्टेंट पहलू है। जहां तक रिजर्व बैंक का सवाल है, मैं नहीं समझता कि उसका कार्यकलाप इस देश के लोगों को सामाजिक न्याय देने का रहा है, वह इस काम को कर पाया है या नहीं, यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बुनियादी औद्योगिक नीति पर विचार करे। आज चाहे रिजर्व बैंक हो या कोई और बैंक हो, सामाजिक न्याय की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस देश की कैपिटलिस्टिक सोसायटी की सहायता करने का काम कर रहे हैं। आपके बैंकों की मेंटेलिटी में नहीं जानता कि फ्यूडल है या कैपिटलिस्टिक, लेकिन इस देश में कैपिटलिजम और फ्यूडलिजम का एक समझौता हुआ है और उस समझौते को तोड़ने का काम बैंकों द्वारा किया जा सकता है। आज जो करोड़ों गरीब लोग हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनको सामाजिक न्याय दिलाने की ओर बैंकों ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी औद्योगिक नीति और बैंकों की नीति, उनके फण्डामेंटल स्ट्रक्चर को बदलने पर विचार करें तभी शायद भारत की अर्थ-व्यवस्था सुधर पाएगी।

सभापति महोदय, सोने का जहां तक सवाल है, आप तस्करी रोकिए। आप सिर्फ 20 टन सोना पैदा करते है और 18 टन सोना तस्करी द्वारा पकड़ते हैं, बाकी 162 टन सोना जब विदेश से आएगा तो नेचुरली इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और ब्लैकमनी को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज ब्लैकमनी की एक पेरलल इकानमी देश में खड़ी हो गई है, इसको तोड़ने की जरूरत है, तभी आप इस संशोधन विधेयक की मंशा पूरी कर पाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

6.00 म०प०

श्री गुमान मल लोढा (पाली): सभापति महोदय, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के इस संशोधन बिल के संबंध में जो चर्चा चल रही है, उसके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। विश्व में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक आवश्यकता यह है कि गोल्ड रिजर्व के अनुसार करन्सी उस राष्ट्र में उसी रूप में चलायी जाए। दुर्भाग्य से हमारे यहां समय-समय पर गोल्ड रिजर्व कम होता जा रहा है और करन्सी नोट छापने की मशीनें इतनी प्रचुर मात्रा में नोट छाप रही हैं जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है और महंगाई बढ़ती है महंगाई बढ़ने के बाद प्राइस इन्डैक्स औ डिवरनैस अलाउंस बढ़ता है जो कि विशाल सर्कल है जिसके कारण सारे देश की इकोनोमी अतिग्रस्त हो रही

[श्री गुमान मल लोढ़ा]

है। पूर्व वक्ताओं के विचारों का समर्थन करना चाहता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि ओवर-आल इकोनोमी की तरफ ध्यान दें और तब ही इस देश के अन्दर वास्तव में रिजर्व बैंक जो सारे बैंकों और सारी अर्थव्यवस्था का मानिटरींग करने की आवश्यकता है पैटो पैडस्टर बैंकिंग इन्स्टीच्यूशन का और अर्थव्यवस्था का वह अपना काम कर सके। पिछले कई वर्षों में और कई बैंकों ने करोड़ों रुपए गलत तरीके से उनको उधार देकर के अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त भी किया है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, आफ इंडिया और कैनारा बैंक और ऐसे कई बैंक हैं जो सारी बैंकिंग के अन्दर जाने जाते हैं। जहां पर बड़ा स्कैण्डल हुआ है, बड़ा गलत फंडिंग हुआ है उसके लिए वहां पर रिजर्व बैंक के द्वारा मानिटरींग न करना भी इसका दायित्व है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जितनी भी बैंकिंग इंस्टीच्यूशन्स हैं, उनकी व्यवस्था ठीक तरह से हो। ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के लिए नेशनल अवार्ड हुए बहुत लंबा समय हो गया। आज तक उनको नेशनल अवार्ड का लाभ नहीं मिला। बैंक एम्पलाइज को पेन्शन का थर्ड बैनीफीट दिया जाना चाहिए। राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं में एल० आइ० सी० और अन्य स्थानों पर कर्मचारियों को लाभ मिलता है। स्टेट बैंक या एक-दो बैंकों को बैंकिंग इंस्टीच्यूशन में लाभ मिलता है। अन्य स्थानों पर पेंशन के अवार्ड के अन्दर बैंकों के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद में और उनके परिवार भूखो मरते हैं। पेंशन ही थर्ड बेनीफीट मिलना चाहिए। रिजर्व बैंक मानिटरींग करके पैकेज डील करके प्लान बनाए जिससे कर्मचारियों, मजदूरों और अल्प वेतन भोगियों को लाभ मिल सके। इस समय हमारी इकोनोमी यह है कि स्वर्ण नियंत्रण कानून को समाप्त कर दिया है। बहुत अच्छा किया गया। उसके कारण से बहुत अधिक राष्ट्र में कई प्रकार के विकार थे। पैरेलल इकोनोमी को समाप्त करने के लिए कदम उठाना चाहिए था। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सारे राष्ट्र में इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि डीमानेटाइजेशन होने वाला है। पांच हजार के नोटों की रकम को पांच सौ रुपये में सरकार की ओर से किया जायेगा। इसके बारे में स्पष्टीकरण कर दें। इस तरह की रियूमर्श सारे राष्ट्र में फैल रही हैं जो कि बड़े बैंकों में फैली हुई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री हेत राम (सिरसा) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा लाये गये विधेयक काफी अच्छे हैं। उन्होंने स्वर्ण के बारे में स्थिति स्पष्ट की है। यदि आप इसकी तुलना अन्य देशों से करें तो भारत में स्थिति पूर्णतः भिन्न है। भारत में सोने का मूल्य अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। कीमतें बढ़ सकती हैं लेकिन मात्रा नहीं। देश में सोने का भण्डार बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये मूल्य तक हो सकता है। यदि आप भारतीय मुद्रा की दृष्टि से देखें तो यह धारणा बन सकती है कि हमारा भण्डार अधिक है। लेकिन सोने का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य वही रहेगा।

अब मुझे रक्षित भण्डार के बारे में बात करनी है। यदि ऐसी कुछ बात होती है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आप इस समस्या को किस तरह सुलझायेंगे। क्या आपके पास अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कोई उपाय है? हमारी अर्थव्यवस्था काफी खराब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को संतुष्ट करने

की स्थिति में हैं। जब कि सोने का मूल्य कम हो रहा है। हमारे पास ऐसा कौनसा उपाय है जिससे हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह पुष्टि कर सकें कि हमारे पास पर्याप्त भण्डार है।

जहां तक दूसरे विधेयक का सम्बन्ध है 15 प्रतिशत भण्डार पर्याप्त है। चूंकि हमारी कुल जमा का 100 प्रतिशत बैंकों के पास ही जमा है और उस 100 प्रतिशत में से, केवल 15 प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा है। अत: 85 प्रतिशत बाकी बचता है।

जहां तक अधिकतर बैंकों में ऋण का सम्बन्ध है, स्थिति स्थिर है, खराब है। वे 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच हो सकता है लेकिन अलग-अलग बैंकों में स्थिति भिन्न है। कुछ बैंकों में, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है उन्हें रुग्ण बैंक कहा जाता है। यह भी अफवाह है कि कुछ ऐसे बैंकों का अन्य बैंकों में विलय किया जायेगा जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। जबकि स्थिति यह है कि बैंक इस 15 प्रतिशत रक्षित धन को रखने की स्थिति में नहीं है जो रिजर्व बैंक के पास जमा किया जाता है। ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को दे रहा है बहुत बहुत कम है। अब ऐसी स्थिति है कि अधिकतर बैंक सरकारी क्षेत्र के हैं और आर० बी० आई० भी सरकार का ही एक अभिकरण है। सी० आर० आर० का आर०बी०आई० के लिए कोई उपयोग नहीं है क्योंकि ये बैंक आत्म नियंत्रित हो गये हैं। बैंक इस स्थिति में नहीं है कि 15 प्रतिशत धन जो जमा किया जाता है उसको जमा करा सके। इसके लिए उन्हें खुले बाजार से ब्याज की ऊंची दरों पर ऋण लेना पड़ रहा है। इससे निश्चय ही इसके लाभों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सी० आर० आर० का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना था। लेकिन यह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में असमर्थ रहा है क्योंकि जमा राशि के लिए बाजार से ऋण लेना पड़ता है।

6.07 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

15 प्रतिशत धन रिजर्व बैंक में पहले ही जमा किया जा चुका है लेकिन इस प्रतिशत को बनाये रखने की उनमें सामर्थ नहीं है। बैंकों के लाभ कम हो जायेंगे क्योंकि बैंकों के पास नगदी कम हो जावेगी।

जहां तक मुद्रास्फीति का सम्बन्ध है बैंक की जमा राशि से मुद्रास्फीति नहीं बढ़ रही है बल्कि काले धन से मुद्रास्फीति बढ़ रही है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। न तो रिजर्व बैंक और न ही सरकार काले धन को नियंत्रित करने में समर्थ है। यह एक बात है जो हमारी अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रही है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि एस० एल० आर० और सी० आर० आर० जैसी योजनाओं को जारी रखने के बजाय देश में काले धन के चलन पर नियंत्रण करना चाहिए। ये योजनाएं बहुत छोटी हैं न कि बैंक की जमा पूंजी।

इस अनुरोध के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प; भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक और भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित

9 जनवरी, 1991

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। यह बिल बहुत ही तात्कालिक आवश्यकता के कार्य के लिए लाया गया है। माननीय मंत्री जी चाहते हैं इस बिल के जरिये से कि रिजर्व बैंक को यह अधिकार मिले कि जो सोना भण्डार में है उसको रि-वेल्यूड करके विदेशी मुद्रा की कितनी रि-असेसमेंट है यह देखा जाए। जहां तक सवाल इस बात का है एक सामान्य प्रक्रिया है, मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार की स्थिति है उस स्थिति में बहुत ही दृढ़ नीतियों की आवश्यकता है और आप ऐसे समय में वित्त मंत्री बने हैं जिस समय पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण आर्थिक क्षेत्र में न केवल संक्रमण काल बल्कि एक संकट का काल पैदा हो गया है। और लोगों का विश्वास यदि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर नहीं टिकता है तो उसका परिणाम सारे देश के लिए घातक हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम के लिए जो वित्तीय संस्थाएं हैं अर्थात् बैंक्स और विशेषकर रिजर्व बैंक को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। मैं सुझाव के तौर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपका रिजर्व बैंक एक्ट है, उस पूरे एक्ट पर नजर डालने की आवश्यकता है। एक्ट के अन्दर क्या हमको ऐसा महसूस नहीं होता कि रिजर्व बैंक को कुछ और अधिक पावर्स दी जानी चाहिए ताकि विभिन्न बैंकों के कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से रेगूलेट कर सके, उनकी वर्किंग को मानीटर कर सके। साथ ही साथ कहीं-कहीं पर गवर्नमेंट ऐसे कदम उठाना चाहती है जिससे हमारी अर्थ-व्यवस्था को भी किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे और बैंक्स की फंक्शनिंग से कुछ फायदा हो सके, उसमें रिजर्व बैंक भी ऐसे प्रभावी अस्त्र के रूप में आ सके लेकिन भारत राष्ट्र की गवर्नमेंट यदि ऐसा करना चाहे तो उसमें रिजर्व बैंक व्यवधान पैदा कर सके, अपना प्रभावी रूप से सुझाव दे सके। इसका कारण यह है कि हमने पिछली बार यह महसूस किया कि पिछली सरकार ने कुछ ऐसे वित्तीय कदम उठाए हैं जिसकी मार आपको झेलनी पड़ रही है। मैं समझता हूं कि जो भी सरकार आने वाली समय में आएगी, तब जो बजट पेश करेगी, हो सकता है आप पर जादू कर दे तो अच्छी बात है मगर मुझे डर यह लग रहा है कि आपको सबसे ज्यादा अन-पापुलर बजट पेश करना पड़ेगा। मुझे संदेह है कि उसमें कुछ सुधार आप कर सकेंगे? हमारी आर्थिक स्थिति विषम है जिसके कारण आपको कई प्रकार के ऐसे अन-पापुलर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस दिशा में आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों में से कुछ बैंकों की स्थिति अच्छी है लेकिन उनमें से कई बैंक्स ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट के दबाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं जरूर खोली गई हैं लेकिन उन बैंकों के जरिये कोई कामर्शियल ट्रांजेक्शन प्रभावी रूप से नहीं किया जा रहा है और यही कारण है जिन तीन बैंकों के बारे में निकलता रहता है, उनकी फंक्शनिंग ठीक नहीं है और उनकी फाईनेंशियल पोजीशन डगमगा रही है। मैं समझता हूं कि आज की जो स्थिति है, उसमें बैंक का मैनेजमेंट ही दोषी है। न तो साधारण जनता का कोई काम किया है, न जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, इसलिए इनकी वित्तीय स्थिति लड़खड़ा रही है। इन बातों को देखते हुए उन बैंकों के आगे संचालित बैंकों के विषय में भी सन्देह उत्पन्न हो गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि इन बैंकों को वर्किंग के विषय में रिजर्व बैंक को पावर्स दे और साथ ही गवर्नमेंट की

तरफ से भी प्रभावी साधन होने चाहिएं ताकि ऐसा मैनेजमेंट जो अपनी कमजोरियों के कारण उस बैंक की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाती हैं, खराब करती हैं, उसी के ऊपर भी कोई नियंत्रण रख सके।

माननीय सभापति महोदय, एक छोटा-सा सुझाव मैं उत्तर प्रदेश की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। हमारा दुर्भाग्य है कि हिन्दुस्तान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। इस प्रदेश के अन्दर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का मुख्यालय नहीं है। मुख्यालय तो छोड़िए, जोनल आफिस भी कम हैं जिसके कारण हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर फाईनेंशियल वर्किंग बहुत कम होती है। जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनके मुख्यालय या तो बम्बई में हैं या कलकत्ता में हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद नाम का बैंक है और उसका हैडआफिस भी कलकत्ता में है। यह शिकायत नहीं है कि इसका हैडआफिस कलकत्ता में है लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम-से-कम राष्ट्रीयकृत बैंक्स को सलाह दी जाए कि यदि हैड आफिस वहां नहीं खोल सकते हैं तो कुछ बैंक्स के रीजनल आफिसेज, जोनल आफिसेज उत्तर प्रदेश के अन्दर डिफरेंट एरियाज के अन्दर खोल सकें। जितने भी इस प्रकार के जोनल आफिसेज खुल सकेंगे, उससे जनता को लाभ मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से बहुत समय पहले एक सुझाव आया था। कुछ वहां के छोटे-छोटे बैंक्स थे जिनमें बरेली बैंक और नैनीताल बैंक हैं। इन सारे बैंकों को मर्ज करके एक यू० पी० बेस्ड बैंक बनाने का मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस विषय पर आपके मंत्रालय में बड़ी सहजता से विचार करना चाहिए।

मैं एक बार फिर आपके बिल का स्वागत करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, जिस तरह से यह विधेयक सदन में आया है, मुझे इसमें कुछ आपत्ति है। आपत्ति इस मायने में है कि वित्त मंत्री ने "स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स" में जो बात कही है कि खाड़ी के इलाके में जो हालत बनी है, उसके चलते हमारे पास विदेशी मुद्रा कितनी है, इस बात को दुनिया के सामने रखने के वास्ते कुछ निर्णय लेने हैं ताकि विदेशी मुद्रा के मामले में और खास तौर पर बैलेंस आफ पेमेंट्स के मामले में हम जितने लाचार दिख रहे हैं, इतने लाचार न होकर के दुनिया में समझे जाएं। मुझे आपत्ति इस बात की है कि दुनिया इस बात को जानती है। अगर हम लोग यह समझते हों कि हिन्दुस्तान में सोने का दाम किस प्रकार तय किया गया था, पिछले अनेक सालों में, क्योंकि मेरे ख्याल में यह दाम 25-30 या 30-40 सालों के पहले तय हुआ था। क्या दुनिया के आर्थिक बाजार में या वर्ल्ड बैंक को, इन्टरनेशनल मानीटरी फंड को या खाड़ी देशों को, इन तमाम लोगों को हम लोगों की लाचारी की कोई जानकारी नहीं थी और किस तरह से हम लोग सोने का दाम यहां लगाते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं थी ? ऐसी बात नहीं है। इसलिए यह केवल एक दिखावे वाली बात हो जाती है कि हम अपने सोने के दाम का आधार कागज के ऊपर दुरुस्त करके, इतने बारीक नहीं हैं, कुछ तो हम भी मोटे हैं, यह दिखाने का प्रयास हो जाएगा। इससे कोई समस्या का निदान नहीं होगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि अब तो समस्या का निदान हाथ से बाहर ही हो गया है। इतना निराश मैं होने के लिए अभी भी तैयार नहीं हूं। लेकिन एक कांग्रेस दल के माननीय सदस्य अभी बोलकर बाहर चले गए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने पिछले साल भर में जो कुछ भी खराबी की है, उसको दुरुस्त करने का काम नये वित्त मंत्री की तरफ से हो जाए, यह उन्होंने आशा व्यक्त की इस कागजी गणित को लेकर।

सभापति महोदय, स्थिति एक अरसे से बिगड़ी है। विदेशी कर्जा जिस प्रकार लेने का काम

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

किया और मैं शायद ठीक याद करूं तो वित्त मंत्री स्वयं इस बात को मानेंगे कि विदेशी मुद्रा हम लोगों ने इस तरह से ली है कि फिजूल खर्ची में, दिखावे वाले खर्चे में उसको हम लगा सकें। (व्यवधान) पिछले 5-7 सालों में जो ऋण माफ किए हैं। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : आपने कहा ऋण माफ कर देंगे और उसका प्रभाव यह रहा कि हर जिले में दो सौ आदमियों के ऋण माफ हुए और दो-दो हजार नहीं दस-दस, बीस-बीस हजार लोग ऐसे हैं जो अपने ऋणों को अदा नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऋण माफ कराइए। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह भी हो जाएगा और आपके जो उप-प्रधान मंत्री हैं, उनसे यह सवाल आपको पूछना चाहिए, वह काम जारी है। आप रावत जी, इसके बारे में परेशान मत हों। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : आप ऐसी समस्या पैदा करके गए जिसका आपके पास निदान नहीं था। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : घोषणापत्र लागू करने की जिम्मेदारी है इनकी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, कुछ अरसे से जिस तरह से हम लोगों ने विदेशी कर्जा लिया और यह कर्ज अगर हमने देश निर्माण के वास्ते लिया होता तो हम समझ सकते थे। हम चाहेंगे कि जो भूतपूर्व सत्ताधारी दल, और आज जो सरकार को पीछे से चलाने वाला दल है, पर्दे के पीछे से, वह जरा इस चीज का सही विश्लेषण करने का प्रयास करे क्योंकि यह सवाल इस दल का या उस दल का नहीं है, यह राष्ट्र का सवाल है। आज विदेशी मुद्रा के मामले में हम लोग एक भयंकर संकट की स्थिति में आ पहुंचे हैं तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कुछ मामलों पर वह नये सिरे से सोचना शुरू करें। मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे देश में सुजुकी गाड़ी यहां दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में बनाई जाती है। इस गाड़ी को लेकर हर साल कितने करोड़ रुपये विदेश चले जाते हैं। उसका नाम आपने भले ही मारुति रखा है मगर है तो वह जापानी सुजुकी ही। पूरी वहां बनकर आती है और यहां केवल उसके नट-बोल्ट कसने का काम, कुल मिलाकर लगभग दो हजार मजदूर मात्र करते हैं और इस आधार पर, अगर मेरी जानकारी सही है तो लगभग ढाई सौ करोड से लेकर तीन सौ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जापान चली जाती है। केवल सुजुकी गाड़ी के चलते, हमें इतना नुकसान होता है। मेरी राय में यह देश इस गाड़ी के बगैर चल सकता है लेकिन इतनी विदेशी मुद्रा, हिन्दुस्तान के मुट्ठी भर लोगों की सुविधा के वास्ते खर्च की जाए, तो उस स्थिति में यह देश नहीं है। किन-किन क्षेत्रों में पिछले 4-5 सालों में, यहां जो भूतपूर्व सरकार, कांग्रेस की सरकार रही, उसने विदेशी कम्पनियों के साथ सौदे नहीं किए। मेगी सूप, बच्चों के खिलौने, ऐश-ट्रे आदि अनेक उदाहरण हैं। खिलौने बनाने वाली कंपनी के साथ मद्रास रबर फैक्टरी ने करार किया, जिसके अनुसार उस कारखाने से जो मुनाफा होगा, उसमें से 40 प्रतिशत हिस्सा, इस देश के बाहर स्थित कम्पनी को विदेशी मुद्रा में भेजने की व्यवस्था की गई है। स्वीडन की एक कम्पनी के साथ पाखाने की कुर्सी बनी कमोड के लिए सौदा किया गया। ऐसे ही बहुत सी विदेशी कम्पनियों के साथ समझौते किए गए। पिछले 4-5 सालों में औसतन साल में एक हजार विदेशी कम्पनियों के साथ सौदे किए गए, किसी ऐसी चीज के लिए नहीं, जिसमें किसी बड़े यन्त्र या किसी विशेष चीज के लिए तकनीकी जानकारी की जरूरत हो, उसके निर्माण के लिए

समझौते नहीं किए गए, बल्कि इस देश के कुछ लोगों के लिए, लगभग दस प्रतिशत लोगों की अय्याशी के लिए, उनकी सुविधा, उनकी मस्ती के लिए ये समझौते किए गए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : दस प्रतिशत नहीं, मुश्किल से एक प्रतिशत लोग ही होंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चलो मान लीजिए 10 प्रतिशत, क्योंकि हिन्दुस्तान में हम यह मानते हैं कि लगभग 7-8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बड़े लोगों के इर्द-गिर्द घूमकर तथाकथित मध्यम वर्ग के तौर पर आज अपनी हैसियत को बनाने के काम में लगे हुए हैं। उन दस प्रतिशत लोगों के वास्ते, आप इस देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बर्बाद करते आए हैं। आज मैं वित्त मंत्री जी से विशेष तौर पर एक प्रश्न रखना चाहूंगा, हो सकता है कि वे उसी प्रश्न को हमसे ही वापस रखने का काम करें, लेकिन पैप्सी कोला के साथ जो आपने सौदा किया, हमसे किसी ने कहा कि चूंकि पहले की सरकार ने सौदा किया था, इसलिए हमारी सरकार को भी उसे चलाना पड़ा, लेकिन आज जब हम विदेशी मुद्रा का इतना भयंकर संकट महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे जितने सौदे है, जो इस देश के किसी भी दृष्टि से हित में नहीं हैं, उन सौदों को खत्म करें और विदेशी मुद्रा को बचाने का काम करें। उससे कोई नुकसान नहीं होगा। यह जो बात कही जाती है कि कहीं कोका कोला, कहीं पैप्सी कोला, कहीं खिलौने बनाने वाला कारखाना, इन सबके साथ यदि आप सौदा करेंगे तो उससे विदेशी मुद्रा, विदेशी पूंजी का हिन्दुस्तान में विकास होगा, विकास में मदद मिलेगी, इससे बढ़कर कोई दूसरी गलत बात नहीं हो सकती। इसलिए वित्त मंत्री जी ने जब इस विधेयक को सदन में पेश किया है, उनसे इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में फिजूल की चीजों को लेकर, विदेशी मुल्कों के साथ, हम लोगों के जिस प्रकार के सौदे हुए हैं, उनको खत्म करने का काम होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात इस संदर्भ में छेड़ना चाहता हूं जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की जिम्मेदारी के साथ जुड़ी हुई है। देश के सामने अनेक समस्यायें हैं। पंजाब की, कश्मीर की, असम की, आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद की, जिनकी हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं। बिहार की हम लोग चर्चा करते रहते हैं।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : आप तो तमिलनाडु की कहिये।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : हां, तमिलनाडु भी जोड़ दिया जाये। इन सब चीजों के साथ मूल प्रश्न शोषण का जुड़ा हुआ है। इस देश में रिजर्व बैंक का ढांचा इस शोषण को चलाने का एक माध्यम बना हुआ है। जितने भी गांव या देश के पिछड़े क्षेत्र हैं, इनकी ओर दुर्लक्ष्य किया जाता रहा है। इसका एक सबूत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मेरे हाथ में रिजर्व बैंक के डिपॉजिट एण्ड क्रेडिट के पब्लिक सैक्टर बैंक के आंकड़े हैं। हिन्दुस्तान के गरीब प्रदेशों में एक उत्तर प्रदेश है जिसमें क्रेडिट रेश्यो 46.3 प्रतिशत मार्च 1990 तक है। अब इस अति गरीब प्रदेश, उत्तर प्रदेश की दौलत को वहां के गरीबों की बचत को आप महानगरीय सभ्यता, मैट्रोपोलिटन सभ्यता को बनाने के वास्ते इस्तेमाल करते आये हैं और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और वित्त मन्त्रालय के सामने इस बहस को अनेक स्तरों पर छेड़ने के बावजूद, दखल देने का काम सरकार ने नहीं किया है। यही स्थिति पंजाब के बारे में है। पंजाब में 45.4 प्रतिशत, बिहार में 37.8 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में आज क्रेडिट रेश्यो 51 प्रतिशत है। तो जितने सूबे पिछड़े हैं, जितने सूबे लाचारी में हैं, इन सूबों की दौलत को जो सम्पन्न

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

सूबे हैं, प्रदेश हैं, उनके विकास में इस्तेमाल करते हैं। वही बात आसाम के बारे में भी है। जैसे गरीब सूबे का शोषण करके महानगरीय सभ्यता को बनाते हैं वैसे ही एक सूबे के भीतर जो अति गरीब इलाके हैं, उनका शोषण करके, उस सूबे में छुट-पुट सम्पन्नता के केन्द्र के निर्माण में लगे हुए हैं। इसलिए मैं वित्त मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज जब रिजर्व बैंक के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं, भले ही किसी संदर्भ में सही, रिजर्व बैंक की जो जिम्मेदारी है देश के विकास के ढांचे में, उसमें एक विषमता सरकार की तरफ से बनी हुयी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस ढांचे को खत्म करके जिन गांवों में बचत की पूंजी जमा होती है, उस गांव के विकास में ही उस पूंजी का इस्तेमाल करें। जिस सूबे का पैसा है, जिसमें बचत करके लोगों ने जमा किया है, उस पैसे का इस्तेमाल उसी सूबे में हो, उसका विकास किया जाये। इस प्रकार का फैसला सरकार की तरफ से किया जाये।

सभापति जी, एक ही बात, अन्त में, मैं कह कर बैठ जाऊंगा और वह यह है कि अनेक जिम्मेदारियों में रिजर्व बैंक की एक जिम्मेदारी समूची बैंक व्यवस्था पर निगरानी रखना भी है।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री राज मंगल पांडे) : जिस स्टेट में विकास के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, तो फिर भारत सरकार को कुछ करना चाहिए या नहीं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा कहना तो यह है कि जिस स्टेट में बचत करके पैसा जमा हुआ है वह वहीं लगना चाहिए। जैसे अगर आजमगढ़ जिले के लोगों ने अपने जिले में 500 करोड़ रुपया जमा किया है, तो उस पैसे का इस्तेमाल आजमगढ़ जिले में ही करना चाहिए न कि मुम्बई या दिल्ली में। मेरा कहना यह भी है कि किसान के पैसे से देश की पूंजीशाही को बढ़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरा कहना यह भी है कि इस सरकार को महानगरीय सभ्यता को गांव वालों के विकास को रोक कर, बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। असम में सड़कें नहीं हैं, में सड़कें नहीं हैं बिहार, राजस्थान में सड़कें नहीं हैं और यहां दिल्ली मे हर 3 महीने के बाद सड़क के ऊपर सड़क बनाते हैं, पुल के ऊपर पुल बनाते हैं। मेरी इसके बारे में लड़ाई है।

श्री शेखावत सिंह मक्कासर : दिल्ली में रबड़ के माफिक सड़क बनाते हैं और हमारे राजस्थान में सड़क बनाते ही नहीं हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रिजर्व बैंक की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी है कि देश की कुल बैंक व्यवस्था कैसे काम कर रही है। मैं वित्त मन्त्री जी से एक-दो प्रश्न करना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक इस जिम्मेदारी को निभाने में कहां तक कामयाब रहा है। क्या यह सही नहीं है कि देश के जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उन्होंने पिछले दस सालों तक अपने ऐकाउन्ट्स को रीकन्साइल नहीं किया है। क्या यह सही नहीं है कि पब्लिक सैक्टर के बैंकों ने सैकड़ों, करोड़ों रुपया डूबो देने का काम पिछले 5-10 सालों में किया है ? क्या यह सही नहीं है कि बैंक के जो अफसर हैं, किसी भी स्तर के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर से, जैसे एक बैंक के बारे में नाम लेकर मैं वित्त मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा। विजया बैंक के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर से क्या सी० बी० आई, विजिलेंस की जांच के चलते उसका इस्तीफा आपने नहीं लिया ? क्या आज अपने ढंग से फिर किसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में घुसा जा सकता है, इसके प्रयास में लोग नहीं लगे हुए हैं ? इतनी बर्बादी इन लोगों ने बैंकों की की है। ये लोग

तो सामन्ती बन गए हैं। कहां बैंकों में छोटे स्तर के अफसर करके भर्ती हो गए और बाद करोड़पति हो गए। किस तरह से वह सम्भव हो गया। इसलिए मैं आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री तीनों मुद्दे, जिनको मैंने आपके सामने रख दिया है, पर विशेष तौर पर गौर करेंगे और कुछ ठोस निर्णय देने का काम करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : इस चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया है मैं उन सबका स्वागत करता हूं। मैं उनके द्वारा दिये गये सुझावों से बहुत लाभान्वित हुआ हूं। मुझे शुरू में ही स्वीकार करना चाहिए था कि माननीय जार्ज फर्नान्डीज ने जो मुद्दे उठाए हैं मैं उनसे प्रभावित हुआ हूं और जब मैं उन मुद्दों पर आऊंगा तो बताऊंगा कि मैं क्यों प्रभावित हुआ हूं।

इन विधेयकों में संशोधन के माध्यम से जो कुछ किया जाना है वह बहुत सामान्य है। पहला मुद्दा स्वर्ण संचय से सम्बन्धित है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खास तौर से लन्दन धातु विनिमय अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक जिस सोने का संचय करता है इन प्रावधानों से रिजर्व बैंक के सोने की कीमत को बनाए रखने में सहायता मिलेगी जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अक्तूबर, 1990 को लाए गए अध्यादेश से पहले केवल 287 करोड़ रुपये मूल्य का कोष था। इस फार्मूले के परिणाम-स्वरूप जो कि इस विधेयक में सम्मिलित किया गया था और इस अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया था जो कि 10 प्रतिशत से कम है अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का 100 प्रतिशत नहीं है यह अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का 90 प्रतिशत है—30 नवम्बर, 1990 को बढ़कर 6627.43 करोड़ रुपये हो गया था। अब मुद्दा यह है कि न तो हमने मूल्यांकन अधिक किया है और न ही मनमाने ढंग से मूल्यांकन किया है और न ही विश्व को प्रभावित करने के उद्देश्य से इन आंकड़ों को कोई कृत्रिम रूप से रखना चाहते हैं।

हमारा यह प्रयास है कि हम इसे वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ ले आएं क्योंकि विगत में ऐसा हुआ था कि वर्तमान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भण्डार के कीमत में कृत्रिम गिरावट ला दी गई। यही विकृति है जिसे इस संशोधन विधेयक के द्वारा ठीक करने का प्रयास किया गया है।

अब मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज की इस टिप्पणी के कारण भ्रम में पड़ गया कि यह अध्यादेश उस सरकार द्वारा पारित किया गया है जिसके वे केन्द्रीय मंत्री हैं। यह 15 अक्तूबर, 1990 को लागू किया गया। इसलिए यदि कोई ऐसे विधान को जल्दबाजी में लाने का दोषी है तो वह है तत्कालीन सरकार और उसका मंत्रिमंडल जिसके श्री जार्ज फर्नान्डीज एक जिम्मेदार मन्त्री रह चुके हैं और मैं आशा करता हूं···(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : तो क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक गलती थी।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मेरा यह कहना है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अपने भाषण में कहा है कि यह मात्र दिखावा है और भण्डार का वास्तविक मूल्य क्या है यह सभी जानते हैं। और इसका दिखावे के लिए पुनरीक्षण करना मात्र दुनिया के सामने दिखावा होगा। और वह वे उस अधिनियमन के बारे में कह रहे हैं जिसे उनकी सरकार ने ही लागू किया था। उनका यह कहना है कि उन्होंने विधेयक के उद्देश्य और कारण को पढ़ा है और खाड़ी संकट का उल्लेख करने पर उन्हें

[श्री यशवन्त सिन्हा]

ही स्पष्ट है, जहां तक विदेशी मुद्रा की आम स्थिति का प्रश्न है। यह न तो सदन से और न देश की जनता से छिपी है कि जब से खाड़ी संकट का हम पर प्रभाव पड़ा कोष में निरंतर तथा कुछ हद तक तेजी से कमी आ रही है और पिछली सरकार के विपरीत जो यह कहती थी कि "तिजोरी खाली है"—यह वह हमेशा ही रट लगाते रहे लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। हम कहते हैं कि इसके प्रति हम सजग हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। जिस तरह 287 करोड़ रुपये के सोना का वास्तविक मूल्य 6,067 करोड़ रुपये आंका गया उसी तरह हमारे देश में जो सम्पत्ति और विशेषकर प्रधान मन्त्री का यह कथन कि "हमारे पास मानव संसाधन है" तब भी यह सोचता है कि यह देश दिवालिया हो गया है तो इससे बढ़कर कोई मूर्खतापूर्ण विचार और कोई नहीं हो सकता। यह देश सम्पन्न है और आत्मनिर्भर होने में सक्षम है और यह आत्मनिर्भर रहेगा और हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं वे अस्थायी हैं और हम उन पर काबू पा लेंगे। इसलिए तिजोरी खाली होने और भयग्रस्त होने का कोई प्रश्न नहीं है। निराशा का कोई प्रश्न नहीं है और हम आशा के साथ रहेंगे और अपनी कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे। इसलिए मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज को आश्वासन देता हूं···(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या यह सत्य नहीं है कि भारत सरकार की कुल परिसम्पत्तियां भारत सरकार की ओर कुल बकाया राशि से कम है। यदि भारत सरकार एक कम्पनी होती तो उस स्थिति में वह दिवालिया घोषित हो गई होती। किसी निगमित निकाय का प्रबन्ध-निदेशक अरबपति हो सकता है परन्तु वह अपनी उस कम्पनी का दिवाला निकाल सकता है। आज भारत सरकार की ओर कुल बकाया राशि विदेशी तथा घरेलू दोनों ही भारत सरकार की परिसम्पत्तियों से अधिक है।

सभापति महोदय : आपका प्रश्न भिन्न है। यदि मन्त्री इसका उत्तर देना चाहें, वह दे सकते हैं। परन्तु उन्होंने राष्ट्रीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में कहा था।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज मुझसे भी काफी पहले मन्त्री रह चुके हैं। मुझे विश्वास है कि वह परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के मूल्य का आकलन कर चुके हैं और वह इसे जानते हैं। परन्तु मैं कह रहा था कि हम भारत सरकार की परिसम्पत्तियों पर विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सम्पूर्ण देश की अर्थ-क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। तत्पश्चात् हम केवल सरकार द्वारा धारित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में ही चिन्तित नहीं हैं बल्कि हम राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। जहां तक राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों का सम्बन्ध है, वह उस एक जिम्मेदारी से, जो राष्ट्रीय स्तर पर हम से सम्बद्ध है, इससे कई गुना अधिक है। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए तथा इसीलिए जैसा कि मैंने कहा था तथा मुझे पूरा भरोसा है कि इस समय हम जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उन क्षणिक कठिनाइयों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तथा यह देश आगे उन्नति की ओर अग्रसर होगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : परन्तु इससे इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता कि सरकार के खजाने लगभग खाली हो चुके हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : यदि आप उस सम्बन्ध में कोई चर्चा आरम्भ करना चाहते हैं, तो मैं आपको अत्यन्त स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि हमें हमेशा के लिए इस मामले को एक तरफ रख देना चाहिए। जब हम यह चीख-चिल्ला रहे थे कि सरकारी खजाने लगभग खाली हो चुके हैं, तब उन चीखने वालों में मैं भी एक सदस्य था—। श्री जार्ज फर्नान्डीज यहां पर बैठे हुए हैं, सितम्बर तक

विदेशी मुद्रा कोष की स्थिति लगभग ठीक-ठाक थी, फिर खाड़ी संकट के परिणामस्वरूप, इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। यदि हम वित्तीय घाटे तथा बजट सम्बन्धी घाटे को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमें 11,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, जो कि अभूतपूर्व नहीं था क्योंकि इस वर्ष यदि हमने ये कदम नहीं उठाए होते तथा भविष्य में भी यदि व्यय पर नियन्त्रण करने सम्बन्धी हम इस प्रकार के कदम नहीं उठाते हैं, तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि हमें इस वर्ष कितना घाटा हुआ होता, इस घाटे ने इस देश को वास्तव में पूर्ण रूप से दिवालियेपन की स्थिति में पहुंचा दिया होता। अतएव जब हम दिवालियापन तथा खाली खजानों की बात कर रहे हैं तब वास्तव में इससे हमारा क्या अभिप्राय है। हमारा अभिप्राय है कि हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार की वास्तविक स्थिति क्या है, हमारा अभिप्राय बजट सम्बन्धी घाटे से है तथा हम यहां अपने ऋण का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह एक बहुत ही साधारण सी बात है। जब हम अपने आयात सम्बन्धी विधेयकों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय बकाया भुगतान राशि के सम्बन्ध में सरकारी खजानों के बारे में बात करते हैं, हमारे पास केवल दो सप्ताह के लिए ही पर्याप्त भंडार हैं। मुझे याद है कि जब मैं राज्य सभा में था तथा श्री प्रणव मुखर्जी वित्त मन्त्री थे, तब हमने उनसे विदेशी मुद्रा भंडार के सम्बन्ध में पूछा था। उनका उत्तर था कि हम इस भंडार से केवल तीन माह तक ही आयात कर सकते हैं। उन्होंने यही स्थिति बताई थी। राष्ट्रीय परिसम्पत्ति के कारण भय करने का कोई कारण नहीं है। परन्तु इसी के साथ-साथ इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हमें देश की स्थिति के साथ सरकार की स्थिति की तुलना करने का अधिकार है। ये दो भिन्न बातें हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं इस बात से सहमत हूं कि हम देश की स्थिति के साथ सरकार की स्थिति की तुलना नहीं कर सकते। मुझे यह स्पष्ट करने दें कि वर्ष 1989-90 में तथा सितम्बर, 1900 तक विदेशी मुद्रा भंडार 5,000 करोड़ रुपये से 6,000 करोड़ रुपये के बीच था। महीने-वार आंकड़ों में थोड़ी घट-बढ़ होती रहती है। परन्तु जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार वर्ष 1989 में सत्ता में आई थी, उस समय विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति ऐसी थी कि उस समय खाली सरकारी खजानों के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी तथा मैं आपको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि इन खाली खजानों के परिणामस्वरूप विदेशों में भारत की विश्वसनीयता को जो भारी नुकसान पहुंचा है उसका आकलन नहीं किया जा सकता है। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

जैसा कि मैंने कहा था कि यह रिजर्व बैंक द्वारा अपने पास रखे हुए सोने के पुनः मूल्यांकन से सम्बन्धित एक कानून है, जिसे भूतपूर्व सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। हम समझते हैं कि इसे यथार्थवादी होना चाहिए। अतः हम इसका समर्थन कर रहे हैं। हम इसे सभा के समक्ष लाए हैं। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि इसे सभा के लगभग हर दल का समर्थन मिला है सिवाय एक दल को छोड़कर जो इसे एक अध्यादेश के रूप में लाए हैं तथा मुझे विश्वास है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज भी एक बार पुनः विचार करने के पश्चात् वह भी इसका समर्थन करेंगे। जहां तक इस विधेयक का सवाल है सभी ने एकमत से इसका समर्थन किया है।

राज्य सभा द्वारा पारित दूसरा विधेयक जो इस सभा के समक्ष विचाराधीन है वह एक अन्य प्रावधान से सम्बन्धित है। यह बैंकों का नकद सुरक्षित राशि अनुपात 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में है। यह भी एक अत्यन्त साधारण-सा कानून है। इस देश में 28 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों से 24 बैंकों में पहले ही 15 प्रतिशत नकद सुरक्षित राशि अनुपात है। जैसा कि आप जानते हैं कि

[श्री यशवन्त सिन्हा]

मुद्रास्फीति होने का एक मुख्य कारण धन की सप्लाई है। अनेक माननीय सदस्य, जिन्होंने इस सभा में हो रही चर्चा में भाग लिया है, उन्हें मेरे सहयोगी मित्र राव बीरेन्द्र सिंह ने इस चर्चा का उत्तर दिया है। एक मुख्य कारण बढ़ी हुई धनापूर्ति है अतः यदि नकद सुरक्षित-राशि अनुपात 15 प्रतिशत भी है तब भी ऐसा समझा जाता है कि धन की सप्लाई में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष धन की सप्लाई पर अंकुश रखने के लिए हमने सख्त कदम उठाए हैं तथा मुझे भरोसा है कि हम इसे नियन्त्रित कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए ऐसा प्रावधान करना आवश्यक हो गया है कि वह 20 प्रतिशत तक नकद सुरक्षित-राशि अनुपात ले सके जैसा कि आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्त संगठन है। भारतीय रिजर्व बैंक स्वतन्त्र रूप से भारत सरकार को परामर्श देता है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी भारतीय रिजर्व बैंक अपने आप निर्णय लेता है। इसके कुछेक सांविधिक कार्य हैं तथा उन्हीं के अन्तर्गत हम भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह नकद सुरक्षित-राशि अनुपात को वर्तमान सीमा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर सके।

बैंकों की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न उठाए गए हैं। मैं उनमें से कुछ का जिक्र करता हूं।

यह कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए पर्याप्त रूप से कार्य नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैंकों की शाखाओं का बहुत अधिक विस्तार किया गया है। उदाहरण के लिए वर्ष 1989-90 में बैंकों की कुल 1,518 शाखाएं खोली गई थीं जिनमें से 1,376 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई थीं। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से की गई बचनबद्धता को पूर्ण रूप से बिना किसी परिवर्तन के अभी भी बनाए रखा जा रहा है। मैं नहीं समझता कि यह एक ऐसा मामला है जिसका विपक्षा अथवा सत्तारूढ़ दल के किसी भी सदस्य ने यह कहकर विरोध किया हो कि या तो ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जा रही बैंक शाखाओं की संख्या में परिवर्तन होना चाहिए अथवा या फिर किसी भी सदस्य ने इस समय उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न प्रकार की जमा राशि के सम्बन्ध में कुछ कहा हो।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस पर सहमति हो गई है। परन्तु क्या भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देश से व्यवहार्यता को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में और आगे किसी बैंक शाखा के विस्तारण में व्यवधान नहीं पड़ेगा ? प्रश्न यह है।

श्री अमल दत्त : मैंने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में यह बताया था कि अब भारतीय रिजर्व बैंक पहले कही गई अपनी इस बात से हट रहा है कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों हेतु एक बैंक शाखा होनी चाहिए। अब उन्होंने यह निर्देश दिया है कि भविष्य में खोली जाने वाली सभी बैंक शाखाएं अपने आप में कार्य-क्षम होनी चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोलने की गति में कमी आएगी।

श्री यशवन्त सिन्हा : मुझे जानकारी मिली है कि 15 से लेकर 25 गांवों के एक लिए बैंक शाखा होनी चाहिए, यदि इसमें कोई परिवर्तन हुआ है तब मैं पुनः इसे देखूंगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो इसमें संशोधन करूंगा। परन्तु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नकद सुरक्षित-राशि, जो इस समय 15 प्रतिशत है तथा एस० एल० आर० जो बैंकों के धन का कुल 53.5 प्रतिशत है, वह सब अब भारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में है जो उनके पास ऋण देने के लिए उपलब्ध रहता है, इसमें से 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए आरक्षित होता है। अतएव जहां तक इसका सम्बन्ध है, इसमें

पूर्ण रूप से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक यह समझता है कि ऐसा कदम उठाना आवश्यक है, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह पूर्णरूपेण मुद्रास्फीति विरोधी कदम है, क्योंकि जितना अधिक हमारे पास धन होगा मूल्यों पर दबाव उतना ही कम पड़ेगा।

अत: महोदय, जैसा मैंने कहा कि यह अत्यन्त साधारण विधान है जिसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक सी० आर० आर० सीमा बढ़ाने के लिए समर्थ होगा। ऋण जमा अनुपात और अन्य बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रण के बारे में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने अनेक मुद्दे उठाए है। यह मुद्दा लम्बे समय से चलता आ रहा और सतत संघर्ष है। मैं विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में ऋण जमा अनुपात में सुधार करना चाहता हूं और जब तक मैं वित्त मन्त्री के पद पर रहूंगा यह सुनिश्चित करना मेरा प्रयास रहेगा कि विभिन्न बैंक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में गरीबों की आवश्यकता को पूरा करें मेरा यही प्रयास होगा।

श्री अमल दत्त : जहां तक ऋण का सम्बन्ध है भोग-विलास की वस्तुओं के उपभोग के लिए कोई ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। इस बारे में आपके क्या विचार है ?

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सी० आर० आर० और एस० एल० आर० के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक का बैंकों के 53.5 प्रतिशत धन पर नियन्त्रण है। शेष धनराशि, तो 46.5 प्रतिशत है, 40 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित है। केवल 6.5 प्रतिशत ही शेष रह जाता है। मुझे इस बात को स्पष्ट करने दीजिए।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन श्री अमल दत्त ने जो मुद्दे उठाए हैं वह बिल्कुल वैध हैं। इस सभा में सभी वर्गों के सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 10,000 रुपये तक के ऋण माफ कर दिये गये हैं इसलिए बैंक छोटे किसानों को नये ऋण नहीं देना चाहते हैं। क्या इस मुद्दे पर मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं ? क्या मन्त्री महोदय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ? यदि ऐसा है तो कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे ?

सभापति महोदय : उन्हें एक-एक करके प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, 53 प्रतिशत का 40 प्रतिशत है न कि कुल का। मन्त्री महोदय वहां पर गलती कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : अगला बजट जल्दी ही आने वाला है। मन्त्री महोदय को अभी से अपनी नीति निर्धारित करनी है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या सामान और माल उत्पादित करने के प्रयास करने हेतु धन जुटाने और न कि व्यापार तथा जमाखोरी के उद्देश्यों के लिए रिजर्व बैंक दूरे देश की बैंक शाखाओं को कोई निर्देश दे रहा है। क्या इस बारे में आपकी कोई नीति है ?

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी बैंक अथवा किसी अन्य को मुनाफाखोरी करने की स्वतन्त्रता देने का प्रश्न ही नहीं है। यदि कोई भी त्रुटि है तब भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से अथवा सीधे ही हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक विदेशी निवेश का सम्बन्ध है, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने मारुति और पेप्सी के बारे में कहा है। मुझे याद है जब मैं राज्य सभा का विपक्ष का सदस्य था तब मैंने भी पेप्सी

[श्री यशवन्त सिन्हा]

कोला के हमारे देश में आने के विरोध में भाषण दिया था। हमने यह उम्मीद की थी कि जब श्री जार्ज फर्नान्डीज जैसा व्यक्ति सरकार में केबिनेट मन्त्री के रूप में आएगा तब वह पेप्सी कोला को देश से निकाल देगा जैसा उन्होंने कोका कोला के मामले में किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब 11 माह तक वह सत्ता में रहे तब ऐसा नहीं हुआ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रेलवे पर उसको लाने से रोक दिया था। मेरा निवेदन है कि आज आप इस स्थिति में हैं, क्योंकि आपके प्रधान मन्त्री जी ने उस औद्योगिक नीति पर जो टिप्पणी की थी, उसमें सारी विदेशी पूंजी देश में आने के बारे में राय व्यक्त की थी।

श्री यशवन्त सिन्हा : उसके बाद जार्जसाहब ने यह भी कहा कि मल्टीनेशनल आ रहे हैं, कमोड बनाने के लिए और बहुत से कंज्यूमर गुड्स के लिए, उनको बनाने के लिए विदेशी पूंजी इस देश में ले आए हैं, विदेशी तकनीक को इस देश में लाए हैं। मान्यवर, जहां तक उनका सवाल है, इसके बारे में हम लोगों की बिल्कुल स्पष्ट नीति है और वह यह है कि कंज्यूमर एरियाज में किसी भी तरह की फारेन टेक्नालाजी या फारेन इनवेस्टमेंट की जरूरत इस मुल्क में नहीं है, अगर आवश्यकता है फारेन इनवेस्टमेंट या फारेन टेक्नालाजी की तो वह प्रायरटी सेक्टर्स में है, जिनको हम तय करेंगे, विदेशी नहीं तय करेगा।

एक बात और जिसको मैं टच करना चाहता हूं, जब जार्ज फर्नान्डीज साहब की सरकार थी और उसने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, उस वक्त उसका कड़ा विरोध हम लोगों ने पार्टी के अन्दर किया था, जार्ज साहब ने इस मसले पर केबिनेट से कोई इस्तीफा नहीं दिया था, उसका कोई विरोध नहीं किया था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा : क्या आप औद्योगिक नीति बदलने का विचार कर रहे हैं ?

श्री संतोष मोहन देव : मन्त्री महोदय ने कहा है कि नई नीति निर्धारित की जा रही है।

7.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसी नीति की घोषणा की है कि यहां पर कंज्यूमर सैक्टर में हम विदेशी कम्पनियों को नहीं आने देंगे। मैं तीन-चार कम्पनियों के नाम ले रहा हूं। "गुस्ताम्स बर्ग" जो स्वीडिश कम्पनी है और पाखाना की कुर्सी बनाती है जिसको भूतपूर्व आपकी समर्थक सरकार हिन्दुस्तान में लाई थीं। "मैगी-सूप", "हैस-ओ टायज", "मारुति गाड़ी" और "पैप्सी"। क्या आपकी नीति इन सबको बाहर निकालेगी।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं ऐसे अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि जो पहले परमिट कर दिया गया है और जिसको अनुमति दी जा चुकी है उसको निकाला जाए। आप उस पर कोई उपहास न करें। ग्यारह महीनों में इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया··· (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं कई बार अपना भाषण बीच में रोककर दूसरे सदस्यों को बोलने का अवसर दे चुका हूं। अब मुझे अपनी बात भी पूरी करनी है। (व्यवधान)

डा० विप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : अब आप क्या करने जा रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इस प्रकार के वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे सकता हूं। यदि कोई व्यक्ति कोई विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता है तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप मन्त्री महोदय को अभी कुछ कहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तब उन्हें भी बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, बहुत बार सरकार की ओर से कहा गया है कि हम एक नई औद्योगिक नीति लाना चाहते हैं। हम वह नीति प्रस्तुत करेंगे। हम संसद को विश्वास में लेकर उसके समक्ष यह नीति प्रस्तुत करेंगे। इस समय मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि नई औद्योगिक नीति राष्ट्रीय आवश्यकताओं, उद्देश्यों और इच्छाओं के अनुरूप होगी न कि पिछली सरकार द्वारा लाई गई बेकार, और अनर्थकारी नीति की तरह होगी। इसके साथ मैं सभा से इस विधेयक का समर्थन करने और पारित करने की अपील करता हूं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आपकी बैंकिंग नीतियों के कारण हिन्दुस्तान में अनेक बैंक दिवालियापन की स्थिति में आ गए हैं। उसमें विशेषरूप से यूको बैंक को···(व्यवधान) पश्चिम बंगाल के समर्थन के कारण आप यूको बैंक को जिंदा रख रहे हैं। लेकिन न्यू बैंक आफ इंडिया दिवालिया की स्थिति में आ गया है, उसको जिंदा बैंक में मर्ज करने जा रहे हैं। आप यहां पर डबल-डबल पालिसी किस प्रकार से अपना रहे हैं। न्यू बैंक आफ इंडिया को मर्ज कर रहे हैं और यूको बैंक को फायदा कैसे दे रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा निवेदन यह है कि आपने बहुत समझाने का प्रयास किया, वास्तव में यह बिल छोटा है। इसका असर काफी गहरा है। गोल्ड ही इस देश में समृद्धि की निशानी है। विशेषकर भारत में महिलाओं के लिए गोल्ड ही सब कुछ है, इसका क्या असर होगा, यह नहीं बताया गया। इस बिल के कारण निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति और काला बाजारी बढ़ेगी। हर नोट पर आप "आइ प्रामिस टू पे" लिखते हैं। जितना गोल्ड आपको रखना चाहिए उससे

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

कम रखेंगे। उससे ज्यादा लेंगे तो मैं समझता हूं कि नोट पर भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हर नोट पर एक वादा होता है कि "आइ प्रामिज़ टू पे" उससे विश्वास उठाना चाहें तो अलग है। बाकी इतिहास साक्षी है भारतवर्ष गरीबों का देश है, जिस ब्राजील का और अर्जेंटीना का उदाहरण दिया, आपको भी यह बात कहनी चाहिए कि 20 गुना बढ़ा देने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आप तो बिल पास कराकर चले जाएंगे, लेकिन आने वाली दूसरी सरकार भी इसके नुकसान को रोक नहीं सकेगी। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि सोने का कोष बढ़े और प्रवासी भारतीय सोना लायें और यहां रखें, जो रखने पर टैक्स लगता है वह आप चाहें तो बढ़ा दें। इसलिए मेरी विनती है कि इस बिल को वापस लें और इस गरीब जनता पर इसको न लादें।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैं कुछ ही शब्दों में अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि—

[हिन्दी]

"हमारी सरकार की तरफ से, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार की तरफ से आपने जो कहा कि देश का आर्थिक दिवाला निकाला है वह मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सारे विश्व में इस देश का बहुत भारी नुकसान हुआ है। यह सही नहीं है···मैं एक ही वाक्य में बताना चाहता हूं···"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं इस विषय पर दुबारा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। अब वह समय बीत गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं क्योंकि मेरे विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं और मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत संकल्प सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 15 अक्तूबर, 1990 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (1990 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन विधेयक (—जारी)

सभापति महोदय : विधेयक पर चर्चा के लिए दो संशोधन प्रस्तुत किए गए। एक श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा दूसरा प्रो० रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय सभापति जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरी अनुमति के बिना सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या श्री गिरधारी लाल भार्गव अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह नहीं मान रहे तो मैं उसको वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या श्री गिरधारी लाल भार्गव को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

कुछेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : क्या प्रो० रासा सिंह रावत अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सोने के सम्बन्ध में जो सरकार करने जा रही है, देश की कोटि-कोटि जनता को गांवों, शहरों में महिलायें रहती हैं उनके लिए यह सुहाग का चिन्ह है, कानों की बालियां और नाक की नथ इत्यादि आभूषण महंगे तो नहीं हो जायेंगे। कहीं ऐसा न हो कि सोने के भाव बढ़ जायें और मुद्रास्फीति भी बढ़ जायें। मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका संशोधन पहले ही परिचालित किया जा चुका है और सभी इस बारे में जानते हैं। अब मैं प्रो० रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी। खंड 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : खंड 1 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब मन्त्री महोदय यह प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री आर्ले फर्नान्डीज : महोदय, मैं 60 सेकिंड से अधिक समय नहीं लूंगा। मैं तृतीय वाचन चरण पर भाषण देने के अपने अधिकार का उपयोग करूंगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कम-से-कम आपको लिखित रूप में यह सूचना देनी चाहिए थी कि क्या तृतीय वाचन चरण पर कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप पहले भी बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री आर्ले फर्नान्डीज : महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जहां तक इस विधेयक का संबंध है मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार की आज की तारीख में कुल देनदारी 3,९6,000 करोड़ रु० है जबकि कुल परिसम्पत्तियां 2,35,000 रु० है जिसका अर्थ है

कि निवल देनदारी 1,21,000 करोड़ रु० है अर्थात् सरकार दिवालिया हो जाएगी। महोदय, मेरे सह-योगी और भूतपूर्व वित्त मन्त्री प्रो० मधुदण्डवते ने बताया था कि हम दिवालिया होने की स्थिति में हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मन्त्री जी जो कह रहे हैं उसके महत्व को समझते हैं। धन्यवाद, महोदय।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री यशवन्त सिन्हा : नहीं महोदय।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक

(राज्य सभा द्वारा यथापारित)—जारी

सभापति महोदय : अब हम दूसरे विधेयक को लेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

सभापति महोदय : खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 1

संशोधन किया गया

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4—

"(संशोधन) अधिनियम, 1990" के स्थान पर

"(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991" प्रतिस्थापित किया जाए। (1).

(श्री यशवन्त सिन्हा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा जाए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब प्रधान मन्त्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक, संशोधन रूप में पारित किया जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० प० पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

7.13 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 10 जनवरी, 1991/20 पौष, 1912 (शके) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिज्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53

पी०एल०एस०—48/13/8/91 (एन०)
225

© 1991 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और विन्ध्यवासिनी पैकेजिन्स,
दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित